

राष्ट्रभाषा पर चिंता ॥८

(राष्ट्रभाषा-संबंधी विविध प्रश्नों का समाधान)

राजस्थान-गांदिर

जननवर, काशी

मूल्य १॥)

अपनी भी सुनें

उस दिन क्या जानता था कि किसी दिन नागरी-हित के हेतु इतना लोहा लेना पड़ेगा और इस तनिक सी सीधी बात के लिये इतना तूमार बँधेगा। बात यह थी कि इस जन के परम हितैषी श्री दुर्गाप्रसाद जी जोशी को (जो उस समय अपने तप्पा के कानूनगो थे) कहीं से एक सम्मन मिल गया था जो हिन्दी के कोठे में था पर भरा गया था कचहरी की फारसी लिपि में ही। पढ़ते-पढ़ते दम निकल गया पर उसका भेद न खुला। जोशी जी ने उसके सञ्चन्ध में जो कुछ कहा उसको कहने की आवश्यकता नहीं। जानते तो आप भी इतना हैं कि उसे नागरी में ही रहना था और होना था इस रूप में कि वह किसी भी साक्षर की समझ में आ सके। परन्तु हमारी कचहरियों का काम समझने के लिये तो तब होता जब आप अपनी समझ से काम लेते और किसी के सहारे अपना अधिकार पाने का भाव छोड़ देते। संयोग की बात कहिए, उस समय स्वर्गीय अल्लामा शिवली नोभानी के आत्मज का तहसील में राज्य था- वही वहाँ के तहसीलदार थे, किया तो उन्होंने बहुत कुछ परन्तु श्री जोशी जी भी पहाड़ी जीव थे और उसे भी पर्वतराज हिमालय के। अपने लक्ष्य से तनिक भी न डिगे और किसी न किसी प्रकार हिन्दी को अपने काम-काज में पनपाते रहे। किन्तु यह तो उनकी बात हुई और हुई उनके सरकार की। हमारी सरकार नागरी को अपनाती और उसका व्यवहार जनता के उपकार के लिये चाहती भी है। किन्तु यह हो नहीं पाता बीच के रोड़ों के कारण। इन्हीं रोड़ों का ओर धान दिलाना श्री जोशी जी का काम था और इन्हीं रोड़ों को खोज निकालना इस जन का काम है।

‘भाषा’ का प्रथम राष्ट्रमाध्या का प्रश्न बन गया। उदूँ सन् १९४४-४५ हृ० में उदूँ में अर्थात् दिल्ली के लाल किला में बनी और मुगल शाहजादों एवं दरवारी लोगों के साथ लखनऊ, अजीमाबाद (पटना) और मुर्शिदाबाद आदि शहरों में पहुँची। फारसी के साथ-साथ कमनी सरकार के दरवार में दाखिल हुई और

अनु १८०० में फोर्ट विलियम कालेज में जा जमी। फोर्ट विलियम कालेज की कृपा से वह हिन्दुस्तानी बनी और 'हिन्दी' को 'हिन्दुश्व' बता कर देश में फैलने का डौल डाला। फिर क्या हुबा इसका लेखा कव किसने लिया और आज कोई क्यों लेने लगा! आज तो २४ धंटे में इस देश के सपूत उदूँ सीख रहे हैं पर उदूँ का इतिहास मुँह खोलकर कहता है कि 'हिन्दी' को उदूँ आती ही नहीं। और उदूँ के लोग? उनकी कुछ न पूछिए। उदूँ के विषय में तो उन्होंने ऐसा जाल फैला रखा है कि बेचारी उदूँ को भी उसका पता नहीं। आज उदूँ क्या नहीं है! धर की बोली से लेकर राष्ट्र की बोली तक जहाँ देखिए वहाँ उदूँ का नाम लिया जाता है और कहा यह जाता है कि वास्तव में वही सब की बोली है। इस 'सब की' का अर्थ?

उदूँ का कुछ भेद खुला तो 'हिन्दुस्तानी' सामने आई और खुलकर कहने लगी वह भी सही, वह भी सही; यह भी नहीं, वह भी नहीं; हिन्दी भी, उदूँ भी, फारसी भी, अरबी भी, संस्कृत भी, ठेठ भी, पुर नहीं, सबकी बोल याल की भाषा। 'बोलचाल की भाषा' का अर्थ? बोलचाल की भाषा अभी बनी नहीं बनने को है। तो?

इस बनने की क्रिया में अच्छा सूत्र हाथ लगा। राष्ट्रभाषा बनी नहीं तो राष्ट्र कैसे बना? भारत को एक राष्ट्र कहता कौन है? यदि इस देश में कोई राष्ट्र है तो सुसलिम। और दूसरा राष्ट्र कहा है? बैंगाली अलगा, पंजाबी अलगा; मद्रासी अलगा, गुजराती अलगा; हिन्दू अलगा, अञ्जूत अलगा; फिर इस अलगा के राज्य में राष्ट्र कहाँ है जो उसके लिये इतना अधिक भव्याया जा रहा है? 'हिन्दुस्तान' के पहले इस सारे देश का कोई नाम भी था? संस्कृत मर्तुकी, प्राकृत रही नहीं, और 'भाषा' का नाम ही जाता रहा, फिर उत्तर कौन दे? 'राष्ट्रभाषा पर विचार' में और कुछ नहीं इसी का रोना और इसी का समाधान है। उपाय आप के हाथ है, विचार इस ग्रन्थ में।

इस ग्रन्थ के प्रायः सभी लेख कहीं न कहीं प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें केवल एक अप्रकाशित है जो पहले पहल इस सम्राह में प्रकाशित हो रहा है। 'हिन्दुस्तानी प्रचारसभा' को छोड़ कर सभी पहले निकल चुके हैं। इनमें

प्रथम दो तो भाषण हैं 'जो 'हरिद्वार' तथा प्रथाग में पढ़े तथा दिए गए थे। प्रथाग का भाषण मौखिक रूप में था। बात यह थी कि प्रथाग विश्वविद्यालय के 'हिन्दी परिषद्' की ओर से एक योजना प्रस्तुत हुई थी जिसके अनुसार २३ नवम्बर चन् १९३९ ई० को 'राष्ट्रभाषा का स्वरूप' पर विद्वानों में विचार हुआ। विचार था कि 'भाषण' पुस्तकाकार प्रकाशित हो जायें। फलते उसे लिपिबद्ध किया और सम्मेलनपत्रिका ज्येष्ठ-आपाद में वह छप भी गया। हरिद्वार का भाषण हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के राष्ट्रभाषा परिषद् में अध्यक्ष-पद से पढ़ा गया था। हिन्दी-हिन्दुस्तानी का उदय अद्वेय टंडन जी के प्रतिवादः में लिखा गया था और 'सम्मेलन और जनपद' जनपद-आन्दोलन की रोकथाम के लिये जनपद-समिति के सयोजक के रूप में। शेष के विषय में कुछ विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं। हाँ, यहाँ इतना और भी स्पष्ट कर देना है कि राष्ट्रभाषा पर भली भाँति विचार करने की इच्छा से ही इस सम्राह में महात्मा गान्धी, श्री काका कालेलकर, डाकटर तरिचन्द्र तथा श्री सत्यनारायण के विचार दिए गए हैं जो उन्हीं के लेखों में व्यक्त हैं और जिनको और भी खोल कर दिखाने के लिये उन पर अपनी ओर से टिप्पणी भी दी गई है। आशा है उनसे अनेक अमों का निवारण तथा उच्छेद होगा।

अन्त में हम उन सभी पत्र-पत्रिकाओं के आभारी और कृतस हैं जिनकी कृपा से जवाब, जहाँ-तहाँ इन लेखों का प्रकाशन हुआ और फलतः आज भी कुछ हेरफेर और कड़ेट के साथ इस सरलता से यहाँ प्रकाशित हो रहे हैं। आशा है भविष्य में भी 'सरस्वती-मंदिर' इस प्रकार की रचनाओं के प्रकाशन में विशेष दर्शनित रहेगा और राष्ट्रभाषा के क्षेत्र में किसी से पीछे न रहेगा।

शुभ-पूर्णिमा
सं० २००२ विं० }

चन्द्रबली पांडे
काशी

विषय रूचि

लेख-क्रम	निदेश	पृष्ठ सं.
१ राष्ट्रभाषा (१९ मई सन् ४३)		३२
२ राष्ट्रभाषा का स्वरूप (२३ नवम्बर सन् ४३)		३२-५०
३ राष्ट्रभाषा-संवंधी दस प्रश्न (हिन्दी, जून सन् ४२)		५०-५८
४ डा० ताराचंद और हिन्दुस्तानी (हिन्दी, अगस्त ४२)		५८-६८
५ हिन्दुस्तानी (हिन्दी, अक्टूबर सन् ४२)		६९-७५
६ हिन्दुस्तानी का आग्रह क्यों ? (हिन्दी, मार्च सन् ४३)		७५-८५
७ हिन्दी-हिन्दुस्तानी का उदय (अग्रणी, स० ९७ विं)		८५-९४
८ हिन्दुस्तानी की चौथी पोथी (सा० आज, २५ चैत्र स० ९६)	९४-१०१	
९ विहार और हिन्दुस्तानी (सा० आज, १७ पौष स० ९६)	१०५-१०८	
१० बेसिक हिसाब की पहली पुस्तक (हिन्दी, मार्च सन् ४२)	१०८-११२	
११ केर बेर को संगा (हिन्दी, सितम्बर सन् ४१)	११३-११८	
१२ रेडियो का आदाव अर्ज (हिन्दी, जनवरी सन् ४१)	११८-१२१	
१३ उर्दू का अभिमान (सा० भारत, १७ दिसम्बर ४४)	१२२-१३३	
१४ राष्ट्रभाषा व सम्बोलन (हिन्दी, मई सन् ४२)	१३३-१४८	
१५ सम्मेलन और जनपद (परिपत्र, सन् ४३)	१४८-१५१	
१६ हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा (अप्रैल सन् ४५)	१५२-१६६	
१७ अवधार में हिन्दी (सरस्वती, जनवरी सन् ४२)	१६६-१८३	
१८ उद्घार का उपाय (हिन्दी, मई सन् ४१)	१८३-१८५	

१ राष्ट्रभाषा ॥

गिरा अरथ जल-बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न ।
बंदौं सीताराम - पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न ॥

देवियों और सज्जनो !

देश जब दुकड़ों दुकड़ों में बैट रहा हो और यारों की पाकिस्तानों
दृष्टि उसकी बोटी बोटों के लिये ललक रही हो तब इस प्रकार एकत्र
हो राष्ट्र-भाषा पर विचार करना आप ही का काम है । कहते हैं, कभी
संकट के समय इस देश के ८८००० झृषि एकत्र हो किसी अरण्य में
लोक-मंगल का उपाय सोचते और फिर एकमत हो नगर नगर, गाँव
गाँव और घर घर उसकी धूम मचा देते । वन न सही, हरिद्वार की
पुण्यस्थली किस तपोभूमि से कम है । आइए हम-आप एकमत हो कोई
ऐसा उपाय करें जिससे राष्ट्रभाषा का प्रचार घर घर हो जाय और
राष्ट्र का कोई भी कोना उससे अछूता न वचे । स्मरण रहे, यह भावना
हमारे लिये नई नहीं है । नहीं, हमने भी 'अशोक' और 'समुद्र' के
शासन में वह काम किया है जो आज बाहर का प्रसाद समझा जाता
है । कौन है जो सचाई के साथ हमारे इतिहास को देखे और फिर
हृदय पर हाथ रखकर, आँख मिलाकर हमारे सामने कह तो दे कि
इसलाम के आगमन के पहले अथवा अँगरेजों के यहाँ जमने के पूर्व
भारत कभी एक न था । भारत के किसी भी कोने में जाकर देखो,
उसके 'संकल्प' को सुनो, उसके 'अभिवेक' को देखो, उसकी धार्म-यात्रा
के विवरण को पढ़ो और फिर कहो तो सही भारत की एकता कितनी
पुरानी है और उसकी 'भारती' कितनी सजीव है ।

भारत की राष्ट्रभाषा भारती का इतिहास बड़ा रोचक है । यहाँ
उसकी रामकहानी से क्या लाभ ? यहाँ तो उद्दृ-अँगरेजों का अभिमान
चूर करने के लिये इतना ही दिखा देना पर्याप्त होगा कि ईरानी-तूरानी

मुसलमानों के आगमन के पहले ही यहाँ की राष्ट्रभाषा भली भाँति चारों ओर फैल चुकी थी और अपने शिष्ट तथा सहज दोनों ही रूपों में सर्वत्र व्यवहृत हो रही थी। और तो और, महमूद गजनवी जैसे कटूर नाजी सुलतान की मुद्राओं पर वही मुई संस्कृत विराजमान है जिसका नाम ही आज उर्दू को रसातल भेज रहा है। लाहौर में उसका जो सिविका ढला उस पर लिखा गया 'अ०यत्तं एकं, मुहम्मद अवतार, नृपति महमूद' एवं 'अयं टंको महमूदपुरे घटे हतो, जिनायनसंवत्'। ध्यान देने की बात है कि महमूद मुहम्मद साहब को अवतार तथा उनके हिजरी संवत् को जिनायन लिखवाता है और इस बात से तनिक भी भयभीत नहीं होता कि उसके कटूर मुख्ली उसका विरोध करेगे। करते भी क्यों? उस समय का इसलाम कुछ और ही था। आज तो 'श्री' शब्द से इसलाम ने शानुता ठान ली है पर कभी शाहाबुदीन मुहम्मद गोरी से शेरशाह सूर तक सभी समर्थ बादशाहों के सिक्कों पर 'श्री हमीर' 'श्री हमीर' आदि का दर्शन हो जाता है और धर्मघुरीण कटूर 'नमाजी' औरंगजेब के शासन में तो इस 'श्री' की बाढ़ सी आ जाती है। देखिए न उस समय का एक 'गृहाङ्क पत्र' है

"स्वस्ति श्री संवत् १७२४ वर्षे माघ सुदि ७ गुरू अद्येय पातशाहा श्रीसुलतान शाहा अलिमग्यरी साहिबकुरानशानी धारमिक सत्यवादी वाच। अविचल ज्यवनकुलतिलक सकलरायांशरोमणि महाराजराज्येश्वर एहवो पातशाहा श्री श्री श्री श्री श्री श्री अवरंगजेब सरबमुद्राराज्यं करोति तस्यादेशात् श्रीगुजरातमध्ये सो० श्रीराजनगरे सोवेसाहिब तु बाप श्रीमहबतधान दीवानी श्री श्री हाजीमहिमद सफि छि। हवि षासपत पालसि श्री षंभायतहवालि मीर्या० श्री श्री जहान अलावदीन हवडां श्री सूरत मध्ये छे। ते षंभायतनी चोषंडोइ न्यायकर्ता हाकिम मीर्या० श्री मीरमाजूला कजाइकानो श्री महिमद सरागदीन वाकेनिकसे मीर्या० श्री अहमेद वेण। दीवानी श्री किशुरदास॑ श्री कोटवाली चोतरि भीर काशम-बेग। वेसे छे। एवमादीपञ्च कुलप्रतिपत्तौ श्रीषंभायतवास्तव्य श्री ओसवाल-शातीय वृद्ध शाखायां साषीमवतूनी। धनीआणि वाई फूलां ता तथा सा

मानशंगा ठाकरशीपारस्यात् योग्य लघित ओसवालज्ञातीय लधूशाषायां
वाई मणिकदेहस्वाक्षराणि दत्ता...”

(लेखपद्धतिः, गा० ओ० सी०, संख्या १९, पृष्ठ ७७)

‘श्री’ के प्रचुर प्रयोग के साथ ही यह भी टॉक लेना चाहिए कि लेख संस्कृत के आधार पर ही चल रहा है। इस प्रकार की चलित संस्कृत से स्पष्ट हो जाता है कि आलमगीर औरंगजेब ने आमों के नाम क्यों शुद्ध संस्कृत में ‘सुधारस’ और ‘रसनान्विलास’ रखे। औरंगजेब के समय में संस्कृत किस प्रकार अपने दूटे-झूटे रूप में व्यवहार में चलती रही इसकी एक भल्कु मिल गई। अब मुहामदशाह रॅगीले के रासन की भी एक भाँकी लीजिए -

श्रीरामः ।

V श्री महमदसाह

- १—सिद्धिरस्तु ॥ परमभट्टारकेत्यादिराजावतीपूर्वक (-) नातलक्ष्मण-
सेनदेवीय (-) विशत्यधिक (-)
- २—षट्शते लिख्यमाने यत्राक्षेनापि ६२० ल-सं । पुनर्परम-
भट्टारकाश्वपतिनाजपति नरप-
- ३ तिराजत्रयाधिपति-महासुरनाग-श्री श्री श्री V पालिते
धरणिमण्डले तत्प्रेषित-कु-
- ४ सुमपुरावस्थित-श्रीश्रीमत्पकरओदओलांखान-समुल्लासित-महा-
राज-श्रीश्रीमद्रा-
- ५ धवसिंहदेव-पालितायां मिथिलाथं हाटीतप्यान्तर्गत-सौराष्ट्र-
भ्रामवासी सो-
- ६ दरपुरसं-श्री कमलनयनरामी ज्योतिर्वित् शूद्रक्यणार्थं स्वधनं
मयुक्तं । धनश्राहको-
- ७ प्येतत्सकाशात् सौराष्ट्रभ्रामवासी स्वयमेव दुल्लीदासः पराली-
दासश्च । यथा के-

८—नापि परालीदा सेनातमीयेन नानाभृत्यस्थकृता राजतः साङ्कें काद-
शमुद्रा मू-

९ ल्यमादायास्मिन् धनिनि स्वयमेव दुल्लीदासः स्वात्मानं
विक्रीतवान् ।

१०—आवत्मात्म्यजातीयं गौरवर्णं तर्कितदशवर्षवयस्कं दुलियानामानं
स्वयमा—

११—त्मानं विक्रीतवान् । यत्र अत्र ? विक्रीतप्राणी १ मूल्यं
मुद्राः ११॥ यदि क्वापि प्रपलाच्य गच्छ

१२—ति तदा राजसिंहासनतलादप्यानीय दासकर्मणि नियोजनीय
इति । अत्रार्थे

१३ साक्षिनः सकराढीसं श्रीशतज्जीवशर्म-वलियाससं श्रीगणपतिमिश्र
सकराढी

१४—सं श्रीवासुदेवभा-ब्रह्मनिर्ऋमसं श्रीवान्धवभा-गङ्गौलीसं श्री
कृपाराम

१५ भा-शतलखासं श्रीरामजीवशर्म-फनदहस भहोपाध्याय श्रीरुचि
पतिमिश्र

१६ खौयालसं श्रीभीषणशर्म बुधवालसं श्रीगोननशर्मानः सौराष्ट्र
वासिनः

१७ लिखितमिदमुभयोनुमत्या साङ्केतिकादशाणकानादाय सकराढीसं
श्रीतारा—

१८—पतिशर्मणेति शिवं । चैत्रासित ३ कुजे शाके १६५१ सन्
१११६ साल ॥

१९ सही दुल्ली अभातक । साडे एगारह रूपैत्रा लए बिकए-
लहु । सही

२०—पराली । वहिक वर्षमध्ये पडाए तबोहमें निसाकरीअ बेउजुर ॥
(Indian Historical record Commission, Proceedings of
the meetings Vol. XIII, 1942 P. 87-9)

अस्तु, अब तो यह मान लेने में किसी भी मनीषी को कोई अड़चन

नहीं रही कि मुगल साम्राज्य में संस्कृत जीवित रही और भाषा के साथ ही साथ वात-व्यवहार वा लेन-देन में चलती रही। संस्कृत को बार बार मृत भाषा कहनेवालों को तर्निक होश में आना चाहिए और इस प्रकार की धौधली भचाने के पहले एक बार अपने पूर्वजों की पोटली को खोल देखना चाहिए। पुराने पाइरियों के शिष्य फिरंगी चाहे कुछ भी कहते रहें पर भारतीय भाषाओं के कुशल पंडित आज भी संस्कृत के प्रभाव को मानते हैं और कभी कभी तो उसी को राष्ट्र-भाषा के रूप में देखना भी चाहते हैं। एक विद्वान् उसको किसी भी भारतीय देशभाषा से अधिक व्यापक और सुदूर देशों में फैली हुई पाता है तो दूसरा उसी के सरल चलित रूप को राष्ट्रभाषा के योग्य समझता है। जो हो, भारत राष्ट्रभाषा संस्कृत को छोड़ कर जी नहीं सकता। प्राण रहित शरीर और वास्त्र-रहित नदी की जो स्थिति है वही संस्कृत-रहित भारत की अवस्था है। हों, जिनकी हृषि में ‘इंडिया’ के पहले कोई ‘इंडिया’ अथवा ‘हिंदुस्तान’ के पहले कोई ‘हिंदुस्तान’ ही नहीं था वे कुछ भी बकते रहें, हम उनकी तर्निक भी चिन्ता नहीं करते पर हम तड़प उठते हैं वह देखकर कि हमारे संस्कृताभिमानी विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाया जाता है “‘जब समस्त भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत थी, उस समय उसका नाम ‘भारती’ था। यह भारत की ‘भाषा’ या उसकी अंतरात्मा ‘सरस्वती’ थी। वह भाषा अपने बाड़मय या ‘सरस्वती’ को वहन था धारण करने की इतनी प्रकाम क्षमता रखती थी कि उपासकों ने भाषा और भाव—शरीर और आत्मा दोनों की एकता मान कर विभव में ही देवता की प्रतिष्ठा कर ली।’” (‘गव्यभारती’ की भूमिका का ‘राम’)। इस प्रकार के बान्धाल के द्वारा चाहे संस्कृत शब्दों की जितनी भेंडैती की जाय पर इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि संस्कृत भूत की बात हो गई। अब न तो वह भारत की भारती रही और न उसकी अंतरात्मा ‘सरस्वती’। तो क्या हिंदू संस्कृति का उद्धर और भारत का अम्बुद्य इसी ‘थी’ से होगा? क्या भाषाशास्त्र का सारा सार इसी ‘थी’ से छिपा है?

नहीं, अब इसका भरपूर विरोध होना चाहिए और अपने होनहार

विद्यार्थियों को इस प्रकार के कुपाठ से सर्वथा बचाना चाहिए। सच पूछिए तो हमारे राष्ट्र का विनाश जितना कुपड़ हाथों से हो रहा है उतना अपड़ लोगों से नहीं। भारत की भाषा आज भी भारती ही है संस्कृत न सही भाषा तो है। भला कौन कह सकता है कि तुलसी के रहते रहते 'भाषा' तो रह गई पर संस्कृत भर गई? नहीं, कदापि नहीं। तुलसी ने 'रामचरितमानस' में लोकभाषा के साथ ही साथ देवभाषा का भी विधान किया है। ऊपर की बंदना में गिरा, जल, बोचि, सम, मिन्न, सीता, राम, पद, परम, प्रिय, खिन्न सभी तो शुद्ध संस्कृत हैं; केवल छंद के अनुरोध से अर्थ को 'अरथ' कर दिया है, अन्यथा वह भी संस्कृत ही है। अब यदि यह संस्कृत भरी भाषा है तो जीवन किसे कहते हैं? हम तो नहीं समझते कि संस्कृत पर धूलं उड़ानेवाले कुछ जानते भी हैं अथवा राष्ट्रभाषा के प्रसंग में संस्कृत के साथ अरबी को ला खड़ा करनेवाले कही कुछ बुद्धि वा विवेक भी रखते हैं। अरबी का तो भारतीय भाषाओं से उतना भी लगाव नहीं जितना कि अँगरेजी का है। हाँ, ईरानी पड़ोस में बस सकती है पर अरबी कदापि नहीं। जब उद्दू 'नवी की जाग्रत्त' बताई जा रही है तब तो और भी नहीं। क्योंकि नवी देशभाषा के पुजारी थे, कुछ विदेशभाषा के प्रचारक नहीं।

अरबी से हमारे देश का जो इसलामी नाता है उस पर आगे चल कर विचार होगा। अभी कहना यह है कि इसलाम के आ जाने से कोई नई जाति भारत में नहीं आ गई। जिनके बाप-दादे पहले आतंतायी के रूप में आते थे वे ही अब मुसलिम के रूप में आने लगे। अंतर इतना अवश्य हो गया कि पहले रसते बसते यहीं के ही जाते थे और अब यहाँ के लोगों को भी यहाँ से उड़ाकर कहीं और का बताने लगे। कहने का तात्पर्य यह कि जहाँ धीरे धीरे अपने को राष्ट्र का अंग बना लेते थे, अब प्रभाद्वश राष्ट्र के कोड़ के रूप में सामने आने लगे और जब अपनी सारी सत्ता खो दैठे तब भाषा के सिर हो रहे और इसलाम की ओट में पेट चलाने लगे। पेट-पूजा की चिता और शाही शान ने राष्ट्रभाषा के विकास में जो बाधा उपस्थित की वह पनपकर उद्दू

के रूप में फूल ढठी और उसका फल पाकिस्तान निकला। अब कहो हिंदू और कहो हिंदुस्तान! वस अब तो पाकिस्तान ही दिखाई दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान अरबी शब्द है? कुरानमजीद से उसका भी कोई नाता है? जो नहीं। तो फिर हमारा प्रश्न है 'दारुल्इसलाम' क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों? 'अलाह' क्यों नहीं 'खुदा' क्यों, 'सलात' क्यों नहीं 'नमाज़' क्यों? 'सौम' क्यों नहीं 'रोज़ा' क्यों? इस क्यों का जवाब दो तो राष्ट्रभाषा के विषय में मुँह खोलो अन्यथा बादशाहत का स्वप्न देखते फिरो।

राष्ट्रभाषा ने कभी किसी शब्द का वहिष्कार नहीं किया, यदि वह कुछ लेकर आया तो भारत की सभी भाषाओं में उसका स्वागत हुआ। कुछ संस्कृत में न जाने कितने शब्द प्रचलित हो गए। भाषा का कोप उनसे भी भरा। पर परदेशी जी इतने से न भरा। उसने देखा कि शाही नहीं, शाही शान नहीं, और गई शाही बोली। अब जो कुछ बच रहा है वह है दीन और दुनिया। दीन को अरबी का सहारा था, है और रहेगा। भी। इसलाम अरबी को सर्वथा भुला नहीं सकता। पर कोई भी सच्चा हिंदी मुख्लमान हिंदी को छोड़कर फारसी को अपनाने क्यों लगा? आज ईरान भी तो उससे कोसो दूर जा पड़ा है। आज ईरान की भाषा खरी ईरानी हो रही है—फारसी का नाम तक नहीं लिया जाता। आज तुर्की की भाषा शुद्ध वा निपट तुर्की बनाई जा रही है अरबों की कोई वात भी नहीं पूछता। वह मज़हब की चीज़ हो सकती है, राष्ट्र की भाषा नहीं। सारांश यह कि वहाँ आसमान को जमीन से, दीन को दुनिया से, अलग करके देखा जा रहा है, कुछ दोनों को गङ्गामङ्ग करके नहीं। तनिक सोचने, समझने और विचार करने की बात है कि भारत में क्या और अन्यत्र के इसलाम में क्या और क्यों हो रहा है? बिना विचारे राष्ट्रभाषा की कोटि में उदू क्या फारसी-अरबी को ला खड़ा करना मज़हब नहीं कुरू है, इसलाम नहीं उपद्रव है। यदि दीन का दूर है तो दीन की दृष्टि से उसपर विचार हो और सब प्रकार से उसका पालन भी हो। पर यदि दुनिया की चाल है तो उसकी गति को परखो।

ઔર વ્યર્થ મેં રાષ્ટ્રમાધ્યમાં કે ભાર્ગ મેં ખાઈ ન ખોડો । બાદ રહ્યો. ઉર્દૂ કો બને અમી ૨૦૦ વર્ષ સે અધિક નહીં હુએ । કહને કો ચાહે કુછ ભી કહો પર સચ્ચી ઔર દોટૂક બાત તો યહ હૈ કि

“યહોં (શાહજહાનાવાદ) કે સ્નેરા બધાનો^૧ ને મુતાફિક^૨ હોકર મુતાદિદ^૩ જાબાનોં સે અચ્છે અચ્છે લપજ નિકાલે ઔર વાજ ઇબારતોં ઔર અલ્પાજ મેં તસરુફ^૪ કરકે ઔર જાબાનોં સે અલગ એક નર્ઝી જાબાન પૈદા કી જિસકા નામ ઉર્દૂ રહ્યા ।” (દરિયા^૫ લતાફત, અંજુમને તરકાકીએ ઉર્દૂ, દિલ્લી, આરમ્ભ)

સૈયદ ઇશા જૈસે ભાષાવિદું ને ‘દરિયાએ લતાફત’ જૈસી સનદી કિતાબ મેં ઉર્દૂ કે વિષય મેં જો કુછ લિખા હૈ ઉસે. ઉર્દૂ^૬ કે ઇતિહાસ-લેખક જાન-ગુભકર પી ગએ ઔર ઉસે એસા પચા લિયા કી આજ ઉસકી ગંધ તક નહીં આતી । પરંતુ યદિ ખોજ કી ઓંક સે દેખા ઔર ઉર્દૂ કે કારનામોં કા લેખા લિયા જાય તો સ્થિતિ આપ હી સ્પષ્ટ હો જાતી હૈ । સૈયદ ઇશા કી દરિયાએ લતાફત સન् ૧૨૨૩ હિં (૧૮૦૮ હીં) મેં રચી ગઈ ઔર રચી ગઈ લખનઽ કે નોંબાબ સાંબાદત અલોખોં કે દરવાર મે । અતઃ ઇસે પ્રમાણ હોને મેં કોઈ તુટિ નહીં । ફિર ભી અચ્છી તરહ ઓંક ખોળને કે લિયે શ્રી મુહરગદ બાકર ‘આગાહ’ (૧૧૫૮-૧૨૨૦ હિં) જૈસે દંનિખની મૌલખી કી ભી સનદ લીજિએ । આપ કહતે હૈને

“વલી ગુજરાતી રાજીલ રેખતા કી ઈજાદ મેં સભોં કા મુંબદા” ઔર ઉસ્તાદ હૈ । બાદ ઉસે જો સુખુનસંજાને^૮ હિન્દ બુરોજ^૭ કિએ (?) બેશુવહા ઉસ નેહજ^૮ કો ઉસસે લિયે ઔર મિન^૯ બાદ ઉસકો વાસલ્લબ^{૧૦} ખાસ મર્યાદાસ કર દિયે ઔર ઉસે ઉર્દૂ^{૧૧} કે ભાકે સે મૌલ્સુસ^{૧૨} કિએ” (મદ્રાસ મે ઉર્દૂ, ઇદરારા અદ્વિયાત ઉર્દૂ, સંખ્યા ૮૧, હૈદરાવાદ દિકન, ૧૯૩૮ હીં, પૃષ્ઠ ૪૭) ।

. આગે ચલકર ફિર યાં ‘આગાહ’ સાહબ બતાતે હોય –

૧ સાધુ-વક્તાઓ । ૨ – એકમત । ૩ ગિની હુર્દી । ૪ હસ્તક્ષેપ ।
૫ અચ્છી । ૬ કવિ । ૭ પ્રકટ । ૮ પ્રણાલી । ૯ ચે । ૧૦ રીતિ
કે સાથ । ૧૧-નામી ।

‘अवास्तिर अहद मुहम्मदशाही से इस असर तलक इस फैन में अक्सर मशाहीर’ कुछ अरा अरसा^१ में आए और अक्साम^२ मंज़मात^३ को जलवे^४ में लाए हैं, मिर्ल दर्द, मजहर, फुग्गा^५ ” (पृ० ४७) ।

मौलाना आगाह ने ‘मसनवी गुलजारे इक’ की रचना सन् १२११ हि० में की अर्थात् सैयद इंशा। से १२ वर्ष पहले अपनी मसनवी में उदू^६ की उत्पत्ति की उत्तर सूचना दी। आगाह के कहने से इतना और भी स्पष्ट हो जाता है कि हो न हो उदू^७ की ईजाद मुहम्मदशाह रँगीले के शासन से ही हुई। इसके पहले मुश्ल दरबार की हिंदी क्या थी उसे भी कुछ जान ले तो उदू^८ का भेद खुले। अच्छा तो वही आगाह साहब फिर हमें आगाह करते हैं

“जब शाहाने हिंद इस गुलजार^९ जन्मत^{१०} नजीर को तसखीर^{११} किए तर्ज व रोज़मर्दा दक्षिणी नहज मुहावरा हिंदी से तबदील पाने लगे तो आँ कि रफ्तार-रफ्ता इस बात से लोगों को शरम आने लगी और हिंदुस्तान सुदृढ़ लग जबान हिंदी कि उसे ब्रज भाषा बोलते हैं रवाज रखती थी अगर चे लुधत^{१२} संस्कृत उनकी असले उसूल^{१३} और मखरज^{१४} कुनून^{१५} कोरुज^{१६} उसूल है।” (पृ० ४६)

उदू^८ के प्रसंग को यही छोड़ अब हम थोड़ा यह दिखा देना चाहते हैं कि दक्षिण का हिंदी से वस्तुतः क्या संबंध रहा है। परंतु इस संबंध पर विचार करने के पूर्व ही आगाह के एक अन्य कथन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको ‘उदू^८ की भाका’ भाती नहीं। कारण, उन्हीं के मुँह से सुनिए—

“जब जबान कदीम दक्षिणी इस सबव से कि आगे मरकूम^{१८} हुआ, इस असर^{१९} में रायज नहीं है उसे छोड़ दिया और मुहावरा

१—प्रसिद्ध। २—परंपरा। ३—मेदो। ४—पञ्चो। ५—प्रकाश। ६—उद्घान। ७—वर्गोपम। ८—अधीन। ९—भाषा। १०—पद्धति की जड़। ११—खोत। १२—कलाओ। १३—अंगों; अर्थात् संस्कृत भाषा ही उसकी रीति-नीति और गुण-वृत्ति का मूल है। १४—लिखित। १५—परपरा।

साफ व शुस्ता^१ को कि करीब रोजमर्हाउद्दूर की है एकत्यार किया। सिर्फ़ इस भाके में कहने से दो चीज़ भाने हुए अवल यह कि तासीर^२ वतन याने दक्षन इसमें बाकी है क्या वारते कि अजदाद^३ पिंडी व भाद्री इस आसी^४ के और सब कौम इसकी वीजापूरी हैं, दूसरे यह कि बाजे अवजाय^५ इस मुहावरा के भेरे दिल में भाते नहीं। अजा जुमला^६ यह कि तज़्कीर^७ व तानीसे^८ फेल नजदीक अहले दक्षन के ताबे^९ फ़ाअल^{१०} है अगर यह मुज़कर^{११} है तो वह भी मुज़कर है और अगर मुवश्स^{१२} है तो मुवश्स। यह कायदा मुवाफिक कायदा। अरबी के है कि सैयद^{१३}-अल्सना^{१४} है और क्यास सही भी इसकी ताईद करता है। बर खिलाफ़ मुहावरा उद्दूर के कि उसमें निष्ठत फेल की भफ़उल^{१५} की तरफ़ कर मुज़कर को मुवश्स और मुवश्स को मुज़कर कर देते हैं।” (वहो, पृष्ठ ४५-५०)

परदेशी उद्दूर आगाह को भाती तो नहीं ५८ किसी प्रकार उन पर अपना रंग जमा ही लेती है और आगाह को कुछ उसकी सी करनी ही पड़ती है। उद्दूर धर-बार छुड़ाकर आगाह को अपना दास न बना सकी; पर आज दक्षिणी है कहौं। आगाह ने भी तो भापा के प्रकरण में अरबी को ही प्रमाण भाना है? परंतु दक्षिणी को उद्दूर की सबसे बेढ़गी वात जान पड़ती है उसकी क्रिया का कर्म के अनुसार रूप धारण करना। कभी डाक्टर राजेद्रप्रसाद ने भी सम्मेलन से ऐसा ही कुछ कहा था और आज डाक्टर सुनीतिकुमार चाहुर्जी भी कामकाजी अथवा घोलचाल की हिंदुस्थानी को इससे मुक्त करना चाहते हैं। अच्छा, यह तो विवाद वा विचार की वात ०हरी। यहाँ कहना यह था कि यदि दिल्ली के दौलतावाद उड़ बसने से दक्षिणी पैदा हो गई तो उसमें यह भैद कहा से आ गया। यह तो पूर्वा वा विहारी को सुधि दिलाता है,

१ निखरा। २—प्रमाव। ३ पूर्वज। ४ दुखिया। ५ ढग।
६ इस वाक्य से। ७—पुर्तिगता। ८—लोलिगता। ९—अवीन। १० कर्त्ता।
११ पुर्तिग। १२ लीलिग। १३—प्रमुख। १४—भाषा। १५—कर्म।

देहलवी की नहीं। वात यह है कि उद्दू की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये दक्षिणी का जितना नाम लिया जाता है उतना उस पर विचार नहीं किया जाता। नहीं, यदि दक्षिणी का स्वतंत्र अध्ययन हो तो भाषा के द्वेष में कुछ और ही रहस्य खुलें।

दक्षिणी के विषय में भूलना न होगा कि श्रीमार्कडेय कवींद्र (१५वीं शती ई०) उसके संबंध में (प्राकृतसर्वस्व में) लिखा है

“द्राविडीमध्यत्रैव मन्यते । तथोऽनभ्

टक्कदेशीयभाषायां दृश्यते द्राविडी तथा ।

तत्र चाय विशेषोऽस्ति द्राविडैराद्यापरम् ॥इति॥” (घोडश पाद)

इधर भाषाशास्त्रियों ने दक्षिणी का जो लेखा लिया है वह मार्कडेय के उक्त कथन के सर्वथा अनुकूल है। किंतु स्वयं दक्षिणी कवियों ने कभी टक्क वा टाकी का नाम नहीं लिया है। तो क्या मार्कडेय का कथन सचेमुच निराधार है? निवेदन है नहीं, दक्षिणी के प्रायः सभी पुराने लेखकों ने अपनी भाषा को गूजरी कहा है जिसका अर्थ उद्दू से गुजराती लगाया गया है। पर जैसा कि कहा जा चुका है, उनकी भाषा गुजराती से मेल नहीं खाती, हों, पंजाबी से अवश्य मिलती है। तो क्या उनकी गुजराती पंजाब के गुजरात से संबद्ध है?

जो हो, हम तो इस गूजरी को प्रत्यक्ष गुर्जरी का रूप समझते हैं। गुर्जरों के विषय में जो कहा गया है ‘अपभ्रंशेन तुष्यन्ति स्वेन नान्येन गुर्जराः’ उसका भी कुछ अर्थ है। उसे अब यो ही नहीं टाला जा सकता। ‘गूजरी’ तो हिन्दी की नायिका ही बन गई है, फिर राष्ट्रभाषा के प्रसंग में उसे कैसे छोड़ सकते हैं।

अच्छा, तो देखना यह है कि इस गूजरी का संस्कृत से क्या संबंध है, क्योंकि इस पर डटकर विचार किए बिना राष्ट्रभाषा का प्रश्न सुलभ नहीं सकता और प्रतिवादी मान नहीं सकते कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृतनिष्ठ क्यों है। लीजिए वही मार्कडेय स्पष्ट घोपणा करते हैं

“संस्कृताद्या च गौर्जरी” और ‘च’ की व्याख्या करते हैं “चका-रात् पूर्वोक्तद्वागाषाभवणम् ।” (वही, अष्टादश पाद)

मार्केडेर की भाँति शेषकृष्ण (१६ वीं शती) भी यही कहते हैं—
“आभीरिका प्रायिक भट्टकादि, कर्णाटिका रेफविपर्ययेण।

देशीपदान्येव तु मध्यदेश्या, स्थाद्गौर्जरी संस्कृतशब्दभूमि ॥”

(इं० ए० १९२३, पृ० ७)

‘संस्कृतशब्दभूमि’ एवं ‘संस्कृतान्या’ से स्पष्ट है कि गौर्जरी संस्कृत-निष्ठ भाषा है। उधर उसकी सहेली टाकी के वारे में कहा जाता है :

“टाको स्यात्संस्कृतं शौरसेनी चान्योन्यमिश्रिते। अनयोः सङ्करादित्यर्थः। इथं वृत्तकारवणिगादिभाषा।” (पोडश पाद)

मार्केडेर के इस कथन की पुष्टि मृच्छकटिक की पूर्वीधरी टीका करती है। उसमें आरंभ में ही कहा गया है “टक्कभाषापाठकौ माथुरद्यूतकरौ।”

तो ‘टाककी’ के प्रसंग में भूलना न होगा कि वह ‘विभाषा’ ही नहीं ‘अपञ्चंश’ भी है अर्थात् वह केवल वर्गभाषा ही नहीं देशभाषा भी है। फलतः टाककी अपञ्चंश के विषय में शेषकृष्ण लिखते हैं

“टाककी पुरा निगदिता खलु या विभाषा

सा नागरादिभिरपि त्रिभिरन्विता चेत्।

तामेव टक्कविषये निगदन्ति टक्का-

पञ्चंशमित्र तदुदाहरणं गवेष्यम् ॥” (वही, ६)

इस प्रकार हम देखते हैं कि गौर्जरी और टाकी नागरापञ्चंश पर आश्रित हैं। अर्थात् गूजरी का रहस्य जानने के लिये टक्की एवं नागरी का भेद जानना अनिवार्य है। सो नागर के संबंध में कहा गया है

“अन्येषामपञ्चंशानामेष्वेवान्तर्भावः” (अष्टादश पाद)।

मार्केडेर ने नागरापञ्चंश को अपञ्चंश भाषा का भूल कहा है और उसको महाराष्ट्री एवं शौरसेनी में प्रतिष्ठित माना है। जहाँ तक पता चला है, मार्केडेर ने ही नागर का सर्वप्रथम उल्लेख किया है अन्यथा नमिसाधु (९वीं शती) भी उपनागर, आभीर और ग्राम्य ही तक रह गए हैं। विचार करने से प्रतीत होता है कि हेमचंद्र (१२ वीं शती) के समय तक अपञ्चंश नागर का पर्याय समझा जाता था; तभी तो उन्होंने

अपने प्राकृत व्याकरण में 'नागर' का नाम तक नहीं लिया और अप-
भ्रंश का पूरा 'अनुशासन' कर दिया। हमारी धारणा है कि अपभ्रंश के
लिये 'नागर' का व्यवहार बहुत पहले का है, कारण कि यदि ऐसा न
होता तो नमिसाधु किस न्याय से उपनागर और ग्राम्य की कल्पना
करते और स्वयं आचार्य हेमचंद्र अपभ्रंश के साथ ग्राम्यापभ्रंश की जोड़
लगा देते हैं। कहते हैं

“अपम्रजभापानिवद्वसन्धिवन्धमविधमथनादि, ग्राम्यापभ्रंशभाषानि-
वद्वावस्तकन्धकवन्धभीमकाव्यादि ।” (काव्यानुशासन, अ० ८)

'नागर' शब्द के आधार पर 'उपनागर' और 'ग्राम्य' का विधान हुआ अथवा 'ग्राम्य' के अधार पर नागर का, इसका समाधान अत्यंत सरल है, कारण कि हम पहले से ही जानते हैं कि आभीरादिगिरः को काव्य में अपभ्रंश कहा गया है जिसका सकेत प्रकट ही गुर्जराभी-
रादि जातियों की ओर है। गुर्जर, आभीर, नागर आदि के इतिहास में पैठने को समय नहीं, अतः संक्षेप में जान लीजिए कि मानसरोवर के निकट हाटक स्थान से निकलकर नगर वा नागर जाति पहले नगरकोट में वसी और फिर धीरे धीरे सारे भारत में फैल गई। यहाँ तक कि कूर्ग और वंगाल में भी जा वसी ।

१- "It will be seen that there was a tribe or race called Nagar or Nāgar whose original seat was the country of Hātak situated near the Manasa Lake. It gradually migrated westward and southward. Its westward movement is indicated by such place names as Hunga-Nagas in Kashmir and Nagar on the Kabul river. Their first settlement southward was Nagar or Nagarkot, from where different class such as the Mitras and Duttas occupied such provinces as Panchal, Kosala, and Mathura from the second century B. C., to the second century A. D. There were followed by the Nagas, Guptas, and Varmans, who similarly held different parts of

नागर जाति के साथ इतना भटकने के उपरांत अब यह कहना शेष रहा कि वास्तव में गुर्जर, टक्के और नगरकोट पड़ोसी प्रांत हैं। नगरकोट और कुछ नहीं कॉणड़ा वा त्रिगर्त ही है।

अच्छा, तो कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण अपनी राजतरंगिणी में लिखते हैं—

“स गुर्जरजय०यग्रः स्वपरामवशाङ्किनम् ।

त्रैगर्त्त पृथ्वीचन्द्रं निन्ये तमसि हास्यताम् ॥ १४४ ॥

उच्चखानालखानस्य संख्ये गूर्जरभूमुजः ।

बद्धमूलां जपाललक्ष्मीं शुचं दोधारिरोपयत् ॥ १४९ ॥

तस्मै दत्वा टक्केशं विनयादङ्गुलीमिव ।

स्वशरीरमिवापासीनारडलं गुर्जराधिपः ॥ १५० ॥” (पंचमतरंग)

डाक्टर भंडारकर ने जिन राजकों का उल्लेख नागर के विस्तार में किया है प्रायः उन सभी जत्थों की गणना ‘शाहाने गूर्जर’^१ में गूर्जर के भीतर की गई है। यहाँ अब यह देखाना रह जाता है कि इस दौड़ में टक्के कहीं किसी से पीछे तो नहीं रह गए। अपनी धारणा तो यह है कि वस्तुतः ठाकुर, ठक्कुर वा टगोर टक्क का ही अपभ्रंश है। डाक्टर भंडार North India. Then came the Vardhanas, Palas and Senas who spread as far east as Bengal, whereas the Maitrakas, who were related to the old Mitras, as the Kadambas to the Kadambas or the Chaulukyas to the Chaulukyas, conquered Gujarat and Kathiawara. Of course, these Nagas spread as far south as Nagarkhanda in Banvasi, but it is not clear whether they went on conquering or simply migrating. The spread of the Nagas along the western coast as far as Coorg can easily be noted, but how they migrated to Bengal is far-from clear.”

(Indian Antiquary 1932. P. 70).

^१ यह पुस्तक ‘दारल-मुस्तन्निफ़ीन’ आजमगढ़ से उदूँ में प्रकाशित हुई है।

कर ने जितना ध्यान 'कायस्थ' और 'नागर' पर दिया है उसका दरामांस भी यदि 'ठक्कुर' पर देते तो स्थिति बहुत कुछ सुलभ जाती। कुर्ग में तो आज भी पंचायत 'टक्क' (वृष्ट) ही करते हैं और बंगाल में भी टाकी (चौबीस परगना में) स्थान है। ठक्कुर शब्द का प्रयोग केवल क्षत्रिय के लिये ही नहीं, अपितु कायस्थ और ब्राह्मण के लिये भी हुआ है। विद्यापति 'ठाकुर' का अवहङ्ग प्रेम तो पुस्तक (कीर्तिलिता) के रूप में प्रकाशित हो चुका है।

मध्य देश के गढ़वार शासक गोविद्चंद्र के दानपत्रों में 'ठक्कुर' शब्द का व्यवहार खूब हुआ है। उनमें से एक में (एपिग्राफिका इंडिका भाग ४, प० १०४) "श्रीवास्तव्यकुलोद्भूतकायस्थ ठक्कुर श्रीजल्हणेन लिखितः" भी लिखा गया है। 'ठक्कुर' शब्द के अर्थ-विस्तार पर विचार करना है तो आवश्यक पर यहाँ संभव नहीं है; अतः संक्षेप में यहाँ कहा यही जाता है कि भूलतः यह टक्कनिवासी का धोतक है। टक्क, ठक्क एवं ठक्क तीनों रूप संस्कृत में साथ साथ चलते रहे हैं। एक बात और। हमने कालिदास के दूतकर्म^१ पर अन्यत्र विचार किया है। उससे अवगत हो जाता है कि कामरूप पर उनका कितना ऋण है। हमारी समझ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में बंगाल में 'कायस्थ' (जाति नहीं) गण और उन्हीं के द्वारा वहाँ अपभ्रंश का प्रचार हुआ। इस प्रसंग में भूलना न होगा कि कालिदास ने प्रभत्र विक्रम के मुख से जो अपभ्रंश भाषा निकाली है उसका एकमात्र कारण यही है कि वास्तव में वही उसकी जन्मभाषा थी। हमारा मत है कि मेहरौली के लोहस्तंभ में जो 'धावेन' का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है धवदेश के निवासी के द्वारा, किसी अन्य 'चन्द्र' के द्वारा नहीं। सारांश यह कि गुप्त साम्राज्य में ही पहले पहल अपभ्रंश को महात्व मिला और वह देखते ही देखते विमाषा से काव्यभाषा बन चली।

अपभ्रंश को लेकर धीरे-धीरे हम इतनी दूर निकल आए कि बेचारी

^१ इसका प्रकाशन 'कालिदास' शीर्षक ग्रथ में 'विद्यामदिर' ग्वालियर से हो रहा है।

‘गूजरी’ छूट ही गई। पर करें क्या, जब देखते हैं कि चारों ओर राष्ट्रभाषा के प्रचार का श्रेय मुगल सामन्तों वा मुसलमानों को दिया जाता है और भाषा के इतिहास पर प्रभाद्वश पानी डाला जाता है तब कुछ बीती बात उभारनी ही पड़ती है। आशा है कि इतने से ही स्पष्ट हो गया होगा कि इसलाम के लाहौर में वसने वा मुसलमानों के दिल्ली में जमाने के बहुत पहले ही किस प्रकार अपभ्रंश का भारत भर में प्रचार हो गया था। अस्तु, अब उस भ्रम का भी मलोच्छेद करना चाहिए जो किसी पढ़े-लिखे बाबू को नागरी भाषा कहने से रोकता है और नागरी को सदा देवनागरी का ही पर्याय मानता है, कैथी का कभी नहीं।

यह तो खुली हुई बात है कि नागरी भाषा का प्रयोग स्वभावतः नागरपञ्चश के लिये ही हो सकता है फिर भी न जाने क्यों लोग नागरी भाषा से भड़कने लगे हैं; संघटित प्रचार में कितना बल होता है इसका एक प्रमुख प्रमाण यह भी है। यदि आप फोर्ट विलियम के आईन^१ को देखें तो पता चले कि उसमें नागरी भाषा और नागरी लिपि का व्यवहार हुआ है। लिपि तो उसकी प्रत्यक्ष कैथी ही है, पर कहीं गई नागरी ही है। क्यों? बात यह है कि अभी नागरी और कैथी का घोर भेद खड़ा नहीं हुआ था और नागरों का अर्थ केवल देवनागरी ही न था। सच तो यह है कि उस समय नागरी के दो भेद अथवा उचित होगा, दो रूप चल रहे थे। उनमें से एक का प्रयोग तो ग्रन्थों को शुद्ध शुद्ध लिखने के हेतु होता था और दूसरा व्यवहार (कवहरी) में चालू था। नागरी के शुद्ध रूप का उपयोग संस्कृत के लिये अधिक होता था, अतः उसे देवनागरी का नाम दिया गया और नागरी संकुचाकर वहीं रह गई। आज तो कोई कभी कैथों को नागरी कह नहीं सकता, पर आज से सौ वर्ष पहले कैथी और नागरी में कोई वैर न था। कभी कायस्थ और नागर एक थे तो कभी कैथी और नागरी भी एक ही थीं, कितु फिरंगियों की कृपा से क्या से क्या हो गया? भेद-शुद्धि क्या नहीं कर सकती!

लिपि की बात तो थी ही, यह दिखाने के निमित्त कह दी गई कि

^१ इसकी कुछ प्रतियों कानी के ‘आर्यभाषा पुस्तकालय’ में सुरक्षित हैं।

आप ताड़ सकें कि गत सौ सवा सौ वर्षों में भाषा के लेख में कितना गड़बड़भाला हुआ है और हम कैसे उसी गड़बड़भाले में उलझकर पंडिताई भाड़ रहे हैं और भाड़ बताते हैं अपने पूर्वजों को।

हाँ, तो देखिए वह कि डाक्टर जान मार्शल भारत में अमण कर रहे हैं और नागरी भाषा पर लिख^१ भी रहे हैं कि वह संस्कृत से बहुत मिश्र नहीं है और उजैन नागरी के नाम पर नागरी बनी है।

प्रयाग विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग के अध्यक्ष सर शाफात अहमद खँ ने उनके अंथ का संपादन किया है और उसके नागरी के प्रकरण को काट-कपटकर इतना कम कर दिया है कि वस्तुस्थिति का ठीक ठीक समझना कठिन हो गया है। परंतु फिर भी टॉकने की बात यह है कि डाक्टर मार्शल संस्कृत से इसे बहुत मिश्र नहीं पाते और कहते भी इस भाषा को नागरी ही हैं। इसकी निष्पत्ति के विषय में वे जो कुछ कहते हैं वह भी निराधार नहीं है। हाँ, कुछ उलझा हुआ अवश्य है। नागरी का प्रथम प्रयोग उधर ही तो हुआ था ?

डाक्टर मार्शल ने (सन् १६६८ से ७२ ई०) आलमगीर औरंगजेब के शासन में नागरी भाषा के विषय में जो कुछ सुनान्तुना उसे ही लिख दिया। वह प्रत्यक्ष ही संस्कृत के निकट और भाषा के साथ है। अब ऑरेजी शान्न में विश्व-उज्ज्वर तबलीशी नेता ख्वाजा हसन निजामी देहलवी की वाणी सुनिए। वे तो पुकार कर कहते हैं—

“यह हिंदी जबान ममालिक^२ मुत्ताहद।^३ अवध और रुद्देलखंड और सूत्रा चिहार और सूत्रा सी० पी० और हिंदुओं की अक्सर देसी रिया-

१ “It (Naggary Language) is not very much differing from the Sinscreet (Sanskrit) This called Naggary (*Nāgarī*) from the name of a city which was called Urgin Naggary (Ujjain *Nāgarī*) about 1700 years since, which city is now called Bonarres.” (John Marshall in India p. 423)

२ प्रांत । ३ -संयुक्त ।

सतों में मुरव्वज^१ है। गोया बंगाली और बरमी और गुजराती और भरहठी वर्गेरा सब हिंदुस्तानी ज्ञानों से ज्यादा रिवाज हिंदी यानी नागरी ज्ञान का है। करोड़ों हिंदू औरत मर्द अब भी यही ज्ञान पढ़ते हैं और यही ज्ञान लिखते हैं। यहाँ तक कि तकरीबन^२ एक करोड़ मुसलमान भी जो सूबा यू० पी० और सूबा सी० पी० और सूबा विहार के देहात में रहते हैं या हिंदुओं की रियासतों में बतौर रियाया के आवाद हैं और उनको हिंदू रियासतों के खास हुक्म के सबब से हिंदी ज्ञान लाजमो^३ तौर से हासिल करनी पड़ती है, हिंदी के सिवा और कोई ज्ञान नहीं जानते।” (कुरानमजीद के हिंदी अनुवाद की भूमिका)

अच्छा। तो यह भूमिका ५ नवम्बर सन् १९२९ को लिखी गई। इसीसे इसमें थोड़ी सी सचाई भी आ गई है नहीं तो अब कौन मुसलमान ऐसा लिख सकता है? इसमें भी ‘अब भी’ ‘बतौर रियाया’ तथा ‘हिंदू रियासतों के खास हुक्म के सबब’ से जो काम लिया गया है वह भुलाने के थोग्य नहीं है। इसमें उद्दृ का तो कहीं नाम तक नहीं आया है पर विवरण के कारण माना यही गया है कि ‘हिंदी यानी नागरी ज्ञान’ ही हिंद वा हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है, कुछ हिंदी यानी हिंदुस्तानी वा उर्दू नहीं। तो क्या हिंदी के अभिमानी अब भी अचेत ही रहेंगे और नागरी का व्यवहार भाषा के अर्थ में न करेंगे?

डाक्टर मार्शल ने नागरी का संबंध जो उज्जैन से जोड़ा है उसका भी कुछ कारण है। नागरी भाषा एवं नागरी लिपि का विकास किस द्वे से हुआ। इसकी एकाध भलक भी मिल जाय तो बहुत समझिए अन्यथा भागते समय से कितना छीना जा सकता है? लीजिए एक विदेशी मुसलिम भी, जो सुल्तान महमूद गजनवी का समयुगी है, आपके पक्ष में बोल रहा है। वह कहता है-

“मालवा के हुदूद^४ में एक खत जारी है जिसको नागर कहते हैं और इसी के बाद अर्द्धनागरी खत है यानी आधा नागर क्योंकि यह नागर

अर दूसरे खतो से मिला जुला है और वह भातिया और कच्छ सिध में मुर०वज है। इसके बाद मलवारी खत है जो मल्हरा यानी जनूबी १ सिध में रायज है।” लुकूरी शुलैमानी, जामिया मिलिया देहली सन १९३९ पृ० २३)

कहना न होगा कि अब ऐर्हौ वेरूनी ने ‘नागर’ और अर्जनागरी लिपि का जो क्षेत्र बताया है वह अपभ्रंश का ही क्षेत्र है इसी को यदि हम अपने यहौं के ढंग पर कहना चाहें तो सरलता से कह सकते हैं कि नागरी नागरापञ्चंश की लिपि है तो अर्जनागरी ब्राचड़ की। कारण कि श्री भाक्षड़ेय का कहना है

“सिन्धुदेशोद्भवो ब्राचडोपञ्चंशः । अस्य च यत्र विशेषलक्षणं नास्ति तन्मागरात् ज्ञेयं ।” (अष्टादश पाद)

अल्वेरूनी ने उसी ग्रंथ (किताब उल्हिंदी) में भाषा के भी दो रूपों का उल्लेख किया है। उसने एक को तो शिष्ठ, व्यवस्थित और समृद्ध माना है पर दूसरे के बारे में वह कहता है कि उसकी अभ्यैलना होती है और उसका कोई व्याकरण भी नहीं है। संभवतः इस उपेक्षित भाषा से उसका तात्पर्य अपञ्चंश से ही है। उसने अपनी पुस्तक में जो हिंदी शब्द दिए हैं वे अपञ्चंश के ही प्रतीत होते हैं। सारांश यह कि अल्वेरूनी की भाषाही से भी वही सिद्ध होता है कि वस्तुतः नागरी और कुछ नहीं नागर भाषा और नागर लिपि ही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि गुर्जरप्रतिहार शासकों ने मध्यदेश में नागरी का प्रचार किया और अपने उल्कीर्ण लेखों से उसका उपयोग किया। थोड़े में इतना ही पर्याप्त है कि नागरी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार साथ साथ हुआ। ‘नागर किस प्रकार समूचे देश में फैल गये’ इसका संकेत पहले हो चुका है। उन्हीं के उद्योग से उनकी भाषा भी देशाव्यापक हुई और उनकी लिपि भी।

नागरी का नाम लेते लेते एक बार फिर गुर्जर और टक्के सामने १-दक्षिणी ।

आ गए। कारण कि नागरी का सबसे प्राचीन उपलब्ध रूप गुजरात के गुर्जरवंशी राजा जयमट्ट (तृतीय) के कल्युरि सं० ४५६ (ई० सं० ७०६) के दानपत्र के हस्ताक्षर 'स्वहस्तो मम श्रीजयमट्टस्य' में प्राप्त होता है और टाकरी लिपि के साथ टक्क का लगाव है ही। भाषा के प्रसंग में टक्क का जो हाथ रहा है, लिपि के साथ भी वही काम करता है। देखिए न, पुराविद् कनिधम साहच किस उल्लास से निष्कर्ष निकालते और अपनी कह सुनाते हैं। उनका कहना है कि प्राचीन नागरी लिपि जिसका व्यवहार बमियान से लेकर यमुना तट तक समान रूप से सब में और सर्वत्र हो रहा है टक्कों के द्वारा बनी और टाकरी कही जाती है।^१

'टाकरी' की भाँति 'गुर्जरी' वा 'गूर्जरी' लिपि का प्रयोग भी पाया जाता है पर कहीं उसके साथ ही साथ 'नागरी' का भी उल्लेख देखने में नहीं आया जिससे प्रतीत होता है कि गूर्जरी लिपि भी नागरी का ही एक रूप है। कैथी के संबंध में पहले कहा जा चुका है कि कैथी को भी पहले नागरी ही कहते थे—कैथी और नागरी का द्वंद्व तो बहुत इधर का है। देवनागरी और कैथी नागरी का भेद फिरंगियों का खड़ा किया हुआ हो तो इसमें तनिक भी आश्वर्य नहीं। इस देव से उदू कितनी मङ्कती है इसके कहने की आवश्यकता नहीं। यह तो प्रतिदिन के अनुभव की बात है।

^१ "The former importance of this race is perhaps best shown by the fact that the old Nagari characters, which are still in use throughout the whole country from Bamian to the banks of the Jamuna, are named Takari, most probably because this particular form was brought into use by the Taks or Takkas. I have found these character in common use under the same name amongst the grain dealers to the west of the Indus, and to the east of Sutlej, as well as amongst the Brahmins of Kashmir and Kangra." (The Ancient Geography of India, 1924 P. 175)

राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का जो लेखा लिया गया है वह टंकार कर कह रहा है कि सचमुच भारत की राष्ट्रभाषा नागरी और राष्ट्रलिपि भी नागरी ही है, कितु देश के दुर्भाग्य और राष्ट्र के उद्दैव से हमारे कुछ देवता फरमाते हैं, “नहीं, राष्ट्रभाषा का नाम हिंदुस्तानी और राष्ट्रलिपि जो हो सो हो, उदूँ और हिंदी दोनों”। तभी तो अपना भी कहना है कि ‘दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम’। हाँ, धबड़ाइए नहीं, चुपचाप खाले खाले हिंदुस्तानी का ऊट चराते रहिए, फिर देखिए वह किस करवट बैठता है।

अच्छा, अभी तक तो आप हिंदुस्तानी भाषा का ही नाम सुनते आ रहे थे ५८ आज आपको जताया जाता है कि अब हिंदुस्तानी लिपि भी मैदान में आ चुकी है और वह शीघ्र ही राष्ट्रलिपि घोषित होनेवाली है। चकराने की बात नहीं, एक न एक दिन, उदूँ की भाँति ही अखबी लिपि भी हिंदुस्तानी का पर्याय होकर रहेगी। अरे, कहने सुनने और बार बार चिल्लाने से क्या नहीं ‘आम’ हो जाता? और सो भी जब कि रेडियो भगवान सहस्र फण से उदूँ के लिये बोलने को बीड़। उठाए बैठे हैं और प्रति धड़ी किसी न किसी हिंदी शब्द को निगल रहे हैं।

नहीं मानेगे? लीजिए तो ‘हिंदुस्तानी रस्मखात’ भी तैयार है। हिंदुस्तानी के कर्णधार राष्ट्रभास्तु अल्लामा सैयद सुल्तान नदीवी का हिंदुस्तानी (?) मरसिया है।

“सन् १८६७ ई० में विहार बंगाल की गवर्नरमेंट ने हिंदी को दफ्तरों का स्वतं कारार दिया और इसी असना^१ में यहाँ बंगाल की हमसायगी^२ के असर से अँगरेजी तालीम को रोज़अफ़ज़ू^३ तरक्की होती गई तो इस (ज्ञान उदूँ) पर इस सूखा में सुरदनी छा गई। अदालतों और दफ्तरों की जरूरत से कौन आज्ञाद है? हिंदी रस्मखात ने अबाम^४ हिंदुस्तानी रस्मखात की जगह लेनी शुरू की और स्वास्थ्य^५ में, जो दिन ५८ दिन अँगरेजी तालीम पर मिटे जाते थे, देसी ज्ञान की वक़अत^६ बढ़ती चली गई।” (मुकुशो सुल्तानी, पृ० २६०)

हिंदुस्तानी रस्मख़त का अर्थ आप ही करें, हमें तो वस्तु इतना भर कह देना है कि हम इस हिंदुस्तानी को पापंड की ध्वजा अथवा पंचवटी की सूपनखा समझते हैं और इसी से इसके कपट-खूप से सबको सचेत कर देना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। स्वयं कंपनी सरकार के विधान हम रे सामने हैं और सामने हैं वह विवरण जो कंपनी सरकार की ओर से वर वर और गाँव गाँव से लिया गया था डाक्टर एफ बुचनन के द्वारा सन् १८०७ और १६ ई० के बीच में।

सुनिए पहले कंपनी सरकार का आईन झुग्गी पीटकर बोलता है-

“किसी को इस बात का उजुर नहीं होए के ऊपर के दफे का लिखा हुकुम सभसे बाकीक नहीं है हरी ऐक जिले के कलीकटर साहेब को लाजीम है के इस आइन के पावने पर ऐक ऐक केता इसतहारनामा निचे के सरह से फारसी वो नागरी भाषा वो अछर में लीखाए कै अपने भोहर वो दस्तखत से अपने जिला के भालीकान जमीन वो ईजारेदार जो हजुर मे म लगुजारी करता उन सभों के कचहरि में वो अमानि भाल के देसि तहमीलदार लोग के कचहरी लङ्काचहरी।” (अँगरेजी सन् १०३ साल ३१ आईन २० दफा)

‘नागरी भाषा वो अछर’ पर ध्यान देना चाहिए और यह सारण रखना चाहिए कि नागरी लिपि ही नहीं भाषा भी है और नागरी लिपि का अर्थ यहो कैथी लिपि ही है। रही उस लिपि की बात जिसे जनाव सैयद साहब ‘हिंदुस्तानी रस्मख़त’ कहते हैं उसका ‘हिंदुस्तानी’ से विहार मे अभी कोई लगाव ही नहीं। क्या सैयद साहब अथवा उनके हमजोली विहार के किसी भी सरकारी आईन में हिंदुस्तानी भाषा और फारसी लिपि का विधान दिखा सकते हैं? नहीं, यह तो असंभव है, वस्तु उनके लिये संभव है आँख मूँदकर अँगरेजी को कोसना और गला फाड़कर नागरी पर लानत लाना। परंतु, कपनी सरकार को जो करना था कर गई और डाक्टर बुचनन साहब को जो लिखना था लिख गए। उद्दूँ अब उनको मिटा तो सकती नहीं। हाँ, तिकड़भाजी से अँगरेजी को धमका और नागरी को ठग अवश्य सकती है। हाँ तो

डाक्टर बुचनन का फैसला है कि फारसी लिपि का व्यवहार कहीं हिंदुस्तानी के लिये नहीं होता जो मेरी जान से केवल बोली है।^१

डाक्टर बुचनन के वचन की सत्यता उस समय के सभी कागद पत्रों से सिद्ध हो जाती है, अतः उसके संबंध में और न कह, यहौं इतना ही संकेत कर देना पर्याप्त है कि विहार के मुसलमान प्रायः परस्पर बातचीत में हिंदुस्तानी की अपेक्षा अवधी का ही कहीं अधिक व्यवहार करते हैं। यह भी एक ऐसा घोर सत्य है जिसकी उपेक्षा हो नहीं सकती, और उदूँ के प्रसार का श्रेय विहार को नहीं दिया जा सकता। परंतु ‘हिंदुस्तानी रस्मखत’ के इस प्रयोग ने इतना तो स्पष्ट ही कर दिया कि हिंदुस्तानी की छाप से किस चर्हती का सिवका चल रहा है। इतने पर भी जो लोग हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी चिल्ला रहे हैं उनकी बुज्जि को क्या कहा जाय? हिंदुस्तानी तो उन्हें झुबाकर ही छोड़ेगी।

प्रायः लोग कहा करते हैं कि हिंदुस्तानी की चिंता क्यों की जाय? वह तो बिना खर की आग की भौति आप ही भमककर बुझ जायगी और हम राष्ट्र के मार्ग के रोड़े भी न कहे जायेंगे। ठीक है, परंतु हिंदुस्तानी को ईंधन की कमी नहीं है। सारी राष्ट्रीयता उसी से भौंकी जा रही है और वह उसी प्रकार देश से फैलाई जा रही है जिस प्रकार कभी उदूँ फैलाई गई थी। कोई भी बनावटी भाषा किस प्रकार साहित्य की भाषा बनाई जाती है इसका सब से बढ़िया नमूना उदूँ ही है। उदूँ मुहम्मदशाह रॅगीले के शासन से किस प्रकार बनी, इसका संकेत पहले किया जा सुका है। यहौं उसकी प्रचारनकाला पर ध्यान दीजिए। नवाव सैयद नसीर हुसैन खाँ ‘खायाल’ ने स्पष्ट लिख दिया है—

१—The Persian character is not used for writing the Hindustani Dialect, which so far as I can learn is entirely colloquial (Eastern India, Vol I, London, 1838, p. 448)

“उमदितुल्मुल्क ने और उमरा के मशविरा^१ से देहली में एक उदू^२ अंजुमन क्षायम की। उसके जलसे होते। जाबान के मसले छिड़ते। चीजों के उदू^२ नाम रखते जाते। लफजों और मुहावरों पर वहसें होतीं और बड़े रगड़ो-भागड़ों और छानबीन के बाद अंजुमन के दृपतर में वह तहकीकथुदा^३ अल्काज्ज व मुहावरात क्लिमबंद होकर महफूज किए जाते। और बक्सौले साहबे सियरुल्मुताखारीन इनकी नकलें हिंद के उमरा व रुसा^४ पास भेज दी जातीं और वह इसकी तकलीद^५ को फख जानते और अपनी अपनी जगह उन लफजों और मुहावरों को फैलाते।” (मुगल और उदू^२, पृ० ६०)

मौजाना अबुल कलाम आजाद जो महात्मा गांधी का कान भरते और डाक्टर मौलवी अब्दुल हक जो डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के पीछे पड़ते हैं उसका एकमात्र रहस्य यही है कि कोई ठक ऐसी ही अंजुमन वने जो उदू^२ की भाँति ही हिंदुस्थानी (हिंदुस्थानी नहीं उदू^२) का प्रचार करे और अपना घर ‘हिंद के उमरा व रुसा’ की जगह हिंद के बालकों, बालिकाओं वा छात्रों को बनाए। किंतु उक्त अंजुमन का परिणाम क्या हुआ? यही न कि उदू^२ देशद्रोह को लेकर आगे बढ़ी और सर्वथा विलायती बन गई। सुनिए शगुलूलमा मौलाना मुहरगाद हुसैन आजाद सा मर्मज्ञ कहना है

“उदू^२ के मालिक उन लोगों की औलाद थे जो असल में कारसी जाबान रखते थे। इस वास्ते उन्होंने तमाम कारसी बहरें^६ और कारसी के फिलचस्प और रंगीन झोयालात और अक्साम^७ इंशापरदाजी^८ का फोटो-प्राफ कारसी से उदू^२ में उतार लिया। तआज्जुब यह है कि उसने इस क्लदर खुशाअद ई^९ और खुशातुमाई^{१०} पैदा की कि हिंदी भाषा के खायालात जो खास इस मुल्क के हालात के बमोजिब^{११} थे उन्हें भी मिटा दिया। चुनांचे खास व आम पपीहे और कोयल की आवाज और चंपा और

१ परामर्श। २ परिशोधित। ३—रहसो। ४ अनुकरण। ५ छंद।

६ प्रकार। ७ लेखन-कला। ८ सुव्यंजना। ९—तुशोभा। १०-अनुरूप।

चंबेली को खुशबू मूँग गए ; हजारा, बुलबुल और नसरन व संबुल जो कभी देखी भी न थीं, उनकी तारीफ करने लगे । सर्वतम और अस-फंद्यार की वहाँुरी को हॉ अलवंद और बीसतून की बलंदी, जैहैं सैहैं की रवानी^१ ने वह तूफान उठाया कि अर्जुन की वहाँुरी, हिमालय की हरी हरी पहाड़ियों, वर्फ^२ से भरी चौटियों और गंगा जमुना की रवानी को विल्कुल रोक दिया ।” (नज़मे आजाद का दीवाना, पृ० १४)

अस्तु, अर्थ को दृष्टि से तो उद्दू मे यह परिवर्तन हुआ कि उसमें कहीं हिंदीपन रह ही न गया और गिरा को दृष्टि से भी उसकी कुछ ऐसी रुचि हुई कि हिंदी पूरवियों की भाषा समझी गई और दक्षिखनी भी तुच्छ समझी गई । मौलवी मु० बाकर आगाह को उद्दू भाती नहीं थी किंतु उन्हीं के शिष्य मौलाना ‘नामी’ की, उद्दू के प्रचार से, दशा यह है कि उनको अपनी जन्मभाषा मे भजा ही नहीं आता और किस बेहयाई से कह जाते हैं

‘है इस मसनवी की जबौं रेखता अरब और अजम^३ से है आमेखताएँ। नहीं सिर्फ उद्दू भगार है अयौं^४, जबाने सुलैमान हिंदोस्ताँ। अगर बोलता ठेठ हिंदी कलाम, तो भाका था वह पुरवियों का तमाम। जबाने दकन में नहीं मैं कहा, कि है वह जबौं भी निपट बेमजाएँ ।’ (मद्रास मे उद्दू, पृ० ७५)

सारांश यह कि अब उक्त उद्दू-अंजुमन की कृपा से देश मे वह समय आ गया जब दरवार की वानी उद्दू हो गई और क्या भाषा और क्या भाव सभी विलायती हो गए । यहों तक कि ‘अब उस्ताद मीर को भी ‘फारसी तबीयत’^५ से हिंदी शेर कहना पड़ा और उस्ताद सौदा ने तो जोम में आकर यह धोषणा ही कर डाली

‘गर हो कशिशो^६ शाहे खुरासान तो सौदा,

सिजदा न करू हिंद को नापाक जमी^७ पर ।’

१—पहाड़ । २—गति । ३ ईरान । ४ मिश्रित । ५ प्रकट ।

६ व्यादरहित । ७ लिंचाव ।

‘तबीयत से फारसी की जो मैंने हिंदी शेर कहे ।

सारे तुक्षक वृच्छे जालिम अब पढ़ते हैं ईरान के जीव ।

कहों तो वह दिन था कि अलाउदीन खिलजी के दरवार में अमीर खुसरो हिदू को वहिश्त कह जाते थे और कहों उदूँ के कारनामों से वह दिन आ गया कि हिदू नापाक हो गया और वहों सिंजदा करना भी कुफ्र समझा गया ! फिर भी यदि यही उदूँ सर तेजवहादुर सप्तू की मादरी जावान और नापाक हिदू की मुल्की जावान है तो हमें विवश हो कहना पड़ेगा कि अब राष्ट्रीयता की खोज के लिये 'विस्तर का भाइ। चाहिए' । ऐसे तो वह उदूँ में कहीं नज़र नहीं आती । स्मरण रहे, वह वह पुण्यभूमि है जहाँ उदूँ के बाबा आदम को शरण मिली थी और वह लोक है जिसके लिये देवता भी तरसा करते हैं । सौदा और जिन्नाह यदि इसे नापाक समझते और पाक करने की चिंता में हैं तो पहले अपने दिमाग में इसलाम की सूई लगवा लें और फिर कहें कि अललाह का आदेश क्या है और क्या है किसी काजी का फनवा । नहीं, उदूँ की पाकिस्तानी चल नहीं सकती हॉ हल्ला केवल राष्ट्र का खेत भले ही खाती रहे ।

उदूँ जन्म से ही जिस अमारतीयता को लेकर उठी है वह उसके रोम रोम में इतनी समा चुकी है कि अब उसके भारतीय होने की कोई संभविता नहीं और यदि है भी तो भी तब तक नहीं जब तक वह फिर नागरी की राष्ट्रभूमि पर नहीं आती । उदूँ इसलाम और इसलामी अद्वा का नाम व्यर्थ लेती है । अन्य देशों को बात छोड़िए । यहीं, भारत के सूफियों ने जिस धर्म का प्रचार, जिस मात्रा में देश-भाषा वा हिंदी के द्वारा किया है वह उदूँ में कहाँ है ? जो लोग हिंदौ-उदूँ का दृष्ट देखते और सचमुच राष्ट्र का द्वार और उदय चाहते हैं उन्हें उदूँ की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना ही होगा । यदि उनकी समझ में हिंदुस्तानी का लटका इसके लिये काफी है तो इस काफी का जाप करते रहे । परंतु गत वर्षों का कुछ अनुभव तो इसी पक्ष में है कि हिंदुस्तानी का ढुकड़ा हिंदौ और उदूँ को लड़ाने के लिये ही फेंका गया है । निदान कहना पड़ता है कि इस भोहिनी का परित्याग तुरत हो जाना चाहिए और राष्ट्रभाषा में राष्ट्रहृदय का स्वागत होना चाहिए ।

यदि लिपि की दृष्टि से देखा जाय तो नागरी लिपि के सामने उदू^०-लिपि ठहर ही नहीं सकती। भारत को अरबी लिपि का अभिमान कैसे हो सकता है और देश की अन्य लिपियों से उसका क्या लगाव है ? रही नागरी, सो उसके विषय में सभी जानकारों का कहना है कि विश्व की कोई भी लिपि अपने वर्तमान रूप में उसके तुल्य नहीं। यही नहीं, भारत की सभी लिपियों से उसका गहरा संवंध है। कहों तक कहें, अरबी लिपि के कुछ पश्चिमी प्रदेशों को छोड़कर समस्त एशिया पर उसका प्रभाव है और बौद्ध जगत् तो मुक्त कंठ से इसे अपनाता ही है। भारत की सभी लिपियों की वर्णायवस्था एक है, सभी एक ही की संतान हैं और सभी प्रांतों में नागरी का कुछ न कुछ प्रचार भी है। तात्पर्य यह कि राष्ट्रलिपि के विचार से उदू^० की लिपि को कोई स्थान नहीं मिल सकता। हों, जो लोग बार बार और भाँति भाँति से सुभाते हैं कि उदू^० जैलदे लिखी जाती है और सारे मुमलिम लोक की लिपि है उनसे निवेदन यह है कि कैथी उदू^० शिकस्ता से भी शीघ्र लिखी तथा पढ़ी जाती है। अवसर हो तो परीक्षा करें अन्यथा स्व० सर जार्ज मियर्सन के निर्णय पर ध्यान दें और देखें कि उस बूढ़े का अनुभव क्या है। वह स्वयं कहता है कि मधुवनी (विहार) में एक ऐसा लेखक था जो कैथी को किसी भी फारसी के सिद्ध लेखक की फारसी से शीघ्र, सुवोध और स्वच्छ लिख लेता था। १

अरबी लिपि मे लिखी हुई प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने का जिसे तनिक भी अवकाश मिला होगा। वह कभी भी उसका नाम न लेगा और न

१“There was a clerk in my office in Madhubani, who could write excellent Kaithi more quickly than even the most practised of the old “persian” muharrirs. Besides the speed with which it can be written, it has the advantage of thorough legibility.” (An Introduction to the Maithili Dialect, Calcutta, A. S. Bengal part I, p 1)

नाम लेगा। कभी वह मुसलमान भी जिसे अपने अभ्युदय एवं अपने देश के कल्याण का ध्यान होगा। तुकोंने जो कुछ किया है सब पर प्रकट है। फिर समझ में नहीं आता कि किस मुँह और किस न्याय से अरबी लिपि को 'हिंदुस्तानी रस्मखात' बताया जा रहा है और उसी को भारत की राष्ट्रलिपि बनाने का सरफोड़ प्रयत्न हो रहा है। हो, पर उसकी तभी तक सुनी जायगा जब तक राष्ट्र अंधा अथवा चिर सुहागिन हिंदुस्तानी का दास है। जहाँ उसकी आत्म-चेतना जगी, उसने दूर से इसे नमस्कार किया और फिर नागरी का हो रहा। रोमी लिपि की चर्चा विद्वानों को शोभा दे सकती है किंतु कर्मशील राष्ट्रमंत्रों को उससे क्या काम? उन्हें तो अपनी नागरी को ही सर्वप्रिय बनाना है। बालबोध के लिये विश्व में नागरी से बढ़कर कोई लिपि नहो। वह आर्यशक्ति की अमर पताका और अमर वाणी की लिपि है। उसकी लोपा-पोती से राष्ट्र का विनाश होगा, मंगल नहीं। सभी तरह से पूर्ण होने के पहले, उचित होगा अपने अपूर्ण अंगों को भी उतना ही पूर्ण बनाना। यदि किसी एक ही अंग की पूर्णता से स्वराज्य मिलता तो भारत कभी परतंत्र न रहता। नहीं, समांग ही स्वराज्य का अधिकारी होता है। भारत की राष्ट्रभाषा और सच्ची राष्ट्रभाषा वही देशभाषा हो सकती है और है भी जो समांग नहीं तो समांगता को लिए हुए अवश्य है। यही तो कारण है कि हम नागरी को राष्ट्र की वाणी कहते हैं और उसकी लिपि को ही राष्ट्रलिपि मानते हैं, कुछ अहिंदी उर्दू ज्ञान वा उर्दू ख़त को नहीं।

नहीं, राष्ट्रभाषा का प्रश्न हम हिंदी-भाषा-भाषियों के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है। हम यह प्रायः देखते हैं कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न हमारी देश-भाषा को चरता जा रहा है। हम तो अन्य भाषाभाषियों की भौति अपनी परंपरा को पनपाना और सभी देशभाषाओं के साथ ही आगे बढ़ना तथा राष्ट्र के उद्धार में लीन होना चाहते हैं पर बीच ही में न जाने कहाँ से यह वाणी सुनाई ५३ जाती है कि नहीं तुम्हें तो हिंदुस्तानी को अपनाना होगा। हम उर्दू को जानते, मानते और पहचानते भी हैं और इसी से उससे भयभीत भी नहीं होते। हमारा विश्वास है कि जैसे काल पाकर

उमंग में क्या करने जा रहे हो और विश्व के मनीषी कहाँ तक तुम्हारे साथ है जो इस प्रकार अंगद का पद रोपकर स्वराज्य लेने जा रहे हो। पंडित जवाहरलाल जैसे कर्मशील त्यागी वीर व्यक्ति का सहयोग एक उवाल की भौति आकर वहीं का वहीं रह जायगा। और अंत में स्वयं भी उसी सनातन धारा का अंग होकर रहेगा। सच पूछिए तो आज जो इतना संघर्ष चल रहा है उसका मूल कारण अपने अतीत से अनभिज्ञ होना ही है। यह बहुत ही ठीक कहा गया है कि परंपरा को छोड़ना आत्महत्या करना है। किसी राष्ट्र के जीवन में परंपरा का जो महात्व होता है उसकी अवहेलना हो नहीं सकती। यदि प्रमादवश आपने उसका परित्याग कर दिया तो आप कहीं के न रहे और या तो किसी अन्य परंपरा के अंधमत्ता बन गए अथवा आप के व्यक्तित्व का लोप हो गया और आप किसी बवंडर के पात हुए। जहाँ कहीं देखिए जब किसी राष्ट्र को संकट का सामना करना पड़ा है तब उसने अपने अतीत का स्मरण किया है और अपने पूर्वजों का बल माँगा है। पश्चु और मानव में सबसे बड़ा भेद यही तो है कि पश्चु की परंपरा का बोध पश्चु को नहीं और मानव को अपने अतीत का अभिमान और अपनी परंपरा का गर्व है। भारत के मुसलमानों ने अपनी परंपरा को खो दिया, अपनी आत्मीयता को भिटा दिया और ग्रहण किया। ईरानी-तूरानी परंपरा को। परिणाम क्या हुआ? यही न कि हिंदू से बना हुआ मुसलमान कभी राज्य न कर सका यद्यपि था वह राजवंश का ही और तैमूर की अभिमानी संतान, 'चकता का विलायती धराना' राज भोगता रहा। किंतु हुआ क्या? कालचक्र के प्रभाव से भारतीयता जगी और वह विदेशी राज्य ऐसा भगा कि आज तक उसका पता नहीं। अकबर की नीति चलती तो वह धराना ऐसा न भिटा कि कहीं उसका नाम तक नहीं रहता। आज के प्रतिष्ठित राजवंशों में चाहे जितने विदेश से कभी अ.ए हों पर वे विदेशी नहीं रहे और सभी प्रकार से इस देश की परंपरा, इस राष्ट्र के अतीत के अभिमानी बने। फलतः आज तक जीवित हैं और अपनी भारतीयता का भंडा

फारसी ने अपनी रक्षा पर आने के लिये उर्दू का चोला धारण किया। वैसे ही कभी उर्दू भी समय देखकर अपना यह विदेशी बुरका उतार फेंकेगी और फिर अपने स्वच्छ, निर्मल, पुराने नागरी रूप में आ जायगी। फिर तो हमारा उसका सारा ढंड मिट जायगा। और नागरी-साहित्य सचमुच नागरों का मुँह भाँगा साहित्य बन जायगा। हमारी भाषा में अरब, ईरान तूरान तो न बोलेगा पर हम ईरान-तूरान के सार को खींच लेंगे और वह ईरानी शैलों भी हमारे साहित्य की छाँब उतारेगी। पर हम इस हिंदुस्थानी को नहीं समझ पाते। हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, हम काका कालेलकर को सुनते हैं और न जाने किस किस की बात में उलझते हैं पर सच कहते हैं किसी को गहरे पानी में पैठकर हिंदुस्थानी का रत्न निकालते नहीं पाते। हाँ, वरवस पानी पीटते अवश्य देखते हैं। निदान उन सभी महानुभावों से हमारा सत्यानुरोध है कि कृपया वे इसे भूल न जायें कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो चाहे भले ही न हो पर वह उस बड़े भूमाग की भाषा अवश्य है जिसे कभी आर्यावर्ति फिर हिंद वा हिंदुस्थान और आज परमात्मा जाने कथा कहते हैं। असु हमें भी उसी प्रकार इस भूमाग पर फलने-फूलने, उठने-बैठने और इधर-उधर विचरने का वही अधकार प्राप्त है जो किसी को अपनी जन्मभूमि पर होता है। यदि आप सचमुच इस भूमाग की भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं तो कृपया कष्ट कर देखें कि वह किस साहित्य में किस बाणी से बोल रहा है, अन्यथा आप जैसो कामकाजी राष्ट्रभाषा चाहें गढ़े और जो कुछ बन पड़े हमसे भी कर लें पर कभी भूलकर भी हमारी बाणी के विधाता न बनें; हमसे जो कुछ हो सकेगा। राष्ट्र-साहित्य का निर्माण करेंगे और प्रांतीयता से दूर हो राष्ट्र-दृष्टि से अपनी भाषा का विकास करेंगे, वर्धोंकि यही हमारी परंपरा और यही हमारा सनातन धर्म है।

परंपरा के प्रतिकूल जो नवीन धारा बड़े वेग से वह रही है और अतीत को मटियामेट कर ही आगे बढ़ना चाहती है उससे हमें केवल इतना ही कहना है कि ठहरो, चेतो, और देखो तो सही किस

फहरा रहे हैं। बाहर देखना हो तो अमेरिका और इंगलैण्ड को ले लीलिए। आज तो अमेरिका के मूल-निवासी किसी योग्य नहीं पर क्या कोई कह सकता है कि अमेरिका स्वतंत्र नहीं? उसकी विचार-धारा अँगरेजी की नकल है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यदि भारत का उद्धार होना है तो उसकी राष्ट्रभाषा भी वही होगी जो आदि-काल से उसकी वाणी रही है और उसके उत्थान-पतन, दुःख-सुख को वरा-वर देखती रही है। हम यह नहीं कहते कि उद्धू को अपनी परंपरा का अभिमान नहीं, है और बहुत गहरा है। पर वह अभिमान अपना नहीं, अपने देश का नहीं, हैं अपने देश के आततायियों का अवश्य है। उद्धू को सिकंदर का अभिमान है पर ईरान को नहीं। बस, यही है वह भूल-मंत्र जो वताता है वह मार्ग जिस पर चलकर कोई राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त होता और अपने आपको विश्व में सजीव पाता है।

प्रसन्नता की वात है कि भारतीय ईस्टर्न सचेत हो उठे हैं और आज भली भौंति इस वात का अनुभव कर रहे हैं कि उनका तथा उनके देश का कृत्याण काला साहब वनने में नहीं है। उनकी समझ में धीरे धीरे यह वात आ रही है कि अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को छोड़कर कोई जाति क्यों पनप नहीं सकती। उनको विदित हो गया है कि अब इनमें जो साधु सुंदरसिंह और पंडिता रमावाई सी विभूतियाँ नहीं दिखाई देतीं तो उसका एकमात्र कारण है अपनी चिर-परिचित परिपाठी को छोड़कर दूसरों की पटरी पर दौड़ने का स्वैंग करना और इस प्रकार के मूढ़ अभिनय से अपने आपको सम्य समाज में तुच्छ बताना। निदान हम देखते हैं कि आज अधिकांश पादरी रोमक पंडित डी-नोविली का अनुसरण कर रहे हैं और भारतीयता के पक्के प्रचारक हो रहे हैं। संस्कृत का इन्हें पूरा अभिमान है और उसे भारत की आत्मा की वाणी समझ उसके अन्यास में लीन हैं। उनमें अँगरेजी नामों का अभाव होता जा रहा है। उनकी संतान अब हिंदी नाम से आगे बढ़ रही है और हिंदी नामों को ही आदर की दृष्टि से देखती है।

अच्छा, तो 'छोटा मुँह बड़ी बात' का अभिनय तो समाप्त हुआ। जैसा वना राष्ट्रभाषा का रूप दिखाया गया। अब भरतवाक्य के रूप में यही शुभ कामना शेष रही कि भारत का बच्चा बच्चा अपने राम के स्वर में स्वर मिलाकर अपने सखाओं से एकरवर में कह उठे—

'हमारो जन्मभूमि यह गाऊँ।

सुनहु सखा सुधीव विभीषण अवनि अदीघ्या नाऊँ।

देखत बन उपवन सरिता सर परम भनोहर ठाऊँ।

अपनी प्रकृति लिए बोलत हौं सुरपुर में न रहाऊँ।

द्यौं के ब सी अवलोकत हौं आनेंदु उर न समाऊँ।

सूरद स जो विधि न सकोचे ता बैकुठ न जाऊँ॥'

बस, राष्ट्रोद्धार और रामराज्य का मूलमंत्र यही है और यही है वह प्रकृति जिसके अनुष्ठान से राष्ट्रभाषा का प्रश्न सिद्ध होगा, अन्यथा कदापि नहीं, कदापि नहीं।

२ राष्ट्रभाषा का स्वरूप

राष्ट्रभाषा के स्वरूप के संबंध में अब तक बहुत कुछ कहा गया है पर उस बहुत कुछ में वह कुछ कहर्हे हैं जो हमारे राष्ट्रजीवन का ज्योतिस्तंभ अथवा हमारे राष्ट्रहृदय का आदर्श है। किसी भी भाषा के प्रसंग में उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति की उपेक्षा हो नहीं सकती, फिर चाहे वह कोई देशभाषा हो चाहे कोई राष्ट्रभाषा। हो सकता है कि कुछ सज्जन हमारे इस कथन से भरपूर सहमत न हों और भाषा के प्रवाह में उसके लोत को उतना महत्व न दें जितना कि उसके लक्ष्य को। ठीक है। यही भही। हम भी आज राष्ट्रभाषा की प्रकृति को उतना महत्व नहीं देते जितना कि उसकी प्रवृत्ति को दे रहे हैं। परंतु इसके विषय में भी हमें आप लोगों से कुछ निवेदन कर देना है। इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि हमारी सच्ची राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसकी प्रवृत्ति राष्ट्र की

बात की गवाही देते हैं। पर हमारे बड़े से बड़े मौलाना यह नहीं समझ सकते कि इनका अर्थ क्या है। उनके यहों तो इनका नाम लेना भी हराम है। पर हमारी राष्ट्रभाषा इनको छोड़कर अपने अतीत और अपनी राष्ट्रीयता का गर्व नहीं कर सकती। वह अन्य भाषाओं के सामने डट कर यह सिद्ध नहीं कर सकती कि उसकी कोख के सपूत उस समय क्षुमा (अलसी) और कोश (रेशम के कोआ) से बख बनाया करते थे जब आजकल का सम्य संसार बनचर की दशा में था। अतएव हमारा तो निश्चित मत है कि हम अपनी भाषापरम्परा को छोड़ नहीं सकते और हमारी राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की भाषा को तिलांजलि दे फारसी-अरबी या उर्दू नहीं बन सकती।

फारसी-अरबी शब्दों का कोई भगाड़ा हमारी राष्ट्रभाषा के सामने नहीं है। 'मतरूक' और 'मुञ्जज़ल' से उसका दामन पाक है। उसका मौलवी बच्चा 'फारसी अरबी' माड़ सकता है पर उसका हर एक बच्चा उसके लिये विवश या बाध्य नहीं किया जा सकता। उसकी भाषा उसकी रुचि और विषय के अनुकूल होगी। किसी कोष या लुगत के मुताबिक् नहीं। यदि इनने से किसी को सन्तोष नहीं होता तो न सही। वह चाहे जिस 'कामकाजी' या 'मुगली बानी' की ईजाद करे पर कृपया राष्ट्रभाषा को बदनाम न करे। संसार की कोई भी राष्ट्रभाषा परदेशी शब्दों पर नाज़ नहीं करती वह कि उलटे उन्हें 'धत्त' ही झुनाती है। हिन्दी तो 'धत्त' का नाम भी नहीं लेती। फिर उस पर यह वज्रपात कैसा?

राष्ट्रभाषा का कागदी स्वरूप यानी लिपि भी विवादप्रस्त है। जो लोग नागरी को अच्छी नहीं समझते वे शौक से अपनी किसी अच्छी लिपि का अपने अच्छों में व्यवहार करें और चाहें तो किसी प्रदर्शिनी में उसका उद्वाटन भी करते रहें पर कृपया भूल न जायें कि यह वही लिपि है जिसमें लोदियों और सूरियों के फारसी फूर्मान तक लिखे गए और अपनी साधुता की रक्षा करने में समर्थ रहे। आज अरबी लिपि के पुजारियों को जानना होगा कि क्यों डाक्टर हफीज़ सैयद तथा उनके आलोचक स्वनामधन्य मौलाना डा० अब्दुल हक एक पद का

अर्थ ठीक ठीक न समझ सके। देखिए कि तना सीधा पद और कितना सादा अर्थ है, पर वही लिपि को दुखेहता के कारण कैसा। पहाड़ हो रहा है। 'वहरी' कहता है।

"परगाट तुरा माने गुपुत बलि गए सो कहो वह कौन थे।"

डाक्टर हफ्तेज़ 'गुपुत' को 'कपट' पढ़ते हैं तो डाक्टर हक़ 'बलि' को 'बल'। 'बल' की बला में दोनों बलबला रहे हैं। बलिहारी है ऐसी लिपि को और बलिहारी है उस बुद्धि को जो इसे राष्ट्रलिपि बनाना चाहती है और निरक्षर जनता को इसी के द्वारा साक्षर बनाना चाहती है। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। 'बलि' को भूल कर भी 'बल' भत बनाओ, नहीं तो कोई हिन्दुस्तानी का लाल उसे 'बिल वा 'बुल' बोच जायगा और आप बिलबिला कर रह जायेंगे। ऐसी छबोली अनहोनो पर क्यों भरे जाते हो? हिंदी के क्यों नहीं हो रहते? अरे! नामारों के नामार बनो उदूँ के बागर नहीं।

३. राष्ट्र-भाषा संबंधी दस प्रश्न

[श्री मोहनदास करमचन्द गान्धी]

प्रश्न १:—फारसी लिपि का ज.॥ हिन्दुस्तान में नहीं हुआ। मुगलों के राज्य में यह हिन्दुस्तान में आई, जैसे अंगरेजों के राज्य में रोमन लिपि। पर राष्ट्रभाषा के लिए हम रोमन लिपि का प्रचार नहीं करते, तो फिर फारसी लिपि का प्रचार क्यों करना चाहिए?

उत्तर: अगर रोमन लिपि ने फारसी लिपि के समान ही धर किया होता, तो जो आप कहते हैं, वही होता। मगर रोमन लिपि तो सिर्फ 'मुद्दी' भर अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित रही है, जब

१॥ हात्मा जी का यह कथन कितना ऊपरी और आवेशपूर्ण है। रोमन लिपि का व्यवहार फारसी लिपि से कम भले ही हो पर वह 'मुद्दी' भर अंगरेजी

कि फारसी तो करोड़ों हिन्दू-मुसलमान लिखते हैं। आपको फारसी और रोमन लिपि लिखनेवालों को संख्या दृढ़ निकालनी चाहिए।

प्रश्न २:—अगर आप हिन्दू-मुसलिम एकता के लिये उदू० सीखने को कहते हों, तो हिन्दुस्तान के बहुत से मुसलमान उदू० नहीं जानते। वंगाल के मुसलमान वंगाल बोलते हैं और महाराष्ट्र के भराठी। गुजरात में भी देहात में तो वे गुजराती ही बोलते हैं। दक्षिण भारत में तामिळ वगौरः बोलते होंगे। ये सब मुसलमान अपनी प्रान्तीय भाषाओं से मिलते-जुलते शब्दों को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। उत्तर भारत की तमाम भाषाएँ संस्कृत से निकलती हैं, इसलिये उनमें परस्पर बहुत ही समानता है। दक्षिण भारत की भाषाओं में भी संस्कृत के बहुत शब्द आ गये हैं। तो फिर इन सब भाषाओं के बोलनेवालों में अख्ती-फारसी-जैसी अपरिचित भाषाओं के शब्दों का प्रचार क्यों किया जाय ?

उत्तर : आपके प्रश्न में तथ्य अवश्य है; भगर मैं आपसे कुछ ज्यादा विचार करवाना चाहता हूँ। मुझे कबूल करना चाहिए कि फारसी लिपि सीखने के लिये जो आवश्यक है, उसमें हिन्दू-मुसलिम एकता की दृष्टि रही है। देवनागरी और फारसी लिपि की तरह हिंदी और उदू० के बोच भी वरसो से भागड़ा चला आ रहा है। इस भागड़े ने अब जहरीला रूप पकड़ लिया है। सन् १९३५ में हिंदी-साहित्य-समोलन ने इन्दौर में हिन्दी की व्याख्या में फारसी लिपि को पढ़े लिखे लोगों तक ही 'सीमित' नहीं है प्रत्युत बहुत से फारसी-अख्ती के मुल्ला भी उसे पढ़नाते और अपनाते भी हैं। फारसी-लिपि को 'करोड़ों हिन्दू-मुसलमान' कहो लिखते हैं? इतने तो उसे जानते भी नहीं हैं। यहाँ विचार-णीय वात यह है कि रोमन लिपि का व्यवहार व्यापक है परन्तु फारसी-लिपि का सीमित। हाँ, उस सीमा के भीतर वह भले ही रोमन लिपि से अधिक प्रचलित है। किन्तु वहाँ भी उनका अनुपात 'मुट्ठी भर' और 'करोड़ों' का नहीं है। दूसरे प्रश्न विदेशीपन का था, संख्या का नहीं।

स्थान दिया। १९२३ में कंप्रेस ने कानपुर में राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया। दोनों लिपियों की छूट दी गई थी, इसलिये हिंदी और उर्दू को राष्ट्रभाषा माना गया। इस सब में हिंदू-मुसलिम एकता का हेतु तो रहा ही था। यह सचाल मैंने आज नथा नहीं उठाया। मैंने हसे मूर्त स्वरूप दिया, जो प्रसंगानुकूल ही था। इसलिये अगर हम राष्ट्रभाषा का सम्पूर्ण विकास^२ करना चाहें, तो हमें हिंदी व उर्दू को और देवनागरी व फारसी लिपि को एकसा स्थान देना होगा। अन्त में तो जिसे लोग ज्यादा पचायेगे वही ज्यादा फैलेगी।

बहुतेरी भान्तीय भाषाएँ संस्कृत से निकट सम्बन्ध रखती हैं और यह भी सच है कि भिन्न-भिन्न प्रांतों के मुसलमान अपने-अपने प्रांत की ही भाषाएँ बोलते हैं। इसलिए यह ठोक ही है कि उनके लिये देवनागरी लिपि और हिंदी आसान रहेगी। यह कुदरती लाभ मेरी योजना से चला नहीं जाता। बल्कि मैं यह कहूँगा कि इसके साथ मेरी^३ योजना में फारसी लिपि सीखने का लाभ और मिलता है। आप इसको बोझ मानते हैं। लाभ मानना कि बोझ यह तो सीखनेवाले की वृत्ति पर

२ महात्मा जी का यह तर्क विलक्षण है। 'राष्ट्रभाषा का सम्पूर्ण विकास' एक बात है और 'राष्ट्र-लिपि' का समुचित उपयोग दूसरा। यदि आप प्रमाण चाहते हैं तो कल तक के 'खत्तीफा' के देश टक्की को लें। वहाँ की राष्ट्रभाषा तो तुक्की है परन्तु राष्ट्र-लिपि कुछ हेर-फेर के साथ रोमन। महात्मा जी चले तो थे हिंदू-मुसलिम-एकता को लेकर और टूट पड़े राष्ट्रभाषा पर जो न्याय नहीं नीति की बात भले ही हो। विचार करने की बात है कि जब इसलाम के अड्डे में अरबी लिपि में राष्ट्रभाषा का विकास न हो सका तब संस्कृत भूमि भारत में उसका 'सम्पूर्ण विकास' किस न्याय से होगा।

३ महात्मा जी की यह योजना यदि व्यक्तिगत 'लाभ' की दृष्टि से है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं, किन्तु यदि राष्ट्र की समष्टि-व्यष्टि से है तो उससे हमारा गहरा भत्तेद है। हम उसे राष्ट्र के लिये घातक समझते हैं। कारण, हम सभी 'योग' को 'क्षेम' नहीं मानते। कहते हैं

अवलम्बित है। अगर उसमें उमड़ता हुआ देश-प्रेम होगा तो वह फारसी लिपि और उदू भाषा को बोभाष्य कभी न मानेगा। और जवर्दस्ती को तो मेरी योजना में स्थान ही नहीं है। जो इसमें लाभ समझेगा, वही दोनों लिपि और दोनों भाषा सीखेगा।

प्रश्न ३ : हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा नागरी लिपि जानता है, क्योंकि बहुत सी प्रान्तीय भाषाओं की लिपि नागरी अथवा नागरी से मिलती-जुलती है। पंजाब, सिन्ध और सरहदी सूबों में नागरी का प्रचार कम है। क्या ये लोग आसानी से नागरों सीख नहीं सकते?

उत्तर :—इसका जवाब ऊपर दिया जा चुका है। सरहदी सूखेवालों को और दूसरों को देवनागरी तो सीखनी ही होगी।

प्रश्न ४ भाषा ज्यादातर तो बोलने के लिये है। बोलने और बातचीत करने के लिये लिपि की जरूरत नहीं। लिपि बहुत गौण वस्तु है। अगर राष्ट्रभाषा मातृभाषा की लिपि द्वारा सिखाई जाय, तो क्या वह ज्यादा आसानी से नहीं सीखी जा सकती? अगर ऐसा किया जाय, तो राष्ट्रीय दृष्टि से इसमें क्या नुकसान है?

उत्तर :—आपका कहना सच है। मैं भानता हूँ कि अगर हिन्दी कि मधु और घृत का समयोग विष हो जाता है। रही एकता की बात, सो उसका तो निश्चित नियम है ‘समान व्यसन’। ‘हिन्दी’ और ‘उदू’ का ‘व्यसन’ समान नहीं है अतएव उनमें सम्मिलन हो नहीं सकता। जिस दिन ‘उदू’ में ‘देश-प्रेम’ उमड़ेगा उसी दिन वह हिन्दी हो जायगी। कोई भी ‘उदू’ से अभिज्ञ सच्चा देशप्रेमी, देश के नाम पर, उसका स्वर्गात कर नहीं सकता। क्योंकि उसमें हिन्दू तो क्या देशी मुसलमान भी धृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं और सभी देशी उस्तुओं के वहिष्कार का भरसक प्रयत्न किया गया है। रही हिन्दू-मुसलिम-एकता की बात, सो वह तो इन दोहरी योजना के कारण देखते-देखते और भी दो भिन्न भिन्न धाराओं में बँट गई है। तो अब वह कौन-सा जदू ऐसा काम करेगा जिससे चने की दो दालें किर चना बनकर अपनी सूखिं बढ़ाएँगी। क्या किसी लासा-दूसी से यह योजना सफल हो सकती है?

और उद्दू प्रान्तीय भाषाओं के द्वारा ही सिखाई जायें, तो वे आसानी से सीखी जा सकती हैं। मैं जानता हूँ कि इस किस्म की कोशिश दक्षिण के प्रान्तों में हो रही है, पर वह पञ्चतिपूर्वक नहीं हो रही। मैं देखता हूँ कि आपका सारा विरोध इस मान्यता के आधार पर है कि लिपि की शिक्षा बोभरूप है। मैं लिपि की शिक्षा को इतना कठिन नहीं मानता परन्तु प्रान्तीय लिपि के द्वारा राष्ट्रभाषा का प्रचार किया जाय, तो उसमें मेरा कोई विरोध हो ही नहीं सकता। जहाँ लोगों में उत्साह होगा, वहाँ अनेक पञ्चतियाँ साथ-साथ चलेगी।

प्रश्न ५ : अगर हम भान भी लें कि जब तक पंजाब, सिन्ध और सरहदी खुबे के लोग नागरी नहीं सीख लेते तब तक उनके साथ मिलने-जुलने के लिए उद्दू जानने की आवश्यकता है, तो इसके लए कुछ लोग उद्दू सीख लें मसलन्, प्रचारक लोग। सारे हिन्दुस्तान को उद्दू सीखने की क्या जरूरत है?

उत्तर : सारे हिन्दुस्तान के सीखने का यहाँ सवाल ही नहीं। मैं भानता ही नहीं कि सारा हिन्दुस्तान राष्ट्रभाषा सीखेगा। हाँ, जिन्हें राष्ट्र में अभ्यास करना है, और सेवा करनी है, उनके लिए यह सवाल है जरूर। अगर आप यह स्वीकार कर लें कि दो भाषा और दो लिपि सीखने से सेवाक्षमता बढ़ती है, तो आपका विरोध और आपकी शका रान्त हो जायगी।

प्रश्न ६ : आजकल राष्ट्रभाषा नागरी व फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। जिसे जिस लिपि में सीखना हो सीखे। हरएक शब्द को लाजिमी तौर पर दोनों लिपियों सीखनी ही चाहिए, यह आवश्यक है कि किया जाता है?

उत्तर : इसका भी एकही जवाब है। मेरे आवश्यके रहते भी सिर्फ वे ही लोग इसे स्वीकार करेंगे, जो इसमें लाभ देखेंगे। जिन्हें एक ही लिपि और एक ही भाषा से सन्तोष होगा,, वे मेरी दृष्टि में आधी राष्ट्रभाषा जाननेवाले कहलायेंगे। जिन्हें पूरा प्रमाणपत्र चाहिए, वे दोनों लिपियों और दोनों भाषाएँ सीखेंगे। इससे तो आप भी इनकार न

करेंगे कि देश में ऐसे लोगों की भी काफी संख्या में जरूरत है। अगर इनकी संख्या बढ़ती न रही, तो हिन्दी और उर्दू का सम्बिलन न हो पायेगा और न कांग्रेस की व्याख्यावालों एक हिन्दुस्तानी भाषा कभी तैयार हो सकेगी। एक ऐसी भाषा की उत्पत्ति तो हमेशा इष्ट है ही, जिसकी भद्र से हिन्दू और मुसलमान दोनों एकदूसरे की बात आसानी से समझ सकें। ऐसे स्वर्जन का सेवन हम में से बहुतेर कर रहे हैं। किसी दिन वह सच्चा भी सावित होगा।

प्रश्न ७ : अहिन्दी-भाषी प्रान्तों के लोगों के लिये, जो राष्ट्रभाषा नहीं जानते एक साथ दो लिपियों में राष्ट्रभाषा सीखना क्या जरूरत से ज्यादा बोझिल न होगा? पहले एक लिपि द्वारा वह अच्छी तरह सीख ली जाय, तो फिर दूसरी लिपि तो बड़ी आसानी से सीख ली जा सकेगी।

उत्तर : इसका पता तो अनुभव से लगेगा। मैं मानता हूँ कि जो इनमें से एक भी लिपि नहीं जानता, वह दोनों लिपियों एक साथ नहीं सीखेगा। वह स्वेच्छा से पहली अथवा दूसरी लिपि पहले सीखेगा। और

४ महात्मा गान्धी की कांग्रेसवाली हिन्दुस्तानी अभी तैयार नहीं हुई। उसकी तैयारी की योजना हो रही है। सो तो ठीक है। पर उसे अभी से 'बोल-चाल' की भाषा, 'मातृभाषा' और 'राष्ट्रभाषा' कहा क्यों जारहा है? हमारा सीधा पक्ष तो यह है कि कांग्रेस अँगरेजों की देखा देखी यहाँ की सीधी हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहने लगो और कुछ परदेशियों के दबाव के कारण दोनों लिपियों को अपनाने लगी। महात्मा जी कहते हैं कि हिन्दुस्तानी जैसी किसी नई भाषा के बिना हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे को समझेंगे कैसे? हमारा उत्तर है—जैसे समझते आये हैं और अँगरेजी शासन के पहले जैसे समझते रहे हैं; और आज भी तो एक दूसरे को समझ ही रहे हैं? फिर यह कल्पना क्यों? स्मरण रहे 'हिन्दुस्तानी' पर जब तक फारसी का आवरण है तभी तक वह हिन्दी से दूर है। यहाँ उसकी फारसी लिपि हटी कि वह हिन्दुस्तान के परदेशी लोगों की कैद से छुटकार स्वदेशी बनी और हिन्दू-मुसलिम-विरोध का सारा टंडा दूर हुआ।

बाद में दसरी। शुल्क की पाठ्यपुस्तकों में शब्द दोनों से लगभग एक ही होंगे। मेरी हृषि में मेरी योजना एक महान् और आवश्यक प्रयोग है। यह राष्ट्र को पुष्टि देनेवाला सिद्ध होगा। और कांग्रेस के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने में इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। इसलिये मुझे आशा है कि लाखों सेवक और सेविकाएँ इस योजना का स्वागत करेंगी।

प्रश्न ८: भाषा के स्वरूप में देशन्काल की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते ही रहेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता। इससे राष्ट्रभाषा में विदेशी भाषा के जो बहुत से शब्द आ गये हैं, और ऐसे हो गये हैं, वे अब निकाले नहीं जा सकते। परन्तु परम्परा से राष्ट्रभाषा की लिपि तो नागरी ही चली आती है। बीच में मुगल राज्य के बत्त फारसी लिपि आ गई। अब मुगलों का राज्य नहीं है, इसलिए जिस तरह गुजराती और मराठी से बहुत से फारसी-अरबी और अँगरेजी शब्द होते हुए भी इन भाषाओं ने अपनी लिपि नहीं छोड़ी, उसी तरह राष्ट्रभाषा भी विदेशी शब्द को कायम रखते हुए अपनी परम्परागत नागरी लिपि को ही क्यों न अपनाये रहे?

उत्तर : यहीं परम्परागत वस्तु को छोड़ने की नहीं, बल्कि उसमें कुछ इजाफा करने की बात है। अगर मैं संस्कृत जानता हूँ और साथ ही अरबी भी सीख लेता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? मुमकिन है कि इससे न संस्कृत को पुष्टि मिले, न अरबी को फिर भी अरबी से मेरा परिचय तो बढ़ेगा। न १ ‘सद्ग्नान’ की धृष्टि का भी कभी द्वेष किया जा सकता है क्या?

५ महात्माजी ने ‘सद्ग्नान’ के अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर ही दिया। तनिक ध्यान से पढ़ें तो पता चले कि प्रश्न तो है ‘लिपि’ का और महात्माजी प्रसंग खड़ा कर देते हैं ‘भाषा’ का और समाधान करते हैं ‘सद्ग्नान’ की दुर्हार्दि दे। समझ में नहीं आता कि अरबी-फारसी अयत्ता उदूँ पढ़ लेने से नागरी-लिपि में ‘इजाफा’ क्या होगा। महात्माजी ‘क’ ‘ख’ और ‘ग’ की ओर सकेत करते हैं? नहीं, उनके सामने तो ‘सद्ग्नान’ की राशि है! कोरे शान की सो

प्रश्न ९ : भारतीय भाषाओं के उचारण को व्यक्त करने की सबसे ज्यादा योग्यता नागरी लिपि में है और आजकल की फारसी लिपि इस काम के लिये बहुत ही दौष्पूर्ण है। क्या वह सच नहीं ?

उत्तर :—आप ठीक कहते हैं, परन्तु आपके विरोध में इस प्रश्न के लिए स्थान नहीं है। क्योंकि जो चीज यहाँ है, उसका तो विरोध है ही नहीं । परस्पर वृद्धि करने की बात है।

प्रश्न १०.—राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है ? क्या एक मत्रिमाधा और दूसरी विश्वभाषा काफी न होगी ? इन दोनों भाषाओं के लिए एक रोमन लिपि हो तो क्या दुरा है ?

उत्तर : आपका यह प्रश्न आश्चर्य में डालनेवाला है। अँगरेजी तो विश्वभाषा है ही, मगर क्या वह हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषाओं वन सकती है ? राष्ट्रभाषा तो लाखों लोगों को जाननी ही चाहिए । वे अँगरेजी भाषा का बोक्ष^७ कैसे उठा सकेंगे ? हिन्दुस्तानी स्वभाव से राष्ट्रभाषा है क्योंकि वह लगभग २१ करोड़ की मातृभाषा है। सम्भव है कि २१ करोड़ की इस भाषा को बाकी के अधिकतर लोग आमानी से समझ सकें । लेकिन अँगरेजी तो एक लाख की भी मातृभाषा शायद ही कही जा सके । अगर हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र बनाना है, अथवा एक भी नहीं । भला फारसी लिपि का सद्भान से क्या सम्भव है ? रही 'उदू' की जवान ' । सो यदि 'सद्भान' ही की बात है और मुख्लमानो (१) को ही 'खुश करना है तो उनकी राजभाषा फारसी को ही क्यों न सीखा जाय ? आखिर कल तक हमारे पुरखा तो राजभाषा के ल्य में उसे सीखते ही थे ?

६—इसे हम क्या कहें, सत्य-प्रेम या देशनिष्ठा ? बहुतः यहाँ की 'चीज' है क्या कुछ इस पर भी तो विचार होना चाहिए ? अपना दोष भी क्या अपने अद्वा का पात्र होता है ? परस्पर वृद्धि होती कैसे है, कुछ इसका भी तो ध्यान रखना होगा ?

७ महात्माजी ने किसी 'लाभ' को 'बोक्ष' तो माना 'उदू' का न सहो अँगरेजी का सही ।

राष्ट्रभाषा है, तो हमें एक राष्ट्रभाषा तो चाहिए ही। इसलिये मेरी दृष्टि से अंगरेजी विश्वभाषा के रूप में ही रहे, और शोभा पाये; इसी तरह रोमन लिपि भी विश्वलिपि के रूप में रहे और शोभा पाये रहेगी और शोभेगी हिन्दुस्तान को राष्ट्रभाषा की लिपि के रूप में कभी नहीं।

४. डॉक्टर ताराचन्द और हिन्दुस्तानी

[महात्मा गांधी]

श्री सुरलीधर श्रीवास्तव ५८० ए० ने डाक के थैलै के लिये नीचे लिखा प्रश्न भेजा था :

“जब मन में किसी चीज के लिये पक्षपात पैदा हो जाता है, तो मनुष्य इतिहास को भी विकृत बनाने वैठ जाता है। आपकी तरह डॉक्टर ताराचन्द भी हिन्दुस्तानी के चुस्त हिमायती हैं। उन्हें आपने विचार रखने का उतना ही अधिकार है, जितना आपको या मुझे आपने विचार रखने का है। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) का साहित्य ब्रजभाषा के साहित्य से अधिक पुराना है और उसके उत्साह में उन्होंने यह कहकर कि १६वीं सदी से पहले ब्रज से कोई चीज लिखी हो नहीं गई, ब्रजभाषा के इतिहास को बहुत बल्त तरीके से पेश किया है। उनके कथनानुसार १६वीं सदी में सूरदास ही पहले कवि थे, जिन्होंने ब्रज में अपनी रचनाएँ कीं। चूँकि गत २९ मार्च के ‘हरिजन’ में आपने इन विद्वान् डॉक्टर साहब के एक पत्र का अवतरण दिया है, और चूँकि ‘हरिजन’ की प्रतिष्ठा और उसका प्रचार व्यापक है, इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि इस भूल की ओर ध्यान दिलाया जाय। सूरदास से पहले के ब्रजसाहित्य के लिये केवल कवीर की रचनाएँ ही पढ़ लेनी काफी होंगी—अमोर खुसरो की तो वात ही क्या, जिनकी कुछ कवितायें ब्रजभाषा में भी मिलती हैं। सूर-

दास से पहले के कई सन्तों और भक्तों की अनेक छोटी-छोटी रचनाएँ ब्रज में पाई जाती हैं, और वे हिन्दी साहित्य के किसी भी प्रामाणिक इतिहास में देखी जा सकती हैं।”

पत्र-लेखक के इस पत्र का जो अंश प्रस्तुत प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता था, उसे मैंने निकाल दिया है। यह पत्र मैंने काका साहित्य काले-लकर के पास भेज दिया था। उन्होंने इसे डॉक्टर ताराचन्द्र के पास भेजा था। डॉक्टर ताराचन्द्र ने इसका नीचे लिखा जवाब भेजा है, जो अपनी कथा आप कहता है :

मैंने अपनी जो राय दी थी कि ब्रजभाषा का साहित्य सोलहवीं सदी से व्यादा पुराना नहीं है, उसके कारण इस प्रकार है :

१—ब्रजभाषा एक आधुनिक भाषा है, जो दृतीय प्राकृत या ‘न्यूइंडो-आर्यन’ वर्ग की मानी जाती है। इस वर्ग का जन्म मध्यम प्राकृत या ‘मिडिल इंडो-आर्यन’ से हुआ है। दुर्भाग्य से मध्यम और दृतीय के बीच की अवस्थाओं का निरिचत रूप से कोई पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यादातर विद्वान् इस बात में एक राय है कि ‘मध्यम प्राकृत’ का समय ईस्वी सन् पूर्व ६०० से ईस्वी सन् १००० तक रहा।

२—मध्यम प्राकृतों को, जो एक जमाने में सिर्फ़ बोली भर जाती थीं, महाबीर और लुक्ष्मीराजा चलाये गये धार्मिक आनंदोनों के कारण साहित्यिक विकास करने का उत्तेजन मिला। इन प्राकृत भाषाओं में पाली सबसे महत्व की भाषा बन गई, क्योंकि वह वौद्धों के पवित्र धर्मग्रन्थों को लिखने के लिए माध्यमस्वरूप अपनाई गई थी। महात्व की हृष्टि से दूसरा स्थान अर्धमागधी का रहा, जिसमें जैनियों के धर्म-प्रन्थ लिखे गये। इनके सिवा भी कुछ और प्राकृत भाषाएँ उन दिनों प्रचलित थीं, मसलन्, महाराष्ट्री, जिसमें नीत और कविता लिखी जाती थी और शौरसेनी, जिसका उपयोग नाटकों में श्री-पात्रों^१ की भाषा के रूप में किया जाता था, वर्गैरः।

१—डॉक्टर ताराचन्द्र को पता नहीं कि नाट्यशास्त्र में स्पष्ट लिखा है

३—ईस्वी सन् की छठी सदी में आते-आते प्राकृत भाषाएँ स्थिर और मृत भाषाएँ बन गई थीं। साहित्य तो तब भी उनमें लिखा जाता था, लेकिन उनका विकास बंद हो चुका था। इसी सदी में सामान्य बोलचाल की भाषाओं का, जिनमें से साहित्यिक प्राकृत का जन्म हुआ था, साहित्य की दृष्टि से उपयोग होने लगा। प्राकृत भाषाओं के इस साहित्यिक विकास के प्रचार को अपभ्रंश के नाम से पहचाना जाता है। इसका समय ईस्वी सन् ६०० से १००० तक रहा। इन अपभ्रंश भाषाओं में एक नागर^२ भाषा ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। उत्तर^३ हिन्दुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में इसी नागर के विविध रूप साहित्यिक अभियंत्रिक के बाहर बनकर काम में आने लगे थे। लेकिन नागर और उसके विविध रूपों के सिवा शौरसेनी-जैसी कुछ दूसरी प्राकृत भाषाओं के भी अपभ्रंशों का विकास हुआ था।

४ हिन्दुस्तान की आधुनिक भाषाओं का या तृतीय प्राकृतों का विकास इन्ही अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। नागर अपने एक प्रकार द्वारा राजस्थानी और गुजराती भाषाओं की जननी बनी, जिसे टेस्सीटोरी ने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का नाम दिया है।

शौरसेनी अपभ्रंश का रूप हेमचन्द्र के (सन् ११७२) प्राकृत व्याकरण से प्रकट हुआ है। लेकिन शौरसेनी अपभ्रंश का नागर के

“सर्वास्वेव हि शुद्धानु जातिषु द्विजसत्तमाः ।

शौरसेनीं समाश्रित्य भाषा काव्येषु योजयेत् ॥” १७।४७

इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि शौरसेनी ही उस समय की चलित राष्ट्रभाषा है।

२—डाक्टर साहव ने बड़ी चतुरी से गोलमाल कर दिया है। अच्छा और उचित तो यह था कि ‘नागर’ की प्रकृति अथवा उसकी जननी ‘प्राकृत’ का पता बताते और फिर अपने उदार पाठित्य का प्रदर्शन करते।

३ दक्षिण भारत भी इससे अद्यूता न बचा था। यदि सर जार्ज ग्रियर्सन को ‘भया पड़ताल’ की भूमिका पृ० १२४ को देखें तो आपकी आँख खुले और पता चले कि वास्तव में वसुस्थिति क्या है।

साथ कोई सम्बन्ध निश्चित करना कठिन है। मालूम होता है कि गौर-सेनी अम्ब्रश के रूप में और भी परिवर्तन हुए और वे प्राचीन परिचमी हिन्दी अवहत्थ, काव्य भाषा आदि विविध नामों से पुकारे गये।

५ इस भाषा के सामने आने पर मध्यम प्राकृत भाषाएँ मंच से हट जाती हैं और तृतीय प्राकृत या 'न्यूइंडो-आर्थन' भाषाओं का समय शुरू होता है। पुरानी परिचमी हिन्दी, जो नवान मध्यदेशीय भाषा का बहुत पहला रूप है, ११वीं सदी में निश्चित रूप धारण करती मालूम होती है। इसी पुरानी परिचमी हिन्दी से उत्तरी मध्य देश की हिन्दुस्तानी (खड़ी) निकली, मध्यदेश की ब्रज निकली और दक्षिण की खुन्देली निकली। १२वीं सदी में ये सब बोलियाँ थीं। आगे की कुछ सदियों में हानोने साहित्यिक रूप धारण किया।

६—इन भाषाओं के विकास का जो अध्ययन में किया है, उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हिन्दुस्तानी (खड़ी) ही वह भाषा थी, जिसका साहित्यिक भाषा के रूप में सबसे पहला विकास हुआ। १४वीं सदी के आखिरी पचीस मालों से लेकर अब तक हमें हिन्दुस्तानी (दक्षिणी उद्दूँ) का सिलसिलेवार इतिहास मिलता है। दूसरी तरफ १६ वीं सदी से पहले की ब्रजभाषा का इतिहास बहुत ही गर्का स्पष्ट है।

४—डाक्टर साहव सम्मवतः 'वावावाक्य प्रमाण' के परिक हैं और साहित्यिक भाषा' एवं 'भाषा' के भेद से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। अन्यथा उनकी लेखनी की जीम से ऐसी भोड़ी वात न निकलती। हिन्दुस्तानी के प्राचीन साहित्यिक अन्य कहाँ हैं! 'दक्षिणी' का साहित्य भी इतना प्राचीन कहाँ है?

५ डाक्टर साहव को कुछ 'वालियारो' का भी पता है या यों ही 'दक्षिणी' बूक रहे हैं। अच्छा होता यदि डाक्टर महोदय व्यालियर के राजा मानसिंह के 'मानकुत्तूहलम्' का अवलोकन और संगीत-परम्परा का कुछ अव्ययन करते, एवं यह भी जान लेते कि अब कुछ विद्वान् महाराष्ट्री (गीत-भाषा) को भी शौरसेनी का ही एक विकसित रूप समझने

७—आइये, १६वीं सदी से पहले के तथाकथित ब्रजभाषासाहित्य का कुछ विचार किया जाय।

(अ) पृथ्वीराजरासो^६ का रचयिता चन्द्रबरदाई वह पहला कवि है, जिसने, कहा जाता है कि ब्रज (पिंगल) का उपयोग किया था। वह चन्द्रबरदाई पृथ्वीराज (१२ वीं सदी) का समकालीन माना जाता है। रासो के सम्बन्ध में एक प्रबल मत यह है कि वह एक नकली काव्य है। बुहलर, गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, खियर्सन और दूसरे विद्वान् उसकी प्रामाणिकता में सन्देह रखते हैं। उसकी भाषा में आधुनिक और अप्रचलित भाषा का अजीब मिश्रण है। उसकी कथा-वस्तु इतिहास के विपरीत पड़ती है और उसके रचयिता के बारे में भी शक है। इन अमारणों के आधार पर पंडित रामचन्द्र शुक्ल इस नतीजे पर पहुँचे थे कि ‘यह ग्रन्थ साहित्य के या इतिहास के विद्यार्थी के किसी काम का नहीं है।’

(आ) अमीरखुसरो दूसरा ग्रन्थकार है, जिसके लिए दावा किया जाता है कि वह ब्रज का लेखक था। सन् १३२५ में उसकी मृत्यु हुई। हिन्दी में उसकी कविताओं, पहेलियों और दो सखुनों का कोई प्रामाणिक हस्तालिखित ग्रन्थ अभी तक मिला नहीं है। लाहौर के प्रोफेसर महमूद शेरानी ने इस बात को अच्छी तरह सावित कर दिया है कि खालिक़वारी (हिन्दी और फारसी शब्दों का पद्धवङ्ग कोश), जो खुसरो की रचना कही जाती है, उसकी रचना नहीं हो सकती।

लगे हैं। (सन् १९४२, देलिए-इडो आर्यन एड हिन्दी, गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, अहमदाबाद, सन् १९४२ पृ० ८५-६।)

६ व्यान देने की बात है कि उनके विरोधी ने कहीं मूलकर भी ‘पृथ्वीराजरासो’ अथवा ‘चन्द्रबरदाई’ का नाम नहीं लिया है; परन्तु हिन्दुस्तानी के पुरोहित पंडित ताराचन्द्र उसी को जाली ठहराने में लगे हैं! क्यों? तो क्या अर्थी सचमुच दोष को नहीं देखता? हिन्दुस्तानी के उपासक सिद्ध तो यही करते हैं।

उसकी हिन्दी कविता की भाषा इतनी आधुनिक है कि भाषाशास्त्र का एक साधारण जानकार भी यह ताड़े बिना नहीं रह सकता कि वह १३वीं सदी की नहीं हो सकती। उसकी अधिकांश रचनाएँ विलक्षुल आधुनिक हिन्दुस्तानी था खड़ी बोली में हैं और कुछ पर ब्रज की छाप है। डॉक्टर हिंदायत हुसेन ने खुसरो की रचनाओं की एक प्रामाणिक सूची तैयार की है जिसमें वे उसकी हिन्दी^७ कविताओं को कोई स्थान नहीं दे सके हैं। कुछ हिन्दी लेखकोंने खुसरो के खिए ख्यों और देवलरानी नामक काव्य का वह अंश पढ़ा है, जिसमें हिन्दी की तारीफ की गई है। इस पर से उन्होंने यह नतीजा निकाला कि खुसरो हिन्दी का प्रशासक और कवि था। लेकिन उस अंश को ध्यान से पढ़ने से वह विलक्षुल साफ़ हो जाता है कि वहाँ खुसरो का

७ कौन कहे कि डॉक्टर ताराचन्द्र 'आँधर कूकूर वतासै भूकै' को चरितार्थ करते हैं और आँख होते हुए भी अपनी आँख से काम नहीं लेते। उनके उदौँ के पनके मौलवी कुछ भी कहते रहे पर अल्लामा सैयद सुलैमान नदवी की घोषणा है

अमीर (खुसरो) को अपनी हिन्दी कलाम पर जो नाज था वह उनके इस शेर से नुभाया है.....

‘चू मन दूतिथे हिन्दम् अर रात्ता पुर्सी,
जे मन हिन्दवी पुर्स ता नगज् गोयम् ।’

कितनी विलक्षण वात है कि उधर तो खुसरो यह अभिमान करते हैं कि ‘वस्तुतः मैं हिन्दी दृती हूँ और यदि तू सच सच पूछे तो मुझसे हिन्दवी में पूछ जिससे मैं नहिं कहूँ’ और इधर हमारे सपूत डॉक्टर साहन इधर-उधर की वारों में यह उड़ा देना चाहते हैं कि वास्तव में अमीर खुसरो ने हिन्दी में भी कुछ रचना की। हम अभी डॉक्टर ताराचन्द्र से केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जनाव ज़रा उक सैयद धाहर की ‘मुकूरो मुलैमानी’ का पृष्ठ ४७ भी देख लें। आरा है, आपको पता हो जायगा कि भाषा के क्षेत्र में आप कितने पानी में हैं।

मतलब^८ ब्रज या हिंदुस्तानी से नहीं था। इस नगण्य^९ से प्रभाण के आधार पर ब्रज के इतिहास का ठेठ खुसरो से संबंध जोड़ना विज्ञानसम्मत तो नहीं कहा जा सकता।

(इ) आगे चलकर यह कहा गया है कि नामदेव, रैदास, धना, वीपा, सेन, कबीर आदि सन्त और भक्त ब्रज के कवि थे। इनकी बानी और पद गुरुभूमि में दिये गये हैं। वे कहाँ तक प्रामाणिक माने जा सकते हैं, सो एक अनसुलझी समस्या ही है। नामदेव एक मराठा सन्त थे, जो १३वीं सदी में हो गये; उन्होंने हिन्दी में कुछ लिखा था या नहीं, सो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गुरुभूमि का संकलन १७वीं सदी के शुरू में हुआ था। दूसरे सन्तों और भक्तों की रचनाओं के कोई प्रामाणिक हस्तालिखित भी नहीं मिल रहे हैं।

इन संतों और भक्तों में १३वीं सदी के कबीर ही सबसे व्यादा मशहूर हैं। गुरुभूमि में उनकी बहुत सी रचनाएँ पाई जाती हैं। उनकी भाषा पर पंजाबी का जबर्दस्त असर है। काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने रायबहादुर रथमसुन्दरदासजी द्वारा संपादित कबीर की ग्रंथावली प्रकाशित की है, जो सन् १५०४ के एक हस्तालिखित के आधार पर तैयार की गई कही जाती है। लेकिन इस तिथि की प्रामाणिकता के संबंध में भी गंभीर शंकाएँ उठाई गई हैं (देखिए, डा० पीरांवरदत वड्याल कृत 'हिंदी काव्य में निर्गुणवाद'), बहरहाल, इस संस्करण की भाषा भी गुरुभूमि में पाये जानेवाले पदों की भाषा

८ न सही। पर कृपया यह तो बताइए कि उसका 'मतलब' किससे था। 'सरटूत' तो स+मवतः आपको इष्ट नहीं; क्योंकि उसी के विनाश के लिये तो यह हिंदुस्तानी का चक्र चला है। तो फिर अमीर खुसरो की उस हिंदी-प्रथसा का अर्थ क्या? अरे आप कुछ भी कहें, अमीर की साखी तो 'हिंदी' के पक्ष में ही है, हिंदुस्तानी अथवा 'अरवी-फ़ारसी' के पक्ष में कदापि नहीं।

९ क्या आपको यह भी बताना होगा कि खुसरों की जन्मभाषा ब्रजभाषा ही थी और वे जन्मे भी घे द्रजभाषा के 'पूर्य' प्रांत में?

बात की गवाही देते हैं। पर हमारे वडे से वडे मौलाना यह नहीं समझ सकते कि इनका अर्थ क्या है। उनके यहाँ तो इनका नाम लेना भी हराम है। पर हमारी राष्ट्रभाषा इनको छोड़कर अपने अतीत और अपनी राष्ट्रीयता का गर्व नहीं कर सकती। वह अन्य भाषाओं के सामने डट कर यह सिद्ध नहीं कर सकती कि उसकी कोष्ठ के स्पूत उस समय छुमा (अलसी) और कोश (रेशम के कोञ्चा) से वस्त्र बनाया करते थे जब आजकल का सम्य संसार बनचर की दशा में था। अतएव हमारा तो निश्चित मत है कि हम अपनी भाषापरम्परा को छोड़ नहीं सकते और हमारी राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की भाषा को तिलांजलि दे फारसी-अरबी या उद्दू नहीं बन सकती।

फारसी-अरबी शब्दों का कोई भगड़ा हमारी राष्ट्रभाषा के सामने नहीं है। 'मतरूक' और 'मुव्वतज़्ल' से उसका दामन पाक है। उसका मौलिकी वच्चा 'फारसी अरबी' भाड़ सकता है पर उसका हर एक वच्चा उसके लिये विवश या बाध्य नहीं किया जा सकता। उसकी भाषा उसकी रुचि और विषय के अनुकूल होगी। किसी कोष्ठ या लुगत के मुताविक नहीं। यदि इतने से किसी को सन्तोष नहीं होता तो न सही। वह चाहे जिस 'कामकाजी' या 'मुगली बानी' की ईजाद करे पर कृपया राष्ट्रभाषा को बदनाम न करे। संसार की कोई भी राष्ट्रभाषा परदेशी शब्दों पर नाज़ नहीं करती वहि कि उलटे उन्हें 'धत' ही सुनाती है। हिन्दी तो 'धत' का नाम भी नहीं लेती। फिर उस पर यह वज्रपात कैसा?

राष्ट्रभाषा का कागड़ी स्वरूप यानी लिपि भी विवादप्रस्त है। जो लोग नागरी को अच्छी नहीं समझते वे शौक से अपनी किसी अच्छी लिपि का अपने अच्छों में व्यवहार करें और चाहें तो किसी प्रदर्शनी में उसका उद्घाटन भी करते रहें पर कृपया भूल न जायें कि यह वही लिपि है जिसमें लोदियों और सूरियों के फारसी फूरमान तक लिखे गए और अपनी साधुता की रक्षा करने में समर्थ रहे। आज अरबी लिपि के पुजारियों को जानना होगा। कि क्यों डाक्टर हफ्तीज़ सैयद तथा उनके आलोचक स्वनामधन्य मौलाना डॉ अब्दुल हक एक पद का

अर्थ ठीक ठीक न समझ सके। इंग्लिश कितना सीधा पद और कितना सादा अर्थ है, पर वही लिपि को दुरुहता के कारण कैसा पहाड़ हो रहा है। 'बहरी' कहता है

“परगाट बुरा माने गुपुत बलि गए सो कहो वह कौन थे।”

डाक्टर हफ्तोज़ 'गुपुत' को 'कपट' पढ़ते हैं तो डाक्टर हक़ 'बलि' को 'बल'। 'बलि' की बला में दोनों बलबला रहे हैं। बलिहारी है ऐसी लिपि को और बलिहारी है उस बुद्धि को जो इसे राष्ट्रलिपि बनाना चाहती है और निरक्षर जनता को इसी के द्वारा साक्षर बनाना चाहती है। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। 'बलि' को भूल कर भी 'बल' भत बनाओ, नहीं तो कोई हिन्दुस्ताना का लाल उसे 'बिल' वा 'बुल' बोच जायगा। और आप बिलबिला कर रह जायेंगे। ऐसी छबोली अनहोनो पर क्यों भरे जाते हो? हिंदी के क्यों नहीं हो रहते? अरे! नागरों के नागर वनों उदूँ के बागर नहीं।

३. राष्ट्र-भाषा संबंधी दस प्रश्न

[श्री मोहनदास करमचन्द गान्धी]

प्रश्न १:—फारसी लिपि का जन्म हिन्दुस्तान में नहीं हुआ। मुगलों के राज्य में यह हिन्दुस्तान में आई, जैसे अँगरेजों के राज्य में रोमन लिपि। पर राष्ट्रभाषा के लिए हम रोमन लिपि का प्रचार नहीं करते, तो फिर फारसी लिपि का प्रचार क्यों करना चाहिए?

उत्तर:—अगर रोमन लिपि ने फारसी लिपि के समान ही धर किया होता, तो जो आप कहते हैं, वही होता। भगव रोमन लिपि तो सिर्फ़ 'मुझी' भर अँगरेजी पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित रही है, जब

१ महात्मा जी का यह कथन कितना ऊपरी और अनेशपूर्ण है। रोमन लिपि का व्यवहार फारसी लिपि से कम भले ही हो पर वह 'मुट्ठी भर अँगरेजी

कि फारसी तो करोड़ों हिन्दू-मुसलमान लिखते हैं। आपको फारसी और रोमन लिपि लिखनेवालों की संख्या हूँड निकालनी चाहिए।

प्रश्न २:—अगर आप हिन्दू-मुसलिम एकता के लिये उदू० सीखने को कहते हों, तो हिन्दुस्तान के बहुत से मुसलमान उदू० नहीं जानते। वंगाल के मुसलमान वैगला बोलते हैं और महाराष्ट्र के मराठी। गुजरात में भी देहात में तो वे गुजराती ही बोलते हैं। दक्षिण भारत में तामिल वरौरः बोलते होंगे। ये सब मुसलमान अपनी प्रान्तीय भाषाओं से मिलते जुलते शब्दों को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। उत्तर भारत की तमाम भाषाएँ संस्कृत से निकलती हैं, इसलिये उनमें परस्पर बहुत ही समानता है। दक्षिण भारत की भाषाओं में भी संस्कृत के बहुत शब्द आ गये हैं। तो फिर इन सब भाषाओं के बोलनेवालों में अरबी-फारसी-जैसी अपरिचित भाषाओं के शब्दों का प्रचार क्यों किया जाय?

उत्तर : आपके प्रश्न में तथ्य अवश्य है; मगर मैं आपसे कुछ ज्यादा विचार करवाना चाहता हूँ। मुझे कबूल करना चाहिए कि फारसी लिपि सीखने के लिये जो आवश्यक है, उसमें हिन्दू-मुसलिम एकता की दृष्टि रही है। देवनागरी और फारसी लिपि की तरह हिंदी और उदू० के बोच भी वरसों से भागड़ा चला आ रहा है। इस भागड़े ने अब जहरीला रूप पकड़ लिया है। सन् १९३५ में हिंदी-साहित्य-सरोलन ने इन्दौर में हिन्दी की व्याख्या में फारसी लिपि को पढ़े लिखे लोगों तक ही 'सीमित' नहीं है प्रत्युत बहुत से फारसी-अरबी के मुल्ला भी उसे पहचानते और अपनाते भी हैं। फारसी-लिपि को 'करोड़ों हिन्दू-मुसलमान' कहाँ लिखते हैं? इतने तो उसे जानते भी नहीं हैं। यहाँ विचार-जीय बात यह है कि रोमन लिपि का व्यवहार व्यापक है परन्तु फारसी-लिपि का सीमित। हाँ, उस सीमा के भीतर वह भले ही रोमन लिपि से अधिक प्रचलित है। किन्तु वहाँ भी उनका अनुपात 'मुट्ठी भर' और 'करोड़ों' का नहीं है। दूसरे प्रश्न विदेशीपन का था, संख्या का नहीं।

स्थान दिया। १९२५ में कांग्रेस ने कानपुर में राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया। दोनों लिपियों की छूट दी गई थी, इसलिये हिंदी और उर्दू को राष्ट्रभाषा माना गया। इस सब में हिंदू-मुसलिम एकता का हेतु तो रहा ही था। यह सचाल मैंने आज नया नहीं उठाया। मैंने हसे मूर्त स्वरूप दिया, जो प्रसंगानुकूल ही था। इसलिये अगर हम राष्ट्रभाषा का सम्पूर्ण विकास^२ करना चाहें, तो हमें हिंदी व उर्दू को और देवनागरी व फारसी लिपि को एकस। स्थान देना होगा। अन्त में तो जिसे लोग ज्यादा पचायेंगे वही न्याय। फैलेंगी।

बहुतेरी प्रान्तीय भाषाएँ संस्कृत से निकट सम्बन्ध रखती हैं और यह भी सच है कि भिन्न-भिन्न प्रांतों के मुसलमान अपने-अपने प्रांत की ही भाषाएँ बोलते हैं। इसलिए यह ठोक ही है कि उनके लिये देवनागरी लिपि और हिंदी आसान रहेगी। यह कुदरती लाभ मेरी योजना से चला नहीं जाता। बल्कि मैं यह कहूँगा कि इसके साथ मेरी^३ योजना में फारसी लिपि सीखने का लाभ और भिलता है। आप इसको बोझ मानते हैं। लाभ मानना कि बोझ यह तो सीखनेवाले की वृत्ति पर

२ महात्माजी का यह तर्क विलक्षण है। 'राष्ट्रभाषा का सम्पूर्ण विकास' एक वात है और 'राष्ट्र-लिपि' का समुचित उपयोग दूसरा। यदि आप प्रमाण चाहते हैं तो कल तक के 'खलीफा' के देश टक्की को ले। वहाँ की राष्ट्रभाषा तो तुक्की है परन्तु राष्ट्र-लिपि कुछ देर-फेर के साथ रोमन। महात्मा जी चले तो ये हिंदू-मुसलिम-एकता को लेकर और टूट पड़े राष्ट्रभाषा पर जो न्याय नहीं नीति की वात मले ही हो। विचार करने की वात है कि जब इसलाम के अड्डे में अरबी लिपि में राष्ट्रभाषा का विकास न हो सका तब संस्कृत भूमि भारत में उसका 'सम्पूर्ण विकास' किस न्याय से होगा।

३ महात्मा जी की यह योजना यदि व्यक्तिगत 'लाभ' की दृष्टि से है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं, किन्तु यदि राष्ट्र की समिट-दिप्ट से है तो उससे हमारा गहरा भत्तेद है। हम उसे राष्ट्र के लिये घातक समझते हैं। कारण, हम सभी 'योग' को 'क्षेत्र' नहीं मानते। कहते हैं

अवलम्बित है। अगर उसमे उमड़ता हुआ देश-प्रेम होगा। तो वह फारसी लिपि और उदू भाषा को बोकारूप कभी न मानेगा। और जर्वर्दस्ती को तो मेरी योजना में स्थान ही जर्ही है। जो इसमे लाभ समझेगा, वही दोनों लिपि और दोनों भाषा सीखेगा।

प्रश्न ३ : हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा नागरी लिपि जानता है, क्योंकि वहुत सी प्रान्तीय भाषाओं की लिपि नागरी अथवा नागरी से मिलती-जुलती है। पञ्चाव, सिन्ध और सरहदी सूबों में नागरी का प्रचार कम है। क्या ये लोग आमानी से नागरी सीख नहीं सकते?

उत्तर :—इसका जवाब ऊपर दिया जा चुका है। सरहदी सूबेवालों को और दूसरों को देखनागरी तो सीखनी ही होगी।

प्रश्न ४ . भाषा ज्यादातर तो बोलने के लिये है। बोलने और बातचीत करने के लिये लिपि की ज़रूरत नहीं। लिपि बहुत गौण वस्तु है। अगर राष्ट्रभाषा मातृभाषा की लिपि छारा सिखाई जाय, तो क्या वह ज्यादा आसानी से नहीं सीखी जा सकती? अगर ऐसा किया जाय, तो राष्ट्रीय दृष्टि से इसमे क्या नुकसान है?

उत्तर :—आपका कहना सच है। मैं मानता हूँ कि अगर हिन्दी

कि मधु और धृत का समयोग विष हो जाता है। रही एकता की बात, सो उसका तो नियन्त्रित नियम है 'समान व्यसन'। 'हिन्दी' और 'उदू' का 'व्यसन' समान नहीं है अतएव उनमें सम्बन्ध हो नहीं सकता। जिस दिन 'उदू' में 'देश-प्रेम' उमड़ेना उसी दिन वह हिन्दी हो जायगी। कोईभी 'उदू' से अभिज्ञ सच्चा देशप्रेमी, देश के नाम पर, उसका स्वागत कर नहीं सकता। क्योंकि उसमें हिन्दू तो क्या देशी मुसलमान भी धूंपों की दृष्टि से देखे जाते हैं और सभी देशी वस्तुओं के विष्कार का भरसक प्रयत्न किया गया है। रही हिन्दू-मुसलिम-एकता की बात, सो वह तो इस दोहरी योजना के कारण देखते-देखते और भी दो मिश्र मिल्न धाराओं में बैठ गई है। तो अब वह कौन-सा जट्ठू ऐसा काम करेगा जिससे चने की दो दालें फिर चना बनकर अपनी सूखिय वढ़ाएँगी। क्या किसी आसान्यसी से यह योजना सफल हो सकती है?

और उदूँ प्रान्तीय भाषाओं के द्वारा ही सिखाई जायें, तो वे आसानी से सीखी जा सकती हैं। मैं जानता हूँ कि इस किसा की कोशिश दक्षिण के प्रान्तों में हो रही है, पर वह पञ्चतिपूर्वक नहीं हो रही। मैं देखता हूँ कि आपका सारा विरोध इस मान्यता के आधार पर है कि लिपि की शिक्षा बोभास्त्रप है। मैं लिपि की शिक्षा को इतना कठिन नहीं मानता परन्तु प्रान्तीय लिपि के द्वारा राष्ट्रभाषा का प्रचार किया जाय, तो उसमें मेरा कोई विरोध हो ही नहीं सकता। जहाँ लोगों में उत्साह होगा, वहाँ अनेक पञ्चतियाँ साथ-साथ चलेंगी।

प्रश्न ५ : अगर हम मान भी लें कि जब तक पंजाब, सिन्धु और सरहदी सूखे के लोग नागरी नहीं सीख लेते तब तक उनके साथ मिलने-जुलने के लिए उदूँ जानने की आवश्यकता है, तो इसके लिए कुछ लोग उदूँ सीख लें मसलन्, प्रचारक लोग। सारे हिन्दुस्तान को उदूँ सीखने की क्या जरूरत है?

उत्तर : सारे हिन्दुस्तान के सीखने का यहाँ सवाल ही नहीं। मैं मानता ही नहीं कि सारा हिन्दुस्तान राष्ट्रभाषा सीखेगा। हों, जिन्हें राष्ट्र में अमण करना है, और सेवा करनी है, उनके लिए यह सवाल है जरूर। अगर आप यह स्वीकार कर लें कि दो भाषा और दो लिपि सीखने से सेवाक्षमता बढ़ती है, तो आपका विरोध और आपकी शक्ति बान्ध हो जायगी।

प्रश्न ६ : आजकल राष्ट्रभाषा नागरी व फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। जिसे जिस लिपि में सीखना हो सीखे। हरएक शर्त को लाजिमी तौर पर दोनों लिपियों सीखनी ही चाहिए, यह आभृत क्यों किया जाता है?

उत्तर : इसका भी एकही जवाब है। मेरे आभृत के रहते भी सिर्फ वे ही लोग इसे स्वीकार करेंगे, जो इसमें लाभ देखेंगे। जिन्हें एक ही लिपि और एक ही भाषा से सन्तोष होगा, वे मेरी दृष्टि में आधी राष्ट्रभाषा जाननेवाले कहलायेंगे। जिन्हें पूरा प्रमाणपत्र चाहिए, वे दोनों लिपियों और दोनों भाषाएँ सीखेंगे। इससे तो आप भी इनकार न

करेंगे कि देश में ऐसे लोगों की भी काफी संख्या में जरूरत है। अगर इनकी संख्या बढ़ती न रही, तो हिन्दी और उर्दू का सम्मिलन न हो पायेगा और न कांग्रेस की व्याख्यावाली एक हिन्दुस्तानी भाषा कभी तैयार हो सकेगी। एक ऐसी भाषा की उत्पत्ति तो हमेशा इष्ट है ही, जिसकी मद्द से हिन्दू और मुसलमान दोनों एक-दूसरे की बात आसानी से समझ सके। ऐसे स्वप्न का सेवन हम में से बहुतेरे कर रहे हैं। किसी दिन वह सच्चा भी सावित होगा।

प्रश्न ७ : अहिन्दी-भाषी प्रान्तों के लोगों के लिये, जो राष्ट्रभाषा नहीं जानते एक साथ दो लिपियों में राष्ट्रभाषा सीखना क्या जरूरत से ज्यादा चोभिल न होगा ? पहले एक लिपि द्वारा वह अच्छी तरह सीख ली जाय, तो फिर दूसरी लिपि तो बड़ी आसानी से सीख ली जा सकेगी।

उत्तर : इसका पता तो अनुभव से लगेगा। मैं मानता हूँ कि जो इनमें से एक भी लिपि नहीं जानता, वह दोनों लिपियों एक साथ भी सीखेगा। वह एच्छा से पहली अथवा दूसरी लिपि पहले सीखेगा और

४ महत्वा गान्धी की कांग्रेसवाली हिन्दुस्तानी अभी तैयार नहीं हुई। उसकी तैयारी की योजना हो रही है। सो तो ठीक है। पर उसे अभी से 'बोल-चाल' की भाषा, 'मातृभाषा' और 'राष्ट्रभाषा' कहा क्यों जारहा है ? हमारा सीधा पक्ष तो यह है कि कांग्रेस अंगरेजों की देखा देखी यहाँ की सीधी हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहने लगा और कुछ परदेशियों के दबाव के कारण दोनों लिपियों को अपनाने लगी। महात्मा जी कहते हैं कि हिन्दुस्तानी जैसी किसी नई भाषा के लिना हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे को समझेंगे कैसे ? हमारा उत्तर है—जैसे समझते आये हैं और अंगरेजी शाखन के पहले जैसे समझते रहे हैं; और आज भी तो एक दूसरे को समझ ही रहे हैं ? फिर यह कल्पना क्यों ? समरण रहे 'हिन्दुस्तानी' पर जब तक फारसी का आवरण है तभी तक वह हिन्दी से दूर है, जहाँ उसकी फारसी लिपि हटी कि वह हिन्दुस्तान के परदेशी लोगों की कैद से छूटकर स्वदेशी वनी और हिन्दू-मुसलिम-विरोध का सारा टक्का दूर हुआ।

बाद में दसरी। शुरू की पाठ्यपुस्तकों में शब्द दोनों में लगभग एक ही होंगे। मेरी दृष्टि में मेरी योजना एक महान् और आवश्यक प्रयोग है। यह राष्ट्र को पुष्टि देनेवाला सिद्ध होगा। और कांग्रेस के प्रताप को अमली जामा पहनाने में इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। इसलिये मुझे आशा है कि लाखों सेवक और सेविकाएँ इस योजना का स्वागत करेंगी।

प्रश्न ८: भाषा के स्वरूप में देश-काल की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते ही रहेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता। इससे राष्ट्रभाषा में विदेशी भाषा के जो बहुत से शब्द आ गये हैं, और ऐसे हो गये हैं, वे अब निकाले नहीं जा सकते। परन्तु परम्परा से राष्ट्रभाषा की लिपि तो नागरी ही चली आती है। बीच में भुगल राज्य के बर्द फारसी लिपि आ गई। अब मुगलों का राज्य नहीं है, इसलिए जिस तरह गुजराती और भराठी में बहुत से फारसी-अरबी और अँगरेजी शब्द होते हुए भी इन भाषाओं ने अपनी लिपि नहीं छोड़ी, उसी तरह राष्ट्रभाषा भी विदेशी शब्द को कायम रखते हुए अपनी परम्परागत नागरी लिपि को ही वर्षों न अपनाये रहे?

उत्तर : यहाँ परम्परागत वस्तु को छोड़ने की नहीं, बल्कि उसमें कुछ इजाफा करने वी बात है। अगर मैं संस्कृत जानता हूँ और साथ ही अरबी भी सीख लेता हूँ, तो इसमें खुराई क्या है? सुमिकिन है कि इससे न संस्कृत को पुष्टि मिले, न अरबी को फिर भी अरबी से मेरा परिचय तो बढ़ेगा। न १ सद्व्यान^५ की वृद्धि का भी कभी द्वेष किया जा सकता है क्या?

५ महात्माजी ने 'सद्व्यान' के अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर ही दिया। तनिक ध्यान से पढ़ें तो पता चले कि प्रश्न तो है 'लिपि' का और महात्माजी प्रसंग खड़ा कर देते हैं 'भाषा' का और समाधान करते हैं 'सद्व्यान' की दुहाई दे। समझ में नहीं आता कि अरबी-फारसी व्यथवा उद्दूँ पढ़ लेने से नागरी-लिपि में 'इजाफा' क्या होगा। महात्माजी 'क' 'ख' और 'ग' की ओर संकेत करते हैं? नहीं, उनके सामने तो 'सद्व्यान' की राशि है! कोरे जान की सो

प्रश्न ९ : भारतीय भाषाओं के उच्चारण को व्यक्त करने की सबसे ज्यादा घोग्यता नागरी लिपि में है और आजकल की फारसी लिपि इस काम के लिये बहुत ही दोषपूर्ण है। क्या यह सच नहीं ?

उत्तर :—आप ठीक कहते हैं, परन्तु आपके विरोध में इस प्रश्न के लिए स्थान नहीं है। क्योंकि जो चीज यहाँ है, उसका तो विरोध है ही नहीं । परस्पर वृद्धि करने की बात है।

प्रश्न १० : राष्ट्रमाध्या की आवश्यकता है ? क्या एक मातृभाषा और दूसरी विश्वभाषा काफी न होगी ? इन दोनों भाषाओं के लिए एक रोमन लिपि हो तो क्या बुरा है ?

उत्तर : आपका यह प्रश्न आश्चर्य में डालनेवाला है। अँगरेजी तो विश्वभाषा है ही, मगर वह वह हिन्दुस्तान की राष्ट्रमाध्या बन सकती है ? राष्ट्रमाध्या तो लाखों लोगों को जाननी ही चाहिए। वे अँगरेजी भाषा का बोक्ष^७ कैसे उठा सकेंगे ? हिन्दुस्तानी स्वभाव से राष्ट्रमाध्या है, क्योंकि वह लाभग र१ करोड़ की मातृभाषा है। सम्भव है कि र१ करोड़ की इस भाषा को बाकी के अधिकतर लोग आसानी से समझ सकें। लेकिन अँगरेजी तो एक लाख की भी मातृभाषा शायद ही कही जा सके। अगर हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र बनाना है, अथवा एक

मी नहीं। मला फारसी लिपि का सद्ग्नान से क्या सम्बन्ध है ? रही 'उदू॒' की जवान^८। सो यदि 'सद्ग्नान' ही की बात है और मुख्लमानों (?) को ही 'खुग' करना है तो उनकी राजभाषा फारसी को ही क्यों न सीखा जाय ? आखिर कल तक हमारे पुरखा तो राजभाषा के ल४ में उसे सीखते ही थे ?

६—इसे हम क्या कहें, सत्य-प्रेम या देशनिष्ठा ? वस्तुतः यहाँ की 'चीज' है क्या कुछ इस पर भी तो विचार होना चाहिए ? अपना दोष भी क्या अपने आदर का पात्र होता है ? परस्पर वृद्धि होती कैसे है, कुछ इसका भी तो ध्यान रखना होगा ?

७ महात्माजी ने किसी 'लाम' को 'बोक्ष' तो माना 'उदू॒' का न चहो अँगरेजी का चही ।

राष्ट्रभाषा है, तो हमें एक राष्ट्रभाषा तो चाहिए ही ! इसलिये मेरी दृष्टि से अँगरेजी विश्वभाषा के रूप में ही रहे, और शोभा पाये; इसी तरह रोमन लिपि भी विश्वलिपि के रूप में रहे और शोभा पाये रहेगी और शोभेगी हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा की लिपि के रूप में कभी नहीं।

४. डॉक्टर ताराचन्द्र और हिन्दुस्तानी

[महात्मा गांधी]

श्री मुरलीधर श्रीवास्तव एम० ए० ने डाक के थैले के लिये नीचे लिखा प्रश्न भेजा था :

“जब मन में किसी चीज के लिये पक्षपात पैदा हो जाता है, तो मनुष्य इतिहास को भी विकृत बनाने वैठ जाता है। आपकी तरह डॉक्टर ताराचन्द्र भी हिन्दुस्तानी के चुस्त हिमायती हैं। उन्हें अपने विचार रखने का उतना ही अधिकार है, जितना आपको या मुझे अपने विचार रखने का है। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) का साहित्य ब्रजभाषा के साहित्य से अधिक पुराना है और उसके उत्साह में उन्होंने यह कहकर कि १६वीं सदी से पहले ब्रज में कोई चीज लिखी हो नहीं नहीं, ब्रजभाषा के इतिहास को बहुत गलत तरीके से पेश किया है। उनके कथनानुसार १६वीं सदी में सूरदास ही पहले कवि थे, जिन्होंने ब्रज में अपनी रचनाएँ कीं। चूँकि गत २९ मार्च के ‘हरिजन’ में आपने इन विद्वान् डॉक्टर साहब के एक पत्र का अवतरण दिया है, और चूँकि ‘हरिजन’ की प्रतिष्ठा और उसका प्रचार व्यापक है, इसलिये यह आवश्यक है जाता है कि इस भूल की ओर ध्यान दिलाया जाय। सूरदास से पहले के ब्रजभाषित्य के लिये केवल कठोर की रचनाएँ ही पढ़ लेनी काफी होगी—अमीर खुसरो की तो वात ही न्या, जिनकी कुछ कवितायें ब्रजभाषा में भी मिलती हैं। खू-

दास से पहले के कई सन्तों और भक्तों की अनेक छोटी-छोटी रचनाएँ प्रज में पाई जाती हैं, और वे हिन्दी साहित्य के किसी भी प्रामाणिक इतिहास में देखी जा सकती हैं।”

पत्रलेखक के इस पत्र का जो अदा प्रस्तुत प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता था, उसे मैंने निकाल दिया है। यह पत्र मैंने काका साहब काले-लाकर के पास भेज दिया था। उन्होंने इसे डॉक्टर ताराचन्द्र के पास भेजा था। डॉक्टर ताराचन्द्र ने इसका नीचे लिखा जवाब भेजा है, जो अपनी कथा आप कहता है :

मैंने अपनी जो राय दी थी कि प्रजभाषा का साहित्य सोलहवीं सदी से ज्यादा पुराना नहीं है, उसके कारण इस प्रकार है :

१ - प्रजभाषा एक आधुनिक भाषा है, जो पृतीय प्राकृत या ‘न्यूइंडो-आर्यन’ वर्ग की मानी जाती है। इस वर्ग का जन्म मध्यम प्राकृत या ‘मिडिल इंडो-आर्यन’ से हुआ है। दुर्भाग्य से मध्यम और दूर्तीय के बीच की अवस्थाओं का निश्चित रूप से कोई पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ज्यादातर विद्वान् इस बात में एक राय हैं कि ‘मध्यम प्राकृत’ का समय ईस्वी सन् पूर्व ६०० से ईस्वी सन् १००० तक रहा।

२ - मध्यम प्राकृतों को, जो एक जमाने में सिर्फ बोली भर जाती थीं, महावीर और दुष्कृद्वारा चलाये गये धार्मिक आनंदों के कारण साहित्यिक विकास करने का उत्तेजन मिला। इन प्राकृत भाषाओं में पाली सबसे महत्व की भाषा बन गई, क्योंकि वह वौद्धों के पवित्र धर्मग्रन्थों को लिखने के लिए मध्यमस्वरूप अपनाई गई थी। महत्व की हृषि से दूसरा स्थान अर्धमागधी का रहा, जिसमें जैनियों के धर्म-ग्रन्थ लिखे गये। इनके सिवा भी कुछ और प्राकृत भाषाएँ उन दिनों प्रचलित थीं, मसलन्, महाराष्ट्री, जिसमें गीत और कविता लिखी जाती थी और शौरसेनी, जिसका उपयोग नाटकों^१ की भाषा के रूप में किया जाता था, वर्गैरः।

^१ डॉक्टर ताराचन्द्र को पता नहीं कि नाट्यशास्त्र में स्पष्ट लिखा है

३—ईस्थी सन् की छठी सदो में आते-आते प्राकृत भाषाएँ स्थिर और भूत भाषाएँ बन गई थीं। साहित्य तो तब भी उनमें लिखा जाता था, लेकिन उनका विकास बंद हो चुका था। इसी सदी में सामान्य गोलचाल की भाषाओं का, जिनमें से साहित्यिक प्राकृत का जन्म हुआ था, साहित्य की दृष्टि से उपयोग होने लगा। प्राकृत भाषाओं के इस साहित्यिक विकास के प्रचार को अपञ्चंश के नाम से पहचाना जाता है। इसका समय ईस्थी सन् ६०० से १००० तक रहा। इन अपञ्चंश भाषाओं में एक नागर^२ भाषा ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। उचर^३ हिन्दुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में इसी नागर के विविध रूप साहित्यिक अभिव्यक्ति के बाहन बनकर काम में आने लगे थे। लेकिन नागर और उसके विविध रूपों के सिवा शौरसेनी-जैसी कुछ दूसरी प्राकृत भाषाओं के भी अपञ्चंशों का विकास हुआ था।

४ हिन्दुस्तान की आधुनिक भाषाओं का या तृतीय प्राकृतों का विकास इन्हीं अपञ्चंश भाषाओं से हुआ है। नागर अपने एक प्रकार द्वारा राजस्थानी और गुजराती भाषाओं की जननी बनी, जिसे टेस्सीटोरी ने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का नाम दिया है।

शौरसेनी अपञ्चंश का रूप हेमचन्द्र के (सन् ११७२) प्राकृत व्याकरण में प्रकट हुआ है। लेकिन शौरसेनी अपञ्चंश का नागर के

“सर्वास्तेव हि शुद्धासु जातिषु द्विजसचमाः ।

शौरसेनी समान्तित्य भाषां काव्येषु योजयेत् ॥” १७।४७

इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि शौरसेनी ही उस समय की चलित राष्ट्रभाषा है।

२ डाक्टर साहन ने वडी चतुरी से गोलमाल कर दिया है। अच्छा और उचित तो यह था कि ‘नागर’ की प्रकृति अथवा उसकी जननी ‘प्राकृत’ का पता चलाते और फिर अपने उदार पाठिय का प्रदर्शन करते।

३ दक्षिण भारत मी इससे अछूता न चला था। यदि सर जार्ज ग्रियर्सन को ‘भषा पड़ताल’ की भूमिका पृ० १२४ को देखें तो आपकी आँख खुले और पता चले कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है।

साथ कोई सम्बन्ध निश्चित करना कठिन है। मालूम होता है कि शौर-सेनी अपभ्रंश के रूप में और भी परिवर्तन हुए और वे प्राचीन पश्चिमी हिन्दी अवहत्थ, कार्य भाषा आदि विविध नामों से पुकारे गये।

५ इस भाषा के सामने आने पर मध्यम प्राकृत भाषाएँ मंच से हट जाती हैं और पृतीय प्राकृत या 'न्यूइंडो-आर्यन' भाषाओं का समय शुरू होता है। पुरानी पश्चिमी हिन्दी, जो नवीन मध्यदेशीय भाषा का बहुत पहला रूप है, ११वीं सदी से निश्चित रूप धारण करती मालूम होती है। इसी पुरानी पश्चिमी हिन्दी से उत्तरी मध्य देश की हिन्दुस्तानी (खड़ी) निकली, मध्यदेश की ब्रज निकली और दक्षिण की बुन्देली निकली। १२वीं सदी से ये सब वोलियाँ थीं। आगे की कुछ सदियों में हन्होने साहित्यिक रूप धारण किया।

६—इन भाषाओं के विकास का जो अध्ययन मैंने किया है, उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हिन्दुस्तानी (खड़ी) ही वह भाषा थी, जिसका साहित्यिक भाषा के रूप में सबसे पहला विकास हुआ। १४वीं सदी के आखिरी पचीस मालूम से लेकर अब तक हमें हिन्दुस्तानी (दक्षिणी उदूँ) का सिलसिलेवार इतिहास मिलता है। दूसरी तरफ १६ वीं सदी से पहले की ब्रजभाषा का इतिहास बहुत ही शंका सदूँ है।

४ डाक्टर साहन सम्मवतः 'वावावान्ये प्रमाण' के पथिक हैं और 'साहित्यिक भाषा' एवं 'भाषा' के भेद से सर्वया भनमिश्य हैं। अन्यथा उनकी लेखनी की जीम से ऐसी भोड़ी वात न निकलती। हिन्दुस्तानी के प्राचीन साहित्यिक अन्य कहाँ हैं। 'दक्षिणी' का साहित्य भी इतना प्राचीन कहाँ है?

५ डाक्टर साहन को कुछ 'वालियारी' का भी पता है या यों ही 'दक्षिणी' बूक रहे हैं। अच्छा होता यदि डाक्टर महोदय व्वालियर के राजा मानसिंह के 'मानकुतूहलम्' का अवलोकन और संगीत-पूरम्परा का कुछ अव्ययन करते, ऐवं यह भी जान लेते कि अब कुछ विद्वान् महाराष्ट्री (गीत-भाषा) को भी गौरसेनी का ही एक विकसित रूप समझने

७—आइये, १६वीं सदी से पहले के तथाकथित ब्रजभाषा-साहित्य का कुछ विचार किया जाय।

(अ) पृथ्वीराजरासो^६ का रचयिता चन्द्रबरदाई वह पहला कवि है, जिसने, कहा जाता है कि ब्रज (पिंगल) का उपयोग किया था। यह चंद्रबरदाई पृथ्वीराज (१२ वीं सदी) का समकालीन माना जाता है। रासो के सम्बन्ध में एक प्रबल मत यह है कि वह एक नकली काव्य है। बुहलर, गौरीशंकर हीराचन्द्र ओमा, वियर्सन और दूसरे विद्वान् उसकी प्रामाणिकता में सन्देह रखते हैं। उसको भाषा में आधुनिक और अप्रचलित भाषा का अजीब मिश्रण है। उसकी कथा-वस्तु इतिहास के विपरीत पड़ती है और उसके रचयिता के बारे में भी शक है। इन प्रमाणों के आधार पर पंडित रामचन्द्र शुक्ल इस नतीजे पर पहुँचे थे कि ‘यह ग्रंथ साहित्य के या इतिहास के विद्यार्थी के किसी काम का नहीं है।’

(आ) अभीर-खुसरो दूसरा ग्रंथकार है, जिसके लिए दावा किया जाता है कि वह ब्रज का लेखक था। सन् १३२५ में उसकी मृत्यु हुई। हिन्दी में उसकी कविताओं, पहेलियों और दो सखुनों का कोई प्रामाणिक हस्तालिखित ग्रंथ अभी तक मिला नहीं है। लाहौर के प्रोफेसर महमूद शेरानी ने इस बात को अच्छी तरह सावित कर दिया है कि स्वालिक्षणी (हिन्दी और फारसी शब्दों का पद्धतिकोश), जो खुसरो की रचना कही जाती है, उसकी रचना नहीं हो सकती।

लगे हैं। (सन् १९४२, देल्हिए-इडो आर्यन एड हिन्दी, गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, अहमदाबाद, सन् १९४२ पृ० ८५-६।)

६ व्यान देने की बात है कि उनके विरोधी ने कहीं भूलकर भी ‘पृथ्वी-राजरासो’ अथवा ‘चन्द्रबरदाई’ का नाम नहीं लिया है; परन्तु हिन्दुस्तानी के पुरोहित पंडित ताराचन्द्र उसी को जाली ठहराने में लगे हैं! क्यों? तो क्या अर्थी खचमुच दोष को नहीं देखता? हिन्दुस्तानी के उपासक सिद्ध तो यही करते हैं।

उसकी हिन्दी कविता की भाषा इतनी आधुनिक है कि भाषाशास्त्र का एक साधारण जानकार भी यह तोड़े विना नहीं रह सकता कि वह १३वीं सदी की नहीं हो सकती । उसकी अधिकांश रचनाएँ विलकुल आधुनिक हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली में हैं और कुछ पर ब्रज की छाप है । डॉक्टर हिदायत हुसेन ने खुसरो की रचनाओं की एक प्रामाणिक सूची तैयार की है जिसमें वे उसकी हिन्दी^७ कविताओं को कोई स्थान नहीं दे सके हैं । कुछ हिन्दी लेखकोंने खुसरो के खिलाखों और देवलरानी नामक काव्य का वह अंश पढ़ा है, जिसमें हिन्दी की तारीफ की गई है । इस पर से उन्होंने यहे नतीजा निकाला कि खुसरो हिन्दी का प्रशासक और कवि था । लेकिन उस अंश को ध्यान से पढ़ने से यह विलकुल साफ हो जाता है कि वहाँ खुसरो का

७ कौन कहे कि डॉक्टर ताराचन्द्र 'ऑधर कूकुर वतनै भूकै' को चरितार्थ करते हैं और आँख होते हुए भी अपनी आँख से काम नहीं लेते । उनके उद्दृ के पक्के मौलवी कुछ भी कहते रहें पर अल्लामा सैयद सुरेमान नदवी की धोषणा है ।

अमीर (खुसरो) को अपनी हिन्दी कलाम पर जो नाज़ था वह उनके इस श्वेर से नुमाया है ।

चू मन तूतिये हिन्दम् अर रास्त पुर्सी,
जे मन हिन्दवी पुर्स ता नगजु गोयम् ।”

कितनी विलक्षण बात है कि उवर तो खुसरो यह अभिमान करते हैं कि 'वस्तुतः मैं हिन्दी तूती हूँ और यदि तू सच सच पूछे तो मुझसे हिन्दवी में पूछ जिससे मैं बढ़िया कहूँ' और इधर हमारे सपूत डॉक्टर साहब इधर-उधर की बातों में वह उड़ा देना चाहते हैं कि वास्तव में अमीर खुसरो ने हिन्दी में भी कुछ रचना की । हम अभी डॉक्टर ताराचन्द्र से केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जनाव ज़रा उस सैयद साहब की 'नुकूशे सुलैमानी' का पृष्ठ ४७ भी देख लें । आशा है, आपको पता हो जायगा कि भाषा के क्षेत्र में आप कितने पानी में हैं ।

मतलब^८ ब्रज या हिंदुस्तानी से नहीं था। इस नगण्य^९ से प्रमाण के आधार पर ब्रज के इतिहास का ठेठ खुसरो से संबंध जोड़ना विज्ञानसमत तो नहीं कहा जा सकता।

(इ) आगे चलकर यह कहा गया है कि नामदेव, रैदास, धना, पीपा, सेन, कबीर आदि सन्त और भक्त ब्रज के कवि थे। इनकी बानी और पद गुरुभन्थ में दिये गये हैं। वे कहाँ तक प्रामाणिक माने जा सकते हैं, सो एक अनसुलझी समस्या ही है। नामदेव एक मराठा सन्त थे, जो १३वीं सदी में हो गये; उन्होंने हिन्दी में कुछ लिखा था या नहीं, सो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गुरुभन्थ का संकलन १७ वीं सदी के शुरू में हुआ था। दूसरे सन्तों और भक्तों की रचनाओं के कोई प्रामाणिक हस्तलिखित भी नहीं मिल रहे हैं।

इन सन्तों और भक्तों में १३ वीं सदी के कबीर ही सबसे ज्यादा मराहूर हैं। गुरुभन्थ में उनकी बहुत सी रचनाएँ पाई जाती हैं। उनकी भाषा पर पंजाबी का जावदास्त असर है। काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने रायबहादुर श्यामसुन्दरदासजी द्वारा संपादित कबीर की ग्रन्थावली प्रकाशित की है, जो सन् १५०४ के एक हस्तलिखित के आधार पर तैयार की गई कही जाती है। लेकिन इस तिथि की प्रामाणिकता के संबंध में भी गम्भीर शंकाएँ उठाई गई हैं (देखिए, डा० पीतांवरदत्त बड़ृध्वाल कृत 'हिंदी काव्य में निर्गुणवाद'), बहरहाल, इस संस्करण की भाषा भी गुरुभन्थ में पाये जानेवाले पदों की भाषा

न सही। पर कृपया यह तो बताइए कि उसका 'मतलब' किससे था। 'सस्कृत' तो सम्भवतः आपको २०८ नहीं; क्योंकि उसी के विनाश के लिये तो यह हिंदुस्तानी का चक्र चला है। तो फिर अमीर खुसरो की उस हिंदी-प्रचासा का अर्थ क्या? अरे आप कुछ भी कहे, अमीर की साखी तो 'हिंदी' के पक्ष में ही है, हिंदुस्तानी अथवा 'अख्ती-फारसी' के पक्ष में कदापि नहीं।

९ क्या आपको यह भी बताना होगा कि खुसरो की जन्मभाषा ब्रजभाषा ही थी और वे जन्मे भी थे ब्रजभाषा के 'एटा' प्रात में?

से मिलती-जुलती है, और बहुत ज्यादा पंजाबीपन् लिये है। कवीर ने खुद^१ कहा है कि उन्होंने पूरबी बोली का उपयोग किया है, और उनकी कई ऐसी रचनाएँ हैं, जिनकी भाषा ५८ राजस्थानी का बहुत प्रभाव मालूम होता है, ऐसी हालत में कवीर के अन्यों की भाषा के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने इस सवाल को यह कहकर हल करने की कोशिश की है कि कवीर ने अपनी साखियों में साधुकरी (सधुकड़ी) का और रमैनी व शब्दों में काठ्य-भाषा या ब्रज का उपयोग किया है।

लेकिन उनका यह हल शायद ही सन्तोषजनक हो। क्योंकि इससे कवीर की अपनी बात का खंडन होता है। दूसरे, प्रामाणिक दस्तावेजों^२ के अभाव में इसको सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है।

८ इस प्रकार जितनी ही आप इन साहित्यिक रचनाओं की जौच-पड़ताल करते हैं, उतनी ही मञ्चबूती के साथ आपको इस नतीजे पर पहुँचना पड़ता है कि इन रचनाओं की भाषाओं के बारे में आम तौर पर लोगों की जो राय बनी हुई है, दरअसल उसके लिए बहुत कम

१ खुले, डाक्टर साहब खूब खुले। हिंदुस्तानी के डॉक्टर ताराचंद जो ठहरे ! 'गुण ग्रंथ साहब' तो प्रमाण नहीं, स्वयं डाक्टर साहब प्रमाण हैं। कारण, हिंदुस्तानी के भक्त और एकता के पुनार्जी जो हैं। नहीं, तो आप किस आधार और किस बूते पर कह सकते हैं कि 'कवीर ने खुद कहा है कि उन्होंने पूरबी बोली का उपयोग किया है!' क्या महात्मा जो एवं काका कालेलकर उनसे उक्त प्रमाण का 'दस्तावेज' माँग सकते हैं अथवा 'हिंदुस्तानी' के नाम ५८ सभी कुछ सम्भव और प्रमाण होता रहेगा ? 'पूरबी बोली' का अर्थ यह कैसे हो गया कि वस्तुतः इसी बोली में उन्होंने कविता भी की है ?

२ डॉक्टर साहब को फिर बताया जाता है कि कुछ संगीत-भाषा का अव्ययन करे और कृपया 'वालियरी' को भूल न जायें। वालियर आज भी संगीत का अड्डा है। कवीर के 'पद' गाने ही हैं। उनकी गीत भाषा 'वालियरी' अथवा ब्रज नहीं तो क्या उदूँ वा हिंदुस्तानी होगी ?

आधार है। कुछ दूसरी बातें भी इस परिणाम को पुष्ट करती हैं। यह तो एक जानी हुई बात है कि कोई भी बोली या ज्वान तब तक साहित्य के पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होती, जब तक उसकी पीठ पर कोई मजबूत सामाजिक बल न हो। यह वल^१ या तो धार्मिक हो सकता है या राजनैतिक। पाली और अर्धमागधी की जो प्रतिष्ठा बढ़ी, सो इसलिये कि ये दोनों बौद्ध और जैन सुधारों की वाहन वनी थीं। हिंदुस्तानी ने जो साहित्यिक दर्जा हासिल किया, सो इसलिये कि उसे मुस्लिम उपदेशकों और बादशाहों का सहारा मिल गया था। राजस्थानी, जो १४वीं, १५वीं और १६वीं सदियों में उत्तरी हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से की साहित्यिक ज्वान थी, इसलिये वही और लोकप्रिय हुई कि उसके पीछे मेवाड़ के महान् सिसोदियाओं का बल था। जब मुग़लों ने मेवाड़ के राणाओं को हरा दिया, तो राजस्थानी भी एक प्रादेशिक भाषा बनकर रह गई।

इसी तरह जब हम व्रजभाषा का विचार करते हैं, तो हमें १६वीं सदी तक उसका समर्थन करनेवाली किसी राजनैतिक या धार्मिक हलचल का पता नहीं चलता। व्रज कभी किसी सत्ता का राजनैतिक केंद्र^२ नहीं रहा। श्री वल्लभाचार्य के व्रज में आकर^३ वसने और वहाँ कृष्ण-भक्ति के अपने संप्रदाय का व्रचार शुरू करने से पहले एक धार्मिक केंद्र के नाते भी व्रज का कोई महत्व न था। स्पष्ट ही वल्लभाचार्य के इस

१—क्या डाकटर ताराचंद यह बताने की कृपा करेंगे कि अवधी भाषा में साहित्य का निर्माण किस प्रकार हुआ और उसके काव्य-प्रयोग का कारण क्या हुआ? उसे भी जाने दीजिए। मैथिली का इतिहास क्या है?

२—यदि यह ठीक है तो प्राकृतों में शौरसेनी को इतना महत्व क्यों मिला और क्यों वही शिष्ट प्राकृत बनी?

३—श्री वल्लभाचार्य क्या, उनके पुत्र श्री विट्ठल जी भी उनके निर्धन के उपरात बहुत दिनों तक ‘अडेल’ में ही रहे और फिर जाकर व्रज में वस रहे।

आंदोलन ने ब्रज की बोली^१ को वह बढ़ावा दिया, जिससे वह एक साहित्यिक भाषा का रूप धर सकी। उत्तरी हिंदुस्तान में सूरदास ने और वल्लभाचार्य के दूसरे शिष्योंने (अष्टछाप, ब्रजमाधा के प्रभुत्व को इस कदर बढ़ाया कि उसका एक रूप सुदूर बंगाल में भी कृष्ण-भक्ति को व्यक्त करने के माध्यम के रूप में अपनाया गया।

१—कवीर की और दूसरे भक्तों की रचनाएँ, फिर असल भाषा, कुछ ही त्यों न रही हो, खास तौर पर बरजबान याद कर ली जाती थीं, और इस तरह उनका मौखिक प्रचार ही अधिक होता था। जब ब्रज को बाढ़ लोरदार बनी, तो बड़ी आसानी से उनकी रचनाओं पर भी ब्रज का असर पड़ा और उनमें ब्रजपना^३ आ गया।

१ डाक्टर साहन को पता नहीं कि श्री वल्लभाचार्य के अनेक स्थिति उनके संप्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व भी ब्रजमाधा के कवि थे और 'स्वामी' के रूप में ल्यात भी थे। इतिहास का यह अछूता और अधकचरा शान किसी डाक्टर का तो कुछ नहीं निगाड़ सकता पर किसी परीक्षार्थी का सर्वस्व हर सकता है। शोध की दृष्टि से देखो तो पता चले कि वल्लभाचार्य ने वर्तुतः क्या किया। ब्रजमाधा-साहित्य को जन्म दिया अथवा स्थिति को अनुकूल बना उससे लाभ उठाया। स्मरण रहे, श्री वल्लभाचार्य के उदय के पहले ही कृष्ण-लीला का विस्तार हो चुका था और ब्रजमाधा में न जाने कितनी पद-रचना हो चुकी थी।

२—बंगाल कितने दिनों से ब्रजभक्त है इसका पता 'जयदेव' और 'चंडी-दास' बता सकते हैं। 'ब्रजबुली' साहित्य का श्रेय वल्लभाचार्य को नहीं, गौरांग प्रमु को है। चैतन्य के गिर्भोंवा बंगालियों को कृष्णदास ने किस प्रकार खदेड़ा इसको 'वारी' में पढ़ देखिए। यह जान लीजिए कि 'बैमव बढ़ाने' के लिये ही यह काठ रखा गया। हाँ, ब्रज-साहित्य-उत्कर्ष में अवश्य ही वल्लभाचार्य का विगेष हाथ है, पर उदय में नहीं।

३ उदू^४ का इतिहास पुकारकर बताता है कि उदू ब्रज को 'भतरू' कर आगे बढ़ो और उसके प्रमान तथा भ्रष्ट लिपि के कारण ही ब्रज के अनेक रूप खड़ी बोली के रूप पढ़े गये। इसी से 'आजाद' ने उदू को ब्रजमाधा की

१० जिन कारणों से मैं यह मानता हूँ कि ब्रजभाषा में ऐसा कोई असली^१ साहित्य नहीं है, जो १६वीं सदी से पहले का कहा जा सके, वे कारण उपर मैं संक्षेप में दे चुका हूँ। लेकिन इस तरह के विचार सिर्फ़ मेरे ही नहीं हैं। प्रथाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा० धीरेंद्र वर्मा ने भी, जो सचमुच ही हिंदुस्तानी के खास पक्षपती नहीं हैं, हिंदी साहित्य के^२ अपने इतिहास में और ब्रजभाषा के व्याकरण में इन्हीं विचारों को व्यक्त किया है, जो उनकी इन पुस्तकों में देखे जा सकते हैं।”

वेदी कहा है। ‘ब्रजपना’ ‘साखी’ में क्यों नहीं आया? कुछ इसका भी विचार है? ‘साखी’ का प्रचार और ‘रमेनी’ ‘शब्द’ से कही अधिक है। समझा न?

१ डाक्टर साहव से हमारा साम्रह अनुरोध है कि कृपा करके १६वीं शती से पहले की हिंदुस्तानी थानी उदू^३ के असली साहित्य को प्रकट करें और एक बार डाक्टर सुनोतिकुमार चार्डुर्या की नवीन पुस्तक ‘इंडो आर्थन एंड हिन्दी’ का ऑल खोलकर अध्ययन करे और फिर देखे कि वस्तुस्थिति वस्तुतः क्या है। उक्त पुस्तक गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, अहमदाबाद से साठे तीन रुपये में मिल जायगी और आगा है डाक्टर साहव को कुछ ठीक ठीक सुझाओ सकेंगी। डाक्टर साहव को समझ लेना चाहिए कि ‘दक्षिणी’ उदू^३ नहीं है। उदू^३ से उसका सभूत भेद समझना हो तो ‘दक्षिणी’ ‘आगाह’ का यह शब्द उने और इसकी पडित-गौली को भी देखे। कहते हैं—

“और उदू^३ के भाके में नहीं कहा। क्या वास्ते कि रहनेवाले यहाँ के इस भाके से वाकिफ़ नहीं हैं। ऐ भाई! यह रिसाले दक्षिणी ज़बान में है।” (दाताने उदू^३, लक्ष्मीनारायन अभ्याल, आगरा, पृ० ४८)

२ डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के उक्त इतिहास का पता नहीं। हाँ, यदि डाक्टर साहव का तात्पर्य डाक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास से है तो बात ही और है। हमें उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

५ हिंदुस्तानी

[श्री काका कालेलकर]

किसी समस्या को हल करने की कोशिश में हम कभी-कभी नहीं समस्याएँ पैदा करते हैं। राष्ट्रभाषा को समस्या हल करते-करते हिंदी और हिंदुस्तानी का सवाल खड़ा हुआ। राष्ट्रभाषा का कार्य क्या है, वह जब तक हमने तय, नहीं किया है, तब तक इसमें से अनेक गुत्थियाँ पैदा होनेवाली हैं।

यह देखकर कि देश में चंद लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं और चंद हिंदुस्तानी को, एक भित्र ने बोच का रास्ता निकाला है। वे कहते हैं, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, और हिंदुस्तानी^१ सारे देश की सामान्य बोलचाल की भाषा।

जो लोग मानते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो राष्ट्र हैं एक हिंदुओं का और दूसरा मुसलमानों का, वे तो आसानी से कह सकते हैं कि हिंदुओं को राष्ट्रभाषा है, उदू मुसलमानों की और हिंदुस्तानी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इनके विचार में हिंदुस्तान के लिये दो राष्ट्रभाषाएँ हो सकती हैं, अगर इन्हें पूछा जाय कि फिर पारसियों का और ईसाइयों का क्या? बौद्धों का और यहूदियों का क्या? तो वे कहेंगे कि वे भी अपनी-अपनी भाषाएँ बलायें, हमें एतराज़ नहीं, देश के जितने दुकड़े हो जायें, अच्छे ही है।

जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, उनका रास्ता

१ इस प्रसंग मेर भूलना न होगा कि डॉक्टर सुनाति-कुमार चाड्ज्यां जैसे भाषामनीषी इसे 'हिंदुस्यानो' कहते हैं, कुछ 'हिंदुस्तानी' नहीं। कारण, उनकी शुद्ध वृष्टि मेर 'हिंदुस्तानी' भी 'उदू' का ही पथ यहै कुछ हिंदी का नहीं। आज भी महाराष्ट्र और बंगाल प्रभृति प्रात हिंदी को ही हिंदुस्यानी कहते हैं कुछ 'उदू' को नहीं। उदू तो उनको वृष्टि में 'मुसलमानी' है।

भी विलक्षण आसान है। वे कहेंगे कि दूसरे सब धर्मों के लोग हिंदुस्तान में आश्रित होकर हो रह सकते हैं, और उन्हें हिंदुओं की हिंदी ही राष्ट्रभाषा के तौर पर सीखनी होगी।

लेकिन देश में राष्ट्रीय वृत्ति के असंख्य लोग हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सबका स्वदेश^१ मानते हैं। वे दो भाषाओं का पुरस्कार किस तरह से कर सकते हैं?

हम जानते हैं कि हिंदी ही को राष्ट्रभाषा कहनेवाले लोगों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो विलक्षण राष्ट्रीय वृत्ति के हैं। वे हिंदी से से अरबी फारसी के रूढ़^२ शब्दों का बहिष्कार नहीं चाहते। हिंदी सबकी भाषा है, केवल हिंदुओं की नहीं। हिंदी के ऊपर पारसी ईसाई आदि सबों का उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का है इसलिये राष्ट्रभाषा के प्रश्न को सांप्रदायिक नहीं बनाना चाहिए, ऐसा भी वे कहते हैं। उद्दू के खिलाफ़ उनकी इतनी^३ ही

१ परतु विचारणीय बात यह है कि व्या स्वयं मुसलिम भी हिंदुस्तानी को अपना 'स्वदेश' मानते हैं। और तो और, उद्दू के प्रसिद्ध स्व० कवि सर शेख मोहम्मद इकबाल जो मूलतः कश्मीरी व्याक्षण थे और कभी 'हिंदी हैं हम वर्तन हैं हिंदोस्ताँ हमारा' का पाठ पढ़ाते थे अत मे 'मुसलिम हैं हम वर्तन हैं सारा जहाँ हमारा' का डका पीटकर मरे। उद्दू साहित्य में तो कोटियों प्रमाण मरे हैं जिनसे सिद्ध होता है कि मुसलिम कभी भी हिन्दुस्तान को अपना 'स्वदेश' नहीं समझते। उनका 'स्वदेश' तो ईरान-न्यूरान अथवा अरब है। यहाँ तक कि होते-होते आजमगढ़ के स्व० मौलाना शिवली भी 'विनवली' से 'तुअमानी', हिन्दो से ईरानी बन गए।

२ ध्यान देने की बात है कि अरबी-फारसी रुढ़ शब्दों का बहिष्कार कोई भी विवेकशील कठूर हिन्दो-भर्ता भी नहीं चाहता है पर वह यह मान नहीं सकता कि किसी दोली विशेष में प्रचलित सभी अरबी-फारसी शब्द रुढ़ अथवा ठेठ हो चुके हैं।

३ यदि बात यही होती तो राष्ट्रभाषा का प्रश्न कभी सुलझ न गया होता। उद्दू के प्रति हमारी सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि उसकी प्रवृत्ति अरबी-

शिकायत है कि उसमें अरबी-फारसी के शब्दों की भरभार हद से ज्यादा है। अरबी और फारसी दोनों भाषाएँ न हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, न उनका अध्ययन हिंदुस्तान के अधिकांश लोग करते हैं। राष्ट्रभाषा तो ऐसी हो कि जिसमें देशी शब्दों ज्यादा हो और प्रांतीय भाषाओं के लिये वह बहुत कुछ नज़्दीक हो। जिन लोगों को अधिक से अधिक लोग जानते हैं, वे कहीं से भी आये हों, राष्ट्रभाषा के ही समझे जाने चाहिए।

उर्दू के बारे में उनकी दूसरी शिकायत यह है कि उर्दू की लिपि पर-देश से आई हुई है अवैज्ञानिक है, और उसका प्रचार विलक्षण परिमित है। राष्ट्रभाषा की लिपि तो स्वदेशी ही होना चाहिए। अधिक से अधिक लोग समझ सके, वैसी ही होनी चाहिये। और अगर वह वैज्ञानिक है, तो और भी अच्छा। कम से कम राष्ट्रलिपि ऐसी न हो, कि जिसमें देशी ध्वनियों ठीक-ठीक व्यक्त ही न हो सकें, और जो देशी शब्दों को तोड़-मरोड़कर उनका रूप ही बिगाड़ डाले।

सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्रभाषा का सबाल केवल वैज्ञानिक नहीं है। वह मुख्यतः सामाजिक है। उसमें राजनैतिक और ऐनिहासिक बातें भी आ सकती हैं, लेकिन मुख्यतया राष्ट्रभाषा का सबाल सामाजिक और राष्ट्रसंगठन का है। एक राष्ट्रीयता को ढूँढ़ करने की दृष्टि से ही राष्ट्रभाषा का महत्व है।

फारसी वा अहिंदी है। उसका इस राष्ट्र से नाता नहीं। वह सदा इस राष्ट्र से विचक्ती और ईरान-पूरान वा अरब का दम भरती है। वह जन्मी तो वहाँ पर हो गई परितः वहाँ की। उसने अपने कुल को त्याग कर दूसरे के कुल को अपना लिया।

१ हमें इस व्यापक भ्रक से शीत्र मुक्त होना चाहिए। वास्तव में भाषा नामों के जोड़ से नहीं बनती कि उसमें भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों का अनुपात निकाला जाय। भाषा तो किसी राष्ट्र वा व्यक्ति की व्यक्ति का नाम है। वह अपने राष्ट्र वा व्यक्ति को प्रवृत्ति को छाड़ नहीं सकती। राष्ट्रभाषा में हम इसी ‘प्रवृत्ति’ को ढूँढ़ते हैं, कोरे शब्दों को नहीं।

हमें एक राष्ट्रीयता के महत्व के तरव प्रथम सोच लेने चाहिए।

हिंदुस्तान एक जिन्सी राष्ट्र नहीं है। यह भिन्न जाति के, भिन्न-भिन्न संप्रदाय के, भिन्न भाषाएँ बोलनेवाले लोगों का, लेकिन एक ही समृद्ध और संगठित संस्कृति का, एक राष्ट्र^१ बन चुका है। इसीको भजावूत बनाने का सबाल है। जहाँ-जहाँ विविधताएँ एकता को तोड़ने की कोशिश करती हैं, वहाँ-वहाँ उन पर अंकुरा चलाकर उन्हें एकता की मददगार बनाना है। इसलिये हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा में विविधता के सब तर्बों का स्वीकार करते हुए, उसमें एकता को ढढ़ करने की कोशिश करनी है। अहिंसा, प्रेम, प्रेमोचित लाग और सर्व-समन्वय के मार्ग से ही हम भारतवर्ष की मूलभूत एकता को ढढ़ कर सकते हैं।

हिंदुस्तानी को सिफ्क बोल-चाल की भाषा कहना और उसे राष्ट्र-भाषा का स्थान न देना, हिंदुस्तान की एक राष्ट्रीयता को कमज़ोर बनाना है^२।

जब हिंदुस्तान की संरक्षित ही संभिश्र (कॉम्पोजिट) है, तब कोई भी भाषा तब तक हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, जब तक

१ यदि अपराध क्षमा हो तो इतना और निवेदन कर दिया जाय कि उक्ता राष्ट्र की एक 'राष्ट्रभाषा' भी कभी की बन चुकी है और जैसे आज उस राष्ट्र के विच्छेद का काम 'मुसलिम लीग' कर रही है वैसे ही उस 'राष्ट्रभाषा' के विच्छेद का काम कभी (मोहम्मदशाह रायिले के शासन १७४४-१७४५ ई० में) उदू (दरवार) के ईरानी-तूरानी दल ने किया था। अस्तु, राष्ट्र के क्षेत्र में जो 'पाकिस्तान' है भाषा के क्षेत्र में वही 'उदू' है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं।

२ यह तर्क नहीं अभिशाप है जो मूलतः भाषाओं की अनभिशता के कारण उठा है और पुढ़ परदेश-प्रिय मुसलमानों के धोर प्रयत्न के कारण प्रचार में आया है। इसे हम चाहें तो इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे 'पाकिस्तान' ने 'दारल इसलाम' की जगह ली वैसे ही हिंदुस्तानी ने उदू की। रा वही पर दंग में थोड़ा अतर है।

उसमें संस्कृति के इन सब संमिश्र^१ तत्त्वों का अंतर्भव न हो। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए, कि जो हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सबों को अपनी सी लगे।

जो लोग मानते हैं कि प्रांतीय भाषाओं में केवल प्रांतीय संस्कृति ही व्यक्त होगी, और हिंदी में राष्ट्रीय संस्कृति, वे बड़ी गलती करते हैं। असल वात तो यह है कि प्रांतीय संस्कृति जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। प्रांतीय भाषाओं में अपनी-अपनी विशेषताएँ हो सकती हैं लेकिन प्रांतीय साहित्य में यह जखरी नहीं है कि वह केवल प्रांतीय ही हो। किसी भी प्रांतीय भाषा ने यह निश्चय नहीं किया है, कि उसकी विविधता और समृद्धि हिंदी की विविधता और समृद्धि से कम हो। जो अच्छी-अच्छी बातें बोला जाता है, उन सबको मराठी या गुजराती में लाने की 'मेरी कोशिश' रहेगी ही। कभड़, तेलगू या तामिळ भाषा बोलने वाले लोगों को क्या इससे संतोष होगा, कि वे कि अन्य प्रांतीय साहित्य में जो कुछ अच्छा है, वह हिंदी में पाया जाता है, इसलिये उसका अनुवाद अपनी भाषा में न हो, तो भी चलेगा? हरएक प्रांतीय भाषा दिन पर दिन समृद्ध होती ही चलेगी।

हिंदी-भाषी लोग अगर अन्य प्रांतों से ज्यादा उत्साही रहे, और उन्होंने अपनी सब भगिनी भाषाओं से जोरों से लेना शुरू किया तो उसको समृद्धि बढ़ेगी ही। लेकिन हिंदी की अपेक्षा यह दीख पड़ती है, कि हिंदी जिनकी जन्मभाषा नहीं है, ऐसे लोग हिंदी सीखें और अपने-अपने प्रान्त में जो कुछ भी हो, उसका हिंदी में अनुवाद करके अपनी बड़ी वहन के खज़ाने में उतना करभार^२ पहुँचा दें।

१—क्या कोई भी अभिज्ञ व्यक्ति यह सिद्ध कर सकता है कि हिंदी में 'इन समिश्र तत्त्वों' का अभाव है? हम नहीं समझ पाते कि वस्तुतः श्री काका कालेलकर का इष्ट क्या है। सच तो यह है कि जो हिंद को अपना नहीं समझता वही उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी से भी दूर भागता है। कोई कहने को कुछ भी कहे पर इतिहास और साहित्य की साखी तो वही है। देखने का क०८ करें।

२ हिंदी अपनी छोटी वहिनों से 'कर' नहीं चाहती। वह तो चाहती है

यह तो तब हो सकेगा, जब हिंदी अपनी प्रांतीयता छोड़कर, और सांप्रादायिक न रहकर, राष्ट्रीय यानी संमिश्र रूप धारण करेगी अर्थात् जब वह हिंदुस्तानी^१ बनेगी। हिंदी में इस राष्ट्रीयता को धारण करने के सब तर्क हैं, इसलिये हिंदी को ही हिंदुस्तानी का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन चंद लोग इस कोशिश को हजाम नहीं कर सके। उन्हें डर लगा कि हिंदुस्तानी बनते-बनते शायद हिंदी-उर्दू बन जायगी। इस वास्ते उन्होंने हिंदी को हिंदी ही रखकर, हिंदी और उर्दू को राष्ट्रभाषा का स्थान देना पसंद किया। जो भाषा आंतर्गतीय वौलचाल की, यानी सांस्कृतिक विनिमय की भाषा नहीं बन सकती, वह हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा भी नहीं बन सकती। न हम उसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं।

अब श्रेय इसी में है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का एक अंग कहें हम चाहें तो उसे प्रधान अंग कह सकते हैं—किंतु हिंदी और उर्दू मिलकर^२ ही राष्ट्रभाषा बन सकती है। उसका

कि उसे अपना ‘ज्येष्ठांश’ मिले और सभी बहिनों की अनुपम राशि एकत्र रहे। उसका हृदय इतना उदार रहे कि सदा की भाँति सभी बहिनें उसे अपनी माता के स्थान पर पायें और उसके स्नेह से अपने को और भी स्निग्ध करें।

१ कितनी विलब्धि सूझ है। सच है ‘आरत के चित रहत न चेतू।’ हिंदी में ‘प्रातीयता’ है तो कौन सी, कुछ इसे भी तो बताना चाहिए या योही हिंदुस्तानी के जोम में कुछ भी लिख जाना ही स्वर्धम है। रही ‘साप्रदायिकता’ की चात। सो उसके विषय में मौन रहना ही उचित है क्योंकि हिंदू कुछ भी करे वह मुसलिम-हिंदू में असांप्रदायिक हो नहीं सकता। क्या महात्मा-गांधी पर भी इसी ‘साप्रदायिकता’ का आरोप नहीं होता? फिर इस हौवा का भय क्या?

२ ऐसा न्याय के आधार पर हम चाहे तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर ही राष्ट्र बन सकता है और उसका नाम है गङ्गाविस्तान।

नाम हिंदुस्तानी है, इस वारे में देश में अब कहीं भी भत्तमेद नहीं रहा।

वही संस्कार-संपन्न हिंदुस्तान की बोलचाल की अर्थात् सांस्कृतिक व्यवहार की भाषा है।

६ हिंदुस्तानी का आध्रह क्यों ?

'जितने मुँह उतनी बात' की कहावत हिंदुस्तानी पर अदारकः सत्य उत्तरती है। जिसे देखिये वही हिंदुस्तानी पर कुछ कहने के लिये मुँह खोले खड़ा है पर जानता इतना भी नहीं कि वस्तुतः हिंदुस्तानी-आंदोलन का रहस्य क्या है और किस प्रकार वह हिंदी को चरने के लिये खड़ा हुआ है। सबसे पहले उस फोर्ट विलियम कालेज (स्थापित सन् १८०० ई०) को ही ले लीजिये जिसके विषय में बार बार अनेक मुँह से अनेक रूप में कहा गया है कि वही नागरी वा उच्च हिंदी को जन्मा दिया गया और वहीं से डाक्टर गिलक्रिस्ट के प्रभुत्व एवं श्री लल्लूजी लाल के प्रयत्न से हिंदी का प्रसार हुआ। परंतु वहाँ होता क्या है, इसे स्वयं उन्हीं डाक्टर गिलक्रिस्ट के मुँह से सुन लीजिये और सदा के लिए टॉक लीजिये कि वस्तु-स्थिति सचमुच क्या है। अच्छा तो स्वयं डाक्टर गिलक्रिस्ट कहते हैं

"In the Hindoostance, as in other tongues, we might enum-

अतः यदि हमे गङ्गवडिस्तान प्रिय है तो हमें 'हिंदुस्तानी' का स्वागत करना ही चाहिए नहीं तो 'न नव मन तेल होई ने राधा नचिह्न' की कहावत तो प्रसिद्ध ही है।

१ कहिए, इस 'कहीं' का अर्थ कोई क्या समझे ? सच है, 'मृदु हुँ आँख-कतहुँ कोउ नाहीं।'

erate a great diversity of styles, but for brevity's sake I shall only notice three here, leaving their sub-divisions to be discussed along with the history of the language, which has been reserved for the second volume. 1st, The High court of persian style, 2nd, the middle or genuine Hindoostanee style, 3rd, the vulgar or Hinduwee.

In the more elevated poems of Souda, Wulee, Meerdurd, and others, and in the effected pompous, pedantic language of literature and politics, the first is predominant and leans to Arabic and Persian agreeably to circumstances.

The elegy of Miskeen, the satires of Souda, Hindoostanee Tales, and the Articles of War in the Oriental Linguist, the speech of well-bred Hindoostanee Monshees and servants are the best specimens I can recollect of the middle style while the 3rd or Hinduwees is evident in Mr. Fostor's unaffected translations of the Regulations of Government, in all or the greatest part of Hindoostanee composition written in the Nagree character, in the dialect of the lower order of servants and Hindoos, as well as among the peasantry of Hindoostan The Preference which I give the middle style over the others must appear in every page of my works, as it is in truth central regulator or tongue by which we perceive the ascending and descending scales on either side." (Appendix to Gilchrist's Dictionary).

डाक्टर गिलक्रिस्ट ने अभी अभी जो कुछ कहा है उसका मार्गशा यह है कि वैसे तो सभी भाषाओं की भौति हिंदुस्तानी की भी कई गेलियाँ हैं किन्तु उनमें से तीन मुख्य हैं जिनमें से पहली तो दरबार और उच्ची उद्धृ शाइरी की थी ली है और दूसरी अच्छे मुंशियों और

हल्की उदूँ शाइरी की । रही तीसरी, सो उसके विषय में उत्तर डाक्टर साहब का कहना है कि वह फूहड़ो और सरकार की उन कानून की पोथियों की भाषा है जिनको रचना उस समय फोर्ट विलियम में हिंदी भाषा व 'नागरी अक्षर' में की गई थी । इनमें से स्वयं डाक्टर गिलक्रिस्ट ने जिस शैली को सदा प्रोत्साहन दिया वह मध्य की मुंशी शैली अर्थात् स्पष्टतः हल्की उदूँ थी ।

यहाँ पर ध्यान देने की वात है कि फोर्ट-विलियम-सरकार ने जिस जन-वाणी और जिस जनन्लिपि का उपयोग अपने आईन के अनुवादों में किया था उसी लोक-वाणी और उसी लोक-लिपि की उपेक्षा उसी के फोर्ट-विलियम कालेज में उसी के डाक्टर गिलक्रिस्ट के कर-कमलों के द्वारा हुई और हिंदुस्तानी वा हिंदी न रहकर पक्की हिंदोस्तानी वा उदूँ बन गई । उसकी लिपि भी नागरी से फारसी हो गई । हाँ, इस प्रसंग मे कभी भी भूलना न होगा कि फोर्ट-विलियम की सरकार के कागदों मे कहीं भी 'हिंदुस्तानी भाषा' और 'फारसी अक्षर' का विधान नहीं है । अर्थात् डाक्टर गिलक्रिस्ट की हिंदुस्तानी कही भी नहीं है । वहाँ तो फारसी भाषा और फारसी अक्षर एवं हिंदी (हिंदुस्तानी एवं नागरी भी) भाषा और नागरी (कहीं-कहीं हिंदी भी) अक्षर का ही विधान है । तात्पर्य यह कि यहाँ की जन-वाणी और यहाँ की जनन्लिपि को उपेक्षा इसी फोर्ट-विलियम कालेज की उपज है जिसके उत्पादक स्वयं श्रीमान् डाक्टर गिलक्रिस्ट साहब ही है । डाक्टर गिलक्रिस्ट की देख-रेख मे जो भाषा पनपी उसी को लक्ष्य कर सर सी० ई० ट्रेवेल्यन जो बाद में मद्रास के गवर्नर (१८५८-३० ई०) हो गये थे, सन् १८३४ ई० मे लिखते हैं

"The Arabian Hindoostanee, which has grown up at Calcutta under the fostering patronage of Government, and is spoken by the Moonshees of the College of Fort William, and the Mouluees and students of the Mahomedan College, is quite a different language from that which prevails in any other

part of India." (Application of the Roman Alphabet by M. Williams. M. A. Longman, London, 1869 p. 29)

सारांश। यह कि अरबी हिन्दुस्तानी जो कलकत्ता में सरकार के पालन-पोषण में बढ़ी और फोर्ट विलियम कालेज के मुंशियों में वरती गई और भोहेमेडन कालेज के मौलवियों और विद्यार्थियों में चलती रही हिन्दुस्तान के किसी खंड की भी भाषा से सर्वथा भिन्न थी। अरबी हिन्दुस्तानी जो ठहरी। स्मरण रहे डाक्टर गिलक्रिस्ट इसी के भक्त थे।

अच्छा, तो डाक्टर गिलक्रिस्ट की उक्त हिन्दुस्तानी-नीति का अवश्य-म्भावी परिणाम यह हुआ कि १९वीं शती के मध्य में हिन्दुस्तानी का अर्थ हिंदी नहीं केवल उर्दू हो गया और वह उर्दू के पर्याय में हिंदी के साथ द्वंद्व भाव से चलने लगी। फलतः हिंदी और उर्दू के द्वंद्व ने हिंदी और हिन्दुस्तानी के द्वंद्व का रूप धारण कर लिया। इस समय हिन्दुस्तानी किस शैली का नाम था इसका यथार्थ बोध सर रिचर्ड टेपुल के इस कथन से हो जाता है

"The tongue of Moslems in India was wont largely to be Persian, but since the middle of the century (19th) it has become Hindoostanee, formerly called ordu, which is still the official language of the courts in the districts round Lahore, Delhi, Agra, Lucknow. Elsewhere the official Language of the courts is the language of the region, that is to say, Bengali for Bengal, Oorya for Orissa, Hindi for Behar and Benares, Mahratti for Nagpore and the Central Deccan to Bombay, Gujerathi for the Western Coast, Telegu for the Southern Deccan and the Eastern Coast. Kanarese for the South, Western Coast, and Tamil for the Southern peninsula. Of these main Languages, all save the Hindoostanee and the Tamil are derived from Sanskrit." (Progress of India etc. in the Century, The nineteenth century Series W. & R. Chambers, London, 1902. P. 181.)

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से सर रिचर्ड टेपुल का यह कथन कि हिंदुस्तानी संस्कृत से नहीं निकली है, बल्कि सकता है, पर सोचिए तो सही उर्दू का संस्कृत से मूल वा प्रकृति के अतिरिक्त कोई और भी संबंध है ? स्मरण रहे, सर रिचर्ड टेपुल कोई साधारण जीव न थे । वे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सामान्य कर्मचारी से बढ़कर बंदूई प्रांत के गवर्नर (१८७३-८०) तक हो गये थे और भारत के विषय में जो कुछ लिखते थे ग्रनाण की दृष्टि से देखा जाता था । उनके कथन पर आपको विचार करना ही होगा और यह भी बताना ही होगा कि हिंदुस्तानी टाटवाहर क्यों है ?

डाक्टर गिलक्रिस्ट की कृपा से हिंदुस्तानी किस प्रकार हिंदी से उर्दू हो गई यह तो प्रगट हो गया पर अभी यह देखने में नहीं आया कि फोर्ट विलियम की हिंदी, हिंदुस्तानी वा नागरी क्या हुई, अर्थवा स्वयं डाक्टर गिलक्रिस्ट की पूर्ववाही वा हिंदूई कहो नहीं । कहने की बात नहीं कि डाक्टर गिलक्रिस्ट ने जिसे 'वल्गार' पूर्ववाही वा गवर्नरी कहकर टाल दिया था वही देश की सच्ची भाषा हिंदूई वा हिंदी थी । उसी को भाषाविदों ने 'प्रकृति' वा मूल भाषा माना और उसी के महत्व वा प्रतिष्ठा के लिए हिंदी का आंदोलन भी खड़ा हुआ । परंतु उस समय तक डाक्टर गिलक्रिस्ट की नीति इतना फल ला चुकी थी कि उसके सामने हिंदी का सफल होना असंभव था । फिर भी इस आंदोलन का प्रभाव इतना तो पड़ा ही कि उच्च हिंदी को भी हिंदुस्तानी का अंग मान लिया गया । प्रसंगवश यहाँ इतना और जान लेना चाहिए कि जहाँ 'हिंदुस्तानी' शब्द उर्दू का पर्याय हो गया वहीं सदा से 'हिंदुस्थानी' शब्द का वाचक रहा है । आज या कल से नहीं, प्रत्युत बहुत पहले से यह 'हिंदुस्थानी' शब्द 'हिंदी' के पर्याय के रूप में चला आ रहा है और बहुत से पुराने अंगरेजों के लेखों में पाया भी जाता है । परिणाम यह हुआ कि भाषाविदों ने अमवश विंदुस्तानी को तो देश-भाषा मान लिया और हिंदुस्थानी वा हिंदी को उसकी शैली का पद दिया । सरकार अर्थवा गिलक्रिस्ट की कृपा से कैसी उलटी गंगा वही ! नात यह थी कि मुगल-शासन की अधीनता में काम करने के कारण अंगरेज वहाँदुरों को फारसी ही

अत्यंत प्रिय थी। निदान 'हिंदुस्तानी' का फारसी रूप ही सरकार को ग्राह्य हुआ। और भाषानविज्ञान की पुस्तकों में भी वही हिंदुस्तानी नाम चलता रहा और कांग्रेस ने भी उसी को अपनाया। परिणाम यह हुआ कि 'हिंदुस्तानी' शब्द के भीतर अनेक संकेत आ मिले और वह संदेह का कारण हो गया। आज स्थिति यह हो रही है कि इसी 'हिंदुस्तानी' को प्रमादवश राष्ट्रभाषा का नाम दिया जा रहा है ० यद्य- हार में इसका अर्थ निकलता है कि वास्तव में उद्दृ ही राष्ट्रभाषा है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रयोग को बहुलता से हिंदुस्तानी उद्दृ के पर्याय के रूप में ही प्रसिद्ध है और वह भूल हिंदुस्तानी अथवा ठेठ हिंदी से सर्वथा मिलता है। हिंदी, हिंदुस्तानी एवं उद्दृ की इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए डाक्टर सुनोतिकुमार जैसे अद्वितीय भाषा-शास्त्री ने लिखा है-

"Hindi is the oldest and simplest names for the current speech of Northern India (from the East of the Panjab to Bengal) after the Turkey conquest in the 12th-13th centuries, and I use it in its old connotation which is still present among the masses. Hindustani is a much later, and a more clumsy formation : as a pure Persian word, it has largely come to mean something synonymous with the Mohammedan form of the Hindi-speech, namely, urdu, with its superabundance of Persian and Perso-Arabic words to the restriction and exclusion of the native Hindi and Sanskrit elements. Some students of Indian Linguistics, and political and social workers of the Indian National Congress and other organisations, have sought to employ this Persian word Hindooostanee in a wider sense, to mean the basic speech underlying both High-Hindi (Nagari-Hindi) and Urdu, but in spite of their efforts, most Englishmen and other foreigners and a good many

Indian Musalmans still continue to look upon the two terms Hindustani and Urdu to mean the same style of the Hindi Language, written in the Persian script and preferring a Perso-Arabic vocabulary." (Indo-Aryan and Hindi, Gujrati Verna-cular society Ahmedabad—1942 P. 131)

डाकटर सुनीति कुमार चाकुर्या ने थोड़े में स्थिति स्पष्ट कर दी और यह भी भलीभाँति बता दिया कि हिंदुस्तानी लाख प्रयत्न करने पर भी उदू ही का साथ दे रही है। उन्होंने यह भी सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि उन्हें परंपरागत हिंदी शब्द ही क्यों प्रिय है। हम तो यहाँ पर केवल इतना ही कह संतोष करना - चाहते हैं कि हिंदी जैसे प्यारे, सारगमित और निर्देष शब्द को छोड़कर कलहभिय आधुनिक हिंदुस्तानी शब्द को प्रहण करना बुद्धिमता नहीं, विद्या नहीं, विवेक नहीं और चाहे जो कुछ हो।

हों, तो उक्त चाकुर्या महोदय का यह भी कहना है कि कांग्रेस जो ठेठ हिंदुस्तानी भाषा के आधार पर हिंदू मुसलिम-समझौता को दृष्टि से फारसी-अरबी के विदेशी शब्दों एवं देशी तथा संस्कृत शब्दों के समयोग से एक नई भाषा वा शैली का निर्माण कर उसे हिंदुस्तानी के नाम से चालू करना चाहती है वह व्यवहार में ऐसी फारसीभाषी हिंदुस्तानी हो जाती है जिसे बंगाली, महाराष्ट्री, गुजराती, अंग्रेज, द्राविड़, उड़िया आदि नहीं समझ पाते और जिसे विहार, युक्तप्रांत, राजस्थान, मध्यप्रांत की जनता भी अपनी भाषा नहीं समझती। हों, उक्त प्रांतों की मुसलिम-मंडली तथा पंजाब और पश्चिमी युक्तप्रांत के कुछ पढ़े-लिखे हिंदू और सिख उसे अवश्य समझ लेते हैं। तात्पर्य यह कि राष्ट्र की दृष्टिसे उसे कोई विशेष महत्व नहीं मिल सकता। समूचे देश के विचार से हिंदुस्तानी अर्थात् हिंदी भाषा और नागरी लिपि का ही स्वागत होगा क्योंकि इन्हीं से अन्य प्रांतों की एकता सिद्ध होती है। अच्छा, तो उनका मूल कथन है

"The Congress is now proposing to create, out of the

common Khari-Boli or Theth basis of Hindusthani, which forms the bedrock on which both Literary High-Hindi and Urdu stand, a New Speech, or New Literary style, with the avowed intention of holding a just and proper balance between the foreign Persian and Arabic words insisted on by the Musalman leaders and the native Hindi and Sanskrit words insisted upon by Hindus of the Hindusthani area and of the rest of the country. In practice, this amounts to persianised Hindusthani which Gujratis, Bengalis, Marathas, Oriyas and the people of the South do not understand / and yet they are required to adopt this form of Hindusthani as the 'National Language' of India), and with which the masses in Bihar and U. P. Rajputana and Central India, and the Central Provinces, do not wholly feel at home, accustomed as they are to a Sanskritic vocabulary. Only the Musalman elite of the U. P. Bihar Hindi-speaking Central Provinces and the Punjab, and a good many educated Hindus and Sikhs of Western U. P. and Punjab, may find this language Convenient.

"It should be understood clearly that the attraction for Hindu Hindustani which peoples of Eastern U. P. Bihar, Nepal, Bengal, Assam, Orrisa, Andhra, Tamil-Nadu, Karnata, Kerala, Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan feel depends, primarily on two things its Devanagari Script, and its Sanskrit Vocabulary." (do. P. 222)

अस्तु, हिंदुस्तानी के बारे में अब तक जो कुछ कहा गया है उसका तात्पर्य यही है कि उसका भूल रूप और उसका भूल अर्थ चाहे जो कुछ रहा हो पर गत डेढ़ सौ वर्षों से उसका व्यवहार प्रायः हल्की छूट के अर्थ में ही होता आ रहा है और फलतः आज भी जब कभी

हिंदी अथवा ३६ हिंदुस्थानी को छोड़कर किसी हिंदुस्तानी की चिंता की जाती है तब वह तुरत अरबी-फारसी की ओर दौड़ जाती है और उसी मुंशो-शैली के रूप में सामने आती है जिसका प्रचलन फोर्ट-विलियम कालेज में डाक्टर गिलक्रिस्ट साहब की कृपा से किया गया था और जिसका प्रचार तभी से सरकार द्वारा हो रहा है। निदान विवरण हो हमें यह कहना पड़ता है कि यदि सचमुच हम राष्ट्रभाषा की खोज में हैं तो हमें उसी हिंदी वा नागरी वा हिंदुस्तानी को अपनाना चाहिए जो देशभाषा-लिपि में लिखी जाती और देश की सभी देशभाषाओं की भाँति समय पड़ने पर संस्कृत से सहायता लेती है, कुछ उस हिंदुस्तानी को नहीं जो जन्मी तो हिंदुस्तान में ही पर हिंदुस्तान से उसकी कोई भमता नहीं रही उसकी देशभाषाओं से उसे प्रेम नहीं, उसकी परंपरागत राष्ट्रभाषा से उसका संबंध नहीं और जो लिखी तो जाती फारसी-लिपि में है और सदा लपकती रहती है अरबी फारसी की ओर ही। हम उद्दू के विरोधी नहीं, पर कभी उसे राष्ट्रभाषा का पर्याय मानने से रहे। इतिहास पुकार कर कह रहा है कि वह दरबार की शैली है, फारसी की जगह दरबार में फैली और दरबार के साथ ही इधर-उधर बढ़ती रही। दरबार चाहे तो आज भी उसका सत्कार कर सकता है और फारसी की भाँति उसे भी पाठ्यक्रम का अंग बना सकता है; पर एक काव्य-भाषा के रूप में ही, किसी राष्ट्र-भाषा के रूप में कदापि नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा तो नागरी थी है और वही रहेगी भी। चार दिन के लिए चाहे जिस किसी को चाँदनी हो, पर सदा की चाँदनी तो उसी की है।

हों, दिल्ली के तबलीगी नेता ख्वाजा हसन निजामी ने ठीक ही कहा है कि

“यह हिंदी जबान भाषालिक मुतहदा अवध और रुहेलखंड (युक्त-प्रांत) और सूखा विहार और सूखा सी० पी० और हिंदुओं की अकासर देशी रियासतों में सुरक्षण (प्रचलित) है। गोया वगाली और बरमी और गुजराती और मरहटी वगैरा हिंदुस्तानी जबानों से ज्यादा रिवाज

हिंदी यानी नागरी जबान का है। करोड़ों हिंदू औरत-मर्द अब भी यही जबान पढ़ते हैं और यही जबान लिखते हैं, यहाँ तक कि तक्रीबन् एक करोड़ मुसलमान भी जो सूबा यू० पी० और सूबा सी० पी० और सूबा बिहार के देहात में रहते हैं या हिंदुओं की रियासतों में बतौर रिआया के आवाद हैं और उनको हिंदू-रियासतों के खास हुवा। के सबब से हिंदी जबान लाज्जमी तौर से हासिल करनी पड़ती है, हिंदी के सिवा और कोई जबान नहीं जानते।” (कुरान मजीद की भूमिका हिंदी अनुवाद, सन् १९२९ ई०)

ख्वाजा हसन निजामी जैसे मजहबी नेता ने स्पष्ट शब्दों में मान लिया है कि उत्तर भारत अथवा ठेठ हिंदुस्थान की बोलचाल और बात-व्यवहार की भाषा ‘हिंदी’ वा नागरी ही है। परन्तु इसी को एक दूसरे मुसलिम विद्वान् अल्लामा सैयद सुलैमान नदवी साहब भी इस रूप में कहते हैं

“हमारे लुगों ने इस जबान को दो क्रिस्मों में तकसीम किया था। एक का नाम ‘रेखता’ जो ग़ज़ल की जबान थी और दूसरे का नाम ‘हिंदी’ बताया था जो आम बोलचाल की जबान थी। ‘हिंदी’ का लफ्ज़ छिन गया। अब जो कुछ हम चाहते हैं वह यह है कि आप इसके पुराने नाम ‘हिंदी’ की जगह इसके दूसरे पुराने नाम ‘हिंदुस्तानी’ को रवाज दीजिये, ख्वाह अपनी ग़ज़लों का नाम रेखता की जगह उर्दू ही रखिए। इसमें कोई हर्ज़ नहीं, मगर अपनी इल्मी, तालीमी वतनी और सिख्यासी तहरीकात में आम तौर से इसको हिंदुस्तानी, के सही नाम से याद करके सावित कीजिए कि यह पूरे मुल्क हिंदुस्तान की जबान है और इसका यही नाम इसके पूरे मुल्क की जबान होने की दलील है।” (तुकूश सुलैमानी, दारलम्बुसभकीत, आजमगढ़, पृ० १११)

‘इंडिया मुसलिम एजुकेशनल कांफ्रेंस’ की अलीगढ़ की इजलास (सन् १९३७ ई०) में अल्लामा सैयद सुलैमान साहब ने जो कान भरा वह यह है

“लेकिन हम अपने बद्धुमान दोस्तों को बावर (सचेत) करना चाहते हैं कि यह लोग ‘हिंदुस्तानी’ मुसलमानों के इसरार (आध्रह) से और मुसलमानों की तिफ्लतसल्ली (फुसलावे) के लिए रखा गया है और इससे मुराद हमारी वही ज़्यान है जो हमारी आम बोलचाल में है। हमको जो कुछ शिकायत है वह यह है कि हिंदी और हिंदुस्तानी को हमसानी और मुरादिफ़ (पर्याय) क्यों ठहराया गया है।” (वही, पृ० १०९)

यदि वात यहीं तक रहती तो कोई वात न थी; पर धोषणा तो यहाँ तक हो चुकी है कि

“यह समझना भी दुरुस्त नहीं कि इस तजवीज़ को पेश करनेवालों का यह मकासद (उद्देश्य) है कि हम अपनी ज़बान में कोई ऐसी तबदीली कर लें जिससे वह ‘हिंदी’ या हिंदी के क़रीब बन जाय। हाशा। व कल्पा (कदापि) इस किस्म की कोई वात नहीं है, वलिक बेषेनही (वस्तुतः) इसी उर्दू, इसी ज़बान, इसी बोलचाल को जो हम बोलते हैं हम हिंदुस्तानी कहते हैं।” (वही)

अस्तु, मुसलमान चाहें तो उर्दू को ‘अपनी ज़बान’ के रूप से पढ़ें पर राष्ट्रमाध्या तो वह होने से रही। आज भी लगभग एक करोड़ मुसलमान भी तो नामारी ही जानते हैं, फिर उर्दू के लिये इतना आध्रह क्यो? याद रहे हिंदुस्तानी का नकली नाम भी उसके लिए अधिक दिन तक नहीं चल सकता। राष्ट्रमाध्या के रूप में तो हिंदी का ही सदा स्वागत होता रहा है और फलतः होना भी चाहिए। यहीं विद्या है, वही विवेक है। वैसे आपकी इच्छा।



७ हिंदी-हिंदुस्तानी का उदय

हिंदी-साहित्य-संमेलन के प्राण और राष्ट्र के कर्मठ नेता श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनजी ने कुछ दिन हुए ‘हिंदी’ और ‘हिंदुस्तानी’

के संबंध में “हिंदी साहित्य संमेलन की नीति” नाम का जो वर्तमय निकाला है उससे इस विनीत का भी कुछ संबंध है, अतएव इस विषय में उसका मौन रह जाना कुछ अनर्थ का ही कारण समझा जायगा, ‘आज्ञाहुरणामविचारणीया’ का परिचयिक नहीं। निदान विवर हो, संदेश में, उत्तर, समाधान अथवा प्रतिवाद न कर थाढ़े में उस स्थिति को स्पष्ट कर देना है जिसके कारण हिंदी साहित्य-संमेलन का नाता हिंदुस्तानी से जुड़ गया है और विनीत लेखक ने लिख दिया है-

“हिंदी साहित्य संमेलन की नामपुर की बैठक में एक अद्भुत बात यह निकल आई की हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी या हिंदुस्तानी न रह कर ‘हिंदी हिंदुस्तानी’ हो गया और इसने धीरे धीरे फिर हिंदी उद्भूत प्रश्न को उभार दिया। ‘हिंदी-हिंदुस्तानी’ का नामकरण यद्यपि नवीन न था तथापि उसके प्रयोग से आ जाने से संप्रदाय विशेष में बड़ी खलबली भवी और इस बात को भरपूर चेष्टा की गई कि हिंदी-हिंदुस्तानी का रहस्य खोल दिया जाय। सच पूछिए तो ‘हिंदी हिंदुस्तानी’ कोई भेदभरी बात नहीं है बल्कि उल्लेख से बचने का एक सहज उपाय है। इस उपाय को अमोघ अथ समझना भारी भूल है।”

(भाषा का प्रश्न, ना० प्र० समा, काशी, पृ० ६३)

इसमें तो संदेह नहीं कि प्रकृत पंक्तियों में कहीं ‘संमेलन’ की भर्त्सना नहीं है। हों, उसकी किसी ‘बैठक’ का उल्लेख अवश्य है। अद्येय टंडनजी का यह कहना अद्वारा सत्य है कि ‘संमेलन’ के किसी ‘अधिवेशन’ ने ‘हिंदी हिंदुस्तानी’ को राष्ट्रभाषा का पर्याय घोषित नहीं किया। किंतु उनका यह बताना कि ‘संमेलन’ का उससे कोई नाता नहीं, ठीक नहीं। यदि विश्वास न हो तो उसी ‘हिंदी-साहित्य-संमेलन’ के भ्रातावाले अधिवेशन में आ जाइए। आपके सामने खुले अधिवेशन में पास होता है कि

“यह संमेलन गवर्नमेंट आफ इंडिया कानून की भाषा संबंधी नीति का विरोध करता है। संमेलन इस बातपर जोर देता है कि

केंद्रीय व्यवस्थापक सभा का कार्य हिंदी हिंदुस्तानी में तथा प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं का कार्य प्रांतीय भाषाओं में हुआ करे।”

हिंदी-साहित्य-समेलन के मद्रास के इस छठे प्रस्ताव की ‘हिंदी हिंदुस्तानी’ को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके आठवें प्रस्ताव को भी समझे रख लें और फिर प्रत्यक्ष देख लें कि ‘हिंदी-साहित्य-समेलन’ किस प्रकार और कहौं तक स्वयं ‘हिंदी-हिंदुस्तानी’ को अपना रहा है और साथ ही ‘केंद्रीय व्यवस्थापक सभा एवं ‘आखल भारतीय समिति और कार्यसमिति’ को भी इसके लिए निमंत्रण देता है। ‘व्यवस्थापक सभा’ का प्रस्ताव पहले आ चुका है। अब कांग्रेस संवंधी प्रस्ताव को लीजिए

“यह समेलन कांग्रेस की कार्यसमिति से अनुरोध करता है कि वह ऐसा नियम करे कि भविष्य में कांग्रेस की और उसकी अखिल भारतीय समिति और कार्य समिति की कार्रवाई में अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं किया जायगा और उसके बदले में हिंदी यानी हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग किया जायगा और उस के बदले में हिंदुस्तानी ही इस्तेमाल की जायगी। लेकिन जो मेंवर हिंदी यानी हिंदुस्तानी में अपना मतलब पूरी तरह से नहीं समझा सकेगा वह अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर सकेगा।”

“यह कहना ज़रूरी नहीं है कि जो मेंवर हिंदी हिंदुस्तानी न जानने के कारण अपनी ‘प्रांतीय भाषा में बोलना चाहे उसे कोई प्रतिवंध नहीं है। और समेलन की राय है कि ऐसी हालत में आवश्यकता होने पर अनुबादक रखे जायें। यदि किसी को अंग्रेजी में समझाने की आवश्यकता पैदा हो तो प्रमुख की समंजति से कोई भी सदस्य अंग्रेजी का उपयोग कर सकेगा।”

अस्तु, कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारा हिंदी अभिभानी हिंदी-साहित्य-समेलन ‘संस्कृताभासी’ हिंदी के पक्षपाती मद्रास प्रांत में पहुँच कर अपने खुले अधिवेशन में ‘हिंदी’ की उपेक्षा कर उसी हिंदी-हिंदुस्तानी’ को अपनाता है जिसके निराकरण के लिए आज उस

के प्राणों श्रद्धेय टंडन जी तत्पर हैं। और अपनाता ही क्यों ? वह तो कांप्रेस से लेकर 'केंद्रीय व्यवस्थापक सभा' तक उसका असार चाहता है। फिर आज हिंदी-साहित्य-संमेलन को 'हिंदी-हिंदुस्तानी' से परहेज क्यों ? हमें तो आश्वर्य यह देखकर होता है कि हिंदी के लिए प्राण निष्ठावर करने वाले हमारे टंडन जी भी उस अधिवेशन में इसी 'हिंदी-हिंदुस्तानी' का प्रयोग कर जाते हैं। कहते हैं

"हमारी हिंदी हिंदुस्तानी में सांप्रदायिकता नहीं सुसलमानों ने हिंदी साहित्य में बहुत काम किया है।" (श्रीटंडन जी का अभिभाषण, पृ०३)

सच पूछिए तो अब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं रही, हिंदी-साहित्य-संमेलन का सचा रूप इतने ही से अच्छी तरह सामने आ गया, पर हमें भूत की चर्चा से भविष्य में लाभ उठाना है। हिंदी-साहित्य-संमेलन की आज की नीति से हिंदी को और भी आगे बढ़ाना है। अतएव यहां इस संमेलनी 'हिंदी-हिंदुस्तानी' के इतिहास पर भी विचार कर लेना चाहिए।

अच्छा, तो इस संमेलनी हिंदी-हिंदुस्तानी का भूल खोत कहां है ? , संभवतः आप भी श्री टंडनजी के साथ यही कहेंगे कि भारतीय साहित्य-परिषद् के प्रथम अधिवेशन में। हां, ठीक है। इस में संदेह नहीं कि हिंदी साहित्य संमेलन ने नागपुर के अपने निजी अधिवेशन में कोई भी हिंदी हिंदुस्तानी नाम का खुला प्रस्ताव पास नहीं किया। उस के किसी प्रस्ताव में हिंदी-हिंदुस्तानी का व्यवहार हुआ अथवा नहीं, यह हम कुछ भी नहीं कह सकते। कारण, हमारे पास प्रस्तावों की सूची अथवा उस अधिवेशन का कोई विवरण नहीं है। वहुत प्रयत्न करने पर भी वह काशी में (नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में भी) नहीं मिल सका। पर इतना अवश्य है कि उस अधिवेशन का लगाव कुछ न कुछ उस परिषद् से भी अवश्य था। क्या लगाव था, यह अभी खुल जाता है। भारतीय साहित्यपरिषद् के मुख्यपत्र हंस की वाणी, पर ध्यान दीजिये। उसमें से कितनी ठोस ध्वनि निकलती है

"भारतीय साध्यपरिषद् के कार्य को चलाने के लिये हिंदूसांसंमेलन

ने एक समिति चुनी है। इस के सभापति महात्माजी है, लेकिन उप सभापति राजेन्द्र प्रसादजी ही उसका सारा काम करेंगे। यदि महाज जल्दी भुई, तो महात्माजी को किसी खास बात को दूल करने के लिये तकलीफ दी जायगी, इस तरह का निरचय हुआ। इस परिषद् के मंत्री कन्हैयालाल मुंशी और काका साहव कालेलकर चुने गए। परिषद् का कार्यालय वर्धा में रखना तय हुआ।”

(हंस, मई सन् १९३६ ई०, पृ० ११५)

प्रसंगवश यहाँ इतना और जान लीजिए कि महात्मा गांधी जी इंदौर के अधिवेशन के सभापति थे और राजेन्द्रप्रसादजी इस नागपुर अधिवेशन के। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि इसी हिंदी-साहित्य-रामेलन ने जिसके पास आज भारतीय साहित्य परिषद् का कोई लेखा नहीं, उसी नागपुर के खुले अधिवेशन में प्रस्ताव किया था

“अपने पिछले (इंदौर के) अधिवेशन में संमेलन ने जो समिति देश की भाषाओं के साहित्यकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बनाई थी, उसके संयोजक कन्हैयालाल मुंशी की रिपोर्ट को सुनकर यह संमेलन समिति के कार्य पर वधाई देता है और उस के उद्योग द्वारा स्थापित ‘हंस’ मासिक के नवीन क्रम तथा भारतीय साहित्य परिषद् की स्थापना का स्वागत करता है। यह संमेलन भारतीय साहित्य परिषद् के मंतव्यानुसार इन नीचे लिखे हुए सात व्यक्तियों को परिषद् की बनाई हुई, संस्थापिता समिति के लिए नामजद् करता है -

१ पुरुषोत्तमदासजी टंडन, २ प्रेमचंद्रजी, ३ पं० रामनरेशजी त्रिपाठी,
४ देव शर्मा ‘अमय’ ५ निजललिजी विद्यानी, ६ पंडित माल्वनलालजी
चतुर्वेदी और ७ पं० जयचंद्रजी विद्यालंकार।

साथ ही उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त वाबू राजेन्द्रप्रसादजी, कन्हैयालाल मुंशी, काका कालेलकर और हरिहर शर्मा की एक समिति नियुक्त करता है, जिसका कर्तव्य होगा कि भारतीय साहित्य-परिषद् के कार्य के संबंध में संमेलन की ओर से ध्यान और सहयोग देता रहे, और सभीं सभीं पर स्थायी समिति को परिषद् के संबंध में सुचना

देता रहे, तथा संमेलन के अगले अधिवेशन के पहले उस विषय में रिपोर्ट उपस्थित करे। इस समिति के संयोजक काका कालेलकर होगे।”

उस समिति के संयोजक काका कालेलकर ने क्या किया, यह तो एक प्रकार से प्रकृत प्रसंग के बाहर की बात हुई। ध्यान देने को बात यहाँ यह है कि हिंदी-साहित्य-संमेलन भारतीय-साहित्य-परिषद् पर अपनी देखरेख रखना चाहता है। किसी प्रकार उस से तटस्थ रहना नहीं चाहता। यही क्यों? इसी का तो यह परिणाम है कि संमेलन के अगले अधिवेशन (मद्रास) में हिंदी की जगह प्रस्तावों में हिंदी-हिंदुस्तानी का व्यापार होता है और उसे राष्ट्रभाषा का पर्याय समझा जाता है। फिर यह कहना कि भारतीय-साहित्य-परिषद् का संमेलन से कोई संबंध नहीं कहाँ तक न्यायसंगत है, इसका विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं। हमें यहाँ तो केवल इतना और निवेदन कर देना है कि इस भारतीय-साहित्य-परिषद् के सभापति महात्मा गांधी का भी कहना यही है

‘खत भेजने वाले सज्जन पूछ सकते हैं कि हिंदी या हिंदुस्तानी का दृष्टोङ्कर सीधा सादा हिंदुस्तानी शब्द क्यों नहीं काम में लाया जाता? मेरे पास इस के लिये सीधीसादी एक ही दलील है। वह यह है कि मेरे सरीखे नये व्यक्ति के लिये २५ वरस की पुरानी संस्था को अपना नाम बदलने के लिए कहना गुस्ताखी होगी, फिर तब जब कि उस का नाम बदलने की ऐसी कोई जरूरत भी सीधित नहीं की गई है। नई परिषद् पुरानी संस्था की ही उपज है।’

(हंस, जुलाई सन् १९३६ ई०, पृ० ९८)

एक बात और। यदि विचार से देखा जाय तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय साहित्य परिषद् के सभापति महात्मा गांधी, उस समय तक हिंदी-साहित्य-संमेलन के भी सभापति थे। उनकी जगह देशरत्न राजेन्द्रबाबू को नहीं मिली और दूसरे दिन काम चलाने के लिए राष्ट्रपति जंवाहरलाल परिषद् के सभापति बने। इसका प्रधान कारण चाहे जो रहा हो। पर इतना तो निर्विवाद है कि फिर परिषद्

के उपसमाप्ति वही साहित्य-संमेलन के समाप्ति राजेन्द्रवाला भू हो जाते हैं और पं० जवाहरलाल नेहरू सदस्य मान्त्र हो जाते हैं। निदान, हमें विवश हो मानना पड़ता है कि भारतीय-साहित्य-परिषद् का हिंदी-साहित्य-संमेलन से गहरा लगाव था। उसको संमेलन से बिल्कुल अला। दिखा देना असंभव है। ठीक वैसा हो तो नहीं, पर बहुत कुछ उसी ढंग का लगाव संमेलन और परिषद् में रहा जैसा आज संमेलन और उसी की राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति का है। एक ओर आप संमेलन की प्रचारसमिति को रखिये और दूसरी ओर राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति को तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि यही संबंध साहित्यपरिषद् और भारतीय-साहित्य-परिषद् में भी बहुत कुछ काम कर रहा था। अस्तु, महात्मा गांधी का यह कहना है कि भारतीय-साहित्यपरिषद् के लिए हिंदी शब्द का वहिष्कार करना इस लिये अनुचित है कि वह वस्तुतः उसी का वचा है, अतरशः ठीक है।

भारतीय-साहित्य-परिषद् में हिंदी-हिंदुस्तानी का प्रस्ताव तो पास हुआ कितु हिंदी-हिंदुस्तानी की खान कहीं और ही है। हम देखते हैं कि परिषद् के स्वागताध्यक्ष काका कालेलकरजी अपने अभिभाषण में वारबार इसी हिंदी-हिंदुस्तानी का प्रयोग करते हैं। उनका कहना है—

“जिन्होंने इस प्रवृत्ति का आरंभ किया है, वह इस निश्चय पर आ गए हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी-हिंदुस्तानी में ही हमारा सारा व्यवहार चलेगा।” और

“जब हिंदी-हिंदुस्तानी में हमारा अंतर्गतीय व्यवहार चलेगा तब हमें सब प्रांतों के लिए सुलभ राष्ट्रभाषा का सर्वसाधारण स्वरूप भी गढ़ना होगा।”

अतमे आप का अनुरोध है कि

“अगर इस संगठन को सफल बनाना है, तो आप कृपया अपनी हिंदी या हिंदुस्तानी हमारे लिए जिस तरह हो आसान कीजिये। हम संकृतका पक्ष नहीं लेते वल्कि हिंदी-हिंदुस्तानी की विफलता दालना चाहते हैं।

(हंस, मई सन् १९३६ ई० पृ० ६६, ७)

स्वामीताध्यक्ष ही नहीं परिषद् के समाप्ति महात्मा गांधीजी भी इसी हिंदी-हिंदुस्तानी की गोहार लगाते हैं। आप कहते हैं-

“मुंशीजी और काका सीहब ने हमारा मार्ग एक हृदय के साफ़ कर रखा है। व्यापक साहित्य का प्रचार व्यापक भाषा में ही हो सकता है। ऐसी भाषा अन्य भाषा की अपेक्षा हिंदी-हिंदुस्तानी ही है। हिंदी को हिंदुस्तानी कहने का मतलब यह है कि उस भाषा में फारसी मुहावरे के शब्दों का त्याग न किया जावे।”

(महात्मा गांधी का अभिभाषण, वही, पृ० ७२)

प्रथम उठता है कि यह हिंदुस्तानी कहांसे आ गई कि परिषद् के स्वामीताध्यक्ष और समाप्ति दोनों ही इसी पर लट्ठू हो रहे हैं, तो इसके संबंध में उर्दू के विधाता भौलवी अन्दुल हक का कहना है कि

“२९ मार्च को संमेलन के (मद्रास के) दूसरे दिन के इजलास में महात्मा गांधी ने इस की तशरीह की कि वह हिंदी या हिंदुस्तानी या उर्दू के बजाय हिंदी-हिंदुस्तानी का लफज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सवाल सब से पहले १९१८ई० में उठाया गया था और इंदौर की सदारत के बत्ते उन्होंने ने मिस्टर पुरुषोत्तमदास टंडन से जो दरअस्ल संमेलन के बानी-मुवानी है, इसकी तशरीह भी कर दी थी।

(उर्दू, अप्रैल सन् १९३७ ई० पृ० ४२९)

अस्तु, हिंदी-साहित्य-संमेलन के इंदौर के अधिवेशन में जो हिंदी-हिंदुस्तानी की बात हुई उसी का यह नतीजा है कि नागपुर से उसकी धूम भची है और मद्रास में तो उसी का बोल बाला हो गया है, और हिंदी साहित्य-संमेलन के प्रस्तावों में भी ठाठ से उसका प्रयोग हो रहा है।

हाँ, तो इंदौर में भी महात्मा गांधी की व्याख्या काम कर गई। वहाँ राष्ट्रभाषाकी जो परिभाषा की गई वह वस्तुतः हिंदुस्तानी कही जाने वाली चीज़ की परिभाषा थी, कुछ राष्ट्रभाषा अथवा सरल बात व्यवहार की बोल चाल की चलित हिंदी की नहीं। क्यों कि उस में साफ़ कहा गया कि जो नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती हो। (संमेलन की शिमला में स्वीकृत नियमावली, पृ० २)

हिंदी-साहित्य-संमेलन की नियमावली किस प्रकार हिंदी-हिंदुस्तानी का पोषण कर रही है, इस की चर्चा हम फिर करेंगे। यहाँ केवल इतना और जान लीजिए कि संमेलन की इस राष्ट्रभाषा की परिमाण से महात्मा गांधी का गहरा लगाव है। महात्मा गांधी की हिंदी-हिंदुस्तानी की व्याख्या यह है—

“जिस भाषा को आम तौर पर उत्तर भारत के हिंदू और मुसलमान बोलते हैं वह भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है, चाहे वह देवनागरी अक्षरों में लिखी जाय, चाहे उद्दू खत में।”

(हंस, जुलाई सन् १९३९ ई० पृ० १०३)

साहस तो नहीं होता, पर कहना यही है कि संमेलन की परिमाण महात्मा गांधी की व्याख्यासे भी कहीं आगे बढ़ गई है। महात्मा गांधी ने ‘चाहे’ शब्द का प्रयोग कर लिपि को गौण ठहरा दिया है तो संमेलन ने ‘लिखी जाती हो’ का विधान कर भाषा को लिपियों में जकड़ दिया है। ‘नागरी लिपि’ और ‘उद्दू खत’ की योग्यता को तुल्य बनाकर संमेलन ने ‘टका सेर मूली टका सेर खाजा’ को चरितार्थ कर दिया है। पता नहीं, कैथी, वा रोमी लिपि में लिखी हिंदी या हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा हो सकती है अथवा नहीं। संमेलन और महात्मा गांधी की परिमापा तो इसके प्रतिकूल है।

जो हो, इतना तो निर्विवाद है कि हिंदी-साहित्य-संमेलन ने परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में हिंदी-हिंदुस्तानी को महत्व दिया है और अंत में मद्रास में जाकर उसे अपना भी लिया है। निदान, अद्वेय टंडनजी का नियमावली को दुहाई दे स्थिति को उलझा देना ठीक नहीं। जान पड़ता है कि संमेलन के कागदपत्रों की जांच ठीक से नहीं हुई और सच्ची सामग्री श्री टंडनजी के सामने न आ सकी। नहीं तो इस प्रकार की धांघली न भचती। संदेश में, हमें निवेदन यह कर देना है कि हम ने किसी प्रमाद या अम में आकर हिंदी-साहित्य-संमेलन का उल्लेख नहीं किया है वहिक सोच समझकर खूब छानवीन कर ही हिंदी-साहित्य-संमेलन को नामपुर की वैठक का निर्देश किया

है और दावे के साथ स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही ‘एक अद्भुत बात निकल आई और राष्ट्रभाषाका नाम हिंदी हिन्दुस्तानी हो गया’। का प्रयोग किया है। ‘हो’ अधिवेशन की जगह ‘बैठक’ का प्रयोग जान बूझ कर किया गया है। ‘निकल आई’ और ‘हो’ गया मे यह भाव भरा गया है कि यह घटना परस्थिति के कारण घटी है कुछ संमेलन की कर्मशीलता और प्रस्ताव के द्वारा नहीं। आशा है, संमेलन अब जिस बात को अनुचित समझता है उस से मुक्त हो जाने का प्रयत्न अगले (पूना में होने वाले) अधिवेशन में करेगा और खुले अधिवेशन में खुलकर हिंदी का प्रतिपादन करेगा, किसी हिंदी-हिन्दुस्तानी का समर्थन कदापि नहीं। (हिन्दुस्तानी की चौथी पोथी)

युक्तप्रांत की विस्तरोपड़ी रीढ़रों से यदि होनहार बचों को बचाने का प्रयत्न न किया गया तो ‘स्वराज्य का स्वप्न देखना तो दूर रहा’ कहीं ‘स्व’ भी देखने को नसीब न होगा। उधर उर्दू के समझदार आचार्य तो इस चिंता में लगे हैं कि उर्दू को स्वदेशी बनाने के लिए बाध्य करें और इधर ‘हिन्दुस्तानी’ के विधाता इस फेर में पड़े हैं कि हिंदी को अहिंदी कर उसे उर्दू से कुछ और भी आगे बढ़ा दें जिस से उर्दू परस्त परदेशी अपने आपको स्वदेशी समझ लें। परिणाम यह हुआ है कि युक्तप्रांत की रीढ़रों में हिंदी छंदों का ‘बायकाट’ कर दिया गया है और यह सिद्ध कर दिया गया है कि उर्दू भाषा ही नहीं उर्दू शाही भी धर धर छा गई है। मुझ हिंदी तो अब काशी के पंडितों अथवा सम्पूर्णानन्दीकुलों के मुँह क्या पोथों मे रह गई है जो केवल चिढ़ाने के लिए बाहर निकाली जाती है। नहीं तो आम जनता की भाषा तो मूल गया, जबान तो उर्दू है वह उर्दू जिस में हिंदी छंद का नाम

फूवू सम्पूर्णानन्दजी हिंदी में प्रचलित विदेशी शब्दों का बहिष्कार नहीं चाहते पर साथ ही प्रचलित संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी उचित समझते हैं। यह दूसरी बात उर्दू-भक्तों को सह्य नहीं है इसलिए जो हिंदी शब्द-प्रतिशत विदेशी शब्दों से युक्त नहीं है; उसे वे कभी कभी ‘सम्पूर्णानन्दी’ हिंदी के नाम से पुकारते हैं।

नहीं। परंतु हिंदी को प्रसन्न करने और अपने को सच्ची हिंदुस्तानी सिद्ध करने के लिए कुछ हिंदी भी तो जरूरी है? लीजिए वह आपके सामने है। आप ही न्याय की नजर से देख कर इंसाफ करें कि 'हिंदुस्तानी' की चौथी पोथी में अहिंदियत कहाँ है? किताब की जगह 'पोथी' तक लिख दिया, फिर भी आप उसे पूजा की दृष्टि से नहीं देखते!

‘ठीक है। पर जरा हमें कुछ दूर तक देखने की आदत पड़ गई है और स्वभावतः हम भीतरी बातों पर, विशेष ध्यान देते हैं। राग को रंग से अधिक महत्व देते हैं।’

याद रखे हिंदुस्तानी के पुनारी हिंदुस्तानी पर किसी दूसरी भाषा का अनुशासन नहीं चाहते और उन्होंने विदेशी शब्दों को अपनाते हैं जिन्हें जनता ने अपना लिया हो। अब तनिक ध्यान से देखिये तो सही कि 'जरासीम' किस भाषा का शब्द है और किस प्रकार बच्चों की बोली में आ गया है। देखिए 'बीमारी' के जरासीम आदमियों में पहुंच जाते हैं—‘पू० ३६’ और आप के बच्चे चट 'जरासीम' का अर्थ समझ जाते हैं। पर यह 'जरासीम' है क्या बला-? उत्तर के लिए व्यग्र न हों। देखें।

“बीमारी के हजारों कीड़े जिनको जरासीम कहते हैं मनवी की दोगों से चिपट जाते हैं।” (पू० १३९)

अंगरेजी आप की राजभाषा है। 'जरासीम' 'जार्स' का अरबी रूप है। अरबों को इस बीमारी का पता नहीं, पर 'जरासीम' उनको इसका मालिक बना देता है। पर क्या स्वयं अरब इसका अर्थ जानते हैं? नहीं। यह तो हिंदुस्तानी बच्चों के लिए हिंदुस्तानी ईजाइ है। हिंदुस्तान की जबान अरबी नहीं तो और क्या हो सकती है? हिंदमहासागर से अरब का लगाव है न कि इंगलैण्ड का। यही कारण है कि अंगरेजी की जगह हिंदुस्तानी अरबीके लिए जोर लगाया जा रहा है। 'हिंदुस्तानी अरबी' इसलिए कि अरब लोग इस अरबी को नहीं समझते।

हिंदुस्तान एक खेतिहर देश कहा जाता है। इसलिए किसानों के वच्चों को बताया गया है

“सींचाई के लिहाज से जमीनें तीन प्रकार की होती हैं। चाही, बारानी, नहरी। चाही जमीन तो वह है जिसको कुओं के पानी से सींचा जाता है। बारानी वह है जिसमें खेती बारिश के पानी से होती है। नहरी जमीन उसे कहते हैं जिसमें नहरों से आवपारी होती है।”

(पृ० ३१)

नहरके पाठमें ‘चाही’ और ‘बारानी’ की उख्तरत वयों पड़ी, इस के कहने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो यह जान लेने की है कि अब आप के बच्चों को वर्षा या बारिश से सन्तोष न होगा। उन्हें विवश हो इस ‘बारानी’ का जाप करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ की जगह ‘चाह’ का प्रचार किया जायगा और आप चाहें या न चाहें पर आप के लाडले लड़कों को ‘चाही’ ‘सीखना पड़ेगा। खैर, यहाँ तक तो कोई बात नहीं। आपके लड़के सहज में ही भौलवी साहब बन सकते हैं। पर कृपया यह तो कहें कि आपके देश में ताल-पोखरों से भी कुछ सींचने-साँचने का काम होता है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो यह ‘चाही’ और यह ‘बारानी’ उसके किस काम के हैं। हमारी दृष्टि में तो इस ‘चाही’ और इस ‘बारानी’ ने स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि हमारे परदेशी अथवा उनके अंधमर्ज देशी विधाताओं की दृष्टि किधर है और कहाँसे उन्हें जीवन की शुभ्र प्रेरणा मिल रही है।

हाँ, तो हिंदुस्तानी की चौथी पोथी के लेखकों का दावा है कि ‘यह रीडर कैरिकुलम टेक्स्टबुक कमेटी युक्तप्रांत के अनुसार तथ्यार की गयी हैं। तमाम विषयों पर जो कैरिकुलम में अवस्थित है वही सुन्दरता से प्रकाश डाला गया है। भाषा का ऐसा प्रयोग किया। गया जो न केवल युक्तप्रांत वल्कि तमाम भारतवर्ष के शिक्षित धरानों में बोली और समझी जाती है। जिसको वास्तव में भारतीय भाषण कहा जा सकता है।’ (वही भूमिका।)

‘कैरिकुलम टेक्स्टबुक कमेटी’ तो कुछ रही ही होगी। उसके धरो

का हाल हम क्या जानें। किंतु 'भारतवर्ष' और भारतीय भाषा की पहचान कुछ हमें भी है। इसलिए हम युक्तिमांत को सरकार से यह जान लेने की धृष्टिता करते हैं कि किन भारतीय शिक्षित धरोंमें 'धृतराष्ट्र' को 'धृतराष्ट्र' 'द्रृपद' को 'द्रृपद' 'युधिष्ठिर' को 'युधिष्ठिर' और बाप को 'अब्दा' कहते हैं। क्या किसी भी सच्चे भारतीय शिक्षित हृदय से ऐसे अपश्रुत शब्दों का प्रयुक्त होना संभव है? हैरान होने की बात नहीं, कुछ समझ से काम लेने का समय है। सुनिये तो किसी गाँव का मुखिया अपने गाँव के चमार को किम प्रकार याद करता है—

'मियाँ पलटू! बस खैर इसी में है कि सुकसान भर दो वरना फिर तुम मुझे जानते ही हो' (वही पृ० ९०)

फिर वही मुखिया साहब अपने साथियों से फरमाते हैं 'मियाँ हमारे गाँव के चमारों से यह सबसे ब्यादा सियाना है!' (पृ० ९१)

'अब्दा,' 'मियाँ' और 'धृतराष्ट्र' से शिष्ट धरों का पता चल गया। यदि फिर भी कुछ संदेह शेष रह गया हो तो उस पोथी में प्रयुक्त 'जनना', 'जामन' 'खम्बा' 'भूक' आदि रूपों को देखिये और अच्छो तरह जान लीजिये कि अब आपके बच्चे आपकी भाषा नहीं समझ सकते। अब तो आप की उदार और सच्ची सरकार उन्हें उन परदेशियों की जबान सिखाने पर उतारू है जो विवराता के करण यहाँ पर बस गये हैं पर गुलामी करते हैं किसी कल्पित अखब और फारस की ओर इसी से बोलते हैं 'राष्ट्र' को 'राष्ट्र'! और इसी का तो यह नतीजा है कि बच्चों की इस चौथी पोथी में 'कपूर' को 'काफूर' और अफीम को 'अफ्यून' कर दिया गया है? मानो स्वयं इनका इस देश से कोई नाता नहीं। पर दुनिया जानती है कि 'काफूर' किस 'कपूर' का अखबी रूप है और 'अफ्यून' भी 'अहिफैन' का। 'अस्पताल' भी 'शफाखाना' हो गया है। अस्पताल को समझता कौन है?

किंतु पाठक कहीं यह न समझ लें कि इस पोथी की जबान सचमुच उद्भूत है। नहीं। उद्भूत किसी ऐसी पोथी में उत्तर ही नहीं सकती। इस लिए इस पोथी की जबान उद्भूत नहीं, उद्भूत की बाँड़ी है जिसे इसके समझ-

दार लेखकों ने हिंदुस्तानी' के प्रिय नाम से याद किया है और जगह जगह पर अपनी हिंदुस्तानी धिस-धिस का पता भी दे दिया है। और इस 'पोथी' में न तो लिंग-भेद का भगाड़ा है और न किसी व्याकरण या शुद्ध रूप की पाबंदी। कहीं 'तरफ' को हम खी के रूप में पाते हैं तो कहीं पुरुष के रूप में। उसके लिंग का पता नहीं। कहीं आप को 'फटकरी' और 'दरिया' दिखाई देंगे तो कहीं 'फिटकरी' और 'दरया'। एक ही राष्ट्र 'बलगम' कहीं 'मलगम' दिखाई देता है तो कहीं और भी बढ़कर बढ़िया 'गलगम'। 'दिक' का यह गलगमी पाठ कितना हिंदुस्तानी है, इसे आप ही समझें।

कुछ और निवेदन करने के पहले इस पोथी के कठिपथ मंत्र वाक्यों को सामने रख दें। संभव है, आपकी समझ में उन के असली रूप आ जाय। सबसे पहले 'हाथ लगाओ कहर खुदा का बूझ फैलाक्छ मेरा' (पृ० ५५) को लीजिये।

इस 'फैला' को सामने रखकर 'शहर' को समझ तो लीजिए

'शहर की मक्खियाँ और भौंरे इन फूलों पर आकर इकड़े हो जाते हैं'। (पृ० ९३)

और अब यदि काफी रकम न मिले तो फिर आप अच्युं बिक सकते हैं। (पृ० १०१)

उधर 'कौरवों ने द्रोपदी को जीत कर पांडवों को सताने के लिए द्रोपदी की साड़ी उतारनी चाही। इसपर भगाड़ा होने लगा। भीष्म ने बीच बचाव किया।' (पृ० १३६)

देखा आपने ? किस खूबीसे 'कृष्ण' का नाम उड़ा दिया गया। और एक नया भारत खड़ा कर दिया गया। भाई ! सच बात तो यह है कि भीष्म पितामह भी भरी समाजमें उसी अशदोषके कारण यह अनर्थ चुपचाप देखते रह गये थे जिस अशदोषके कारण हमारी देशी सरकारके सचिव तथा अन्य महानुभाव इस भाषाकी चीरहरण-लीला को मौन हो देखते रहे हैं। नहीं तो 'द्रोपदी' को 'द्रोपदी' क्यों लिखा जाता और 'भीष्म' 'बीच बचाव' क्यों करते ? अरे ! क्या सचमुच

कौरवोंका शासन आ गया है जिसमें सबके सबं वही दुःशासन हो रहे हैं ?

अच्छा यही सही । पर कुपया यह तो बतानेका कष्ट करें कि आखिर राजा राममोहन रायने क्या अपराध किया है कि उनको १८२०ई० में ही दफना दिया जाता है । कुछ दिन और जीते तो देहलीदरबारका काम ही कर जाते । हम तो यही जानते थे कि राजा राममोहन राय सन् १८३३ई० में मरे थे और मरे थे इंगलैण्डमें मुगल सरकारके काम से ।

वावा तुलसीकी भी कुछ यही दर्शा है । बेचारे 'कथा प्रबंध विचित्र बनाई' कहकर भर नये पर हमारे हिंदुस्तानी दोस्तोंका काम इससे न चला । उन्हें खुलकर लिखना ही पड़ा कि 'उन्होंने हिन्दी तर्जुमेमें असल रामायणको चार चाँद लगा दिये' (पृ० ११)

'चार चाँद' आपके लिए चाहे जो कुछ हो, पर हमारे लिए तो वह 'चार लात लगा दिए' के तुल्य ही है । ऐसी ही मुहाविरों को दुर्घटि इस पोथीमें जगह जगह की गई है । उर्दू तो उन्हें सह नहीं सकती । कोदो दलनेके लिये इसी हिंदुस्तानीकी छाती काफी चौड़ी है । पर बात यहीं नहीं रह जाती । 'संवत् सोलह सौ इकतीसा' भी इस 'हिंदुस्तानी पोथी' में सन् १५५४ई० हो जाता है । जाने कहोंका गणितशाख युक्तप्रान्तमें टपक पड़ा है । हम लोग तो यही जानते थे कि सामान्यतः विं सं० में से ५७ घटा देनेसे इसबी सन्धीकी प्राप्ति हो जाती है । पर अब देखते यह हैं कि ७७ (१६२१-१५५४) घटानेकी नौवत आ गयी ।

प्रसंग वहानेसे कोई लाभ नहीं, पर पद्धकी चर्चा है आवश्यक । पद्धके लेनमें हिन्दी उर्दूका कोई मेल नहीं । उर्दू यहाँ सोलहो आना अहिदी बन चुकी है, और उर्दूके विद्वानोने दावेके साथ कहना भी शुरू कर दिया है कि हिन्दीमें छन्दही कहाँ हैं । हिन्दी वचोंकी पोथीमें हिन्दी छन्दोंका अभाव किस भावका घोतक है यह हम नहीं कह सकते, पर इतना जानते अवश्य हैं कि हमारी इस हिंदुस्तानीकी पोथीमें शेर मात्रको 'दोहा' लिखा गया है और पद्धका प्रयोग खीलिगमें किया गया है । इसके पद्ध हैं भी बड़े उवके । तभिक शुनघुनाइये तो सही । कितना सरस राग है—

ऐ मोले भाले बच्चों नादानों नातवानों ।

सरपर बड़ोंका साया साया ईश्वरका जानो ॥' (पृ० १६६)

'साया ईश्वर का जानो' गद्य है वा पद्य ?

चाहे जो हो, किसी प्रकार इसका अर्थ तो आपकी समझ में आया ।

अब एक दूसरा पद्य लीजिये और अपने ज्ञानकी परीक्षा तो कर लीजिये ।

कितना सटीक कहना है —

'फागनका है महीना गर्मिका दौर आया ।

महका हुआ है जंगल बांगोंमें मोर आया ॥

X

X

X

यह शाखें करवटें यहाँ जूँ जूँ बदल रही हैं ।

बस कैरियों ही साँचे, साँचेमें ढल रही हैं ॥

X

X

X

यह कैरियाँ नहीं हैं, बच्चे हैं दूध पीते

जो दूधके सहारे, इस क्षूलेमें हैं जीते

जड़ने जमीनको छाती, से भर रखे हैं शीशे

पहुँचाते मुँह तलक हैं नलियाँ रबड़की रेशे ।' (पृ० ९५-६)

कहिये आया कुछ समझ में ? यदि हाँ तो बच्चेको समझा देखिये, कितनी सरलता से क्या कुछ समझता है ? जो हो, अन्तमें हमें दिखा यह देना है कि इस पोथी में अंगरेजी की चाशनी भी कुछ कम चोखी नहीं है । प्रमाण के लिए उसका एक महावाक्य लीजिये ।

"हर एक उग्रीदवार अपने इलाकेके राय देनेवालेसे मिलता है और उनसे कहता है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डमें उनकी भलाईका काम करेगा और वह अपही राय उसे दें ।" (पृ० ५७-५८)

अब यदि आप इसे हिंदुस्तानी समझते हैं तो समझते रहें पर यह हमारे देशकी भाषा तो है नहीं । यह तो प्रत्यक्ष ही किसी अंगरेजी वाक्यका उल्था है जो कुछ उर्दूके सहारे हिंदुस्तानी अक्षरोंमें ढाल दिया गया है । व्याकरणकी दृष्टिसे जहाँ 'देनेवाले' को जगह 'देनेवालों' चाहिये वही 'वह' की जगह 'वे' । माना 'लखनऊ' की कृपा से 'वे' उर्दूसे

उठ गया पर अभी वह हिंदू क्या स्वर्ण देहलीमें भी तो चलता फिरता दिखाई देता है, फिर कोई हिंदुस्तानी उसे क्यों छोड़ देते। रही सीधे और टेक्के अथवा 'डाइरेक्ट' और 'इनडाइरेक्ट' को बात। सो हमारी भाषा सीधी है, टेक्की नहीं। इनडाइरेक्टसे उसका क्या काम? यदि समझ हो तो उसके स्वरूप को पहचानो और अपने भोलेभाले बच्चोंको इस भूतनी से बचाओ। नहीं तो हिंदुस्तानीकी 'हुमा' तो आपको बादशाह बना देगी पर आपकी सन्तानोंके लिए रहेगी वह 'हौवा' ही।

* * * - ० - * *

८ बिहार और हिंदुस्तानी

'बिहारके कुछ साहित्य सेवियों' की ओरसे 'बिहार और हिंदुस्तानी' नामकी एक छोटी सी पुस्तिका, विद्यापति हिंदी सभा, दरभंगासे निकली है। उसके स्वामिमानी लेखकका कहना है कि

'श्री चन्द्रबली पाठेयजीकी पुस्तक ('बिहारमें हिंदुस्तानी') में जगह जगह पर यह ध्वनि उपकरती है कि बिहारियोंको शुद्ध भाषा लिखना और बोलना नहीं आ सकता। एक जगह तो उन्होंने यहाँतक लिख मारा है 'भाषाके द्वेषमें बिहारी सज्जन किस दृष्टिसे देखे जाते हैं, इसके कहनेकी कदाचित् कोई आवश्यकता नहीं'।

'यदि इतने अपमानपर भी बिहारी सज्जन सुँह नहीं खोलते तो इसके दो ही मानी निकलते, या तो वे नितान्त अयोग्य हैं अथवा स्वामिमानशून्य। परंतु श्री चन्द्रबली पाठेयजोको जानना चाहिये कि बिहारमें भी योग्यता और स्वामिमान रखनेवाले लोग हैं और समय पड़नेपर आकरमणका भरपूर जवाब दें सकते हैं। उनके अनौचित्यपूर्ण कथनका प्रतिवाद करनेके लिए ही जवाबमें यह पुस्तक लिखी गयी है। यदि वे बाद 'प्रतिवादका' सिलसिला आगे बढ़ाना चाहें तो हम सहर्ष उसके लिए तैयार हैं। (दो शब्द, पृष्ठ २-३)

समझमें नहीं आता कि हम किस विषयको लेकर परस्पर मिड़े। हमारे बाद-प्रतिवादका 'सिलसिला' क्योंकर आगे बढ़े? 'भाषाके ज्ञेयमें' हमारी भी वही स्थिति है जो 'बिहारी' सज्जनों की। हमारी जन्मभाषा 'पछौही' नहीं पूर्वी वा भोजपुरी है। भोजपुरीकी गणना 'बिहारी'के भीतर ही होती है, बाहर कदापि नहीं।

रहो बिहारियों के 'अपमान' की बात सो उसके विषय में हमारा कथन यह है—

'हाँ, बिहारके प्रसंगमें इस मार्गधीको भी कुछ चर्चा हो जानी चाहिये। भाषाके ज्ञेयमें बिहारी सज्जन किस दृष्टिसे देखे जाते हैं, इसके कहने को कोई आवश्यकता नहीं। उर्दूके लोग उनकी जबानसे कितनी दूर रहना चाहते हैं। इसका कुछ पता शेख इमामबख्श। नासिख-की उस करनीसे लगाया जा सकता है जिसका परिचय उन्होंने अजीमबाद (पटना) से भागते समय दिया था। बिहारियोंके बीच रहनेसे उनकी जबान खराब हो रही थी। पर हिंदीका आचार्य भिखारीदास भाषाको कोई छुईमुई जैसी चीज नहीं समझता। उसकी दृष्टिसे उसमें मार्गधीका भी उचित पुट दिया जा सकता है। भला कौन कह सकता है कि कितने दिनोंसे हमारे देशके आचार्य भाषाके 'षट्कृस' में मग्न हैं और अन्य भाषाओंके सुधर शब्दोंको अपनानेमें लीन।' (बिहारमें हिन्दुस्तानी, पृ० ४१-४२)

उस अवतरणमें बिहारी सज्जनोंका अपमान है अथवा मान, इसका निर्णय हम उन्होंकी न्यायबुद्धिपर छोड़ देते हैं और इस प्रसंगका एक दूसरा अवतरण उनके सामने रख देते हैं। यह अवतरण 'उर्दूकी उत्पत्ति' नामक लेखसे लिया गया है जो अब 'भाषाका प्रश्न' (नां० प्र० सभा काशी से प्राप्य) नामक पुस्तकमें छपा है। प्रकृत पुस्तकके पृ० १३१ पर आपको दिखाई देगा।

"साहब किवलः। आपने किराया दिया है, वेराक गाड़ीमें बैठिये। मगर वातोंसे क्या तअल्लुक?" उसने कहा 'हजरत क्या मुज्जायकः है, बाहका शाल है, वातोंमें जरा जी वहलता है।' भीर साहब बिगड़

कर बोले कि ‘खैर, आपका शामल है, मेरी जबान स्वराव होती है।’ मीर साहब वेदिमांग कहे जाते हैं। वह उनकी वेदिमांगी हो सकती है, पर बात यहीं समाप्त नहीं होती। शेष इमाम बख्श नासिख, जो अधिनिक उदूके विधाता और जबानके पक्के पहलवान हैं, (इसी पहलवानीके लिए नासिखकी उपाधि से विभूषित हैं) अजीमावाद (पटना) से भाग पड़े। वह इसलिये नहीं कि वहाँ आवभगतकी कमी पड़ी, बल्कि इसलिये कि वहाँ रहनेसे उनकी जबान बिगड़ती थी। चौदहीं पड़नेसे माशूकका बदन मैला हो या नहो, किंतु बाहरी जबान कानसे पड़नेसे इन लोगोंका बदन (मुँह) जखर मैला हो जाता था। तभी तो इस तरह जनता क्या, भद्र पुरुषोंसे किनारा कसते थे और कमरे में बैठे बिठाये अरबी फारसीके बलपर जबानका दंगल भारते थे और शागिर्दोंकी वाहवाही और शरीफोंकी खूब खूबमें मग्न होकर हिंदी जबानका खून कर जाते थे और इमाम नासिख, इमाम नासिखके रोबमें जबानके गाजी बन जाते थे।’

और, ‘हाँ, तो इमाम नासिख लखनवी थे। देहलीका शायद उन्होंने मुँह भी नहीं देखा था। दिलीबालोंके लिये वे भी पूरबी थे। उन्हें जबानका इतना नाज क्यों हुआ कि पटनासे भाग पड़े? उनके पिता भी तो देहली न थे बल्कि महज पंजाबी थे। उनको इस प्रकारका जबान पर दावा क्यों हुआ? बात यह है कि अपनी जबानको फारसी रंगमें उन्होंने इतना रंग लिया था कि यार लोग उस पर लट्ठू हो गये थे। उन्हें उदू ए मुअल्लकी सुधि न रही। नासिखके कलामका सुलझाए उनपर भी हावो हो गया और वे लोग उन्हींको कामिल उस्ताद मानकर उनकी जबानकी पैरवी करने लगे। नतीजा यह हुआ कि लखनऊ लखनऊ न रहकर ‘इस्फहान’ हो गया और उदू खासी फारसी बन गयी। फिर अजीमावादसे भागते नहीं तो करते क्या? पटनातो? ‘इस्फहान’ होनेसे रहा।’

अस्तु ‘विहारके कुछ साहित्यसेवी’ कुछ भी कहते रहे किंतु ‘पटना तो इस्फहान होनेसे रहा’ का अभिमानी हृदय यह तो सह नहीं सकता कि

“जगज्जननी जानकी तथा गौतम बुद्धकी पुण्य भूमि” में रहनेवाले जीवोंकी स्वतन्त्र सत्ता “औरंगजेब और वाजिदअली शाहकी राजधानीयोंमें बसनेवाले” ‘इरानी तूरानी नज्जादों’ अथवा ‘नजीबों’ और ‘मर्दुओं’ की बोली-ठोलीकी नकलमें नष्ट हो जाय और बिहारकी जबानकी लगाम किसी हिंदी-द्रोहीके हाथमें सौंप दी जाय जो बिहारी नहीं चाहे हापुड़ी भले ही हो ।

‘जगज्जननी जानकी तथा गौतम बुद्धकी पुण्य भूमिमें रहनेवाले’ हिंदुओंकी धर्मनिष्ठा भी देख लीजिये । डाक्टर आजम करेवी (कुरीबी ?) कहते हैं

“उसके एक धंटेके बाद जब सत्यनारायणकी कथामें गाँववालोंको बड़ा मजा आ रहा था, सुन्दरिया चीखती चिल्हाती आयी । इसकी आँखोंमें आँसू थे । चेहरा उस्सेके मारे तमतमा रहा था । उसने चिल्हाकर कहा ‘पंडितजी महाराज ! दोहाई है, गाँववालोंकी दोहाई है, लालाजीने (यजमान) मेरो इज्जत लो है ।’ लालाजी एक तरफसे लूपके हुए आये । उनकी आँखें लाल हो रही थीं, और पाँव डगमगा रहे थे । उन्होंने जोधाको हुक्म दिया ‘यह पींगल है । इस बदमाश औरतको बाहर निकाल दो ।’ (बगुलाभगत पृष्ठ ११) ।

इधर युक्तप्रांतके ‘अलमोड़ा’ के मियाँ अुङ्बू खाँकी बकरीकी दीनपरस्तीपर भी गौर कीजिये । डा० जाफिर हुसैन साहब जैसे गांधी-प्रिय-मुसलमान का कहना है

“सितारे एक एक करके गायेव हो गये । चाँदनीने आखिरी वक्तमें अपना जोर दुरुना कर दिया । भेड़िया भी तंग आ गया था कि दूरसे एक रोशनी सी दिखाई दी । एक मुर्गने कहींसे बांग दी । नोचे बस्तीमें भरिजदसे अजानकी आवाज आयी । चाँदनीने दिलमें कहा कि अलाह तेरा शुक है । मैंने अपने वरामर मुकाबिला किया, अब तेरी मरज्जी । मुअज्जन आखिरी दफा अलाह अकबर कह रहा था कि चाँदनी बेगम जमीनपर गिर पड़ी । उसका सफेद वालोंका लिबास खूनसे बिलकुल सुख्ख था ।’ (अब्बू खाँकी बकरी, पृष्ठ १२) ।

सत्यनारायणकी कथा के व्यभिचार (विहार) और अबेबू खाँकी बकरी के इसलाम (युक्तप्रांत) की आलोचना 'विहारके कुछ साहित्य-सेवी' स्वयं आसानीसे कर सकते हैं और अब 'होनहार' के मुख पृष्ठपर अंकित चित्रको भी भलीभाँति हृदयंगम कर सकते हैं। उसके संबंधमें हमने 'विहारमें हिंदुस्तानी' में संकेत किया है। हाँ, यहाँ उन्हें इतना और जान लेना चाहिये कि उस पुराय भूमिके सयानों को अब हिंदू धर्मका यह और इतना ही परिचय दिया जायगा कि

"यह धर्म बहुत पुराना है। आर्योंको आवादीके साथ ही इस धर्मकी पैदाइश हुई। इसकी जड़ वेद है। त्राल्लणोंने इस धर्मका प्रचार करनेमें बड़ी कोशिश की इसलिये इसका दूसरा नाम त्राल्लण धर्म भी है। इसमें कई संप्रदाय या फिरके हो गये हैं। बौद्ध-धर्म और जैन-धर्म भी इसीके फिरके हैं। मगर आज बौद्ध-धर्मका बोलबाला हिंदुस्तानसे बाहर तिष्वत, चीन, जापान, स्याम, लंका वगैरह मुल्कोंमें भी है। हिंदू धर्ममें मुख्य नसीहतें ये हैं। (१) किसीको तकलीफ न पहुँचाओ। (२) दूसरेकी चीज वगैर उससे पूछे न लो। (३) हमेशा सच बोलो। (४) मौकेपर अपनी ताकतके मुताबिक खैरात करो। (५) पराई औरतों पर बुरी नजर भत रखें। (६) ज्यादा लालच न करो। (७) बड़े बूढ़ोंकी कद्र करो। (८) सब जीवोंपर दया करो। इस धर्मका चलानवाला कौन था। इसका पता नहीं !" (दुनियोंके बड़े-बड़े मजहब, पृ० १-२) ।

गौतम बुद्धके पुण्य देशके निवासियोंके लिये हम इतना और निवेदन कर देना चाहते हैं कि मुसलिम साहित्यमें गौतम बुद्ध 'बोज आसफ' नाम के पैगम्बर के रूपमें ख्यात हैं और अन्यासियों के प्रसिद्ध मंत्री बरामका पहले बौद्ध ही थे। दाराशिकोहका तो यहाँतक कहना था कि 'कुरानरारी'ओं उपनिषदोंका संकेत है। फिर भी हमारी यह दृशा ?

पारसी भतके विषयमें हिन्दू धर्मसे दो एक शब्द अधिक लिख दिये गये हैं फिरु पारसी भतका कोई परिचय नहीं दिया गया है। केवल इतना कह दिया गया है कि 'दुनियामें इस मजहब को फैलानेवाले एक

बहुत बड़े पैगांवर (दूत) 'जरतसव' थे।' वस इसके बाद पारसियोंका परिचय दिया गया है। 'जरतसव' !

आर्यमतोंको इस प्रकार चलता कर शामी मतोंका गुणान किया गया है और ९ पृष्ठके लगभग उनके लिये सुरक्षित कर लिया गया है। इसलामके विषयमें जो कुछ लिखा गया है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी कल्पना कुछ तो इसी वाक्यसे हो जाती है—“कुरान अल्लाताला की भेजी हुई किताब है और उसमे रोजा नेमाजके अलावा दुनियोंकी हर बातोंके बारेमे लिखा हुआ है।” और कुछ इस वाक्य से कि—“आपने बताया है इसलाम मजहबमें राजपाट और मजहब एक ही चीज है।” उधर 'कुरान' में सभी बातें हैं, इधर राजपाट और मजहब में भैद नहीं। फिर क्या ?

एक बात और। यही अनीसुर्हमान साहब 'जगद्गुरु और भंगी' के भी लेखक हैं। 'होनहार' के संपादक भी यही हजरत हैं। आप इसलामके प्रसंगमें तो 'अमीरुल्लमोमेनोन' और 'खलीफतुल मुस्लेमीन लिख जाते हैं पर शंकराचार्यके मुँहसे 'घृणाके योग्य' नहीं कहा सकते; नहीं, उनकी भाषाको तो और भी अरबी बना देते हैं। देखिये तो सही, कितनी सटीक भाषा है। जगद्गुरुजो कितनी साफ उद्दू में करमाते हैं

“हो, बेशक ! हिन्दू धर्मके हिसाबसे तू यकीनी काविले नफरत है।”

अब 'मजीद मस्जिक' की लिखी रंगमें भंग' का रंग देखिये। 'जगजननी जानकीकी पुण्य भूमि' में क्या और किस ढंगसे हो रहा है? कहाँकी संस्कृति उसमें बोल रही है? 'वरदत्ता' किस धर्मका प्रतिपादन कर रही है? विहारके पंडितोंके घरकी यह दृश्या ! इसमें समर्त हिन्दू जातिका अपमान है।

“रामकिशोर (दुलहा) —मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे मुझे शादी मंजूर है।

पंडित करताकिशुन (दुलहिनके बाप) - मुझे मालूम था कि यही होगा। सिर्फ मुझे जलील करनेके लिए यह किया गया।

रामकिशोर नहीं, नहीं, हरगिज नहीं ! यह आप क्या कहते हैं ?

‘पंडित करताकिशुन मेरी किरणातमे यही जिल्हत लिखी थी।

पंडित ईथामलाल (दुल्हेका वाप) —ऐसी बात जबानपर मत लाइये। आप हम सबके बुजुर्ग हैं।

(दुलहिन अपनी नजर जमीनसे उठाती है और दुलहा के चेहरेपर गाड़ देती है। रामकिशोर उसकी तरफ देखता है, लेकिन धबराके निशाहें नीचो कर लेता है)।

शाकुन्तला (दुलहिन) वेशाक, खतम हो गया। तमाम किसाएँ हमेशा के लिये खतम हो गया (पृ० १०)।”

वस ! कृपया भूल न जाइये कि वाजिदअली शाहके लखनऊ अथवा नासिरखके इस्फहानकी “औरतोंकी जबानपर हिन्दी अल्फाज बकसरत हैं। इसलिये रेखती तो सरासर हिन्दी रंगमे छूटी हुई है।” (मुईनुद्दीन अहमद नदवी, हिंदुस्तानी (उर्दू) १६३८ ई० पृ० २०८)।

अन्तमे हमारा यह नम्र निवेदन है कि हमारे ‘कुछ साहित्यसेवी’ जमानेके रूखको देखें और इसे प्रांतीयताका रंग न दें। ‘विहारमें हिंदुस्तानी’ को अच्छी तरह समझानेके लिए कमसे कम हमारी ‘भाषा का प्रश्न’, और ‘कचहरी भाषा और लिपि’ नामक पुस्तकोका अध्ययन कृपाकर अवश्य करें और युक्तप्रांतकी हिंदुस्तानीकी धजियाँ भी खूब उड़ायें। हमारे सामने तो इस समय समूचा हिंद है।

लेख समाप्त करते करते एक बात और सामने आ गई। हिंदी साहित्य सामोलन के गत (काशी के) अधिवेशन में देशरत्न राजेन्द्र बाबूने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे विहार की सथानी रीडरोंका कुछ पता नहीं है और प्रो० अमरनाथ भाने भी ‘लीडर’, सरस्वती’ आदि से यह स्पष्ट घोषित कर दिया है कि उनका उक्त कमेटीसे कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी हमारे सथाने विहारके कुछ साहित्यसेवी लिख भारते हैं कि उसमें ‘डा० अमरनाथ भा० जैसे लोग भी हैं।’ बात बिल्कुल ठीक है। यदि उन्हें स्थितिका ठीक ठीक पता होता तो यह हिंदुस्तानी हुरदंगा हो क्यों मचाया जाता ?

विहारके कुछ साहित्य-सेवियोंका दावा या स्वाभिमान तो यह है कि

“आपको मालूम होना चाहिये कि जगज्जननी जानकी तथा गौतम बुद्धकी पुण्य भूमिमें रहनेवाले हिंदुओंमें थ्रव भी वेशभूपा, भाषाभाव, तथा आचार-व्यवहारमें उतना परिवर्तन नहीं हुआ है जितना औरंगजेव और वाजिदअली शाहकी राजधानियोंमें वसनेवालोंका।’ (पृ० ३७)

कितु करनी यह है कि विहारको युक्तप्रांतका ‘नकलची’ बनाया जा रहा है और यदि उनसे कहा जाता है कि ऐसा ! आपकी भाषा हिंदी है और फलतः आपके यहाँके निरक्षर सथाने हिंदीमें शीघ्र साक्षर हो जायेंगे तो हमको मैदानमें उतर आनेकी खुनौती दी जाती है।

क्या हम ‘विहारके कुछ साहित्यसेवी’ की ‘विहार और हिंदुस्तानी’ को समूचे विहार की करनी समझ लें ? नहीं, कदापि नहीं। वह तो किसी शरणजीकी ‘भानमती की पिटारी’ है। उसके सथाने लेखकों को इतना भी पता नहीं कि शब्दका अर्थ वाक्यमें खुलता है, कुछ कोश में नहीं। किर भी हमारे सथाने ‘विहारके कुछ साहित्यसेवी’ न जाने किस आधार पर खड़े होकर हमें ललकार रहे हैं पर अपने ढंगपर कह वही रहे हैं जो हम कहते आ रहे हैं अथवा अभी जो कुछ और कहना चाहते हैं। वस विहार को इस प्रश्न पर डट कर विचार करना चाहिए और ‘राजेन्द्र रीडर’ के ‘दो भाई’ का अध्ययन आँख खोल कर करना चाहिये। यदि उन्होंने उस ‘दो भाई’ की कहानोंको जान लिया तो ‘हीनहार’ के चित्रको भी समझ लिया। रही तुकी टोपीकी बात। सो उसके लिए ‘कचहरीकी भाषा और लिपि’ अथवा जून १९३९ की ‘बीणा’ में प्रकाशित ‘हिंदू मुसलिम समस्या’ शीर्षक लेख पढ़नेकी कृपा करें, उससे उनकी आँख खुलेगी।

- :-

६ बेसिक हिंसाबकी पहली पुस्तक

बधाँ की शिक्षा-परिपाठीने धीरे धीरे युक्तप्रान्तमें भी अपना पाँव पसार दिया और प्रांतके शिक्षा-विभागकी ओरसे कुछ बेसिक पोथियाँ

भी निकल आई। इन पोथियोंकी भाषान्तीति क्या रही है, इस पर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं। यहाँ विहारकी मांति हिंदी और उर्दूको एक करनेका प्रयत्न नहीं रहा है। यहाँ हिंदी हिंदी और उर्दू उर्दू रखी गई है। परंतु यह तो कहनेकी वात रही है। वस्तु-स्थिति तो यह है कि इन पुस्तकोंकी भाषान्तीति कुछ और ही है। इनकी उर्दू तो उर्दू है पर इनकी हिंदी हिंदी नहीं और चाहे जो हो। चाहें तो उसे हिंदुस्तानी कह सकते हैं, पर्योक्ति भाषाको अष्ट करना ही हिंदुस्तानी का ध्येय है।

‘वेसिक हिंसाब की पहली पुस्तक’ की ‘प्रस्तावना’ में ही उसके रचयिता डा० इबादुर्रहमान खाँ का मुहावाक्य है

“हमारे डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्सट्रूक्शन मिठो जें सी० पावल प्राइस इन पुस्तकोंके निकलनेके विषयमें बहुत उत्सुक रहे हैं और यह पुस्तक उनके प्रोत्साहन तथा सलाहका ही फलस्वरूप है। इस पुस्तकका कापीराइट प्रांतीय सरकारका है।”

यही वात ‘वेसिक हिंसाबकी पहली किताब’ के ‘पेशलफ़ज़’ में इस प्रकार लिखी गई है

“हमारे डायरेक्टर सरितये तालीम जनाव जें सी० पावल प्राइस साहब इसके धड़े ख्वाहाँ थे और यह किताब उन्हींकी हौसलः अफ़ज़ाई और मशविरोंका नतीजा है। इस किताबके जुमलः हुक्मक गवर्नरमेंटके नाम महफूज है।”

‘यह पुस्तक उनके प्रोत्साहन तथा सलाहका ही फलस्वरूप है’ कहाँ की हिंदी भाषा है यह हम तो नहीं कह सकते। हमें यहाँ कहना तो यह है कि हिंदी में तो ‘डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्सट्रूक्शन’, ‘मिस्टर’ और ‘कापीराइट’ का प्रयोग हो सकता है, पर उर्दूमें इन्हें ‘सरितये तालीम’, ‘जनाव’ और ‘जुमलः हुक्मक’ का जामा पहनना ही होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदीके लिये तो यह सब नया है पर उर्दूके लिये परम्परागत अथवा उर्दूमें तो फारसी-अरबीके सहारे नये नये राज्द गढ़े जा सकते हैं किन्तु हिंदीमें किसीके सहारे कदापि नहीं।

उर्दूमें 'साहब' का प्रयोगकर यह स्पष्ट दिखा दिया है कि उर्दू शिष्ट भाषा है और हिंदी वस्तुतः भौंडी और भदी।

यह तो हुई प्रस्तावनाकी बात। अतएव इसे छोड़ अब मूल पाठ पर आइये। पृष्ठ ४३ पर प्रश्न किया गया है: १—“एक गजमें कितने कीट हुए।” यही प्रश्न उर्दूमें इस प्रकार है:— १—“एक गजमें कितने फुट हुए।” विचार करनेकी बात है कि हिन्दीमें तो फुटका बहुवचन 'फोट' दिया गया है किंतु उर्दूमें उसे फुट ही रहने दिया गया है। प्रसिद्ध बात तो यह है कि वास्तवमें उर्दूका कोई अपना निजी व्याकरण नहीं। उसका व्याकरण बहुत कुछ फारसी-अरबीके सहारे खड़ा होता है और उसके बहुवचन भी भौति-भौति से बनते हैं, परंतु यहाँ सिद्ध इसके प्रतिकूल हो रहा है। यहाँ हिंदी में 'फुट' का बहुवचन अंगरेजी के ढंग पर 'फ़ॉट' बनाया जा रहा है जो हिंदी की दृष्टि से नितांत अशुद्ध है। हम हिंदी में इसे इस प्रकार तो लिख नहीं सकते कि 'एक गजमें कितने फुटे हुए' फिर यह 'फोट' का प्रयोग कैसा? यह तो हिंदी नहीं हिंदी भाषा का उपहास है। भोलेभाले बालकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यही न कि हिंदी का अपना कोई मार्ग नहीं? और यहाँ इसी प्रकार का गड़बड़-भाला चलता रहता है?

एक अन्य वाक्य लीजिए। पृष्ठ ४४ पर कहा गया है कि “५ तोले तराजू के एक तरफ और १ छटोंक दूसरी तरफ रक्खो।” पता नहीं कि डाक्टर खाँ महोदय को और से इतनी चिढ़ खाँ है कि हिंदी पुस्तक में भी उसको स्थान नहीं देते और छोटे-छोटे हिंदी वच्चों के सामने उस 'तरफ' को ला देते हैं जो एक ही वाक्य में 'स्त्री' और 'पुरुष' दोनों वन जाता है। क्या डाक्टर खाँ यहाँ भी यह पढ़ाना चाहते हैं कि हिंदी में लिंग का कोई नियम नहीं है, जो चाहे जिस रूप में एक ही शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग करे? अथवा यह उनके कर्मचारियों की असावधानी का परिणाम है? अथवा वह यह चाहते हैं कि 'गालिब' से सीख लेकर बालकों को यह बताया जाय कि तोले की ओर स्त्री और

छटोंक की ओर पुरुष होने के कारण एक ही 'तरफ' ने यह भिन्न-भिन्न लीला की है ? रथ के लिंग का रहस्य 'गालिव' ने कुछ इसी ढंग से खोला था न !

यही नहीं, यदि वाक्य की गड़बड़ी देखना चाहे तो इसवान्यन्योजना को लें “३ पाव रई साफ करने के लिये एक दर्जे में दो रई और हर लड़के ने २ तोला पाई ।” (पृ० ४५) क्या यही है युक्त प्रांत की वह हिंदी जो उर्दू और हिंदुस्लानी से सर्वथा भिन्न शिष्ट हिंदीकही जाती है ?

एक और छोटा सा सीधा वाक्य लें और इस वेसिक शिक्षा की भाषा-नीति के मूल से पैठें। देखें, प्रश्न है ६—“दो जगहों का सबसे कम फासलः सीधी लकीर जाहिर करती है या टेढ़ी लकीर ?” इसी की हिंदी है—“२ जगहों का सबसे कम फासला सीधी लकीर बताती है या टेढ़ी लकीर ?” ध्यान देने की बात है कि ‘बताती है’ तो उर्दू नहीं है पर ‘जगह’, ‘फासला’ और ‘लकीर’ हिंदी अवश्य हैं। हम ‘खँ’ महोदय से पूछता चाहते हैं कि “२ स्थानों की सबसे कम दूरी सीधी रेखा बताती है या टेढ़ी रेखा ?” हिंदी क्यों नहीं है और क्यों ‘जगह’ ‘फासला’ और ‘लकीर’ ही हिंदी है ?

हमारी हिन्दी की दशा तो यह है कि यहाँ विल भी ‘चुकता’ नहीं ‘अदा कर दिया’ जाता है, देखिए—

“दसन्दस रूपये के कितने नोट चाहिए ताकि सब रकम अदा हो जाय और कुछ बाकी भी रहे । तीस रूपये बारह आने में से क्या बच रहेगा । अगर सब विल अदा कर दिये जायें और सबा रूपया फुटकर खर्च हो ?”

यह तो हुई हमारी हिंदी । अब इसकी उर्दू देखिए “दस दस रूपयः के कितने नोट चाहिए ताकि सब रक्म अदा हो जाये और कुछ बाकी भी रहे । तीस रूपयः बारह आने में से क्या बच रहेगा अगर सब विल अदा कर दिये जायें और सबा रूपयाः मुतफ़र्क खर्च हो ।”

तनिक सोचिए तो सही कि क्यों हिंदी में तो ‘ताकि’ ‘रक्म’, ‘अदा’ ‘बाकी’, ‘आर’ और ‘खर्च’ आदि सभी विलायती शब्द खप सकते हैं

पर उद्दूर्में 'फुटकर' भी नहीं जी सकता और 'रूपये' को फारसी रूप धारण कर 'रूपयः' बनना पड़ता है! क्या हिंदी में 'जिससे', 'धन', 'चुकता', 'चदि', 'व्यव्य' आदि प्रतिदिन के व्यवहारके प्रचलित शब्दों का व्यवहार ठीक नहीं होता कि उन्हें खदेड़कर उनका स्थान दूर के मनबुझे फारसी-अरबी शब्दों को दिया गया है?

अब यदि युक्तप्रांत के शिक्षा-विभाग की यही नीति है कि हिंदी के अत्यत प्रचलित नित्य प्रति के व्यवहार के घेरेलू शब्द भी बालकों की पाठ्य पुस्तकों में न रहने दिए जायें और उनकी जगह हूँड हूँड कर फारसी-अरबी के किताबी शब्द रखे जायें तो सरकार चाव से ऐसा कर सकती है और उन्हें लाठी के बल पर चला भी सकती है पर हिंदी पर इतनी कृपा तो उसकी होनी ही चाहिए कि उसे वह इस प्रकार अष्ट न करे। जब प्रभुता उसके हाथ में है तब कोई कारण नहीं कि वह उद्दूर अथवा हिंदुस्तानों का प्रयोग खुलकर क्यों न करे? हम तो किसी भी दशा में यह मानने से रहे कि डाकटर इब्राहिमान खाँ ने बेसिक स्कूलों की प्रथम कक्षा के लिए' कोई हिंदी की पुस्तक लिखी है। आप चाहें तो उसे हिंदुस्तानी की पुस्तक मान सकते हैं। क्योंकि उसकी अष्ट भाषा को हम किसी अन्य रूप में देख ही नहीं सकते। क्या युक्तप्रांत के शिक्षा-विभाग के कर्णधार श्री जे० सो० पावल प्राइस महोदय से वह आशा की जा सकती है कि उनके उदार अनुशासन में हिंदी की इस प्रकार की हत्या न होगी और हिंदी भी उद्दूर की भाँति ही अपना स्वतंत्र विकास कर सकेगी? यदि उनका उद्दूरदेश्य किसी हिंदुस्तानी का निर्माण करना होता तो सम्भवतः हम भौंन ही रह जाते परंतु जब हम देखते हैं कि हिंदी की ओट में हिंदी की चिंदी बनाई जा रही है तब हम उनका द्वार क्यों न खटखटाएँ। क्या खटखटाने से उनका द्वार खुलेगा। और उनके घर में हिंदी को स्थान मिलेगा?

१० केर बेर को संग

‘वादशाह दशरथ’ की बात अभी पुरानी भी न होने पाई थी कि विहार के प्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने जोम में आ, कर उसकी धूम मचा दी और दलवाल के साथ ‘हिंदुस्तानी’ के धेरे से निकालकर उसे हिंदी की छाती पर विठा दिया। अब कौन कह सकता है कि ‘वादशाह’, ‘शहर’, ‘कुछ’, ‘महल’, ‘मकान’, ‘किला’, ‘वर्गैरह’ आदि के लिये भी हिंदी में कुछ अपने शब्द हैं। अब तो हमें भी विवश हो मानना ही पड़ेगा कि पाटलिपुत्र के विश्वविद्यालय सम्राट् वास्तव में ‘वादशाह’ थे और ‘महल’, ‘मकान’ एवं किले में रहा करते थे और वहाँ कभी कोई ‘सुगाई नामक महल’ भी था; क्योंकि विहार हिंदी-साहित्य सम्मेलन के ‘हिंदी’ खंड में ‘पाटलिपुत्र’ के ‘अतीत’ के विषय में प्रश्न हुए हैं:

“(३) पाटलिपुत्र पर किन वंशों के वादशाहों ने राज किया ?

(४) किन कारणों से इतने बड़े शहर के कुल महल, मकान, और किले वर्गैरह नष्ट हो गये ?” (साहित्य संबंध प्रथम भाग, पृ० ६१) और अभिमान के साथ लिखा गया है—

“शाको के शासन से भारिकों ने मगध का उद्धार किया कौमुदीमहोत्सव नाटक से जान पड़ता है कि चन्द्रगुप्त के अम्बुदय के कुछ ही पहले राजा सुन्दर वर्मा मगध पर राज करते थे और पाटलिपुत्र के सुगाई नामक महल में रहते थे।” (वही, पृ० ६०)

‘भारिकों’ और ‘सुगांगभ्रासाद’ का पता तो हमें भी था; किन्तु ‘भारिकों’ और ‘सुगाई महल’ की खोज प्रांतीय सम्मेलन के प्रधान मन्त्री ने ही की होगी ! इसी प्रकार ‘ताम्रलिपियों’ का पता भी पहले-पहल यहीं लगा है। आप कहते हैं “‘इसा को वारहवीं राताब्दी की कुछ ताम्रलिपियों से जान पड़ता है कि वन्वई का दृश्यणी हिस्सा और उत्तर मैसूर नन्द राजाओं के अधिकार में था।” (वही पृ० ५७)

हमने कभी राष्ट्र के लिये ‘जेल्यात्रा’ नहीं की अतएव कह नहीं

सकते कि 'भारीकों', 'सुगाई महल' तथा 'ताम्रलिपियों' के अपूर्व अनु-संधान से राष्ट्र का उद्घार होगा अथवा नहीं, परंतु 'प्राचीन पटना' का अभिमानी होने के कारण ललकारकर कह सकते हैं कि इस प्रकार की भोड़ी शिक्षा देनेवाले मागधों को कहीं दूष मरना चाहिए। वस, हो चुका, अब अपने पूर्वजों का नाम भत लो और चाहो तो शौक से इस प्रकार की 'शुद्ध' (?) हिंदी को अपनी मातृभाषा बना लो

"अ" ने अदालत को अदब से आदाव कर इस प्रकार अर्ज किया:- मिठा लाडू स ! आज जिस अपील को लेकर मैं इस अधिवेशन में खड़ा हु भा हूँ, वह अत्यंत अभिनव है। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस अमल का कोई मामला पहले नहीं उठा था और न उस पर कोई फैसला ही है कि नजीर मे पेश किया जा सके। तो भी जहाँ तक हो सकेगा मैं बहुत साफ तौर से हुजूर को समझाऊँगा कि हमारा केम क्या है और हमारा दावा किन बातों पर निर्भर है। हुजूर ध्यान से सुनें" (वही, हिंदी खंड, पृ० ६३)

'हिंदी-साहित्य' की 'इस शुद्ध हिंदी' में 'अधिवेशन', 'अत्यंत', 'अभिनव', 'निर्भर' और 'ध्यान' कहाँ से आ गये, यही आश्चर्य है। इसी रंग को देखकर तो यार लोग कहा करते हैं कि 'हिंदी' हम लोगों को चिढ़ाने के लिये बड़ी गई है; नहीं तो उद्दू को तो हिंदुस्तान का बचा बचा भमभता है।

बिहार-भांगीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 'हिंदी' खंड के विषय में कुछ और निवेदन करने की आवश्यकता नहीं, उसे आप स्वयं भी देख सकते हैं और सहज में ही समझ सकते हैं कि उसमें आपकी प्रिय संतान के लिये कौन-भी अनु म अभियन्हूँट है। रही हिंदुस्तानी की बात, सो आपको उसकी चिता क्यों है ! उसके रथ पर तो बड़े-बड़े 'बाबू' और 'भहात्मा' हैं। फिर उसे किसी की बया पड़ी है कि आप की सुधिले ! हाँ, उद्दू का रंग अवश्य देखिये। यही तो लोचन-लाभ है ?

बिहार की हिंदी की आठवीं कक्षा के लिए साहित्य सभा, प्रथम भाग है तो उसकी उद्दू की 'आठवीं जमानत' के लिये 'निसाबे जदीद,

हिंसा: अवल'। दोनों में 'हिंदुस्तानी' है, किंतु तनिक पाठभेद के साथ। परीक्षा के हेतु पं० जवाहरलाल नेहरू' को पढ़ देखिए। सम्भव है आप इस 'साहित्य संभ्रह' के हिंदुस्तानी क्रम को देखकर चकित रह जायें और समझन सकें कि किस न्याय से '६' के बाद '१' फिर '३' और फिर '२' पाठ्य क्रम रखा गया है और ४ एवं ५ को यों ही त्याग दिया गया है; परंतु इससे क्या? आपको तो 'साहित्य-संभ्रह' और 'निसाबे जदीद' की हिंदुस्तानी एकता का लेखा लेना है। अच्छा, तो हिंदी की हिंदुस्तानी में लिखा गया है

"गांधा जी के बाद जिसका नाम सबसे ज्यादा जगाजाहिर है उस पं० जवाहरलाल नेहरू का नाम भला किस बच्चे ने नहीं सुना होगा?"
(सा० सं०. पृ० १२१) एवं उद॑ की हिन्दुस्तानी में कहा गया है

"गांधीजी के बाद जिन लोगों का नाम सबसे ज्यादह जगत जाहिर है उनमें प० जवाहरलाल नेहरू का नाम भला किस बच्चे ने नहीं सुना होगा।" ('निसाबे जदीद', पृ० ९७)

'साहित्य-संभ्रह' और 'निसाबे जदीद' के पाठभेद पर विचार करना व्यर्थ है। 'साहित्य-संभ्रह' में कहा भी गया है कि 'हिंदुस्तानी' के नमूने स्वरूप जिन लोगों का यहां संभ्रह हुआ है उनमें कहों कहों दो-एक शब्द बदल देने की जरूरत पड़ी है।" निदान जब तक इस 'बदल' का भेद नहीं खुलता। तब तक हम यहो कहना चाहते हैं कि एकता का ढोंग यहां भी न चल सका और अन्त में उफ सम्मेलन का सुंह खुल ही गया। हिंदुस्तानी के पुजारियों को मैदान में आकर इस गुर्थी को समझाना चाहिये; अन्यथा उन्हीं का 'साहित्य संभ्रह' उनकी पोल खोल रहा है और चुनौतों देकर कह रहा है कि सब सदृश, किंतु भ्या तुम सच्चे भी हो? बस, 'किलित' की पारू-भावना आ दर्शन करना हो तो कृपा कर हिंदी के कर्णधारों के पवित्र नामों का पाठ कीजिए। लीजिए वे आपके सामने प्रस्तुत हैं

'गौरी सिंध, हीराचन्द, ओसागर, भरसिंध ठाकुर,.....
गौरी "कुरी" हिराजन्द, او گار, دھری.....

गीतभटन, दोबदी, महावीरपरशाद दोबरी, हेमराज दास”
 گیت ٹھنڈی ۱۹۰۵ء میں پاکستان کے اس ایام میں اسی حالت
 (پूर्ण १४९) आदि। कहाँ तक कहें आप स्वयं अपने साहित्य के इतिहास
 को औख खोल कर पढ़ जायें और उद्दू' के गूढ़ एवं व्यवस्थित भीतरी
 चक्र को भली मांति परख लें। ध्यान देने की बात यहाँ यह भी है कि
 उद्दू' के इस ‘इंतखाबात हिंदी अद्व’ में यह अंश भी उद्दू' ही है, इसकी
 भाषा तो वही उद्दू' है, पर विषय ‘हिंदी अद्व की तारीख’ अवश्य है।
 निदान निष्कर्ष यह निकला कि उद्दू' का वचा हिंदी को पढ़ नहीं सकता
 और हिंदी के बालक को उद्दू' पढ़नी ही होगी। ‘निसाबे जदीद’ के
 ‘हिंदी खंड’ का प्रथम पाठ तो निरचय ही उद्दू' ठहरा, अब दूसरे पाठ
 ‘रानी केतकी की कहानी’ को लीजिये। उसके विषय में निवेदन है कि
 वह ‘अरबी’, ‘फारसी’, ‘भाषा और संस्कृत’ आदि से मुक्त उद्दू' है।
 उसमें फारसी अरबी के शब्द नहीं हैं किंतु जो हिंदी शब्द उसमें लिये
 गये हैं वे टकसाली उद्दू' के ही शब्द हैं कुछ शुद्ध हिंदी के कदापि नहीं।
 देखिये

“किसी देस में किसी राजः के धर एक बेटा था। उसे उसके माँ-बाप
 और वर के लोग कुँवर उद्दैमान करके पुंकारते थे। सचमुच उसके
 जोवन की जोत में सूरज की एक सौत आ मिली थी।” (पूर्ण १५१)

‘सैयद इंशा’ की हिंदी छुट की नामक लेख में दिखाया गया है
 कि ‘रानी केतकी की कहानी’ में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसे ‘उद्दू'
 के ‘अच्छे से अच्छे’ और भले से भले’ लोग आपस में बोलते न हों।
 यही नहीं स्वर्गीय सर जार्ज ब्रियर्सन ने भी उसे इसी विशेषता के
 कारण प्रमाण में रखा है और स्पष्ट कहा है कि वह उद्दू' ही है। फिर
 भी जो लोग ‘रानी केतकी की’ कहानी को हिंदी ‘मानने का हठ करते
 हों, उन्हें इसी निसाबे जदीद’ की एक दूसरी कहानी ‘एक काठन रात’
 को भी पढ़ देखना चाहए और यह खूब समझ लेना चाहिए कि यह

* देखिए उद्दू' का रहस्य’ ना० प्र० सभा, काशी से प्रकाशित।

उसके सम्पादक अथवा 'जामिआ मिलिलया' की वट्ठि में भी उदूँ की कहानी है। 'रानी केतकी' और 'एक कठिन रात' में अंतर केवल इतना है कि 'रानी केतकी' में कोई 'मुसलमानी' शब्द नहीं और 'एक कठिन रात' में दो एक हैं। तो क्या 'हिंदुस्तानी कमेटी' विहार के उदूँ छात्रों को यहीं पाठ पढ़ाना चाहती है कि 'मुसलमानी' का बहिष्कार ही हिंदी है। उसर हाँ के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। कारण स्पष्ट है। 'परिचय' के रूप में जो निर्देश किया गया है उसमें बड़ी चातुरी से भलका दिया गया है कि अपनी इसी विशेषता के कारण सैयद इंसा हिंदी गाथ के 'मूर्जिद' (ईजाद, आवेषकार करने वाले) बने। जो हो, इस पाठ के द्वारा जिन हिंदी शब्दों का बोध कराया गया है वे हैं १ लड़कपन, २ नारियाँ, ३ होता चला आया है, ४ लिखौटी, ५ दुख पड़ा, ६ सोचुकते (सकुचते), ७ मुख्खात, ८ सफल (?), ९ लिखावट, १० बानन्दे, ११ सहाय, १२ अतीत, १३ भगाले, १४ सहती (सहित) १५ बधन्वर, १६ गाड़ (गाढ़), १७ विरोग, १८ आदेस, १९ जद, २० इंद्रासन, २१ तैसा, २२ अनक (?) २३ ईसरी, २४ उनके (को), २५ निरे, २६ उत्ति, २७ डालगों (?) रहस यह तड़ावे ?। इस प्रकार हम देखते हैं कि उदूँ छात्रों को जो हिंदी शब्द सिखाये गये हैं वास्तव में वे प्रति दिन के बोलचाल के ठेठ शब्द हैं। यह बात दूसरी है कि अरबी लिपि के दोष के कारण उनके पहचानते में कठिनाई होती है और 'जामिआ मिलिलया' तथा 'हिंदुस्तानी कमेटी' के लोग उन्हें नहीं समझ पाते अन्यथा वह विहार के मुसलमानों की जीभ पर बसे हुए, प्रति दिन के घरेलू शब्द हैं।

उदूँ की उदारता, ईमानदारी और सचाई तो यह है कि उधर हिंदी के उदूँ भाग से घोर उदूँ के ७ पाठ दिये गये हैं और एक से एक बड़ा कर फारसी अरबी के बीहड़ शब्द सिखाये गये हैं—'निर्मुन निहार' 'सञ्चार खावीदा', 'सबजाजार' और न जाने कितने बीहड़ शब्दों का कोश दिया गया है जो संख्या में २०० से कम न होंगे। ऊपर से 'हिंदुस्तानी' की उदूँ अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि 'विद्वारप्रांतीय

हिंदी-सा.हित्य-समेलन' और दिल्ली की 'जामिआ मिलियां' का यह रूप दर्शनीय है। अतएव, म बिहार के प्रभुओं और कांग्रेसी साहित्यिकों से सामन अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपने अभीष्ट को स्पष्ट करें और बिहार के प्रांतीय हिंदी रा.हित्य-समेलन को सदा के लिए अपना प्रिय खोजा बना लें जिसमें भविष्य में वी उद्दू का कोई आरंका न रहे और तपस्विनी हिंदी भी अपनी धूनी कहीं अलग रमाए। उसे मर मिटने में जो शान्ति मिलेगी वह इस 'विरोग' में नहीं।

- - - - -

११ रेडियो का आदान अर्ज

अखिल-हिंदी-सा.हित्य-समेलन के पूना अधिवेशन के समाप्ति ओसम्पूर्णानन्द आज जेल में पड़े हैं। उद्दू के लोग उनके अभिभाषण के एक अंश को ले बेतरह बरस पड़े हैं। इलाहाबाद की तो एक कांग्रेसी उद्दू चौकड़ी ने महात्मा गांधी जी का आसन हिला दिया है और राष्ट्र की पक्की गोहार लगा दी है। उधर दिल्ली की 'हमारी जवान' इस मैदान में और भी आगे निकल गई है और उसने अपनी नादानी की एक बढ़िया दूकान ही खोल दी है। हैदराबाद के अखबार भी चिल्ला छठे हैं। बात यह है कि श्री सम्पूर्णानन्द ने अपने अभिभाषण में लिख दिया कि

"सरकार का रेडियो विभाग तो हिंदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कहने को तो वह अपने को हिंदी उद्दू से अलग रखकर हिंदुस्तानी को अपनी भाषा मानता है पर उसकी हिंदुस्तानी उद्दू का ही नामान्तर है। मैंने शिकायते सुनी हैं कि टावस में संस्कृत के तत्सम शब्दों पर कलम चला दी जाती है। यह हो या न हो, उसकी हिंदुस्तानी के उदाहरण तो हम नित्य सुनते हैं। यदि 'मृग' जैसा शब्द भी आ गया तो 'यानी हिरन' कहने की आवश्यकता पड़ती है पर 'शफक्क', 'तसव्वुर', 'पेराकर' 'तख्ख्युल' जैसे शब्द सरल और सुव्वोध माने जाते हैं। रेडियो विभाग

समझता है कि सांधारणतया हिंदू मुसलमानों के घर यही बोली बोली जाती है। रेडियो का 'अनाउन्सर' कभी नमस्कार नहीं करता, उसकी संस्कृति में 'आदाव अर्ज' करना ही शिष्टाचार है।"

श्रीमन्मूर्णानन्द के कथन की भीमांसा तो दूर रही, उद्दू अंतिम वाक्य को ले उड़ी। इलाहाबाद की चौकड़ी ने वही सरसैयदी पाठ सुनाया और तपाक के साथ कह दिया कि जब मुसलमान अरब और ईरान से आये तब उनके पास यह 'आदाव अर्ज' नहीं था। यह तो हिंदू मुसलिम मेल से बना। 'हमारी जवान' कुछ और भी खुली। उसने बड़े तपाक से कह दिया

"ऐसा मालूम होता है कि हिंदी-साहित्य-रामभेलन के सदर (सभापति) 'आदाव अर्ज है' को भी मज़हबी जुमलः समझते हैं। यह न अरब में मुस्तामल है न ईरान में, इसका भोहकमये रेडियो के तमदूदुन से कोई ताल्लुक नहीं और सरकारी भोहकमों का कोई अलग तमदूदुन नहीं होता बल्कि यह ऐन हिंदुस्तानी तमदूदुन के मुताविक है।" (१६ जनवरी, अंजुमने तरफ़ कोए उद्दू (हिन्द) का पाक्षिक पत्र, दिवियांगंज दिली। पृ० ३)

देखा आपने कितने पते की बात है? 'आदाव अर्ज' न तो अरब में बोला जाता है और न ईरान में, न भिस्ले में बोला जाता है और न तूरान में। तो फिर हिंदुस्तान के सिर पर ही यह भूत सवार क्यों है? वी उद्दू फरमाती हैं कि यह हिंदू-मुसलिम मेल की निशानी है। हिंदुओं और मुसलमानों ने नमस्कार और सलाम को छोड़कर आपस के व्यवहार के लिये इसे बना लिया। सच पूछिये तो उद्दू के इसी फतवे में सारा भेद छिपा है। तनिक सोचिये तो भही कि 'आदाव अर्ज' के लिये इतना कठोर आभ्रह क्यों है क्या इसलिये कि इसमें इसलाम समेटकर रख दिया गया है अथवा इसलिये कि इसके द्वारा 'एशिया' के अन्य मुसलिम मुल्कों अरब, ईरान आदि -से किसी भकार का सम्बन्ध जुट सकता है? नहीं, कदापि नहीं। बेचारे अरब ईरान तो इसे जानते ही नहीं। उन्हें तो वही सलाम प्रिय होगा जो आज भी इसी

हिंदुस्तान में आदाव अर्ज से कहीं अधिक प्रचलित है और इसलाम का साथी भी है। पर रेडियो का 'अनाउन्सर' सलाम नहीं कहता क्योंकि वह इसलाम का प्रचारक नहीं हिंदुस्तान का भक्त है। वह तो उदूँ हिंदी को छोड़ निरी 'हिंदुस्तानी' में 'आदाव अर्ज' कहता है। उदूँ में क्या कहेगा? यह हम नहीं कह सकते। इसे तो उदूँपरस्त ही बता सकते हैं। हम तो केवल इतना ही कह देना चाहते हैं कि रेडियो का 'अनाउन्सर कभी नमस्कार नहीं करता' और सदा उस 'आदाव अर्ज' का व्यवहार करता है जिसका मजहब और इसलाम से कोई संबंध नहीं, जिसका अरब और ईरान से भी कोई लगाव नहीं।

'आदाव अर्ज' अरबी है पर अरब इसका अर्थ नहीं जानते। क्यों? बात यह है कि यह उनका शब्द नहीं। यह तो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी (अरबी) का शब्द है। हिंदुस्तानी में जितने शब्द गढ़े जायेंगे सब अरबी के होंगे! अरब उनको भले ही न समझें पर हिंदुस्तानी तो अवश्य ही उन्हें समझेंगे क्योंकि वे उनके आमफहम शब्द जो होंगे? बात भले ही गले के नीचे न उतरे पर मानना आपको यही पड़ेगा एकता जो चाहिये।

रेडियो का अनाउन्सर सदा 'आदाव अर्ज' क्यों करता है? यह समझ के बाहर की बात नहीं है। श्रीसन्पूर्णानन्दजी कहते हैं कि इसी को वह अपनी संस्कृति का शिष्टाचार समझता है। 'हमारी जावान' पहले तो 'संस्कृति को मजहब' की ओर खोंच ले जाती है और अपनी दुनिया को यह दिखा देना चाहती है कि कांग्रेसी सन्पूर्णानन्द भी इसलाम से चिढ़ते हैं और फिर उसका ठीक अर्थ 'तमदूदुन' लेती है और एक नई धौंस जमाती है कि इसका रेडियो के मुहकमे के तमदूदुन से कोई संबंध नहीं। ध्यान देने की बात है कि 'हमारी जावान' रेडियो के मुहकमे से भली भौंति परिचित है और यह अच्छी तरह जानती भी है कि उसमें कैसे और किस कैडे के जीव जान-बूझकर भरे गये हैं, तभी तो आगे बढ़कर सफाई देती है कि उसके तमदूदुन से आदाव अर्ज का कोई संबंध नहीं। माना कि बाद में उसने स्पष्ट कह दिया है

कि सरकारी मुहकमों का कोई अलग तमदूँदुन नहीं होता पर इससे हमारे अर्थ मे कोई गड़वड़ी नहीं होती, वल्कि वह और भी पका हो जाता है कि यहाँ भी 'हमारी ज्ञान' के सामने रेडियो के मुसलमान हाकिम ही हैं जिनकी बकालत करना वह अपना धर्म समझती है।

श्रीसंपर्णानन्द भी तो 'आदाव अर्ज' को किसी की संस्कृति नहीं समझते, तभी तो कहते हैं कि 'रेडियो का अनाउन्सर कभी नमस्कार नहीं करता, उसकी संस्कृति मे आदाव अर्ज करना ही शिष्टाचार है।' चात तो 'शिष्टाचार' की है पर उदूँ के हिमायती दुहाई देते हैं 'मजहब' और 'तमदूँदुन' की। रेडियो का अनाउन्सर क्यों नमस्कार का नाम भी नहीं लेता और नित्य आदाव अर्ज की रट लगाता है ? कारण यह है कि वह इसी को अपनी 'संस्कृति' का शिष्टाचार समझता है। उसकी संस्कृति है क्या ? राष्ट्र के उदूँपरस्त पुजारी कहते हैं कि हिंदुस्तानी-वह हिंदुस्तानी जिसमें हिंदौ का नाम भी नहीं है। आदाव अर्ज मे हिंदीपन कहाँ है ? यदि हिंदुत्व और हिंदीत्व का विनाश ही हिंदुस्तानी का परम लक्ष्य है तो यह आदाव अर्ज रेडियो को मुबारक हो। हम तो गेवारू बोली मे इसे 'आधावरद ही समझते हैं। हमें ऐसी आधावैली हिंदुस्तानी नहीं चाहिए।

हाँ, तो आदाव अर्ज का संबंध न तो ब्राह्म से है और न ईरान से, न तो मजहब से है और न इसलामी तमदूँदुन से। उसका सीधा लगाव तो उस मुगली दरबार से है जिसकी उपज कल की उदूँ है। उदूँ और आदाव अर्ज को मेलभिलाप की देन समझना सत्य का गला बोटना है। उदूँ विलगाव के लिये पैदा को गई है, कुछ मेलजोल के लिये अपने आप पैदा नहीं हो गई है। घास्तव मे 'आदाव अर्ज' भी इसी उदूँ का चचा है। यह भी आदाव वजा लाने' के लिए ही ईजाद हुआ है। अतएव हमारा कहना है कि रेडियो का अनाउन्सर जिस 'आदाव' को 'अर्ज' करता है वह न तो हमारा है और न हपारे प्रिय हिंदी मुसलिम भाइयों का। तो फिर यह हिंदुस्तान ही में रात-दिन क्यों चिल्लाया जाता है ? क्या हिंद का कोई अपना 'अदाव' नहीं ? क्या यह सदा से मुगलों का गुलाम है ?

१२ उद्दू का अमिमान

डाक्टर ताराचन्द राजनीति के पंडित, हिन्दी के प्रतिनिधि, हिन्दुस्तानी के प्रेमी और उद्दू के भक्त हैं। समय समय पर जिस जिस रूप में जिस जिस मुँह से, जो जो कहते रहते हैं सो सो तो सदा चलता ही रहेगा। मुँह रहते भला उनकी मुँहजोरी को कौन रोक सकता है? परन्तु तो भी कहना तो यही है कि भैया! कुछ पढ़ कर लिखा करो। बचपन म जो पाठ पढ़ा था वह जीवन का नहीं जीविका का पाठ था। सो उससे अब राष्ट्र का काम नहीं चल सकता। सोचो तो सही इंखयालस्त औ मुहालसा औ जुनूँ कहाँ की भाषा है और 'विश्व वीणी' न सही विश्व की वाणी में इसकी गणना कहाँ की बोली में होगी? आप को बोली यह भले ही हो पर आप के घर वा देश की तो यह बोली नहीं चलते-चलते इस बोली ने तो आप का पता बता दिया कि वस्तुतः आप हो किस खेत की मूली और चाहते क्यों हो उद्दू को राष्ट्र-भाषा। परन्तु नहीं, आपके बहाने हमें राष्ट्र को यह भी तो बता देना है कि वास्तव में आज आप जो ओट रहे हो उसका रहस्य क्या है। लो सुनो, आप ही तो कहते हो

“अंग्रेजी में एक कहावत है कि क्षूठ को बार बार दोहराने से वह सच प्रतीत होने लगता है।”

आप ने तो अंग्रेजी के आधार पर प्रतीति की ही बात कही पर यहाँ संख्यात मे यह दिखाया गया है कि किस प्रकार चार ठगों ने मिल कर एक ब्राह्मण देवता को ठग लिया और उनके बछवा को बकरा ठहरा दिया। लो देखो, पढ़ो, गुनो और कहो तो सही कि कुछ ठगों ने मिल कर कहीं आप को भी तो नहीं ठग लिया और आप जैसे न जाने कितने मनीषी प्राणी को अपना पालतू 'सुअना' बना लिया। आप कहते हो

१—“उद्दू, संख्यात और हिन्दी की तरह मध्यदेसी भाषा है।”

२ ‘उसका साहित्य हिन्दी के साहित्य से बहुत पुराना है, ब्रज और अवधी के साहित्य से भी पुराना है।’

३ “उदूँ हिन्दू मुसलमानों के भेल-जोल से बनी है। उसके साहित्य के निर्माण में हिन्दुओं का बड़ा हिस्सा है।”

४ “पञ्चहवीं सदी से अठरहवीं सदी के अखीर तक उदूँ ही हिन्दू मुसलमान शिष्टों की भाषा थी।”

५ “आज भी उसका हक है कि वह राष्ट्रभाषा यानी हिन्दुस्तान के सभी निवासियों को विला सम्प्रदायी तर्फीक के आम भाषा मानी जाए।”

यही न जानते, मानते और चाहते हो? परन्तु सच कहना, यह सीख आप को भिलो कहां? किसी मकतब वा पाठशाला में? खूल का नाम लेना तो शायद ठीक नहीं। पर देखो उदूँ के विषय में टांक लो कि उदूँ संस्कृत और हिन्दी की भाँति मध्यदेश की भाषा नहीं, उदूँ की भाषा, हाँ, उदूँ की भाषा, हाँ, उदूँ की भाषा है। उदूँ का अर्थ? लो, पहले ‘उदूँ’ का प्रयोग देखो फिर उसका अर्थ। भीर अग्रान देहलवी, की ‘बागोबहार’ को ही उठा कर क्यों नहीं देख लेते? उसके दीवाचा में ही कई जगह भिल जायगा ‘उदूँ’ की जबान का प्रयाग। देखो, भीर अन्मन किस शान से लिखता है-

“हकीकत उदूँ की जबान की बुजुर्गों के मुंह से यूँ सुनी है।”

“निदान जावान उदूँ की मैंजते मैंजते ऐसी मैंजी कि किसी शहर की बोली उससे टक्कर नहीं खाती।”

अथवा ‘उदूँ की बोली’ के लिये सैयद इंशा अल्लाह खां की यह लहकार वा फटकार सुनो-

“मुरिफ़क़ कड़ी कमान को कड़री न बोलिए,

चिल्ला के मुआत तीर भलामत न खाइए।

उदूँ की बोली है यह? भला खाइए कृसम,

इस बात पर अब आप ही भसहफ़ उठाइए।”

बस, जिस ‘उदूँ की बोली’ में उस्ताद ‘भसहफ़ी’ भी खरे न उतरे उसे डाक्टर तारोचन्द अपनी ‘मादरी जबान’ समझते रहे, पर उदूँ की ‘सनद’ इस जन्म में तो हासिल नहीं कर सकते, अगले की राम जानें।

‘हां तो उदूं की बोली’ का “माखज्ज” यानी स्रोत है शाहजहानाबाद यानी दिल्ली का लाल किला और उसी का नाम है ‘उदूं-ए-मुअल्ला’ यानी संकेप में उदूं। क्योंकि मुंशी भीर अली अकसोस फरमाते हैं

“बहुत मैंने यूं इसकी तारीफ़ की,
है उदूं की बोली का माखज यही !”

(आराइशे मोहफ़िल)

अथवा इधर उधर अधिक भटकने से लाभ क्या ? सैयद इंशा ने तो अपनी आष्टतीय पुस्तक ‘दरियाए लताफ़त’ में खोल कर स्पष्ट लिख ही दिया है

‘ईं मजमा हरजा कि विरसद औलाद आंहा दिल्लीवाल गुफ़तः शबन्द व महल्लः ईं राँ महल्लः अहल देहली । व अगर तमाम शहर रा फ़रा गीरन्द आं शहर रा ईं उदूं नामन्द । लेकिन जमा शुद्दन ईं हजरत दर है व शहरे सिवाय लखनऊ निष्द फ़कीर साबित नीश्त । गो बाशिन्द-गाने मुर्शिदाबाद व अजीमाबाद बजात खुद उदूंदां व शहर, खुद रा उदूं दानन्द ।’

अस्तु, सैयद इंशा के कहने का सीधा अर्थ यह है कि यह (शाही) संव जहाँ कहाँ जाता है, इसकी संतान को ‘दिल्लीवाल’ और इसके महल्ले को दिल्ली वालों का महल्ला कहते हैं। और यदि इन लोगों ने सारे शहर को घेर लिया तो, उसको उदूं कहते हैं। किंतु लखनऊ के अतिरिक्त और किसी शहर में उसका बस जाना इस जन को हृष्टि से सिद्ध नहीं होता। कहने को ती मुर्शिदाबाद और अजीमाबाद (पटना) में जाने वाले भी अपने आप को ‘उदूंदां’ और अपने शहर को ‘उदूं’ कहते हैं।

‘उदूं’ का यह अर्थ कितना सटीक और साधु है इसका पता इसी से चल जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले एक स्वर से सभी उदूं के लोग ‘उदूं’ यानी ‘उदूं-ए-मुजअल्ला’ यानी ‘लाल किला’ की ज़बान को शाहजहाँ की चीज़ समझते थे। इसका एकमात्र कारण यही था कि उसी ने ‘लालकिला’ वनवाया और नवाब सदरथार जंगबहादुर के विचार में

तो “ताराकंद, और खूकन्द में अब उदूँ किला के माने में सुस्तामल है। इसीलिये दिल्ली का किला उदूँ-ए-मुअल्ला कहलाया होगा।” (मोक्षालाते उदूँ, मुसलिम युनिवर्सिटी प्रेस, अलीगढ़, सन् १९३४ ई०, पृ० ६७)

अर्थु, उदूँ के विषय में यह तो स्पष्ट हो गया कि उसका वास्तव में मध्य देश से कोई संबंध नहीं और न वह संस्कृत तथा हिंदी की भाति मध्य देश की भाषा ही है। भूलो भत। नोट करो कि उदूँ वग्नुत. ‘उदूँ’ यानी शाहजहानावाद के ‘लालकिला’ की ज़बान है। और यदि अब भी प्रतीति न हो तो कुछ और भी टॉक लो। देखो, कहते हो—‘उसका साहित्य हिंदी के साहित्य से बहुत पुराना है। ब्रज और अवधी के साहित्य से भी पुराना है’। तो लो, सुनो। सुदूर दक्षिण से भौलाना बाकर ‘आगाह’ की गोहार आ रही है—

“और हिंदुस्तान मुहत ला ज़बान हिंदी कि उसे ब्रज भाका बोलते हैं रवाज रखती थी अगरचे लुगत संस्कृत उनकी अरण उसूल और मखरज फ़ूनून फोरुअ उभूल है। पीछे मुहावरा ब्रज में अलफ़ाज़ अरबी व फारसी वतदरीज दाखिल होने लगे। सबब से इस आमेजिस के यह ज़बान रेखता से मुसम्मा हुई। जद सनाई व ज़हूरी नज़्म व नस्ल फारसी में बानी तज़्र जदीद के हुए है वली गुजराती गज़ल रेखता की ईजाद में सभो का मुज्जदा और उस्ताद है। वाद उसके जो सखुन संजाने हिंद वरोज़ किए (?) वेशुवहा उस नहज को उससे लिए। और मिन वाद उसको वासल्खन ख़ास मखलूस कर दिए और उसे उदूँ के भाके से भौसूम किए।” (मदरास में उदूँ, सन् १९३९ ई०, पृ० ४६)

ध्यान दो कि वेलोर (मदरास) से सन् १२११ हि० में भौलाना बाकर क्या कह रहे हैं और आप को ‘आगाह’ कर किस प्रकार अपने ‘आगाह’ उपनाम को सार्थक कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले हिंदुस्थान में ब्रजभाषा का प्रचार था जिसका कोष, पिंगल, अलंकार आदि संस्कृत पर आश्रित था। पीछे उसमें अरबी और फारसी के शब्दों की भर्ती होने

लगी जिससे उसका नाम रेखता पड़ा, जैसे फारसी के गद्य-पद्यमें सनाई और चाहूरी नवीन धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं वैसे ही वली गुजराती इस नई धारा के। उसके बाद सभी लोगों ने उसका अनुकरण किया और फिर उसको एक ऐसे ढंग पर ढाल लिया कि उसका नाम ही अलग उद्दृ की भाषा रख लिया। मौलाना 'आगाह' के कहने का यह जो सारांश दिया गया है उसको देखते ही प्रकट हो जाता है कि सचमुच उद्दृ हिंदी पर से ही बनी और वह थी अथवा आज है भी वस्तुतः 'उद्दृ' की ही भाषा। हिंदी अपनी परम्परा को छोड़ कर उद्दृ की भाषा वा उद्दृ बनी तो कोई बात नहीं। उद्दृ के लोग शौक से उसे मुंह लगाएँ। पर राष्ट्र के लोग तो इसी नाते उसे अपनाने से रहे। किसी पंडितमानी राष्ट्रवन्द्यु सुन्दर तारा की हम नहीं कहते। हम तो देशमिमानी देशी और भाषामिमानी माई की कहते हैं।

कहते हो (३) उद्दृ हिंदू मुसलमानों के मेल-जोल से बनी है और कहते हो कि 'उसके साहित्य के निर्माण में हिंदुओं का बड़ा हिस्सा है'। होगा, उस बड़े हिस्से में आप का कितना है तनिक इसे भी तो बता देते। अथवा किसी 'आवेहयात' में ही खोल कर अपने जैसों की कुछ दिखा देते। अरे! सुनो, देखो और समझो कि यह 'बड़ा हिस्सा' वहाँ किस दृष्टि से देखा जा रहा है। 'फरहंग आसफिया' का नाम तो सुना है न? उसीकौ उठा कर नहीं तो मंगा कर देखो और कहो कि सबसे तालीफ़ के इस वाक्य का अर्थ क्या है—

"धुनिए जुलाहे, तेली, तंबोली, कृसवाती. देहाती जितने खेत के लिखे पढ़े थे सब लठ लेले के लुगत निगार, फूरहंग नवीस बन गये। गो देहली या छखनऊ को आंख खोल कर न देखा हो मगर हमारे पहले एडीशन ने लाला भाइयों से लेकर दीगर क़लम क़साइयों तक को मोवलिला कुसनिफ़ बना दिया।" (जिल्द अ०वल पृ० ८)

'धुनिए, जुलाहे' को तो जाने दीजिए क्योंकि वे 'मोमिन मुसलमान हैं और हैं भी इस देश में मुसलमानों में आधे से अधिक। परंतु 'लाला भाइयों' और 'दीगर क़लम क़साइयों' को न भूलिए। कारण ये

उनके विषय में उर्दू के इमाम खाबटर मौलवी अंजुल हफ़्क का कहना है—

“उस वक्त के किसी हिंदू मुसलिम को किताब को उठा कर देखिए। वही तर्ज तहरीर और वही असल्खे वचान है। इत्तदा में बिस्मिल्लाह लिखता है। हमद व नात व मनकबत से शुरू करता है। शरई इस्तेलाहात तो क्या, हदीस व नस कुरान तक बेतकल्लुफ़ लिख जाता है। इन किताबों के मुताला से किसी तरह मालूम नहीं हो सकता कि यह किसी मुसलमान की लिखी हुई नहीं,” (उर्दू रिसाला, अंजुमने तरक्कीए उर्दू, देहली. सन् १९३३ ई=, पृ० १४)

कहो तो सही मामला क्या है ? यह हिंदू-मुसलिम भेल-जोल है वा हिंदुत्व का विनाश ? क्या इसी को देखने के लिये पानी पी पी कर हिंद को सराप रहे हो और इधर उधर की बात सुना हिंदुस्तान को शिष्य मूँडना चाहते हो ? यदि नहीं, तो माजरा क्या है ? अरे ! कुछ तो समझ-बूझ, देख-खुन कर लिखो। हिंदी और संस्कृत को पढ़ो, गुनो और फिर कहो कि पीड़ा क्या है और हिंदू-मुसलिम का मिलाऊला रूप क्या है। उर्दू ? फिर वही बात ? अच्छा। सिद्ध कर तो दिखाओ देखें कितने पानी में हो। अथवा व्यर्थ ही पानी पीट अपना पानी गंवा रहे हों।

कहते और बड़े तपाक से कहते हो कि (४) ‘पन्द्रहवीं संदी से अठरहवीं संदी के अखीर तक उर्दू ही हिंदू-मुसलमान शिष्टों की भाषा थी। कहा और कह ही तो दिया, पर देखा इतना भी नहीं कि दुनिया, हिंद की मुसलमानी दुनिया भी इसके विषय में क्या कहती है। सुनो। सुहागदराह ‘रंगीला’ का दरबार लगा है और कोई ‘सुजान’ ना रही है ‘सुजान’

“किताबमणि कुरान दीनमणि कल्मा अबदनमणि
आदम कामन हवा रागनमणि भैरो भाषामणि
ब्रज की जोतमणि दीपक दीपकमणि नार दोजक
शीतल मलो भिहस्त एसी भात सुजान असुति कीनी।”

(संगात रागकल्पद्रुम द्वितीय भाग, पृ० २६४)

किंतु आप तो फारसी के जीव ठहरे। अतः लीजिये फारसी को, और देखिए भी इसे फारसी के ही चश्मे से। देखा ? कट्टर आलमगीर औरंगजेब के शासन में उसके परम प्रिय पुत्र अथवा जिस किसी के लिये लिखा जा रहा है 'ब्रजभाषा का व्याकरण' और उसमें बताया जा रहा है

"व ज्ञान अहल वृज अफ़सह ज्ञानहा अस्त आंचि मियान दोआब गंगा व जमुना कि दो रुद मरहूर अंद वाकाशुदः अस्त, मिस्ल चन्द्रवार वगैरहः व फसाहत मंसूव अस्त। व चन्द्रवार नाम मौज्जाअ-अस्त मारुफ व मरहूर। व चूं ई' ज्ञान शामिल अशाआर रंगान व इन्द्रारत शीर्ण व वस्फु आशिक व मारूफ अस्त, व वरज्जन अहल नज्जुम व साहब तबा वेश्तर मुस्तामल व जारी अस्त। बिनावरौ वकवा-यदु कुलिल्यः आं परदास्तःआमद्।" (ए ग्रामर आव ब्रजभाषा, विश्वभारती बुकशाप, कलकत्ता, १९३५ ई०, पृ० ५४-५)

अपनी भाषा में भीरजां खां के कहने का अर्थ है कि

"ब्रजभाषियों की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। गंगा और यमुना के बीच में जो देश है, जैसे चन्द्रवार आदि, वह भी शिष्ट गिना जाता है। चन्द्रवार एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध स्थान है। चूंक इसी भाषा में प्रियन्मिया की प्रशंसा और सरस एवं अलंकृत कविता है तथा यही भाषा शिष्टों और काव्य की व्यापक भाषा है इसलिये इसके व्याकरण की रचना की जाती है।"

देखा ? क्या दिखाई दिया ? यही न कि ब्रजभाषा ही शिष्ट, समृद्ध तथा व्यापक काव्य भाषा है और उसी में काई 'भीरजा' भी अपना मुँह खोल लोगों के जी में पैठते हैं ? अरे ! यह वह समय है जब औरंगजेब सा कट्टर नाजी भी 'सुधारस' और 'रसना विलास' का भर्ता है किमी अरबी का कदापि नहीं, विशेष जानकारी के लिए पढ़िये इस जन की 'मुगल बादशाहों की हिदी' को।

संभव है क्या, निश्चित ही है कि आपने 'भीरजाखां' के उत्तर व्याकरण को नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ा किरी ऐसे अंथ को जिसमें उद्दूं की

इकोकत खोल कर बताई गई हो। तो भी आपने 'खान आरजू' का नाम तो अवश्य सुना होगा। कारण यह कि हिंदुस्थान के फारसीदानों में, तीन में वह भी एक हैं और हैं उद्दू के उत्ताद भी। सुना? उनकी उद्दूधारणा को देखकर श्री हाफिज़ महमूद शेरानी साहब भी दग रह जाते और आपको बताने के लिये ही मानों लिखे जाते हैं

"सब से ज्यादा जिस बात से ताज्जुब होता है यह है कि खान देहली की ज़वान और उद्दू को भी वक़्अत की निगाह से नहीं देखते। उनके नज़दीक हिंदुस्तानी ज़वानों में सब से ज्यादा शाइस्ता और मुहम्मद ज़वानग्वालियारी है।" (ओरियन्टल कालेज मैगज़ीन, लाहौर, नवम्बर सन् १९३१ ई०, पृ० १०)

कहने की वात नहीं कि खान आरजू को ग्वालियारी ब्रजभाषा से भिन्न नहीं। प्रसंगवश इतना और जान लें कि खान आरजू का निधन सन् ११६९ ई० में हुआ और इसी सन् में उद्दू के आदि उत्ताद मियां हातिम ने अपने 'दीवानज़ादा' के 'दीवाचा' में स्पष्ट लिखा —

"दरीं विला अज़दह दूवाज़दह साल अक्सर अल्फ़ाज़ रा अज़। नज़र अन्दाखतः लिसाने अरबी व ज़बाने फ़ारसी कि करीबुल फ़हम व कसोरुल इस्तैमाल बाशद व रोज़मर्रः देहली कि मिर्ज़ायाने हिंद व फ़सीहाने रिन्द दर मुहावरः दारन्द मंजूर दारतः।" (सौदा, अंजुमनए तरकीए उद्दू, देहली, १९३१ ई०, पृ० २९ पर अवतरित)

शाह हातिम का स्पष्ट कहना है कि इस काल में ग्यारह बारह वर्ष तक बहुत से शब्दों को त्याग कर अरबी व फारसी के शब्द जो सुगमता से समझ मे आते हैं और प्रयोग मे अधिक आते हैं और दिल्ली के रोज़मर्रा को कि हिंद के मिर्ज़ाओं (सुगल राजकुमारो) और फसीह सूफियों के व्यवहार मे रहे हैं मंजूर किया गया है।

शाह हातिम ने यहीं अपने आप ही यह भी खोल कर कह दिया है "सिवाय आं ज़बाने हर दयार ता व हिंदवी कि आं रा भाका गोयन्द मौक्का करदः।" (वही)

अर्थात् इसके अतिरिक्त चारों ओर की भाषा यहां तक कि हिंदवी को जिसे भाका कहते हैं छोड़ दिया।

डाक्टर ताराचन्द्र क्या कहते हैं इसे कौन कहे; परंतु उनकी दशा ठीक वही है कि डाक्टर कहता है रोगी भर गया, और रोगी कहता है मैं जीवित हूँ। अब आप ही कहें सच्चा कौन है? रोगी या डाक्टर? देखिये तो सही, हातिम स्वर्यं कहते हैं कि हमने अडोस-पडोस की भाषा यहां तक कि हिंदी को भी छोड़ दिया और ग्रहण किया 'मिर्जायिने हिंद व फसीहाने 'रिद' अर्थात् 'उदूँ की बोली' को और उसमें ला दिया अरबी-फारसी के मुहावरों को, और इधर हमारे डाक्टर ताराचन्द्र न जाने किस डाक्टरी के जोम में और न जाने किस विद्या और न जाने किस बूते पर दोप देते हैं हिंदी को। गाल बजाने और कलम चलाने से उन्हे मुख्यों में प्रतिष्ठा और यारों में दाद मिल सकती पर किसी शिष्ट और सभ्य समाज में उनका सत्कार नहीं हो सकता। कारण, वस्तुतः ऐसे ही वे जीव हैं जो न जाने कितने दिनों से इस रोष्ट्र में विनाश का बीज बोरहे हैं और जानते इतना भी नहीं कि उदूँ उसी बीज की पौध है। लो, यहीं उदूँ की उस दिव्य लीला को भी देख लो जो हातिम के कथनालुसार ११-१२ वर्ष से चल रही थी। सुनो, अदीबुल मुल्क नव्वाव सैयद नसीर हुसैन खां साहब फरमाते हैं। सुनो, जिन्होंने उदूँ की अनसुनी हो जाने पर लखनऊ के 'हिंदू-सुसलिम-पैकट' की सदस्यता को तलाक दे दिया था उनका कहना है किसी 'सभाई' या 'फोर्टविलियम कालेज' का नहीं। हाँ, कहते हैं—

"उमदतुलमुल्क ने, और उमरा के मशविरः से, देहली में एक उदूँ 'अंजुमन' क्रायम की। उसके जल्से होते, जबान के मस्यले छिड़ते, चीजों के उदूँ नाम रखते जाते, लक्जो और मुहावरों पर वहसें होतीं, और बड़े रगड़ों झगड़ों और छानवीन के बाद 'अंजुमन' के दफ्तर में वह तहकीक़शुदा अल्काज व महारत क़लमबन्द हो कर महफूज किए जाते; और बकौल 'सियरुल मुताज्जरीन' इनकी नकलें हिंद के उमरा व लख्ना पास भेज दी जातीं और वह उसकी तकलीफ को फख जानते और अपनी अपनी जगह उन लक्जों को फैलाते।" (मुरल और उदूँ एस० ए०, उसमानी एंड संस, फिर्सलेन कलकत्ता, १९३३ ई० पृ० ६०)

विहार की हिंदुस्तानी कमेटी, नहीं नहीं, विहार के सिर मढ़ी गई हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी कमेटी के आप भी एक भेन्वर हो इसलिये इस 'अंजुमन' के 'वडे रगड़ो भगड़ो' को खूब समझ सकते हो, अगर समझना और समझ से काम लेना चाहो तो; नहीं तो 'शानलवदुर्विदग्ध' से तो नहीं भी हार मान चुके हैं फिर किसी 'चन्द्र' की विज्ञात ही क्या ? सो भी किसी 'चंद्र' को समझाने की ?

अच्छा, तो देखो कि सन् ११६९ हिं० में जो ११-१२ वर्ष से कोशिश हो रही थी जो क्या थी । यही 'उद्धू अंजुमन' की कोशिश न ? तो ११६९ में से ११ व १२ को निकाल दो और कहो, खुल कर तुरत कहो कि सन् ११५७-५८ हिंजरी में 'उमदतुल्मत्क' ने और उमरा के मशविरः से' दिल्ली में उद्धू को जन्म दिया । घबड़ाओ नहीं, देखो, सुनो और जानो कि नव्वाव सआदत अली खां के दरबार लखनऊ में सन् १२८३ हिं० में सैयद 'इंशा' जैसा भापाशाखी ने किस सचाई से लिख दिया -

“खुशबयानान आंजा मुत्तफ़िक् शुदः अज जवानहाय मुत्ताहिद
अल्फ़ाज़ दिलचस्प जुदा नमूदः व दूर वाजे इवारत व अल्फ़ाज़ तसरूफ़
वकार तुर्दः जवाने ताजः सिवाय ज़वानहाय दीगर वहम रसानीदंद व
उद्धू मौसूम साखतन्द ।” (दरियाए लताफ़त, वहो, पृ० २)

इसी का आप ही के साथी अल्लामा दत्तात्रिरिया 'कैफ़ी' का किया हुआ, उद्धू अतुवाद, नहीं नहीं, तरजमा है

“यहाँ से खुशबयानों ने मुत्तफ़िक् होकर मुत्ताहिद जवानों से अच्छे अच्छे लोग निकाले और वाजे इवारतो और अल्फ़ाज़ में तसरूफ़ कर के और जवानों से अलग एक नई जवान पैदा की जिसका नाम उद्धू रखा,” (दरियाए लताफ़त, अंजुमनए तरक्कीए उद्धू, १९४५ हिं० पृ० २)

‘और जवानों से अलग एक नई जवान पैदा की जिसका नाम उद्धू रखा’, उद्धू क्यों रखा, कारण स्पष्ट है । वह उद्धू की भाषा जो थी ।

‘खुशबयानों’ के विपर्य में सैयद ‘इंशा’ ने जो कुछ लिखा है, उसे पढ़ो तो पता चले कि हिं० नी मुसलमान तो क्या, बारहा

के सैयद भी 'खुशबयान' नहीं गिने गये। कारण यही कि वे 'हिंदुस्तानी दल' के साथ थे और 'तूरानी दल' से वरायर लोहा लेते थे। 'खुशबयानों' के बारे में संक्षेप में जान लें कि

'यह लोग तुर्कीउम्बरल थे या फ़ारसीउम्बरल या अरवीउम्बरल, वह हिंदी की मुताबकत किस तरह कर सकते थे?"

(फ़रहंगे आसफ़िया, मोक़दमा।)

अब आप ही कहो, और सच कहो दिल पर हाथ रख कर कहो, और मुँह खोल कर कहो, सचमुच सच कहो कि वात क्या है। कहते हो, फिर भी कहते हो


(५) "आज भी उसका हक है कि वह राष्ट्रभाषा यानी हिंदुस्तान के सभी निवासियों की बिला सम्प्रदायी तमोक के आम भाषा मानी जाए।"

कहो। किस मुँह से, और किससे क्या बोल रहे हो? उधर से तो खम ठोंक कर डंके की चोट पर कहा जा रहा है

"हम अपनी ज़बान को मरहठीबाजो लावनीबाजों की ज़बान, धोबियों की खंड, ज़ाहिल ख़यालबन्दों के ख़याल, टेसू के राग यानी बेसर व पा अल्फ़ाज़ का मजमूआ बनाना कभी नहीं चाहते और न उस आज़दानः उद्दू को ही पंसद् करते हैं जो हिंदुस्तान के ईसाइयों, नवमुसलिम भाइयों, ताज़् विलायत साहब लोगो ख़ानसामाओं, खिदमतगारों, पूरब के मनहियों कैप ब्वायों और छावनियों के सतर्वैभूमि बाशिन्दों ने एखतार कर रखवी है। हमारे ज़रीफ़ुल तबा दोस्तों ने भज़ाक़ से इसका नाम पुड़दू रख दिया।" (फ़रहंगे आसफ़िया, सबव तालीफ़्)

काफिर हिंदुओं को पृष्ठताही कौन है? अरे! किताबी ईसाइयों और इसलामी 'नवमुसलिम भाइयों' तक की भी कभी हिंदू होने के नाते उद्दू में यह गत बनी! हम डाक्टर ताराचंद और उन जैसे विचार, नहीं नहीं 'धुनधारा' वाले प्राणी से कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि हम भली भाँति ज़्यनते हैं कि वांस पर चन्दन का प्रभाव नहीं पड़ता और कुत्ते की छुम

कभी सीधी नहीं होती। पर हिंदी ईसाइयों और हिंदी नवमुसलिम भाइयों से इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि यदि कुछ भी तु+हें अपनी तथा अपने देश की लाज है तो अपनी हिंदी को अवश्य अपनाओ और उस उर्दू को दूर से नमस्कार करो जो सन् १९५७ व ५८ हिं० (सन् १७४४-५ ई०) में बिलगाव और इस देश के अपमान के लिये ईरानी-तूरानी कि वा परदेशी मुसलमानों द्वारा गढ़ी गई और जो आज भी हमारी भूल के कारण हम पर हावी हो हमारी छाती पर मूँग दल रही है, और देशी मुसलमानों का भी धोर अपमान कर रही है। है डाक्टर ताराचंद को इसकी खबर? 'या बड़े अधेरो होय' को ही चरितार्थ कर रहे हैं?



१३. राष्ट्रभाषा व संमेलन

[श्री मो० सत्यनारायण]

हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी होना चाहिये था हिंदुस्तानी, इस प्रश्न को लेकर आये दिन बड़ा वाद-विवाद होता आ रहा है। १९३८ में जब पूर्ण महात्मा जी ने हिंदी को राष्ट्र-भाषा माना और उसके प्रचार के लिए नींव डाली तब हिंदी व हिंदुस्तानी का आपस में कोई भागड़ा नहीं था। उस समय में हिंदुस्तानी २०० था और उससे भी हिंदी का ही अर्थ निकलता था। दक्षिण भारत में बात २४ सालों में हिंदी का जो प्रचार हुआ है इस प्रचार में स्पष्ट कहा गया है कि हिंदी से भतलव उस भाषा से है जिसे उत्तर के सभी वर्ग के लोग समझते व बोलते हैं और जो नागरी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। जब वह फारसी में लिखी जाती है तो उसका कहलाती है और नागरी में लिखी

१ यदि वस्तु-स्थिति यही रही है तो दक्षिण भारत में अम का प्रचार किया गया है, कोई हिंदी फारसी लिपि में लिखी जाने के कारण ही उदौ नहीं कहलाती। हिंदी के अनेक मुख्लमान कवियों ने 'भाखा' (भाषा) को भी

जाती है तो हिंदी कहलाती है। चूंकि नागरी वर्णमाला दक्षिण के लोगों को सुलभ थी, इसलिए दक्षिण-भारत-हिंदी-प्रचार सभा ने अधिकाधिक नागरी से ही काम लिया है। जहाँ तक शैती व २०दावली का सबाल है, सभा ने दोनों को प्रचारित करने की कोशिश की। चूंकि सभा का मुख्य उद्देश्य बोलचाल की भाषा का प्रचार करना था इसलिए संस्कृत व साहित्य-संबंधी कोई खास प्रश्न उसके सामने नहीं आया। फलतः आज दक्षिण भारत में जिस^२ हिंदी का प्रचार हो रहा है वह इस लायक है कि उससे पंजाब और युरोप्रांत में भी काम चल सके और विहार और सी० पी० में भी। सभा ने और दक्षिण के राष्ट्रभाषा-प्रेमियों ने राष्ट्रभाषा के सच्चे स्वरूप और उसकी उपयोगिता को अपनी आँखों से ओभल नहीं होने दिया है।

राष्ट्रभाषा का एक मात्र उद्देश्य राष्ट्र-संगठन है, प्रांतों को एक दूसरे से जोड़ना है, सभी वर्गों के लोगों को मिलाना है, राष्ट्रीय जीवन से संप्रदायिकता को हटाना है राष्ट्रीय संस्कृति और साहित्य का निर्माण करना है। राष्ट्रीय जीवन में हिंदू आयेंगे, मुसलमान भी आयेंगे, पारसी आयेंगे और ईसाई भी। वह किसी एक खास धर्मावलंबी व संप्रदायवादी की ही वपौती नहीं रह सकता है। इसलिए राष्ट्रभाषा के विकास में भी सभी धर्मों और सभी संप्रदायों का हाथ रहेगा। वह उस हृदयाली लिपि में लिखा है पर उसे कभी मूल कर भी उदूँ नहीं कहा है। हाँ, हिंदी, हिंदवी वा हिंदुई अवश्य कहा है। भाषा और लिपि का सबध चरीर और आच्छादन का है। आच्छादन के कारण नाम नहीं बदलता; हाँ, देखनेवाले को कभी-कभी भ्रम अवश्य हो जाता है। हमें भाषा और लिपि के प्रश्न पर अलग अलग विचार करना चाहिए। अबोहर अधिवेशन ने बहुत कुछ यही किया है।

२ यदि प्रस्तुत लेख उसी हिंदी में लिखा गया है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं। हम उसे राष्ट्रभाषा मानने को सहज़ी तैयार हैं। पर दक्षिण भारत को इस बात का पता होना चाहिए कि वह हिंदुस्तानी नहीं जिसे पारसी लिपि में लिख देने से यार लोग उसे उदूँ समझ लें।

तक हमेशा अपूर्ण रहेगा। जिस हृदय के किसी संप्रदाय^३ ने उसका विहिषकार किया हो अथवा किसी संप्रदाय ने उसे कँडू कर रखा हो। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि राष्ट्रभाषा सभी की हो, सभी उसके हों।

गत २५ वर्षों में राष्ट्रभाषान्प्रचार का कार्य हिंदी साहित्य-संमेलन के सुधुर्द रहा। महात्मा गांधी का, जो भारत के राष्ट्रीय युग के प्रथम व प्रधान प्रवर्तक है, सहयोग उक्त संमेलन को प्राप्त होता रहा। उनके सहयोग से संमेलन के कार्य पार लग गये। आज वह हिंदुस्तान में एक व्यापक संस्था हो गई है। स्वयं गांधीजी भी दो बार १९१८ में एक बार, और १९३५ में दूसरी बार इंदौर में उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपने तन-मन से संमेलन में जीवन-संचार तो कराया ही, लाथ ही उसे भरपूर धन भी दिलाया। अगर महात्माजी का सहयोग संमेलन को प्राप्त नहीं होता तो संमेलन के कार्य का क्या रूप होता, इसकी कल्पना करना आसान है। साहित्य-रामेलन का यद्यपि प्रधान कार्य साहित्य-निर्माण का था फिर भी प्रचार कार्य ने उससे ज्यादा महत्व पाया। उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों भाषा के प्रचार की तुलना में बहुत ही कम रही। इस सारे प्रचार के कार्य को महात्माजी ने और उनके अनुयायियों ने बढ़ाया है। दक्षिण-भारत-हिंदी-प्रचार सभा की नींव संमेलन के द्वारा महात्माजी ने डलवाई और तब से लेकर अब तक इस सभा के द्वे पोपक और जीवन-संचारक रहे हैं। राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा की नींव उन्हीं के प्रताप के बल पर पड़ी थी। आज यह समिति भी बड़े पैमाने पर अपने संगठन का निर्माण कर चुकी है। राष्ट्रभाषा का कार्य आखिर अहिंदी प्रांतों में करना है। दक्षिण के चार-आन्ध्र, कर्नाटक, तमिल और केरल प्रांत; परिचम के चार-सिध, महाराष्ट्र, बंबई और गुजरात, और पूर्व के तीन असम, बंगाल और उड़ीसा-कुल ये भ्यारह प्रांत राष्ट्रभाषा के प्रचार के द्वेष समझे जाते हैं।

३ किसी नप्रदाय-विशेष के विद्यकार से उसकी अपूर्णता सिद्ध नहीं होती। हाँ, अग-विशेष के अमाव में ऐसा माना जा सकता है।

इन प्रांतों के प्रचार के कार्य को महात्माजी का नेतृत्व प्राप्त है। उनके रहते कोई उनसे बढ़कर इस कार्य का नेतृत्व कर भी नहीं सकता और करे भी तो वह सर्वमान्य भी नहीं हो सकता। सम्मेलन के अधिकारियों को भी यह बात अच्छी तरह मालूम है।

गत दिसंबर में पंजाब प्रांत के अबोहर में सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ उसमें सम्मेलन ने एक प्रस्ताव में भाषा संबंधी अपनी नीति का स्पष्टीकरण किया है। उस प्रस्ताव के कुछ अंश यों हैं—

“वास्तव में उद्द भी हिंदी से उत्पन्न अरबी फारसी मिश्रित एक रूप है। हिंदी शब्द के भीतर ऐतिहासिक दृष्टि से उद्द का समावेश है। किंतु उद्द की साहित्यिक शैली जो थोड़े से आदमियों में सीमित है—हिंदी से इस समय इतनी विभिन्न हो गई है कि उसकी पृथक् स्थिति सम्मेलन स्वीकार करता है और हिंदी की शैली से उसे भिन्न मानता है।

‘हिंदुस्तानी या हिंदुस्थानी शब्द का प्रयोग मुख्यतः इसी लिये हुआ करता है कि वह देशी शब्द व्यवहार से प्रभावित हिंदी शैली तथा अरबी फारसी शैली व्यवहार से प्रभावित उद्द शैली दोनों का एक शब्द से, एक समय में निर्देश करे। कांग्रेस, हिंदुस्तानी एकाडमी और कुछ गवर्मेंट विभागों में इसी अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है और होता है। कुछ लोग इस शब्द का प्रयोग उस प्रकार की भाषा के लिए भी करते हैं जिसमें हिंदी और उद्द शैलियों का भी मिश्रण हो।’

आगे चल कर प्रस्ताव में यो लिखा है—“इन निरिचित अर्थों में उद्द और हिंदुस्तानी शब्दों का प्रचलन है। इस विषय में सम्मेलन का कोई विरोध नहीं है। किंतु सम्मेलन साहित्यिक और राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से अपनी समितियों के काम में हिंदी का और उसके लिए हिंदी शब्द का व्यवहार प्रचलित करता है।”

सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी शब्द के प्रयोग व प्रचार में निष्ठा और दृढ़ता से संलग्न होने की भी देश-भक्तों से अपील की है। इस प्रस्ताव से साफ जाहिर होता है कि आगे सम्मेलन से सम्बन्ध ४- हमारी दृष्टि में ‘सम्मेलन’ का अर्थ यह नहीं है। ‘सम्मेलन’

रखने वाला कोई भी व्यक्ति व संस्था हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती, न उदूँ शैली व फारसी^५ लिपि से ही उसका कोई ताल्लुक रह सकता है। सम्मेलन ने यह काम दूसरों का मानकर अपना दरवाजा उसके लिये बन्द कर लिया है।

आखिर कोई गैर हिंदी प्रांतवासी हिंदी क्यों सीखे? वह हिंदी इसीलिये सीखता है कि वह राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र ने एक कंठ से हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। उसे सीखकर अपने देश के सभी प्रांतवासियों से वह मिल सकता है और बात कर सकता है। गैर-हिंदौ^६ प्रांतवासी को राष्ट्रभाषा में न तो जाति-भेद है, न भाषा-भेद और न है वर्ग-भेद। धर्म उसके लिये गौण है। आचार-विचार उसके लिये अप्रधान है अपनी सीमा के भीतर 'हिंदी' को ही अपनाता है और घोषित करता है कि उसके भ्रेत्र में हिंदुस्तानी नहीं हिंदी ही का शासन है। अन्य क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था 'हिंदुस्तानी' का व्यवहार कर सकती है। काग्रेस ने हिंदू सभा का सम्प्रदायिक कह दिया है पर हिंदू शब्द को नहीं। सम्मेलन 'हिंदुस्तानी' का प्रयोग कुछ निश्चित अर्थों में मानता है पर उसे हिंदी का पर्याय नहीं मानता। उसकी दृष्टि में हिंदी तो भाषा है और हिंदुस्तानी उसकी, चाहे जैसी भी हो, शैली मात्र। भाषा और शैली को पर्याय मानना दुराग्रह और अविवेक है, शास्त्र और सत्याग्रह कदापि नहीं।

५ हमारी समझ में हिंदी-भाषा का प्रचार फारसी लिपि क्या किसी भी लिपि के द्वारा किया जा सकता है पर सम्मेलन को नागरी लिपि का प्रचार ही इच्छा है। सम्मेलन उदूँ को हिंदी की फारसी वा परदेशी शैली मानता है पर उसे राष्ट्रीय शैली नहीं मानता। क्या महात्मा गान्धी उसी को राष्ट्रीय मानते हैं? यदि हाँ, तो उसकी राष्ट्रीयता के कारण अथवा मुख्लमानी मार्वना या मेल-जोल की रक्षा के हेतु? सत्य के कारण अथवा नीतिवश?

६ हिंदी प्रांतवासी की हिंदी भाषा में भी कोई भेद नहीं है, यदि भेद है तो उसी, उसी उदूँ में जिसे भूल के कारण लोग फारसी लिपि में लिखी हिंदुस्तानी धानी हिंदी समझते हैं। सैयद हंशा ने 'दरियाए़-लतात' में इस भेद-भाव का पूरा विवरण दिया है। राष्ट्रभक्तों को उसका अध्ययन करना चाहिए।

अगर हिंदी सीखने से उसकी राष्ट्रीय भावना पूरी नहीं हुई, वह भभी प्रांतवासियों के नजदीक नहीं आ सका तो हिंदी से उसका कोई प्रयोजन नहीं। उसे किसी संस्था, व्यक्ति या विचार-धारा से मतलब नहीं। उसका मतलब अपने ध्येय से है, इस ध्येय से न वह वहक सकता है न वहकाया जा सकता है। अगर कोई समझे कि गैर-हिंदी प्रांतवासी हिंदी की सुन्दरता, व्यापकता और साहित्यिक लोच से भोहित है, इसलिये उसके पीछे पड़ा है, तो इस कथन में पूर्ण-रात्य नहीं अर्ध-रात्य ही है। अगर वह आकर्षित है, तो अपने ध्येय की सुन्दरता और महत्त्वपूर्णता की तरफ। इसलिए सिर्फ हिंदी^७ शब्द को लेकर वह अपने ध्येय की तरफ नहीं बढ़ सकता हो तो शब्द का वह भोह नहीं रखेगा। अपने आदर्श तक पहुँचने के लिये वह अपने साधनों को पूर्ण बनाने का यत्न करेगा और अपना रास्ता साफ करेगा। सम्मेलन का प्रस्ताव आज कहता है कि

हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग सुख्यतः इसलिए हुआ करता है कि वह दैशी शब्दों द्वारा प्रभावित हिंदी शैली तथा अरवी-फारसी शब्दों से प्रभावित उदूँ शैली, दोनों का एक शब्द से एक समय निर्देश करे। कांप्रेस, हिंदुस्तानी एकाडमी और कुछ गवर्मेंट विभागों में इसी अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है और होता भी है। कुछ लोग इस शब्द का प्रयोग उस प्रकार की भाषा के लिए भी करते हैं जिसमें हिंदी-उदूँ शैलियों का मिश्रण है। किंतु सम्मेलन ने अपने २४वें अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें हिंदी के फारसी लिपि में लिखे जाने की स्थिति को भान्यता दी थी और अपने २९वें अधिवेशन में पूना में, १९४० में उसी प्रस्ताव को थोड़ा सा परिवर्तित कर यों पास किया था

“इस सम्मेलन को मालूम हुआ है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप के

७—जानकारों से यह बात छिपी नहीं है कि सचमुच हिंदी गोद ही राष्ट्रीयता का घोतक है, ‘हिंदुस्तानी’ शब्द साम्राज्यिक और उदूँ संकीर्ण है। कोई भी सच्चा राष्ट्र-प्रेमी जो उदूँ के इतिहास से अभिज्ञ है, उसके सकेत को राष्ट्रभाषा के लिए सह नहीं सकता, उसका नाम लेना तो दूर रहा।

सम्बन्ध में हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों में कुछ गलतफहमी फैली हुई है। लोग उसके लिये अलग अलग राय रखते हैं। इसलिए यह समेलन वोपित करता है कि राष्ट्रभाषा को हष्टि से वह हिंदी-स्वरूप सान्य समझा जाय जिसका हिंदू, मुसलमान आदि सब धर्मों के भाषीय और नागरिक व्यवहार करते हैं, जिसमें रुढ़, सर्वसुलभ अरबी फारसी अंगरेजी या संस्कृत शब्दों या मुहावरों का विहिष्कार नहीं होता और जो साधारण रीति से राष्ट्रलिपि नागरी में तथा कहीं कहीं फारसी में लिखा जाता है।”

१९३५ में इन्दौर समेलन में जो पहली व्याख्या हुई थी यह उसका शाविदक परिवर्तित रूप है। भाषा के नाम के बारे में व्याख्या अब अबोहर अधिवेशन में हो गई है। इन दोनों को साथ मिलाकर कोई राष्ट्रभ्रमी पढ़े तो तुरन्त यही कहेगा कि हमारो राष्ट्रभाषा का नाम^८ हिंदुस्तानी हो और उसका स्वरूप सरल, सुलभ और आमफहम हो। समेलन ने तो इस तरह कहने के लिए हमारा रास्ता बन्द ही कर दिया है। यह नीति समेलन की साहित्यिक प्रगति के लिए भले ही लाभदायक हो लेकिन राष्ट्रभाषा-प्रचार की प्रगति के लिए बहुत ही विधातक है। क्योंकि जब समेलन स्वयं मानता और देखता भी है

८—यदि इस प्रस्ताव का सीधा यही अर्थ होता तो नागपुर तथा स्वयं मद्रास के अधिवेशन में ‘हिंदी-हिंदुस्तानी’ वा ‘हिंदी यानी हिंदुस्तानी’ की धूम नहीं रहती। ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि स्वयं महात्मा गान्धी ने भी इसी कारण नागपुर में केवल ‘हिंदुस्तानी’ शब्द को घटणा नहीं किया और ‘हिंदी-हिंदुस्तानी’ का ऐसा जाल निर्धाया कि हिंदी चौपट हो गई और उदूँ की बन आई। कहना न होगा कि हिंदी-उदूँ-संघर्ष का यह नया सत्रपात्र महात्मा गान्धी के श्रीमुख से नागपुर में ही हुआ और वही से मौलवी अब्दुल्लह के हिंदी के विनाश के लिए उठ सड़े हुए। इन्दौर में महात्मा गान्धी ने जिन्हे मोहने का प्रयत्न किया था उन्हीं ने उनकी वजियों उड़ाई और उन्हें उदूँ का शिकार बनाया।

कि हिंदी नागरी लिपि और फारसी लिपि में लिखी वं पढ़ी जाती है तो राष्ट्रभाषा-प्रेमियों को क्यों बंधन में डालें ?

हिंदी को संस्कृत-प्रचुर बनाने में एक तर्क यह पेश किया जाता है कि हिंदी का प्रगतिशील स्वरूप भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं से निकट सम्बंध रखे। क्योंकि भारत की सभी प्रांतीय भाषाएँ संस्कृत-प्रचुर हैं। इनको प्रगतिसूचकता भी संस्कृत से ही तबल्खुक रखती है। अगर हिंदी भी संस्कृत-प्रचुर^{१०} बना दी जाय।

९ - हिंदी-विरोध का मूल कारण लिपि ही है। उदूँ प्रेमी भली भौति जानते हैं कि फारसी वा अरबी लिपि इतनी दोषपूर्ण है कि उसमें कोई भी भाषा भली भौति लिखी-नहीं जा सकती। उदूँ लिपि की इसी दुरुहता के कारण संस्कृत और भाषा के नितने ही अत्यन्त प्रचलित शब्द उदूँ में त्याज्य हो गये और मेतलक की पूरी वही बन गई। अतएव फिर हम यही कहना चाहते हैं कि भाषा और लिपि के प्रश्न को एक में न साने कृपया उन्हे अलग अलग रहने दे।

१० हिंदी को 'संस्कृत प्रचुर' बनाने का प्रश्न नहीं है। भारत की सभी देशभाषाएँ संस्कृतनिष्ठ हैं। हिंदी का विकास भी ठोक उसी क्रम से और ठीक उसी ढरें पर हो रहा है जिस क्रम से और जिस ढरें पर अन्य देशभाषाओं का। फिर समझ में नहीं आता कि राष्ट्र का सारा कोप हिंदी पर ही क्यों हो रहा है। क्या इसका एक मात्र कारण वही नहीं है कि उसने एक परदेशी शैली को भी अपना अग बना लिया और हमारी उदार सरकार ने प्रमाद अथवा नीतिवश कुछ काल के लिए उसी को सब कुछ बना दिया ? यदि हाँ, तो आपकी सच्ची राष्ट्रीयता कहाँ गई ! आप अपनी भाषा को परम्परा पर तो आँच आने नहीं देते पर चाहते हैं कि हमारी परम्परा भाषा में चली जाय। यह कहाँ की नीति है ? भारत में तो ऐसा होने से रहा। हमें भी तो अपनी परम्परागत भाषा की रक्षा का उपाय करना है ? कामन्काजी भाषा से आपका काम चल सकता है पर क्या हमारा हँसना और रोना भी उधार ही रहेगा ? आखिर हम किस भाषा में सच्च उत्तर को अपना मुह ह दिखायेंगे ? फारसी वा अरबी ? आपकी हिंदुस्तानी (?) ने हमारा कितना विनाश किया है, इसका

तो अन्य प्रांतवासियों को हिंदी सीखने में बड़ी सुविधा होगी। इसमें संदेह नहीं कि भारत के सभी अहिंदी प्रांतों की भाषाओं में संस्कृत का काफी प्रचलन है और हिंदी प्रांतों से किसी किसी प्रांत में संस्कृत भाषा व साहित्य या संस्कृत प्रभावित भाषा का अधिक प्रचार है। संस्कृत से ही अधिक फायदा उठाना हो तो उन्हे हिंदी प्रांत की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। यह इतिहास-प्रसिद्ध वात है कि दृश्यण भारत से शंकर, रामानुज, मध्व और वल्लभ जैसे सशक्त-साहित्यज्ञों ने सभूते भारत की विजय-यात्रा की थी। महाराष्ट्र और बंगाल से भी संस्कृत साहित्य की धाराएँ कम नहीं चली हैं। अगर संस्कृत-प्रचुर संस्कृत-प्रधान भाषा ही हमें लेनी है तो हमें उत्तर ही की ओर टकटकी लगाकर देखने की जरूरत नहीं। इस लेन-देन में उनका अपना दिवाला कभी निकल ही नहीं सकता। इस तर्क में जितना फायदा दीखता है उतना फायदा तो नहीं, उलटे कुछ तुकसान होने की संभावना अवश्य दीखती है। वह वह है कि बोलचाल की भाषा में भी काफी संस्कृत राष्ट्रों की प्रचुरता आवे तो प्रांतीय भाषाओं का अस्तित्व कभी भिट जाने की संभावना भी हो सकती है। राष्ट्रभाषा तो एक अंतर्राष्ट्रीय माध्यम ही रहेगी। वह कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रातीय भाषा के द्वेष पर आक्रमण नहीं कर सकती और ऐसे आक्रमण का कोई स्वानंतर ही कर सकता है। वर्तमान समय में जो संस्कृत-प्रचुरता हिंदी में है वह काफी है। उसकी वृद्धि करने में कोई अप्राकृतिक या शीघ्रतापूर्ण प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। इसमें हिंदी वादियों की तरफ से जो उत्साह, शीघ्रता वा आतुरता दीखती है, उसके कई कारण हैं। उनमें सबसे अधिक जबरदस्त भी कुछ पता है। राजेन्द्री अथवा कांग्रेसी हिंदुस्तानी को पढ़कर कितने आन्व वा द्रविड़ सीमान्त में व्याख्यता बने यह तो हम नहीं जानते पर इतना देखते अवश्य हैं कि हमारे भोले भाले वृचे किस प्रकार क्या से क्या बनाये जा सकते हैं। अब अन्य भाषा-भाषियों को भी यह समझ रखना चाहिए कि हम 'राष्ट्रभाषा' की मृगमरीचिका में अपनी मातृ-भाषा को खो नहीं सकते।

कारण यह है कि वे उदूर्वाली भाषा के सम्पर्क व प्रभाव से अपने को दूर रखना चाहते हैं और उदूर में विजातीयता और हिंदी में सजातीयता देखने लगे हैं। जिस भाषा^{११} का वर्णों उपयोग किया है और जिसके बीच वे रहे हैं उससे उनको प्रेम नहीं हो पाया है, यह वडे ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन यह हम भूल नहीं सकते कि जिस भाषा की शैली या शब्दावली ने इस देश में सदियों तक रहकर इस देश की सेवा की है उन्हें निकाल^{१२} केकना हमारेलिए न्याय की बात नहीं होगी। वे हमारे हो गये हैं। उनसे हमे अवश्य सेवा लेनी ही चाहिये। उन्हें अपनी सम्पत्ति समझकर अपना लेने ही में हमारा श्रेय है।

हिंदी के राष्ट्रभाषा वनने में हम दूसरा तर्फ यह पेश करते आये हैं कि वह हिंदू और मुसलमानों की सम्मिलित संपत्ति है। वह हिंदू और मुसलमान क्या, सभी वर्गों की वारिस है। उत्तर की वहुसंख्यक जनता की वह बोलचाल की भाषा है। उत्तर के राहरों व आसों में वह बोली व समझी जाती है। हिंदू और मुसलमानों ने उसका सारे भारत से प्रचार किया है। उसकी बोलचाल का रूप दोनों को मान्य है। इसी के द्वारा हिंदू और मुसलमान उत्तर के ही नहीं वल्कि सारे

११- यह कथन नितान्त भ्रम-पूर्ण है। उदूर्की लिपि राजलिपि रही और वह पतित हिंदी मुगल बादशाहों की भाषा। उसका प्रचार जब अँगरेजों के हाथ में आया और शिक्षा के द्वारा उसके प्रचार की खड़ी तब उसी प्रकार उसका विरोध हुआ जैसे आज हो रहा है। पर जिस राज्य-लोभ के कारण आज उसका सल्कार किया जा रहा है उसी के लिए उस समय भी किया गया। क्या यह भी दुर्भाग्य की बात कही जा सकती है कि जिस कांग्रेस का काम रात दिन अँगरेजों में होता रहा है उसी का उससे इतना वैमनस्य है?

१२- हिंदी के किसी भी पुजारी की कमी भी यह नीति नहीं रही कि सभी विदेशी शब्दों को दूर करो। सच पूछिये तो यह भी उदूर का प्रोपगांडा है जिसका स्वप्नपात्र स्वयं सर सैयद अहमद खँ ने दलबल के साथ किया और भोले भाले हिंदुस्थानियों ने उसे अक्षरशः मान लिया।

देश के लोगों से मिल सकते हैं। वह हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। राष्ट्र की वारणी है। हम उसी को माध्यम बनाकर राष्ट्र का उत्थान करेंगे। तब वह किसी सम्प्रदाय विशेष की, प्रांत या वर्ग-विशेष की भाषा रह गयी तो, उस हृदय तक क्या उसकी उपयोगिता में कभी नहीं आयेगी? साथ हो उसकी राष्ट्रीयता में और उसके राष्ट्र-चाणी होने में भी? अतः यह आवश्यक है कि उसके मिश्र मिश्र स्वरूपे और मिश्र मिश्र शैलियों और मिश्र मिश्र धाराएँ समूचे राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जायें। परस्पर-विरोधी^{१३} न मानी जायें। उसके व्यापक व प्रचलित स्वरूपों व शैलियों का वेरोकांटोक अध्ययन करने का प्रोत्साहन दिया जाय। जो संस्था वह कार्य दिल खोल कर विना किसी वन्धन के करेगी और जो व्यक्ति इन विचारों का साथ ही इन स्वरूपों का प्रचार करेंगे वे ही पूरे राष्ट्रीय कहलायेंगे। अन्यथा उनको राष्ट्रीयता सीमित रह जायगी।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न उत्तर भारतीयों के लिये एक अर्थ और दूसरे प्रांतों के लिये दूसरा अर्थ रखता है। जब महात्मा गान्धीजी ने हिंदी का राष्ट्रभाषा के तौर पर प्रचार शुरू कराया तब उनके सामने विशुद्ध राष्ट्रीयता को छोड़कर और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। उनकी राष्ट्रीयता में न संकुचित राष्ट्रीयता के लिये स्थान है, न अनुदार सम्प्रदा-

^{१३} हम उदूँ क्या अरवी और फारसी के उस साहित्य को भी राष्ट्र की सम्पत्ति समझते हैं जिसकी रचना इस उपजाऊ भूमि में हुई है। हमें श्री मुहम्मदअली जिनाह का भी ठीक उसी प्रकार अभिमान है जिस प्रकार महात्मा गांधी का। हम दोनों को राष्ट्र की सपत्ति समझते हैं। परन्तु क्या हम इसी नाते उन्हे परस्पर-विरोधी नहीं मानते? जब उदूँ शैली का सभी शैलियों से विरोध है तब हम उसे विरोध की दृष्टि से क्यों न देखे और क्यों न आशा करे कि किसी दिन उसकी दृष्टि सुधार जायगी। हमें उदूँ की दृष्टि को सुधारना है, उसकी प्रवृत्ति को ठीक करना है न कि उसके विरोध को अवल और अमर बना कर अपनी ओर को ही फोड़ लेना है जिससे सारा भेद-भाव दूर हो जाय।

यिकता के लिये ही। समूखा भारत अपने प्रांत-भेदों, वर्ग-भेदों, भाषा-भेदों व विचार-भेदों को लेकर उसमे आ जाता है। जब राष्ट्रभाषा-प्रचार के उद्देश्य के सम्बंध मे उनके विचार कहीं कहीं^{१४} संदेह की हृष्टि से देखे जाने लगे तब उन्होंने इंदौर के समेलन मे उसकी व्याख्या कराई। और वह व्याख्या सर्वमान्य^(१) और कूलंकर्प थी। अब उस व्याख्या को बदलकर समेलन ने अपनी भाषानीति की अवोहर समेलन में जो व्याख्या की वह सर्वमान्य नहीं कही जा सकती; न उसमें राष्ट्रीयता व राष्ट्रभाषा का कूलंकर्प रूप ही मिल सकता है।

इंदौर समेलन में लिपि के प्रश्न पर भी प्रकाश डाला था। हिंदी को राष्ट्रभाषा और उसकी लिपि नागरी और उदूँ स्वीकार किया; यद्यपि समेलन की शक्तियों अधिकतर नागरी के प्रचार करने मे लगती आई है। उदूँ लिपि के प्रचार में या जानने में उनको कोई आपत्ति नहीं थी। इसका यह कारण है कि सारे पंजाब मे आज भी उदूँ लिपि^{१५}

१४—इस ‘कहीं कहीं’ का कथ्या चिढ़ा जब सामने आ गया तब ‘समेलन’ को अपनी ‘हिमालयी’ भूल का पता चला और उसने अपनी नीति को स्थूल कर दिया। उधर महात्मा जी के सब कुछ करने पर भी वह सदेह दूर न हुआ विक्षिक और भी छढ़ होता गया। और यदि महात्मा जी की यही नीति ऐसी ही रही तो उसकी सोर पाताल मे खिल जायगी और फिर एकता का प्रश्न सीधे परमात्मा के हाथ में पहुँच जायगा।

१५ यह कथन भी भ्रमपूर्ण है। पंजाब मे नागरी और गुरुमुखी का भी प्रचार है। हॉ, सरकारी काम-काज में फारसी लिपि ही बरती जाती है, नागरी नही। रही युक्तप्रात की बात, सो वहाँ सरकार की ओर से दोनों लिपियों को समान अधिकार प्राप्त है, फिर भी सरकारी काम-काज मे फारसी की अधिकता अवश्य है पर जनता में फारसी लिपि का प्रचार बहुत कम है और प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। बिहार मे तो काशेस के प्रताप से उदूँ का प्रचलन हुआ है नहीं तो वहाँ मुसलिम जनता मे भी उदूँ नाम मात्र को थी और सरकार में तो थी ही नही।

ही चलती है और यू० पी० की अदालतों, कच्चहरियों और स्कूलों में भी उद्दूँ लिपि का भरपूर प्रचार है। साधारण तौर पर यू० पी० व विहार के निवासी उद्दूँ लिपि से परिचित हैं। उद्दूँ लिपि भी काफी लोग जानते भी हैं। इसलिये इन दोनों लिपियों का अस्तित्व मानना पड़ा और भाषा रूप के साथ उसके दोनों चोर्गों का भी जिक्र हुआ। अब समेलन इस वस्तु-स्थिति^{१६} के विरुद्ध जाने का निश्चय करता है और वस्तु-स्थिति से अपने को अलग रखना चाहता है तब क्या राष्ट्रभाषा-प्रेमियों के लिये भी यह संभव है कि वे समेलन का यह नेतृत्व स्वीकार करें, और यह समझें कि ३० दिसंबर १९४१ के पहले जो वस्तु-स्थिति थी वह दूसरे दिन नायब हो गई थी। उसके बाद नायब हो सकती है? सिर्फ नागरी लिपि के द्वारा जो कोई राष्ट्रभाषा सीखे क्या^{१७} वह पंजाब और यू० पी० में अपना काम चला लेगा? यू० पी० के, पंजाब के शहरों व देहली में जो कोई जाय वह सबकी भाषा समझ सकेगा और अपनी भाषा में सबको समझा सकेगा? आपस के अन्तर्गतीय व्यवहार के लिये सिर्फ नागरी लिपि ही पूर्णतया काम देगी इसमें संदेह नहीं है।

प्रत्येक भाषा-भाषी को शिक्षा के नाते अपनी मातृभाषा, संस्कृत और अंगरेजी सीखनी पड़ती है। सुविधा के लिये अपने पड़ोस की एक भाषा सीखना भी जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीयता के नाते राष्ट्रभाषा भी सीखनी पड़ती है। इतनी भाषाओं का बोझ उस पर कम नहीं है। अगर वह राष्ट्रीयता एकांगी हो और अपूर्ण हो तो इस बोझे को ढोने में वह अवश्य हिचकिचायेगा। वह चाहेगा कि उसे राष्ट्रभाषा के द्वारा

१६ समेलन 'वस्तु-स्थिति' को समृद्ध करता है, उसका विरोध नहीं।

१७ इस 'क्या' का उत्तर कितना सरल है! हों। जाकर तो आप अपना काम चला सकते हैं पर लिख कर भरपूर वैसा नहीं। अभी तो आपको नागरी और फारसी के साथ ही साथ गुरुमुखी और अंगरेजी से भी काम लेना पड़ेगा। कल की आप जानें और आपकी राष्ट्रलिपि।

सच्ची व पूर्ण राष्ट्रीयता मिले; राष्ट्रभाषा उसे सौ फी सदो राष्ट्र-सन्देश सुनावे। अगर सम्मेलन^{१८} अपनी तरफ से यह काम नहीं कर सकेगा तो उसे दूसरी संस्थाओं का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या अपनी अलग संस्था बना लेनी पड़ेगी।

कांग्रेस ने अपने कानपूर के सन् १९२५ के अधिवेशन में यह निश्चय किया था कि कांग्रेस की भाषा हिंदुस्तानी मानी जायगी और कांग्रेस की सारी कार्रवाई हिंदुस्तानी में ही होगी। संयोग और सौभाग्य की बात है कि इस प्रस्ताव को हिन्दी-साहित्य-रामगेलन के प्रधान कर्णधार श्री पुरुषोत्तमदासजी ने पेश किया था। इस प्रस्ताव से हिन्दी-प्रचारकों को बड़ा लाभ हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि श्री टंडन जी जिस भाषा को राष्ट्रभाषा मानते हैं उसका नाम हिन्दी भी है, हिंदुस्तानी भी है।

कांग्रेस इस देश की प्रधानतम राष्ट्रीय संस्था है और राष्ट्रभावना का प्रचार करने वाली है, उसी की भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है, इसमें कोई शक^{१९} नहीं। टंडन जी भी उसके एक प्रमुख नेता हैं इसमें भी कोई शक नहीं। हिंदुस्तानी शब्द की जो व्याख्या इस समय टंडन जी ने अबोहर में कराई है, वही व्याख्या उनके मन में कानपूर कांग्रेस के समय भी रही होगी। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करते समय उन्हें अवश्य मालूम हुआ होगा कि उस भाषा के लिये नागरी और फारसी दोनों लिपियों काम आतो हैं। अब तक हजारों व्यक्ति जो इन-

१८—‘सम्मेलन’ इसी से तो उस राष्ट्रभाषा और उस राष्ट्रलिपि का प्रचार करना चाहता है जो शीघ्र ही सर्वसुलभ और सर्वसुवोध है। फिर भी यदि किसी को दो दो माधाओं और दो दो लिपियों की चाट लगे तो बेचारा सम्मेलन क्या करे।

१९ किन्तु कांग्रेस सर्व-सुलभ राष्ट्रलिपि की घोषणा कर सकेगी इसमें पूरा सन्देश है। अभी तो उसका सारा प्रयत्न ‘दो नाव पर चढ़ना’ को ही चरितार्थ कर रहा है।

पन्द्रह सोलह वर्षों से राष्ट्रभाषा के प्रचार में लो हुए हैं, यही समझते आ रहे हैं कि राष्ट्रभाषा के दो नाम हैं एक हिंदी और दूसरा हिंदुस्तानी। यही भाषा जब फारसी लिपि में लिखी जाती है तब उद्दृक्त हलाती है। इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रभाषा के प्रचार करनेवाले ०५ कियों, जो प्रधानतया कांग्रेसवादी हैं, व संस्थाओं ने सम्मेलन का नेतृत्व स्वीकार किया। अगर इस नई व्याख्या को अपने को हिंदी भाषा-भाषी समझनेवाले सर्व सम्भति से मान ले और सम्मेलन अपनी सारी प्रवृत्तियाँ उनके लिए ही सीमित कर ले तो इसके लिये विवाद नहीं हो सकता, लेकिन सारे राष्ट्र पर यह व्याख्या लादी नहीं जासकती। अतः राष्ट्रभाषा-प्रचारकों को यह कहने का अधिकार होना चाहिए कि राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी भी है और हिंदुस्तानी भी और वह विशेषतः नागरी लिपि और कुछ प्रान्तों में फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। प्रान्त, वर्ग व विषय के अनुसार उसकी कई शैलियाँ हैं। लेकिन संस्कृत प्रचुर शैली ज्यादा प्रचलित है। अपनी अपनी आवश्यकता व सुचि के अनुसार हर कोई अपने लिये शैली और लिपि को पसन्द कर लेता है। राष्ट्रभाषा की बोल-चाल की शैली वही है जो सारे हिंदुस्तान के^{२०} कोने कोने में समझी व बोली जाती है।

युक्त-प्रान्त सदियों से अन्य प्रान्तों का पथ-प्रदर्शक रहा है। भाषाओं और संस्कृतियों की प्रयोगशाला का काम उसने किया है। विभिन्न भूभागों की जातियों व संस्कृतियों को गंगा और यमुना नदी में धो-धोकर उसने भारतीय रूप दिया है और उन्हें भारत के अन्य प्रान्तों से पहुँचाया है। युक्तप्रान्त में इतनी क्षमता, शक्ति, सजीवता और दूरदर्शिता है कि वह आज भी शुद्ध राष्ट्रीयता का सन्देश देश को दे सके। अगर वह वर्तमान कल्पित वातावरण के प्रभाव से, ज्ञानिक

२० इस प्रगति का पाठ तो बहुत होता है पर इसका अर्थ कुछ विशेष होता है जो सबकी समझ में नहीं आता। समवतः वह तब तक दुरुह ही रहेगा जब तक हिंदुस्तानी की गाड़ी को नाव पर लाद कर मध्ये ल पार करना है।

परिणामों के लोभ से, मलिन व संकुचित विचार-धारा के दबाव से, अपनी देन में हमेशा अपनापन ही देखने की लालसा से, देश के सामने कोई कार्यक्रम रखे तो युक्तप्रान्त की पूर्व प्रतिध्वा के प्रभाव^{२१} में आकर देश उसको अहण नहीं करेगा। क्या सम्मेलन के प्राण-स्वरूप देशभक्त श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन से मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे अपने अबोहर के प्रस्ताव पर एक बार और गौर करें और अपनी सहज दूरदर्शिता और सजगता का परिचय दें ?

॥३५॥

१४. सागोलन और जनपद

एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय ।
जो तू सींचै मूल को, फूलै फलै अधाय ॥

मूल को सींचने के विचार से हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के गत

२१ युक्तप्रान्त तो सदा से अतिथि-भक्त रहा है और फलतः आज भी उसकी अतिथिशाला खुली हुई है। उसकी आत्मीयता यही है कि उसका अपनापन कुछ भी नहीं है। उसके पास कोई अपना नाम भी तो नहीं है। पर पच ने मिलकर उसे जो काम सौंप दिया। उसे उसने निमाने में कोई कमी नहीं की। आज भी हम सभी देशभाषाओं से मिलने को लाला यित हैं। हम अपमी भाषा को उन पर लादना नहीं चाहते, हम तो उनके मेल में आना चाहते हैं। हम सचे हृदय से उनसे जानना चाहते हैं कि उनके हृदय का मेल किसमें दिखाई देता है हिंदी, उदूँ अथवा हिंदुस्तानी में? उनकी लिपि किसे पहचानती है नागरी, फारसी वा रोमक को? हमें तो आज भी इस बात का पूरा सन्तोष है कि राष्ट्रभाषा की जितनी परिमाधाएँ जब जब गढ़ी गई हैं तब तब युक्तप्रान्त के बाहर भिन्न भिन्न प्रान्तों में ही और यह अन्तिम परिमाधा निकली है उस प्रान्त से ही जिसे लोग उदूँ का गढ़ समझते हैं। पिर किसी को इसमें हमारी शान क्यों दिखाई देती है? हमारा अपराध क्या है?

अविवेशन (हरिद्वार) में जनपद संबंधी जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसकी मान्यता चाहे कुछ भी रही हो पर लोग उसका संकेत भाषा भात्र समझते हैं और कुछ लोग उससे यह अर्थ निकालना चाहते हैं कि 'संमेलन' प्रत्येक जनपद की भाषा तथा साहित्य को प्रोत्साहन दे, उसे हिंदी के समकक्ष करे; परंतु ध्यान देने की बात है कि क्या 'संमेलन' इस प्रकार की उदार चेष्टा से अपना महत्व बढ़ा सकता है और उसके द्वारा हिंदी की यथार्थ सेवा हो सकती है। कहना न होगा कि हिंदी की व्यापक वृद्धि पर कुठारावात की यह प्रवृत्ति उनकी ओर से हो रही है जो भाषा की मूलशक्ति से सर्वथा अपरिचित और मातृभाषा के ममता भरे प्रवाह में वह जानेवाले जीव है। सच पूछिए तो मातृभाषा में माता को जो दुर्वाई दी जाती है वही जन्मभाषा के कुछ प्रतिकूल भी पड़ जाती है। मातृभाषा के पुजारी यदि ध्यान से देखे तो उन्हें भी सहसा स्पष्ट हो जाय कि स्वयं माता भी तो अपनी मातृवाणी पर आँखें नहीं रहती और पतिलोक की पतिवाणी का अनुसरण करती है। अर्थात् माता तो स्वयं द्विभाषिणी होती है। उसकी नैहर की भाषा नैहर में ही छूट जाती है और समुराल में आते ही समुराल की भाषा सीखनी होती है। फिर मातृभाषा के उपासक मातृभाषा को ही सब कुछ कैसे मान सकते हैं? उन्हें तो किसी पितृभाषा को भी महत्व देना ही होगा। तात्पर्य यह कि भाषा के प्रश्न पर भावुकता से विचार नहीं हो सकता। यहाँ तो विवेक से काम लेना होगा और कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे जन्मभाषा के द्वारा राष्ट्रभाषा को शक्ति मिले, कुछ कड़ी फटकार नहीं।

हिंदी राष्ट्रभाषा ही नहीं, एक बड़े भूभाग की शिष्ट भाषा भी है। द्रविड़ भाषाओं से हिंदी का जन्मजात नाता नहीं, पर संस्कृति का संबंध तो उनसे अवश्य है? गुजराती, मराठी, बंगाल आदि देशभाषाओं से हिंदी का संजातीय संबंध है, तो राजस्थानी आदि से स्वाजातीय और ब्रजभाषा अवधी आदि को तो उसका स्वगत भेद ही समझना चाहिए। निदान, मानना ही पड़ता है कि भाषा के द्वेष में भारत की सभी

प्रमुख भाषाओं को एक साथ ही नहीं होका जा सकता। उनके अलग-अलग रूप और अलग-अलग शक्ति पर विचार करना ही होगा और यह भी देखना ही होगा कि हमारी इस जनपदीय चेष्टा से कहीं एक ही धर में पूट तो नहीं भव रही है। उदाहरण के लिये पंचाल जनपद को लोजिए। कुरुपंचाल का कुछ ऐसा संवंध जुटा था कि 'पांचाली' 'कौरवी' हो गई। अर्थात् पांचाली नाम की कोई अलग भाषा नहीं रही। फिर भी यदि कहा जाता है कि पंचाल जनपद की उच्च से उच्च शिक्षा पांचाली में ही होगी तो इसका अर्थ है कि सभी अपने आपको विश्वविद्यालय समझ लें और अपनी-अपनी बोली में विश्व का निर्माण करे। पर दुनिया जानती है कि यह नहीं होने का। मनुष्य अपना प्रसार चाहता है, बटोर नहीं। सब को मिलकर किसी एक को महत्व देना ही होगा। नहीं तो किसी को कोई पूछेगा क्यों? तू कहीं और मैं कहीं से किसी का काम नहीं चलता।

भाग्यवश आज यदि 'डिग्गल' स्वयं 'पिगल' से दूर भागना चाहता है तो साहित्य के क्षेत्र में भी आज वह वही भूल करना चाहता है जो राजनीति के क्षेत्र से सदा से करता आ रहा है। उसे ध्यान रखना होगा कि भाषा दाय के रूप में नहीं मिलती उसे तो प्रत्येक प्राणी को कमाना अथवा अपने प्रयत्न से प्राप्त करना पड़ता है। बालक सहज में ही ऐसी वाणी को अपना लेता है जो उसके पड़ोस में होती है और उसके समाज वा कुदुंब में बराबर वरती जाती है। अतः बच्चे की बात उठा किसी बनी बनाई बात को बिगाड़ना सूक्ष्म नहीं, समझ नहीं और चाहे जो हो। जिसे अपनी जन्मभाषा की अधिक भमता हो वह उसे जितना चाहे उगा ले पर उसे भी इतना तो मानना ही होगा कि वह विश्व का प्राणों नहीं, राष्ट्र के किसी कोने का पतग है। यदि वह संसार में अपना 'जौहर' दिखाना चाहता है तो उसे जन्मभूमि से उमड़ कर कर्मभूमि में आना ही होगा जन्मभाषा से निकलकर कर्मभाषा में धॅसना ही होगा। आज के इस ग्रलयंकारी युग में भी जो हिंदी, हिंदी को कर्मभाषा नहीं समझता वह निश्चय ही प्रब्ला द्वारा ठगा गया है।

उसका विधि वाम हो गया है। 'बुद्देली', 'कश्मौजी', 'बांगल' आदि भी यदि स्वतंत्रता का विपुल बजा कर अपना-अपना स्वराज्य स्थापित करना चाहती हैं तो चार दिन के लिये कर लें; पर कृपया भूल न जायें कि किसी विशाल साम्राज्य से भी उन्हें कुछ लेना-देना अवश्य है। हमारी समझ में तो यह बात नहीं आती कि इन्हें भी इतनी अपनी-अपनी क्यों पड़ी है, इनका तो हिंदी से भात-भोज का नाता और सहज संवंध है? हाँ, 'मैथिली' और 'मुलतानी' की गति कुछ न्यारी अवश्य है। वे चाहें तो हिंदी की 'तीरमुक्ति' बनी रहें अथवा अपना स्वतंत्र मंडा खड़ा करें। कुछ भी करें उन्हें यह जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु जब 'हिंद' के भोतर उनकी भी गणना है और उनके पूर्वज सदा से उसके अभिभानी हैं तब अपने आपको 'हिंदी' से अलग न करें इसी से उनका तथा लोक का कल्याण है। सर्वेष में हम जानता यह चाहते हैं कि 'संमेलन' किसी ऐसे जनपद के कार्य में सहयोग क्यों दे जो अपनी भाषा को उठाकर हिंदी के समकक्ष लाना चाहता हो और आर्यवर्त की समभूमि में विप्रमता का बीज बोना चाहता हो। नहीं; प्रत्येक जनपद का यह पादन कर्तव्य है कि वह 'संमेलन' से अपनी भौग स्पष्ट करे और अपनी निश्चित धारणा के साथ वह संवर्द्धन करे जिससे स्थिति को समझने और सुलझाने में सुविधा हो। रही स्वयं 'संमेलन' की बात, सो वह वरावर जन-राहित्य के प्रकाशन में लगा है और किसी भी जनपद के किसी भी अध्ययन को प्रकाशित करने को सदा कठिवद्ध है। संमेलन किस प्रकार जनपदों के अध्ययन में योग दे सकता है और जन्मभाषा को सुशील बना शिष्ट भाषा के साथ बढ़ा सकता है इसका निर्णय हिंदी जनपदों की विचारशीलता पर निर्भर है। आशा है, भाषाशास्त्र के भर्मज्ञ और मानवता के पुजारी समय रहते इस विकल प्रश्न पर ध्यान दे किसी ऐसे मार्ग का विधान करेंगे जो 'सुरसरि सम सब कहें हित होई' का विधायक होगा।

१५ हिंदुस्तानी-प्रचार-सभा

‘हिंदुस्तानी-प्रचार-सभा’ का होनहार क्या है इसको हम ठीक-ठीक नहीं कह सकते परंतु इतना जानते अवश्य हैं कि अभी-अभी होली के अवसर पर महात्मा गांधी की पुरोहिताई में वर्धा में गर्भ की हिंदुस्तानी का जो राज्याभिषेक हुआ है वह किसी प्रकार भी महाकवि कालिदास के ‘रघुवंश’ की ‘गर्भवती पटरानी’ के गर्भ के राज्याभिषेक से कम नहीं है। हाँ, यदि इसमें किसी प्रकार की कमी है तो वस इतनी भर कि इसके आचार्य इतना नहीं जानते कि वस्तुतः यह गर्भ है अथवा नहीं। उनको तो बस यही पर्याप्त है कि यह कुछ न कुछ है अवश्य। हम भी इस अवश्य का स्वागत करते हैं और स्वागत नहीं-नहीं अगवानी वा इस्तकबाल करते हैं इस गर्भ के राज्याभिषेक का। भली कौन-सा ऐसा प्राणी होगा जो इस राज्याभिषेक का स्वागत न करे और न करे इस गर्भ की हिंदुस्तानी की परिचर्या। कितु हमें यदि आशंका है तो केवल इसी बात की कि कहीं यह ‘गर्भ’ न होकर ‘रोग’ न निकले और केवल ‘अपने जन्मले नाश’ को ही कहीं चरितार्थ न करे। कारण यही कि अभी हमारी मेधा बनी है और वह समझती भी खूब है कि दो के मेल से तीसरा उत्पन्न भले ही होता हो परंतु तीन से दो का मेल नहीं होता। और इस देश में दो क्यों, पहले से भी तीन हैं। महात्मा गांधी अँगरेजी को पी सकते हैं, अल्लामा सैयद रोमी को उड़ा सकते हैं किंतु कोई कुछ भी कहे सत्य पुकार कर कहता है कि अँगरेजी ने इतने अल्पकाल में जो कुछ कर लिया और रोमी विश्व में अपना सिक्खा जो जमा लिया वह किसी के ओख मूँदने अथवा गाल बजाने से दूर नहीं हो सकता। वह खलीफा के वर में भी चल रहा है और हिंदुस्तान में भी। वह सरापने से मर नहीं सकता और जलाने से सरपत की भाँति और भी हरभरा होगा और बढ़ेगा। तो महात्मा गांधी कहते क्या हैं और मुसलिम देवता (मुसलिम डिवाइन) अल्लामा सैयद खुलैमान नदवी फरमाते क्या हैं ?

यही न कि देशी राज हो और देशी भाषा हो । हो, परंतु पूछना तो यह है कि देशी राज और देशी भाषा के लिये किसी देशी हृदय की भी कभी आवश्यकता पड़ती है वा नहीं ? सुनिए अल्लामा शिवली नोमानी कहते क्या हैं । उनका दुखड़ा है

“मोकर्मी, तसलीम, मै उद्दू वर्नाकूलर स्कॉम कमेटी की शिरकत^१ की धरज से इलाहावाद गया था। मिस्टर वर्न ने चंद निहायत मुजिर^२ तजवीजे उद्दू के हक्क मे पेश की थी। एक वह भी थी कि रामायन भाषा इंटरेस के इस्तहान मे लाजमी^३ कर दी जाये। और उद्दू जो मदरिस^४ मे है वह ऐसी कर दी जाये कि हिंदी बन जाये। अजीव मंतिकी^५ दलायल^६ घड़े^७ थे। पंडित सुन्दरलाल वरौरह कमेटी के मेंवर थे। तीसरे जलसे मे कामिल^८ क्फतेह हुई। तमाम तजवीजें उड़ गईं। अगरचे अफ़सोस है कि मुसलमान मेंवरो ने कोई मदद मुझको न दी और देते क्या देने के काविल भी न थे। शिवली ।”

(दास्ताने तारीखे उद्दू, लक्ष्मीनारायन अधवाल, आगरा, सन् १९४१ ई०, पृष्ठ ६७६)

अल्लामा शिवली नोमानी के इस पत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इस कमेटी का भी ध्येय था कि

“इस्कूल और कालिजो के लिये देशी जवान का निसाबेतालीम^९ ऐसी जवान मे मुरतब^{१०} किया जाय कि एक ही इवारत के साथ उद्दू, हिंदी दोनों जवानों मे पढ़ा जा सके ।” (वही, पृष्ठ ६७६)

इसका निरचय क्या हुआ इसके कहने से क्या लाभ तो इसे भूल जाने मे ही है। कारण कि इसको पेश किया था ‘वर्न’ साहब ने। वर्न साहब सरकारी जीवथे। उन्हे जाने दीजिए और जाने दीजिए उन ‘मुसलमान मेंवरो’ को जिन्होने ‘रामायन’ के विरोध मे

१—पाञ्च। २—हानिकर। ३—अनिवार्य। ४—मदरसो। ५—तार्किक। ६—दर्लीलै। ७—गढ़े। ८—पूर्ण। ९—पाठ्यक्रम। १०—कमवद्ध।

उक्त मौलाना का साथ नहीं दिया था और जाने दीजिए उन हिंदुओं को भी जिनने इस संग्राम में मौलाना का हाथ बटाया था; परन्तु सब कुछ होते हुए भी हम आज हिंदुस्तानी के प्रसंग में इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि इसी विजयी अल्लामा को 'रामायन' का और इसी 'रामायन' का पता इतना है कि आप किस तपाक, नहीं नहीं किस अधिकार से लिखते हैं

"हिंदुओं में सब से बड़ा शाइर आखिर जमानः का कालिदास गुजरा है जिसने रामायन का भाका में तरजमा किया है। तुकाशनासो^१ का व्यान है कि कुदरते^२ ज्वान के लेहाज्ज से 'पदमावत' किसी तरह 'रामायन' से कम नहीं और इस कुदर तो हर शख्स देख सकता है कि 'पदमावत' के सफह: पढ़ते चले जाओ अरबी-फ़ारसी के अलफ़ाज मुतलक^३ नहीं आते और यो साज़बो नादिर^४ तो 'रामायन' भी ऐसे अल्फ़ाज से खाली नहीं। मुलाहिज़ा हो

'रामायन' के बाज़ अशआर

राम अनेक गरीब निवाजे । लोग बर बर बरद विराजे ॥

गनी गरीब गराम नर नागर । पंडित भोटे मिले उजागर ॥

(मोकालात शिवली, जिल्द दोयम, दारुल्ल मुसलिफ़ीन आजमगढ़, सन् १९३१ ई०, पृ० ८१)

'कालिदास' की 'भाका रामायन' का हमे पता नहीं पर हम इतना तो पूछ ही सकते हैं कि क्या किसी 'भाका' के सपूत के सामने कभी किसी 'रामायन' में 'लोग बरबर बरद विराजे' अथवा 'पंडित भोटे मिले उजागर' जैसा पाठ मिला है और यदि मिला है तो इसका अर्थ क्या है? प्रसंगवश हम इतना और कह देना चाहते हैं कि अल्लामा शिवली नोमानी का 'नोमान' से कोई जन्मजात वा वंशजात सम्बन्ध न था। नहीं उनका वंश तो सर्वथा हिंदी था। आप आजमगढ़ के विनवल गाँव के जन्मे थे और वश के रौतारा थे अर्थात् १८ देशी थे। फिर भी

जानते इतना भी नहीं कि कालिदास किस भाषा का कवि है और 'भाषा' में किसने 'रामायन' की रचना, नहीं नहीं तरजमा किया और फिर भी विरोध करते हैं उस विश्ववन्द्य कवि की उस रचना का जिसको पाठ्यक्रम में रखने का प्रस्ताव करता है सात समुन्दर पार का एक जीव। माना कि रामायण हिन्दू है और माना कि रामायण हिन्दी है और वह भी मान लिया कि उसमें काफिरों की 'बुत परस्ती' है, और यह भी मान लिया कि किसी मुसलमान-बच्चा को उसे नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ माना पर इसी से यह भी कैसे मान लिया जाय कि किसी अल्लामा नोमानी को इसी से यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह हमारे मुकुटमणियों का उपहास करे और इस प्रकार मनमाना वा मनगाढ़न्त पाठ देकर उनके कवि कर्म को नीचा ठहराए ? आप कहेंगे, मौलाना शिवली तो आज रहे नहीं फिर हिन्दुस्तानी के प्रचार के प्रसंग में आज उनका नाम क्यों लिया जाता है। ठीक है, पर आज रेडियो में, हिन्दुस्तान की हिन्दुस्तानी में रामराज्य का विरोध क्यों हो रहा है ? क्या महात्मा गान्धी की हिन्दुस्तानी में कहीं रामराज्य है ? क्या उनकी हिन्दुस्तानी में भारत के अतीत पुरुषों का भी कोई स्थान है ? क्या अतीत को छोड़ कर हिन्दुस्तानी पनप सकती है ?

कहते हैं हिन्दी नहीं हिन्दुस्तानी। कारण ? हिन्दी हिन्दी जो बन नहीं है ? तो क्या आप हिन्दी नहीं बनना चाहते ? कहते हैं हम मुसलमान हैं। 'मुसलिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा !' अच्छा, यही सही पर सच तो कहें, सारे जहाँ के मुसलमान भी यही कहते हैं ? महात्मा गान्धी इस पर ध्यान नहीं देते वस चाहते हैं स्वराज्य। किसके लिये, कह नहीं सकते, पर नाम सदा लेते हैं जनता का। क्यों ? इसके सिवा कुछ और कर भी तो नहीं सकते ? जनता को जनता ही क्यों नहीं रहने दिया जाता है ? उससे हिन्दू वा मुसलमान क्यों बनाया जाता है ? क्या इसके बिना किसी देश का काम ही नहीं चल सकता ? और यदि यही न्याय है तो ईसाई क्यों नहीं ? पारसी भी तो यहीं बसते हैं ? वसें पर उन्हें पूछता कोई क्यों हैं ? मतलब के साथी सब हैं। पर महात्मा

गान्धी को भूलना न होगा कि देश का उद्धार देशमाना को लेकर ही खड़ा हो सकता है कुछ किसी ऊपरी समझौता को लेकर नहीं। यदि मुसलिम को हिन्दी होने का अभिमान नहीं तो फिर हिन्दी से उसका मेल नहीं और हिन्दू को तो वह सह नहीं सकता, ज्योकि वह उसका प्रतिवृत्तिर्थी शब्द है। कहने को कोई कुछ कहे पर परिणाम प्रतिदिने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि इसी से तो 'हिन्दुस्तानी' का नाम लिया जा रहा है, हिन्दी का नहीं। निवेदन है, यही तो भूल हो रही है। उपाय नहीं। आप कुछ भी कहें पर विवेक इतिहास खोल कर कहेगा यही कि यह ठगी का सौदा ठीक नहीं। जो 'हिन्दी' को नहीं मानता वह 'हिन्दुस्तानी' को कदापि न मानेगा। यदि मेल की बात पकी होती तो उद्दू कभी बनती ही नहीं। बनी-बनाई हिन्दी को छोड़ कर जब उद्दू घड़ी न ई तब भी देश के सामने वही प्रश्न था जो आज है। उद्दू बनी, घड़ी, फली और फूली पर उसका सोता सूख गया। आज 'ईरानी' और तूरानी की शक्ति मारी गई। ईरान स्वयं खरा ईरानी बन गया और तूरान खरा तूरानी। अरबी के दिन भी फिरे तो अरबों में ही। आज न अरब में कोई ऐसी संस्था बन रही है और न ईरान-तूरान में जो अरबी का प्रचार करे और मुसलिम मात्र को देशकाल से मुरा समझे। परन्तु हमारे देश में हो क्या रहा है? अरबी और फारसी का आधह? क्यों? इस देश में मुसलमान जो रहते हैं?

वर्धा के बीर व्याख्यानों में क्या कहा गया? यही न कि हिन्दी और उद्दू को मिलाने का प्रयत्न करो। ठीक, कितनी बढ़िया बात है! पर कैसे? वस इसी को न पूछो। बढ़िया बात वही होती है जो कहने की है, करने की नहीं। कहने को तो बड़े बड़े बत्ताओं ने कह दिया कि सरल भाषा का प्रयोग करो पर किसी ने नहीं कहा कि सरल बनो। पोथी को छोड़ो और प्राणी को पकड़ो। महात्मा बुद्ध पोथी लेकर लोक-चाणी में प्रचार करने नहीं निकले थे। पोथीबनी और लोकचाणी नहीं। मुहम्मद पोथी ले कर इसलाम का प्रचार करने नहीं निकले थे। पोथी बनी और जनता की बानी मारी गई। अल्लाह ने कहा—ऐ मुहम्मद?

अरव की वाणी में अरव से कहो । तूरान ने कहा 'तूरानी मे तूरानी से कहो, पर 'मुसलमान' (?) ने कहा उर्दू में हिंदी से कहो । उर्दू का अर्थ ?

मुसलिम देवता 'नोमानी' भक्त श्री सैयद सुलैमान नदवी उठे । उर्दू की दुर्बलता को देखा । तर्क की शरण ली और न्याय की प्रेरणा से कह दिया जब इस देश का नाम हिंदुस्तान है तब यहाँ की भाषा का नाम भी हिंदुस्तानी । और काम ? हिंदुस्तानी नहीं; हिंदू और मुसलमान का मेल । सो कैसे ? यही न कि संस्कृत और अरबी के मोटे मोटे शब्द छोड़ दो और सभव पड़ने पर अरबी, फारसी, संस्कृत और अंगरेजी से शब्द लो ? कितनी सीधी वात है और कितने सीधे ढंग से चारों ओर धूम धूम कर कही जा रही है । पर वर्तुतः इसका कुछ अर्थ भी है ? हाँ, साथ ही एक और वर्खेड़ा भी खड़ा किया जा रहा है । कहा और वड़े विचार से कहा जा रहा है कि समस्त उत्तर भारत में जो भाषा बोली जाती है उसी मे रचना करो । जनता की वाणी को अपनाओ । एक साथ एक हिंदुस्तानी के लिये इतने भासेले उठ खड़े होते हैं कि किसी विवेकशील व्यक्ति के लिये यह 'समझना' ही कठिन हो जाता है कि यह कोई रमभल्ला हो रहा है या 'सोखाई' । गोरख-ध्रुंधा तो हम इसे कह नहीं सकते । निष्पर्प यह कि 'माशूक' की कमर' की भाँति हिंदुस्तानी के विषय मे जो कुछ कहो सब ठीक है । अथवा 'अल्प लखी नहि जाइ' को ही ठीक समझो परन्तु इतना जान लो कि यह कमर कस कर कुछ कर दिखाने का मार्ग नहीं । हाँ दिल वहलाने के लिये 'गालिन' लखाल अच्छा है । अच्छी वात वही तो होती है जो हो न पर जिसके होने की कल्पना उछलती रहती हो ? हम नहीं कहते कि हमारे देश में हिंदुस्तानी के 'सोमरामी' (शेख़ुचिली) नहीं । नहीं, हमारा कहना तो यही है कि इस हम नहीं और तुम नहीं से स्वराज्य नहीं सध सकता । हाँ, किसी का राज्य अवश्य ही जम सकता है ।

कहते और हमारे मुसलिम देवता अरणीमा सुलैमान साहब कहते हैं कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं; जो कुछ दिखाई देता है सभी मुसल-

मानों के साथ आया है। मुसलमानों के साथ इस देश में आया हो कोई बात नहीं पर इसलाम के साथ संसार में तो नहीं आया जो मुसलमान को इतना महत्त्व दिया जा रहा है? पर नहीं, इससे सैयद साहब को कोई प्रयोजन नहीं। उन्हें तो बस ले-दे के यही सिद्ध करना है कि जो कुछ यहाँ गला-फूला और बना-ठना दिखाई देता है वह सब मुसलमानों का प्रसार है। परन्तु उनके इस मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई है भाषा और विशेषतः शब्द की। इतिहास को तो आगे लगा कर चाटा जा सकता है और मुसलमान लेखकों के प्रताप से कुछ का कुछ कर दिखाया भी जा सकता है किन्तु जब तक हिंदी शब्द जीवित है तब तक ऐसा हो नहीं सकता। सैयद साहब ने कहा—अंगूर और अनार मुसलमानों के साथ इस देश में आये। हिंदुस्तानी ने कहा—ठीक। यदि ऐसा न होता तो यहाँ अपना भी तो कोई नाम होता? परन्तु हिंदी यह दिवान्धता सह नहीं सकती। वह आगे आती और बढ़ कर सैयद साहब से पूछ बैठती है—कहिए अल्लामा साहब! आप ने पढ़ा क्या है और सुना क्या है? सैयद साहब तपाक से आगे बढ़ते और अरबी, फारसी, उर्दू आदि का नाम सुना जाते हैं। वह सीधा स। प्रश्न करती कुछ यहाँ का भी। सैयद साहब मुसकरा कर कह देते हैं, यहाँ का भी। मुसलमानों ने यहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उनके अंतिरिक्ष यहाँ का इतिहास है ही कहौं? हिंदी ठिक कर सरल भाव से कह जाती है—और द्राक्षा और दाढ़िम कहाँ से किसके साथ आए? क्या 'द्राक्षासव' का नाम आपने कभी नहीं सुना। और नहीं सुना कहाँ दाढ़िम का नाम राजपूताने में घूमते समय? यदि हाँ, तो आप आज किस मुँह से कह रहे हैं कि अंगूर और अनार के लिए यहाँ अपना कोई शब्द नहीं और आए भी यहाँ अंगूर और अनार मुसलमानों के साथ ही। मुसलमानों के पहले अफगानिस्तान पर किसका शासन था बता सकते हैं और जानते हैं कुछ यहाँ के त्रिलोचनपाल को? आप कुछ भी कहे पर आप को मानना ही होगा कि आपने अपनी हिंदुस्तानी के प्रचार का जो महात्मा गांधी को साधन बनाया है वह सचमुच स्व-

राज्य के लिए, राष्ट्रोद्धार अथवा लोक-कल्याण के लिये कदमि नहीं। और यदि नहीं; तो आप ही कहे कि आप कहाँ के कैसे पढ़े-लिखे हिंदुस्तानी हैं जो अपने देश के विषय में जानते इतना भी नहीं और बाजते फिरते हैं अल्लासा ? नहीं; अवश्य ही दाल में कुछ काला है, दिमाग में न सही। शिवली के जाल से मुक्त हो तनिक देखिए तो सही। आप लिखते हैं—

“धोड़े की सवारी कहाँ न थी। मगर जब मुसलमान यहाँ आए तो लगाम, ज़ीन, तंग, खूबीर, रकाब, नाल, तुक्ता, जुल, जिसकी ख़राबी भोल है, सईस, सवार, शहसवार, ताजियाना, कमची, सब अपने साथ लाए” (तुक़शे सुलैमानी, पृ० २९-३०)

माना, आपका कहना सोलहो आना सच है। पर कृपा कर यह तो कहे कि यदि यही स्थिति थी तो क्या जादू के बल पर लोग ‘धोड़े’ की सवारी करते थे? क्या बिना लगाम के किसी को किसी धोड़े पर सवारी करते देखा है और कभी बिहार में रहते हुए आप ने कभी ‘रास’ का नाम नहीं सुना है? अरे! आप क्या कहते? क्या और किस हिंदुस्तानी के लोभ में किस हिंदुस्तान को कितना जपाट सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप को पता नहीं कि ‘सवार’ शुद्ध ‘असवार’ से बना है और आप के पड़ोस के लोग फलतः आज भी उसे ठेठ में ‘असवार’ ही कहते हैं, ‘सवार’ नहीं। ‘सवार’ तो इसी लिये बनाया गया है कि वह मुसलमानों के साथ यहाँ आ सके। नहीं तो इसा के २४ वर्ष पहले तक तो स्वयं मुसलमानों के घर अरव में धोड़े का पता ही नहीं चलता। कुछ इसकी भी सुधि है? यही दशा ‘जुल’ की भी है। यह ‘भोल’ की ख़राबी है जो लिपि-दोष के कारण हो गई है। ‘भ’ मुसलमानी लिपि में है कहाँ? कुछ भाषाशाखा और ‘कोष’ से भी तो पूछ देखे! कि आप की हिंदुस्तानी सबको खा चबा कर ही पुष्ट होगी? अरे! देश का जिसे थोड़ा भी अभिमान है वह आप की इस विलक्षण खोज से इतना तो सीख ही लेगा कि अपने को उद्दूँ के खक्कर से मुक्त करे और सर्वथा हिंदी का हो रहे। हिंदी उन शब्दों को कभी छोड़ नहीं

सकती जिनमें इस देश का मान छिपा है और जिसकी रक्षा आज तक इस सुसलमानी आक्रमण से होती आ रही है। सुसलमानी इसलिये कि आप इसी को इसलाम समझते हैं, नहीं तो हम तो इसको राहीं लटके के सिवा और कुछ नहीं समझते और नहीं समझते उस स्वर्गीय स्वराज्य ही को कुछ जिसमें सब कुछ तो रहे पर अपना कुछ भी न रहे और यदि रहे भी तो अपने रूप में कदापि नहीं। हाँ, उदूँ के रूप में हो कर ही।

अच्छा, तो उदूँ का रूप है क्या? सुनिये, सैवद इंशा? खुले रूप में कहते हैं .

“और किसी लोग के उदूँ न होने से यह मुराद^१ है कि उदूँ में हुएक की कभी-वेशी से वह खराद पर नहीं चढ़ा। ५०वाह दूसरी जगह मुर०वज^२ हो। बाजे अल्काज शहर में और दूसरी जगह मुशतरक^३ हैं लेकिन साज बो नादिर। जैसे सूरज, तारा, साग, पान, वर्गैरह। मुख तसर^४ यह कि उन लोगों के सिवा जिन्हें शहर के फसीह^५ और दूसरी जगह के बाशिन्दे इस्तैमाल करें ऐसा हर लोग जिसको अहलेशहर^६ दो तलापुजों^७ में अदा करे उन दोनों लोगों में जो लोग कि दूसरी जगह तालिम^८ के सिवा मुर०वज न हो ज़बान उदूँ है।” (दिव्याये लतापात, वही, पृ० ८७०)

‘तालिम के सिवा मुर०वज न हो ज़बान उदूँ है’ को तो आप आज-महात्मा गान्धी की कृपा और वर्धी की हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की अनुकूपा से यों भी समझ सकते हैं कि जो ‘तालीम के सिवा मुर०वज न हो ज़बान हिन्दुस्तानी है।’ कारण, आज हिन्दुस्तानी है भी उदूँ का पर्याय और महात्मा गान्धी कहते भी हैं कि वह कहीं है तो नहीं पर कहीं गुप्त अवश्य है। उसको प्रकट करना ही उनकी वर्धाई योजना का प्रयत्न है। ठीक है। सगर-सुतों को तारने का जो भगीरथ प्रयत्न हुआ

१ अभिप्राय। २—प्रचलित। ३ साक्षी। ४ सक्षेप। ५—शिं।

६ नगरिक। ७—उच्चारण। ८—शिक्षा।

उसी का परिणाम तो गंगा है फिर भारत को तारने का जो कलामी प्रयत्न हो रहा है उसका फल सरस्वती क्यों न हो। किंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 'वंदे मातरम्' से खार खानेवाली और धूम धूम कर दूरवार से 'बंदगी' बजाने तथा 'मादर' का भ्रयोग करनेवालों उद्दीप्त इस सरस्वती की देवपूजा को सह सकेगी। महात्मा जी की सरस्वती हिंदुस्तानी के रूप में फूट रही है। वह है तो अवश्य पर देश नहीं महात्मा गांधी के मानस में। उसका प्रचार कहीं है तो नहीं किंतु वह प्रचलित होनी 'तालीम' के द्वारा। है न महात्मा गांधी का यही पक्ष ? सौभाग्य की बात है कि आज से ठीक २०० वर्ष पहले जैसे ईरानी-तूरानी-रक्षा के लिए उद्दू बनी थी वैसे ही आज उद्दू की रक्षा के लिए हिंदुस्तानी बन रही है। अंतर केवल इतना है कि उस समय यह कार्य हँसोड़ अमीन खाँ और बसी नूरबाई के द्वारा हुआ था और आज यह कार्य हो रहा है महात्मा गांधी और किसी दियोग देवी के द्वारा। महात्मा गांधी कुछ भी करते रहे पर इतना तो जान ही लें कि 'उद्दू' में हुए की कमी-वेशी' के कारण भी वहुत से प्रचलित शब्द 'ख़राद' पर नहीं चढ़े और और देश में रहते हुए भी उद्दू से निकाल दिए गए। महात्मा गांधी वडे मावुर शब्दों से लिपि का प्रश्न पी जाते हैं और समझते हैं कि शकर जी ने हल्लाहल पान कर सारा अमंगल दूर कर दिया पर जानते इतना भी नहीं कि आगे हो क्या रहा है। सुरा और सुधा का बेटवारा हो कैसे रहा है ? क्या हिंदुस्तानी की 'मोहिनी' इसीलिये बनी है ? जी, सुधा का तो पता नहीं पर सुरा का परोसा सामने आ रहा। अच्छा यही समझिए कि एक का 'देव' दूसरे का 'दानव' है। कीजिएगा क्या ? हिंदी का 'देव' ही उद्दू में 'दानव' हो जाता है। आज अपना संहार अपने ही तो कर रहे हैं ! भला मुहाम्मद अली जिनाह और मौलवी अफुल हक़्क़ के पिना किस विलायत से आए थे जो आज सर्वथा हिंदी होते हुए भी हिंदी का विरोध कर रहे हैं और उस उद्दू को ले रहे हैं जिनमें उनका तथा उनके पूर्वजों का नाम धरा गया है ?

'कैफी' ? पंडित दत्तात्रिया कैफी को पूछ रहे हैं ? अजी ! बूढ़ा सुगमा

राम राम नहीं पढ़तांसो भी बचपन का कुछ और ही पढ़ाया हुआ। सुनिए न, वह क्या बोलता है। यही न?

‘मामा और चाचा यह दो रिश्तों के नाम पहले से रायज थे। मामा को मामूँ इसलिये बनाया गया कि फारसी में ‘मामा’ धर की खादिमा^१ को कहते हैं। खौ के भाई को खादिमा का नाम देना मुनासिब न था। इसी रिक्तायत^२ से मामी में भी तबदीली हुई। चूंकि शुमाली^३ हिंद के लहजे^४ में अशिक्षित कलमा के हुएकैइङ्गत^५ के बाद जूनगुन्ना नाखवाँदा^६ मेहमान की तरह आ मौजूद होता है इसलिये चौं चौं (गुलगापाड़ा) से बचाने को फुसहा चचा कहने लगे जिसकी तानीस चाची की जगह खहल कायदे के तेहत^७ चची बनी।” (द्रियायेलताफत पृ० २४३ की पाद टिप्पणी)

‘मामा’ और ‘चाचा’ को जिस कारण ‘मामूँ’ और ‘चचा’ बनना पड़ा वह आप के सामने है। इससे आप भलीभौति समझ सकते हैं कि वस्तुतः उदूँ है किस चिड़िया का नाम। उधर तो फारसी की चपेट में पड़कर ‘मामा’ ‘मामूँ’ बन गए और इधर गवँरो से भाग निकलने के लिए ‘चाचा’ ‘चचा’ बन बैठे। ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता कि वर्धा की सब की हिंदुस्तानी क्या स्वर धारण करेगी। किंतु जनाब ‘कैफी’ साहब से सचाई से पूछा जा सकता है कि सच तो कहे ‘दत्तात्रेय’ का ‘दत्तात्रिरिया’ कैसे हो गया। संभव है, डाकटर अब्दुल हक् साहब तुरत बोल उठें कि ‘उदूँ’ औरतों की ज़बान है और औरतों की बोली में ‘तिरिया’ नहीं तो और क्या होगा। यही सही, किंतु ‘औरतों की ज़बान’ यानी उदूँ में इसका अर्थ क्या होगा, कुछ इसको भी तो स्पष्ट करें। हमें इस ‘दत्तात्रिरिया’ की चिन्ता नहीं। वह तो अपनी रुचि की बात है कि पंडित बृजमोहन दत्तात्रिरिया साहब अपने आप को ‘कैफी’ कहें वा ‘तिरिया’ किन्तु क्या हमारी इस स्वदेशी बोली में हमारे मुनि-ऋषि अथवा आचार्य भी ‘दत्तात्रिरिया’ ही कहलायेंगे? महात्मा गांधी

१—सेविका। २—विचार। ३—उत्तरी। ४—काकु, स्वरसयोग। ५—अल्लफ, वाव, याय आदि, अक्षर। ६—अशिक्षित। ७—अधीन।

इस हिन्दुस्तानी की अनुत व्याख्या कर सकते हैं परन्तु विश्व उनका साथ नहीं दे सकता। भला कौन ऐसा मूढ़ होगा जो ऋषि 'दत्तात्रेय' को 'दत्तात्रिया' के रूप में ग्रहण करेगा और एक अवतार का इस प्रकार असलान करेगा?

'मामा' चाचा' और 'दत्तात्रिया' का प्रसंग इस विचार से छेड़ा गया है कि आप प्रकट रूप में देख सकें कि हिन्दी-उर्दू का संघर्ष केवल अरबी-फारसी और संस्कृत शब्दों का संघर्ष नहीं है। नहीं, वह तो संघर्ष है प्रवृत्ति अथवा ठसक का। जो लोग वात वात में भाषा के प्रसंग में केवल शब्दों का नाम लेते और राष्ट्रभाषा के प्रसंग में संस्कृत के साथ अरबी का नाम भी जोड़ देते हैं वे भाषा के द्वेष में था तो निरे दुष्ट हैं या अद्भुत आचार्य। भला सोचिए तो सही अरबी का यहाँ की किसी भी खड़ी-पड़ी, सड़ी-गाली, चलती-फिरती भाषा से कहीं का कोई भी जन्मजात सहज संवंध है। भाना कि वह यहाँ के बग विशेष की पोथी की भाषा है और उस पोथी के मूल में पैठने के लिये उसकी भाषा का जानना अनिवार्य है, पर इसी के आधार पर वह भी कैसे मान लें कि उसका भी इस भूमाना पर वही अधिकार है जो संस्कृत का। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। वह भले ही भारत की राजभाषा बन जाय पर भारत की राष्ट्रभाषा तो वह होने से रही। और कहे तो सही राष्ट्रभाषा के प्रसंग में आप क्यों इसका नाम लेते हैं। क्या मुसलमान होने के कारण? अच्छा, लो सुनो और कहो तो सही कि तुम निरे मुसलमान ही हो कि कही तुमसे इसलाम भी है। इसलाम के किस आदेश से तुम ऐसा कर रहे हो? देखो लगभग १३०० वर्ष से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इसलाम इस देश में चला आ रहा है और लगभग ६०० वर्ष तक यहाँ का प्रमुख बल भी उसी के हाथ मेरहा है। इतने वर्षों में जो इसलामी शब्द यहाँ की भाषा मे न आ सके आज वे क्यों लाए जा रहे हैं? क्या उनकी कोई तालिका भी किसी मुसलमान के पास है? अरे! मार्ड! जिन अरबी शब्दों में इसलाम था उनका प्रचार इसलाम के साथ हो गया अब तुम उस काफिरी भाषा के चक्कर में

क्यों पड़े हो जिसमें इसलाम नहीं अरब की शान है। और यदि चाहते हो तो उसे इसलाम के भीतर ही रखो। निरीह जनता पर उसे क्यों लादते हो ? है कुछ इसलामी अल्लाह का आदेश जो तुमसे ऐसा कुछ कराता है ? नहीं, अरबी के आधार पर हिंदुस्तानी चल नहीं सकती और न उससे एक भी नया शब्द गढ़ने का उसे अधिकार है। वैसे महात्मा गान्धी और अल्लामा सुलैमान की इच्छा।

‘फारसी’ के विषय में भी हमारा यही भत है और यही भत होगा विश्व के स्वतंत्र मननशील व्यक्तियों का भत। फारसी इतने दिनों तक यहाँ की राज-भाषा रही। उससे जो कुछ आने का था आ चुका। अब कोई कारण नहीं रहा कि हम एक भी नया शब्द उससे बनाएँ। हाँ, बनाएँ, नहीं। कारण यह कि भाषाशास्त्र की दृष्टि से ईरानी का तो यहाँ की भाषाओं से कुछ लगाव है पर अरबी का तनिक भी नहीं। अरबी तो किसी और वंश को भाषा है।

हाँ, यहाँ इतना और जान लें कि प्रश्न पुराने शब्दों का नहीं, नये शब्दों के लेने का है। सो हमारा कहना है कि नये शब्द तभी फारसी या अरबी से लिये जा सकते हैं जब उनमें अपनी कुछ नवीनता हो और अपने साथ अपने राष्ट्र का जीवन लिये हुए हों कुछ यह नहीं कि किसी विदेशी भाषा से किसी टकसाल में ढाल लिये गए हो और लादे जा रहे हों भारत की राष्ट्रभाषा के हृदय पर अपना लट्ठू छकड़ा चलाने के लिये। ऐसा आज किसी भी इसलामी या अनिसलामी देश में नहीं हो रहा है फिर यह उपद्रव यहाँ क्यों हो ? रही अरबी-फारसी शब्दों की बात। सो लेखक और वक्ता की इच्छा। वह जैसी भाषा का चाहे प्रयोग करे। यदि उसमें इतनी क्षमता नहीं कि वह अपने सामाजिकों को समझ सके तो आप की अनोखी पगड़ंडी पर चलकर वह जनता का मैदान नहीं मार सकता। उसको अपनी भाषा में लिखने दीजिए। शाकि होगी जीवित रहेगा। अशाकि होगा मर जायगा। यही तो यहाँ का क्रम है ? फिर इसकी चिता क्या ? विश्व यदि सपाट हो जाय तो उसका सारा आनंद जाता रहे। वस, वाणी के विधाता न बनो उसे स्वतंत्र

अपने पाठ पर वहने दो। शब्द की परख कवि को होती है किसी कोश को नहीं। कोश काम चला सकता है राष्ट्र नहीं। राष्ट्र उसी नहीं उस कोश से बली हो सकता जो उसका अपना नहीं। उधार लेना पतन है पचा लेना पराम्रम और पकड़ जाना विनाश। बस, लेने की बात छोड़ो, पचाने का अभ्यास करो, और आये हुए शब्दों को ऐसा अपनाओ कि फिर कभी उन्हें भागकर कहीं और जाने की सुधि न रहे और सर्वथा अपने अनुरासन में आ जायें। अरे ! वडे बड़े पंडित बता नहीं सकते कि अमुक शब्द का इतिहास अमुक है तो किसी हिंदुस्तानी छैला की बात ही क्या जो भाषा के क्षेत्र में सदा यही पढ़ेगा कि यह भी नहीं, वह भी नहीं। विश्वास रखिए, इसका परिणाम होगा कुछ भी नहीं, और इसका फल निकलेगा 'संशयत्वा विनश्यति।' 'दुष्प्रिया में दोऊ गण माया मिली न राम।' बस, समझ लिया न ?

हाँ, अवश्य ही संस्कृत के आधार पर राष्ट्रभाषा खड़ी होगी। इसलिए नहीं कि वह यहाँ की धर्म-भाषा है। नहीं, सच पूछिए तो कोई भी भाषा धर्म की भाषा नहीं होती। किसी भी भाषा को धर्म-भाषा के रूप में व्युत्पन्न करना उसका उपहास करना है। संस्कृत का नाम हम धर्म के कारण नहीं प्रत्युत इतिहास, विचार और भाषाशाख के कारण लेते हैं। संस्कृत का यहाँ की देशभाषाओं से जो सम्बन्ध रहा है उसको कौन नहीं जानता। वह किसी की भाता है तो किसी की दाई। सभी उसी का दूध पीतो है और दूध भी ऐसा जो समस्त विज्ञान का दाता है। क्या आप से यह भी कहना होगा कि आज समस्त संसार जो स्वतंत्र चिन्तन कर रहा है वह सीधे उसी कुल की भाषाओं में व्यक्त हो रहा है जिसका प्राचीनतम ग्रंथ हमारे पास है और सौभाग्य से नहीं विचार से उसका नाम भी है वेद-ज्ञान। बस, आज का विज्ञान भी इसी कुल से शब्द लेता और बनाता है। यूरोप ग्रीक और लैटिन की शरण लेता है और भारत संस्कृत तथा प्राकृत की। और प्रसन्नता तथा पते की बात तो यह है कि ग्रीक लैटिन तथा संस्कृत में प्रायः वही सम्बन्ध है जो यहाँ की समस्त देशभाषाओं में। हाँ, द्रविड़-भाषाओं का भेद अवश्य

उठ खड़ा होता है पर नाक कटाने के लिए नहीं प्रत्युत और भी शफि-बढ़ाने के लिए। विविधता से शोभा बढ़ती है किन्तु एकता में ही, अनेकता में नहीं।

इतना सुनना था कि कहीं से डाक्टर ताराचंद बोल पड़े—अरे ! हमे क्यों भूल रहे हो ? सो कहना है—भैया ! तुम्हें भी कोई भूल सकता है ? सचमुच तुम तो अमर हो—अमर नहीं, देवता। समझे न ? किन्तु एक बात अपनी भी मान लो। कहते हो—“संस्कृत में छ कारक हैं हिंदी उर्दू में दो या तीन !” कहते तो ठीक ही हो पर समझते इतना भी नहीं कि ‘हिंदी उर्दू में दो कारक’ मानने से काम नहीं चलेगा। बस, तुम्हें तो मानना होगा हिंदुस्तानी में तीन कारक—महात्मा गांधी, मुसलिम देवता अल्लामा सुलैमान नदवी और स्वयं डाक्टर ताराचंद। बस इसीसे तुम्हारा हिंदुस्तानी का तिकड़भ चलेगा, कुछ दो कारक मान लेने से नहीं। कारक को हिंदुस्तानी में क्या कहेंगे यह हम नहीं जानते पर ताराचंद को संस्कृत में कहेंगे ताराचन्द्र। इसमें संदेह नहीं। तो क्या ‘ताराचंद’ के जीते हुए संस्कृत सचमुच भर गई ? अजी ! कहाँ की बात करते हो ? ‘तारा’ संस्कृत है तो ‘चंद’ प्राकृत। बस, कोई कुछ भी बक्ता रहे पर भारत का नाम चलेगा। इसी संस्कृत और प्राकृत से—तत्सम और तद्वय से, कुछ किसी वनावटी हिंदुस्तानी से कदापि नहीं।

१६ व्यवहार में हिंदी

सरकार किसने दिनों से बार-बार बराबर यही कहती आ रही है कि केचहरियों और दफतरों का काम-काज सदा ऐसी सरल और सुवोध बोलचाल की भाषा में हो जो अपढ़ जनता की समझ में भी आ सके और उनमें ऐसी लिपि का व्यवहार हो जो जनता की चिर परिचित सुनाम लिपि हो, पर देखने में यह आ रहा है कि हाकिमों की उपेक्षा, वकीलों की असावधानी, मुशियों की पेट-पूजा और अहलकारों की कूर्ट लीला के कारण युक्तप्रांत में कुछ और ही भाषा और और ही लिपि

का बोलन्चाला है। यहाँ की कच्छहरियों में जो भाषा बरती जाती है वह सचमुच कहाँ की देश-भाषा है, इसका पता आज तक न तो सरकार को ही चल सका और न उसकी प्राण-प्रिय प्रजा को ही; फिर भी उसका व्यवहार बराबर हो रहा है। कारण यह है कि उसके उपयोग से प्रांत की पढ़ी-लिखी साक्षर जनता भी सदा सरकारी लोगों की मुट्ठी में बनी रहती है और कभी भूलकर भी उनको धता नहीं चला सकती। यदि कभी किसी ने अपनी बहुमुखी विद्या के बल पर कुछ साहस किया भी तो शिकस्ता लिपि ने चट उसे पछाड़ दिया और अंत में हारकर विवश हो मुंशी जी की शरण में जाना ही पड़ा। तभी तो यह एक स्वर से कहा जाता है कि सचमुच कच्छहरी के राजा तो मुंशी जी हैं, साहब लोग तो उनके हाथ के खिलौने हैं।

इधर जनता कुछ जगी और अपने अधिकार के लिये आगे बढ़ी तो तरहन्तरह के जाल रचे गये और प्रायः यह कहा जाने लगा कि हिन्दी और नामारी से सरकार का कोई सरोकार नहीं। अर्थात् युक्त-प्रांत की सरकार तो उद्दू जवान और फारसी लिपि को अपनाती है कुछ हिंदी भाषा और नामारी लिपि को नहीं। उधर ऐसे महानुभावों की भी कुछ विभूति जगी है जो लगातार कितने रूपों में इसी की रट लगाते हैं कि उद्दू सदा से कच्छहरियों की भाषा रही है और आज द्वेषवश कुछ 'आरिया' अथवा 'सभाई' लोग ही उसे हटाकर उसकी जगह एक बनावटी भाषा यानी हिन्दी को चालू करना चाहते हैं। इस प्रकार कुछ घुड़की, कुछ धमकी और कुछ पक्षपात के पंजे से बच भागने के लिए लोग चुपचाप अपनी भाषा और अपनी लिपि को तिलांजलि दे उद्दू का दम भरते और दफतरों की सततेमड़ी बोली को अपनाते हैं। उदार हाकिम भी प्रमादवश मौन रह जाते और क्रूर हाकिमों को और भी खुल खेलने का अवसर देते हैं। निदान यह उचित जान पड़ा कि युक्तप्रांत की सरल जनता को इस बात से खूब सचेत और भलीभौति सावधान कर दिया जाय कि भविष्य में वह कभी इस प्रकार के चक्कर में न पड़े और अपने भाषा-प्रांतधी अधिकार से अमिश हो उसकी प्राप्ति के लिए

पूरा प्रयत्न करे। और यदि कहीं से किसी प्रकार की कोई अड़चन उसके सामने आये तो उसकी सूचना सरकार तथा समस्त देश को दे और फिर देखे कि उसका साधु साहस कितना शीघ्र सफल होता है— मुंशी जी कैसे तुरत उसका काम उसकी भाषा में कर देते हैं। अच्छा तो दूर की बात जाने दीजिए। लीजिए अभी उस दिन कंपनी सरकार ने कहा था

“इस आईन के ३ दफे के जिलों (अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा और बुन्देलखण्ड) के जज साहिब और मजिस्ट्रेट साहिब को लाजिम है के जिस वकत इस आईन का फारसी या हिंदी तरजमा उनके कर्ते खुँचे तो उसके तई अपनी कच्छहरियों में पढ़वावे और मशहूर करें और इसी तरह से जिन आइन्होंने के इस आईन के रूप से उपर के जिलों में चलन पाई है उनका तरजमा भी पढ़वावें और मशहूर करें और ३ दफे के जिलों की दीवानी अदालत के वकीलों को हूँकम है के जौन सी आईन के उपर के जिलों की दीवानी अदालत के मोकद्दमों से किसुनिक्सु तरह का इलाका रखना है तो उस आईन के तरजमे की नकल लेकर अपने पास रख छोड़े बलके जज साहिब और मजिस्ट्रेट साहिबों को यह भी जखर है के जो नकल सन् १८०३ की ४६ आईन के १० दफे के रूप से शहरों और अपने जिलों के काजियों को देवें इसी तरह ५८ छोटे बड़े के खबर के लिए मोनसिफों की कच्छहरियों में के वे मोनसिफ सन् १८०३ की १६ आईन के मोवाफिक ठहरे हैं और ऐसे ही तहसीलदार और दारोगों की कच्छहरियों में के ३५ आईन के रूप से पुलीस का इस्तेयार उनको दिया गया है पढ़वावे और मशहूर करवावे और जाना जावे के जेतनी आईन के आगे चल के बनेंगी इस काएदे के मोवाफिक इसी तरह ५८ शोहरत पावेंगी और पाए हुए और फतह किए भूलकों के सब महलों में चलन पावेंगी।” (अँगरेजी सन् १८०५ साल द आईन ३१ दफा)

कंपनी सरकार के इस आईन को सामने रखकर ध्यान से देखिए और कहिए कि भाषा के विषय में कंपनी-सरकार की नीति क्या है

और वह किस भाषा और किस लिपि का व्यवहार किस दृष्टि से चाहती है। 'फारसी तरजमा' के बारे में तो इतना जान लीजिए कि वस्तुतः फारसी ही उस समय की राजभाषा थी और उसी में शाही काम-काज होते थे। रही 'हिंदी' की बात, जो उसके संबंध में इतना भान लीजिए कि हिंदी से कंपनी सरकार का तात्पर्य है हिंदी-भाषा और हिंदी-अक्षर—कुछ उदूँ-भाषा और फारसी-अक्षर नहीं। कंपनी-सरकार की निश्चित नीति तो यह है कि दरवारी लोगों की जानकारी के लिए फारसी-भाषा और फारसी-लिपि का व्यवहार करो और सामान्य जनता के उपयोग के लिए नागरी-भाषा और नागरी-लिपि का। एक आईन में साफ़-साफ़ नागरी-भाषा का विधान कर यह स्पष्ट दिखा दिया गया है कि कंपनी-सरकार की हिंदी का अर्थ है नागरी-भाषा और नागरी-अक्षर ही कुछ उदूँ-भाषा और नागरी-लिपि अथवा हिंदी-भाषा और फारसी-लिपि नहीं। प्रभाग के लिए तुरत देखिए। उसका स्पष्ट निर्देश है

"किसी को इस बात का उज्जूर नहीं होऐ के उपर के दफे का लिखा हुक्म सभ से बाकीफ नहीं है। हरी ऐक जिले के कलीकटर साहेब को लाजिम है के इस आईन के पावने पर ऐक-ऐक केता इसतहारनामा नीचे के सरह से फारसी वो नागरी भाषा के अक्षर में लीखाए कै अपने मोहर वो दसतखत से अपने जिला के भालीकान जमीन वो ईजारे-दार जो हजुर में मालगूजारी करता उन सभो के कचहरि मे वो अमानि महाल के देसि ताहसीलदार लोग के कचहरि मे भी लटकावही... वो कलीकटर साहेब लोग को लाजीम है के ईसतहारनामा अपने कचहरी मो वो अदालत के जज साहेब लोग के कचहरि मे भी तमामी आदमी के बुझने के बास्ते लटकावही।" (अँगरेजी सन् १८०३ साल ३१ आईन २० दफा)

विचार करने की बात है कि जिस उदूँ-भाषा और फारसी-लिपि के लिए आज इतना ऊधम भवाया जा रहा है उसका उल्लेख कही भी किसी भी आईन में नहीं है; यदि है तो फारसी-भाषा और फारसी-

लिपि एवं हिंदी-भाषा और नागरी-लिपि का ही। उद्दूँ-भाषा और फारसी-लिपि का विधान तो तब हुआ जब मुगलों की भाषा फारसी दरबार से उठ गई और उसकी जगह अँगरेजी राज-भाषा बनी। दिल्ली के मुगल दरबार में जो उद्दूँ ईजाद हुई वही दीवानी के नाते कलकत्ता के फिरंगी-दरबार को भी मोहने लगी। किंतु फारसी के कारण जनता को जो कष्ट लठाना पड़ता था उसको देखकर कंपनी-सरकार ने निश्चित किया कि फारसी कच्छरियों से बिदा कर दी जाय, पर स्थिति की कठोरता के कारण उसे कुछ इधर-उधर करना ही पड़ा और फलतः आज तक वह उद्दूँ की ओट में कुछ इधर उधर बनी रही।

उद्दूँ कच्छरियों में सहसा कैसे कूद पड़ो, इसका कुछ पता इस आज्ञा से चल जाता है

“सदर बोर्ड के साहबोंने यह ध्यान किया है कि कच्छरी के सब काम फारसी ज्ञान में लिखा-पड़ा होने से सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कल्प होता है। और जब कोई अपनों अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। सबको चैन आराम होगा। इसलिए हुक्म दिया गया है कि सन् १२४४ की कुवार बड़ी प्रथम से जिसका जो भाषण सदर-बोर्ड में हो सो अपना-अपना सबाल अपनी हिंदी बोली में और पारसी के नागरी अच्छरन में लिख के दाखिल करै कै डाक पर भेजै और सबाल जौन अच्छरन में लिखा हो तौने अच्छरन में और हिंदी बोली में उस पर हुक्म लिखा जायगा।” (मिति २९ जूलाई सन् १८३६ ई०)।

हिंदी बोली के साथ पारसी अन्नरों का विधान हो भया, पर अभी किसी उद्दूँ का नाम नहीं आया। क्यों? कारण जो हो, पर उधर फोर्टविलियम कालेज में उसके मुंशी जम गये थे और ‘हिंदोस्तानी’ की ओट में उद्दूँ का प्रचार डटकर कर रहे थे। इससे हुआ यहाँ कि इधर फोर्टविलियम सरकार ने फारसी से अबकर यह आज्ञा निकाली कि धीरे-धीरे फारसी की जगह देशभाषाओं को चालू किया जाय तो उधर फोर्टविलियम कालेज (स्थापित सन् १८०० ई०) ने यह पाठ पढ़ाया कि हिंदी हिंदुओं

की भाषा है जो गाँवों में बोली जाती है। निदान हिंदुस्तान की शिष्ट भाषा। वह हिंदुस्तानी समझी, नई जो दरबार में बरती जाती थी। डाक्टर गिलक्रिस्ट ने इसी दरबारी भाषा को उर्दू कहा है, और मीर अगान देहलवी ने इसी को 'सौदामुल्फ' लेन-देन की। स्मरण रहे कि उर्दू को 'बाजार' या 'लश्कर' की बोली इन्हीं महोदय ने कहा है, नहीं तो उर्दू सदा मानी जाती थी 'उर्दू' यानी दरबार की ही भाषा। हाँ, तो सन् १८३७ ई० के ऐक्ट से देश-भाषाओं को महाव मिला है किसी दरबारी उर्दू को नहीं। ध्यान से देखें। वह ऐक्ट है कि

"It is hereby enacted that from the First day of December 1837, it shall be lawful for the Governor-General of India in Council, by an Order in Council, to dispense either generally, or within such local limits as may seem to him meet, with any provision of any Regulation of the Bengal Code, which enjoins the use of the Persian language in any Judicial proceeding relating to the Revenue and to prescribe the language and character to be used in such proceedings." (Act No. XXIX of 1837, passed on the 20th November, 1837.)

इसका सीधा-भाव अर्थ है कि हिंदुस्तान के गवर्नर-जनरल साहब अपनी कौंसिल के साथ यह निश्चित कर लें कि किस देश के किस भाग से किस अंश में फारसी-भाषा माल-विभाग और दीवानी से निकाल दी जाय और उसकी जगह कौन-सी भाषा और कौन-सी लिपि चालू की जाय। ऐक्ट कितना सीधा था पर उसका काम कितना टेढ़ा हो गया। उसके अनुसार फारसी के उठ जाने पर स्वभावतः हिंदी-भाषा और नागरी-लिपि का बोलबोला हो जाता। पर भारत-रारकार को यह बात रुची नहीं। रुचती भी कैसे? फारसी के लिए भर-मिटनेवाले भी कम न थे और उस समय वह थी भी दिल्ली के अधीन ही। निदान हुआ यह कि युक्तप्रान्त की अपनी वाणी जाती रही और उसकी हिंदी बोली और नागरी लिपि की जगह मिल नई मुगली बोली और फारसी

लिपि को। सो कैसे, तनिक इसे भी देख लें। युक्तप्रान्त की सदर दीवानी अदालत ने इसके दो वर्ष बाद एक सरक्यूलर निकाला जिसमें कहा गया कि

“The Court direct that, from the 1st of July next, the use of Persian in all civil proceedings, pleadings, petitions and writings of whatsoever description, both in your own and the subordinate courts, be abandoned and the Hindoostanee substituted in lieu of it, this rule not being, however, construed to prohibit parties, who may desire it, from presenting, nor the Judge from receiving, such Hindoostanee pleadings, petitions and other writings, with the accompaniment of a Persian translation.” (No. 33, dated 12th April, 1839)

यहाँ तक तो कोई बात न ही क्योंकि इसमें फारसी की जगह हिंदुस्तानी को दी गई थी और यह मान लिया गया था कि यदि हिंदुस्तानी के साथ उसका फारसी उल्था भी दे दिया जाय तो कोई क्षति नहीं। पर इसके आगे जो उर्दू का उल्लेख किया गया वह हिंदी के लिए वातक सिद्ध हुआ। उर्दू किसी हिंदी-लिपि में कब् लिखी गई? बस उसमें तो कहा गया कि सरकार चाहती है कि साफ और सुषोध उर्दू से कथरी के काम-काज का विशेषणः सूत्रपात हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विधान में यद्यपि उर्दू के साथ ही साथ कहीं-कहीं के लिए हिंदी वोली का भी विधान कर दिया गया है तथापि सच पूछिए तो वस्तुतः इसने हिंदी-भाषा और हिंदी-लिपि की हत्या कर मुगली-भाषा और मुगली-लिपि का प्रचार कर दिया है। कारण, इस प्रकार उसने जो हिंदुस्तानी का ढोगा किया और फारसी को निकाल बाहर करने का जो उपाय रचा वह सब हिंदी के सिर पड़ा और फलतः उसी का सर्वनाश हुआ। देखिए न, सदर दीवानी अदालत ने कहा कि हिंदी जहाँ वह प्रचलित है। ‘प्रचलित’ और ‘जहाँ’ का अर्थ? वह तो घर घर_बरती जाती है। तो भी सरकार का कहना है

"It is the wish of Government that care should be taken especially on first introducing the measure, that the pleadings and proceedings be recorded in clear intelligible Oordoo, (or Hindoo where that dialect is current,) and that the Native ministerial officers, hitherto accustomed to write a somewhat impure Persian, do not merely substitute a Hindoostanee for a Persian verb at the end of a sentence, under the mistaken idea that such a practice will be considered as fulfilling every object in view in making the change." (वही)

सदर दीवानी अदालत ने यह तो जान लिया कि लोग किस प्रकार लियान्दिया। आदि को जोड़ कर फारसी को उर्दू बना लेते हैं पर वह यह न जान सकी कि यह उर्दू कभी फारसी को छोड़कर लोक-वापी की पटरी पर चल नहीं सकती। तभी तो उसने जान-बूझकर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी यानी उर्दू को चालू किया ? इसका कारण चाहे जो हो, पर इतना तो प्रत्यक्ष ही है कि उसको उर्दू से पूरा पड़ता नहीं दिखाई देता है और इसी से वह सरल और सुलभी रीति की चेतावनी देती है। पर क्या कभी यह संभव है ? नहीं, उर्दू तो फारसी-प्रिय लोगों की प्रसन्नता के लिए मैदान में आई है और इसी से हिंदुस्तानी की आड़ में वह हिंदी का शिकार करने में लगी है।

हों, तो माल के सदर बोर्ड ने भी दीवानी का साथ दिया। उसने भी कह दिया कि बोर्ड का प्रस्ताव है कि फारसी-लिपि बनी रहे। सो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि युक्तप्रान्त की सदर दीवानी अदालत और माल के सदर बोर्ड ने मिलकर नागरी को नष्ट करने का उपाय रचा और फारसी की जगह उर्दू का प्रचार कर हिंदी-उर्दू का एक नया प्रपञ्च खड़ा किया। अच्छा, तो सदर बोर्ड की उक्त विज्ञमि है कि जहाँ कहीं नागरी जमी है वहाँ वह चले पर उसको छोड़कर अन्यत्र फारसी लिपि ही बनी रहे। भापा गई पर लिपि नहीं। यही तो न्याय है !

"The Board propose that the Persian character shall be

retained, except in those very few districts in which the Nagree has obtained and established an almost universal currency' (No III, dated 28th August, 1840.)

अतः हम देखते हैं कि वस्तुतः बोर्ड के सामने फारसी-लिपि की रक्षा का प्रयत्न है कुछ लोक-लिपि के प्रचार और लोक-वाणी के व्यवहार का उद्योग नहीं। बोर्ड की दृष्टि में वह उचित जान पड़ता है कि फारसी-लिपि रहने दी जाय और केवल वहीं से वह हटाई जाय जहाँ नागरी का व्यापक प्रचार और बोलबाला हो गया है। तनिक विचार करने की बात थी कि जनता की लिपि फारसी किस प्रकार कही जा सकती थी और क्योंकर प्रजा के हित के विचार से उसका व्यवहार किया जा सकता था। परन्तु बोर्ड ने किया यह कि फारसी-लिपि की रक्षा की ठान ली और फलत आज तक उसके प्रतान से वहाँ फारसी-लिपि और फारसी-भाषा की प्रधानता बनी है। उसके व्यवहार में देश की खरी भाषा कहाँ है? उसकी भाषा तो बिंगड़ी फारसी या मुगली ही है। देश से उसका कौन-सा सोधा लगाव है कि वह वरवस जनता के गले उतारी जाती और उसके व्यवहार की लिपि बताई जाती है? सच बात तो यह है कि यदि वस्तुतः सरकार लोक का कल्याण चाहती और किसी अपनीति का सहारा न लेती तो कच्छरियों में उद्दूँ को कभी जगह न मिलती और अँगरेजी शासन में हिंदियों के हित के लिए फारसी के मदरसे न खुलते। आज जो चारों ओर उद्दूँ का भंडा फहराया जा रहा है वह और कुछ नहीं, इसी आग का धुआँ है जो धीरे-धीरे इतने दिनों से बड़ी सावधानी के साथ सुलगाई जा रही थी और फलतः आज भी राष्ट्र-जीवन का दम धोटने के लिये पर्याप्त समझी जाती है। पर इसमें दोप किसका है? सरकार नहीं, आप का।

कच्छरियों और सरकारी काम-काजों में उद्दूँ कैसे और किस ओर से घुसी, इसका रंचक आभास तो भिल गया, अब थोड़ा यह भी देख लेना चाहिए कि सरकार इस भाषा के विषय में वरावर कहती क्या आ रही है और उसके कच्छरिया बाबू उसकी सुनवाई कहाँ तक करते आ

रहे हैं। भाल के सदर बोर्ड ने उसी समय स्पष्ट कहा था कि सरकार फारसी से लड़ी उद्दू को नहीं प्रसन्न करती। उसकी दृष्टि में तो उस भाषा का व्यवहार होना चाहिए जो किसी शिष्ट सज्जन की समझ में जो फारसी से सर्वथा अनभिज्ञ हो, सरलता से आ जाय। परंतु बोर्ड की बात अनसुनी कर दी गई। उसने कहा था कि न केवल हिंदी किया और हिंदी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाय बल्कि उसकी पद्धोजना भी हिंदी हो और उसे फारसी से सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्ति भी समझ ले।

“You should therefore explain to the officers under your control that it is not the mere substitution of Hindoo verbs and affixes which the Board wish to see adopted. They desire that every paper shall be written in the phrase in which a well spoken respectable man, altogether unacquainted with Persian, would express himself.” (वही)

अस्तु, कहा गया था कि गँवारू बोली नहीं, शिष्ट भाषा को जगह दी जाय, पर उसका अर्थ लगाया गया कि कभी जनता की बाणी को जगह न मिले। कच्चहरिया बाबुओं की दृष्टि में उद्दू के सिवा शिष्ट हो ही कौन सकता है कि उसकी भाषा को प्रभाण माना जाय! नतीजा यह निकला कि अभी तक इस प्रांत की सरकारी हिंदुस्तानी भाषा विंडी फारसी अथवा दरबारी उद्दू ही रह गई। वह दिली के कुलीन मुसलमानों की ज़बान भी न बन सको। विहार आदि प्रांतों में जहाँ हिंदी को जगह मिली, वहाँ से भी यह गँड़वड़माला दूर नहीं हुआ, किसी न किसी रूप में चलता ही रहा। और आज तो न जाने कहाँ से बल पाकर और भी उभर आया है। खैर, कुछ भी हो, कहना तो यह है कि सरकार ने उद्दू को वसाकर जनता को उजाड़ दिया और पढ़े लिखे सच्चे नामिकों को भी पक्का जपाट बना दिया। कच्चहरी के शिकस्ता कागदों ने किसको परास्त नहीं किया! स्वयं सरकार को भी!

दीवानी और बोर्ड की आज्ञायें निकलती और रद्दीखाने की टोकरी

की शोभा बढ़ाती रहीं। कचहरी में उर्दू का जाल विछा तो जनता कागज़ पढ़ने के लिए, उर्दू के पीछे पड़ गई। चारों ओर उर्दू के मदरसे खुलने लगे और गँवारू हिंदी को नॉबो से भी विदाई भिलने लगी। जिसके हृदय में राष्ट्र की भावना काम कर रही थी और जो निरीह जनता की बोली को समझता था वह यह कपटलीला कहाँ तक देख सकता था। निदान राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद मैदान में आये और कचहरियों में हिंदी का प्रचार करना चाहा। चाहते तो वस्तुतः वे सरल उर्दू ही थे, पर प्रचार नागरी-लिपि का करना चाहते थे, जिससे व्यथित होकर सर सैयद अहमद खाँ बहादुर ने ख़तरे की बंटी बजाई, जो आज कथामत के मुँह से बोल रही है और बातों में उलझाकर जनता की बाणी को सहसा भिटा देना चाहती है। इसके लिए उर्दू कहीं मेल-जोल की भिटाई बताई जाती है, तो कहीं जिहाद करने के लिए 'नवी की ज़्वान।' आये दिन रंग बदलना तो उसका धर्म हो गया है। पर सच्ची बात यह है कि वह जैसेन्तैसे फारसी को पालना और उसके बंदो का पैट भरना चाहती है, कुछ हिंदियों को पार लगाना नहीं। यही कारण है कि जब कभी कचहरी की भाषा को सरल और सुवोध बनाने का प्रश्न छिड़ता है तब वो उर्दू चिटक जाती हैं और उसका मुँह खोल कर विरोध करती हैं। सरकार भी इस हो-हल्ला से तंग आकर अपनी जान बचाती और कचहरी की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं करती है। गत सौ वर्ष इसके बोलते प्रमाण हैं। उनके आधार पर यह प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है कि वास्तव में उर्दू क्या है और उसका प्राण कहाँ बसा है और सरकार क्यों जो कहती है उसे परा नहीं करती।

जो हो, कोसने अथवा व्यर्थ के विवाद से काम न चलेगा। यदि प्रमाद से, हमारी भूल से, वितंडा से, नीति से अथवा किसी भी लग्न वज्ञ कारण से हिंदी की जगह उर्दू चालू कर दी गई और उसे फारसी को पटरी पर रपटने के लिए छोड़ दिया गया तो कोई बात नहीं। जो लोग उसके प्रेमी हैं, शौक से उसे गले लगायें, पर कृपया भूल न जायेकि इस देश की बाणी भी अभी इसी देश में जीवित है। घर-बाहर

सभी जगह कण्ठण से बोल रही है। सरकार ने उसी को महत्व दिया है। कच्चहरियों और दफ्तरों में उसी के शिष्ट रूप को स्थान मिला है। फिर जो लोग अपने कागदों में उसकी सच्ची प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं उनकी अवहेलना क्यों होती है और उन्हें फटकार किस बूते पर बताई जाती है? क्या कायरता और कुपूतता के अतिरिक्त और भी कोई कारण हो सकता है? नहीं। क्योंकि हम भली भौति जानते हैं कि सरकार ने सरल और सुवोध शिष्ट भाषा को ही अपनाया है और इसी लिए वारन्बार इस बात का आश्रह भी किया है कि कच्चहरियों और सरकारी दफ्तरों में वही भाषा वरती जाय जो फारसी से सर्वथा अन्मिश्र शिष्ट समाज के व्यवहार में हो अथवा उनकी समझ से बाहर की न हो और पारिभाषिक शब्दों को छोड़कर बिलकुल बोलचाल की हिंदुस्तानी यानी शिष्ट खड़ीबोली हो। साथ ही लिपि का प्रश्न भी हल कर दिया है। उसने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि लिपि के व्यवहार में जनता स्वतंत्र है। वह चाहे फारसी-लिपि का व्यवहार करे, चाहे नागरी-लिपि का प्रयोग, सरकार की ओर से इसमें किसी प्रकार की अड़चन न होगी। फिर भी देखने में यह आता है कि सरकारी कर्मचारी अपनी ओर से कभी-कभी कोई न कोई वाधा उठाते रहते हैं और अहलकारों के चकमे में आकर हाकिम भी कुछ बेढ़ंगी और हिंदी के प्रतिकूल बातें कर जाते हैं। निदान जनता को विवश हो फिर उसी बहुरंगी उदू की शरण लेनी पड़ती और अपनी प्राण की कमाई को पानी की भौति बहाना पड़ता है। केवल कागद पढ़ने के लिए जो पैसे ऐंठे जाते हैं उनकी मात्रा कुछ कम नहीं होती। अतएव यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि सरकार नागरी को अपनाने के लिए तैयार है और उसके सभी कर्मचारी नागरी अपनाने की विवश भी है। उन्हें सरकार को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वे नागरी जानते हैं। यदि यह सिद्ध हो जाय कि उन्हे नागरी का ज्ञान नहीं है तो अंत में उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े। फिर भला उनमें इतना बल कहाँ कि जनता की लिपि की उपेक्षा कर उसके जन्म-सिद्ध अधिकार की अवहेलना करें। पर यह तभी संभव है जब

जनता दिलेरी और साहस के साथ अपने अधिकार के लिए अधिकरण अथवा कचहरी में अड़ जाय और नागरी के अतिरिक्त और किसी को न अपनावे।

पहले कहा जा चुका है कि सन् १८६८ई० में राजा शिवप्रसाद सिंहारेहिंद ने कचहरियों में नागरी के प्रवेश के लिए प्रयत्न किया पर उनको सफलता न मिली। उन्हीं की भौति बहुतों ने जबन्तव छिट्कुट यन्त्र किया, पर सभी असफल रहे। अंत में महामना पंडित मदनभोहन मालवीय मैदान में आये और एक अत्यंत व्यवस्थित ढंग से इस काम को हाथ में लिया। एक ओर तो उन्होंने नागरी के पक्ष में हस्ताक्षरों की योजना की तो दूसरी ओर बहुत-सी सामग्री संचित कर 'कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन' नाम की पुस्तक लिखी। इन सामग्रियों को हाथ में लेकर प्रान्त के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मंडल के साथ छोटे लाट साहब से मिले और उनकी सरकार को समझा-बुझाकर अपने पक्ष में कर लिया। अन्त में ८ अप्रैल सन् १९०० ई० को सर ए० पी० मैकडीनल ने एक विज्ञप्ति निकाल दी, जिससे कचहरियों में नागरी को भी स्थान मिल गया। फिर क्या था? देश के मुगली लोगों ने ऐसा अधम मचाया कि उसका कुछ ठिकाना नहीं। जगह-जगह पर सभायें की गईं, जगह-जगह से प्रतावों की बौछार आई, पर लाट साहब तनिक भी विचलित न हुए और अंत में बड़े लाट साहब की अनुमति से यह आईन वन गया कि सभी लोग अपनी अर्जी या शिकायत की दरखतास्त चाहे नागरी या फारसी-लिपि में दे सकते हैं और सभी कागद जैसे समन आदि जो सरकार की ओर से जनता के लिए निकाले जायेंगे, दोनों लिपियों में यानी नागरी और फारसी-लिपि में लिखे अथवा भरे होंगे। सरकार ने इसके साथ ही इस बात का भी प्रबंध कर दिया कि आगे किसी भी व्यक्ति को तभी सरकारी नौकरी मिल सकेगी जब वह हिंदी और उद्घृ दोनों ही भाषाओं को जान ले और जो कर्मचारी अभी हिंदी नहीं जानते हैं, वर्ष भर में वे उसे अवश्य सीख लें अन्यथा नौकरी से अलग कर दिये जायेंगे। अच्छा तो वह आईन है

I. All persons may present their petitions or complaints either in the Nagri or in the Persian character, as they shall desire.

II. All summonses, proclamations, and the like in vernacular, issuing to the public from the courts or from Revenue officials, shall be in the Persian and the Nagri characters, and the portion in the latter invariably be filled up as well as that in the former.

III. No one shall be appointed, except in a purely English office, to any ministerial appointment after one year from the date of this Resolution unless he knows both Hindi and Urdu; and any one appointed in the interval who knows one of these languages but not the other, shall be required to qualify in the language which he does not know within one year of his appointment.

(नं० ५८५
३-३४३ सी ६८, १९०० संशोधन के साथ)

नागरी को स्थान मिला तो सही, पर कर्मचारियों के साथ जो उदाहरण का व्यवहार किया गया। वह हिंदी के लिए बातक होता रहा। कभी किसी हाकिम की शिकायत सरकार के पास पहुँचती थी तो कभी किसी अहलमद की। सरकार भी अपने कर्तव्य की इति इसी में समझ लेती थी कि उक्त हाकिम अथवा अहलमद को सचेत कर दिया जाय कि भविष्य में वह ऐसा न करे। सरकार की इसी ढिलाई का यह परिणाम है कि आज तक कच्चहरियों और दफ्तरों में हिंदी को उचित स्थान न मिला और आये दिन इस बात पर विवाद होता रहता है कि हिंदी को कहाँ तक सरकारी काम-काजों में महत्व दिया जाय।

समय-समय पर सरकार को और से युक्तप्रांत की भाषा के विषय में जो विश्वासियों निकलती रही है उनका विवरण देना व्यर्थ होगा।

संघेप में यहाँ इतना जान लीजिए कि १६ फरवरी सन् १९३३ ई० को कौसिल ने यह प्रस्ताव मान लिया कि हाकिम को अधिकार है कि वह कथहरी अथवा अदालत की कार्रवाई चाहे जिस भाषा में करे। नह देवनागरी और उर्दू में से किसी भी लिपि का व्यवहार कर सकता है। पर साथ ही उसने यह भी प्रस्ताव किया कि किसी भी देश-भाषा के कागद की नकल उसी लिपि में दी जायगी जिसमें कि लेनेवाला चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौसिल ने भी हिंदी और उर्दू को बराबर का स्थान दिया। कौसिल का उत्तर प्रस्ताव अपने शुद्ध रूप में यह है—

“That the Council recommends to the Government that the presiding officers of all courts should be at liberty to write the proceedings of courts either in Devanagri or Urdu script as they like.

“That this Council recommends to the Government that certified copies of all vernacular records and documents may be supplied to the applicants according to their desire either in Devanagri or Urdu script.” (February 16, 1933).

फारसी-भाषा की जगह जैसे उर्दू-भाषा चालू हो गई, वैसे ही फारसी-लिपि की जगह उर्दू-लिपि का नाम चल निकला, फिर भी उर्दू के हिमायतियों को संतोष न मिला। कारण यह था कि उन्हें नागरी से बड़ा भय था। भय ने उस समय निश्चय का रूप धारण कर लिया। जब कांग्रेस प्रसुत्व में आई और जनता सचेत हो अपनी भाषा और अपनी लिपि की ओर लपक पड़ी। अब चारों ओर से यह आग्रह होने लगा कि वस्तुतः युत्क्रान्त की देश-भाषा उर्दू और देश लिपि भी उर्दू ही है। सरकार की आज्ञाओं और विज्ञापनों में यहाँ कहीं वर्ना क्यूलर शब्द दिखाई देता था वहाँ चट उसका अर्थ उर्दू लगा लिया जाता था। निदान, इस धौधली से अभकर ७ फरवरी सन् १९३९ ई० को लेजिस्लेटिव असेंबली में श्री चरणसिंह ने यह प्रश्न किया कि युत्क्रान्त

की अदालती अथवा हाकिमी भाषा न्या है ? यह केवल उदूँ ही है अथवा नागरी और फारसी लिपि में लिखी जानेवाली हिंदुस्तानी ? कहना न होगा कि यह प्रश्न बड़े ठिकाने का था और सरकार की ओर से इसका उत्तर भी ढंग का मिल गया । प्रधान मंत्री के पार्लियमेटरी सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि हाकिमी भाषा अँगरेजी है और अदालती भाषा हिंदुस्तानी है जो नागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है । सरकार की नीति है कि देवनागरी और फारसी लिपि को सम्मान से देखा जाए । उत्तर महत्व का है, अतएव इसे भूल रूप में भी देख लें । सरकार का कहना है

“The official language is English. The court language is Hindustani written in both scripts Devanagri and Persian. The policy of Government is that both Devanagri and Persian scripts should be treated on the same footing ”

(February 7, 1939.)

अस्तु, हम देखते हैं कि ठीक सौ वर्ष के बाद इतनी रगड़-झगड़ करने के उपरान्त फिर नागरी को युक्तप्रान्त की अदालतों में उचित स्थान मिला है । अब कहना चाहें तो सरलता से बिना किसी रोक-टोक के कह सकते हैं कि आरम्भ में कम्पनी-सरकार ने जिस प्रकार फारसी भाषा और फारसी-लिपि के साथ ही साथ नागरी-भाषा और नागरी-लिपि को अदालतों में स्थान दिया था, उसी प्रकार युक्तप्रान्त की उदार सरकार ने आज फिर उदूँ भाषा (यदि कही जा सकती है) और फारसी-लिपि के साथ हिंदी भाषा और हिंदी-लिपि को भी स्थान दिया है । अब यह आपका कर्तव्य है कि आप अपनी भाषा और अपनी लिपि का अपमान करे अथवा सम्मान । सरकार तो अब इस विषय में कुछ और करने से रही । यदि कुछ करेंगी भी तो नागरी का अनिष्ट ही । क्योंकि नात सौ सवा-सौ वर्षों का इतिहास इसी बात का प्रभाण है कि सरकार ने धीरे-धीरे नागरी-लिपि और हिंदी-भाषा को कचहरियों और दृप्तरों से बड़ी क्रूरता के साथ निकाल दिया और जी-जान से

इतना प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार उसे उदूर्के बराबर रख दिया। उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके व्यवहार की भाषा कहाँ तक देश-भाषा अथवा जनता की बोली है। अच्छा होगा, उसकी सर्वसुवोध हिंदुस्तानी का एक नमूना उसके सामने रख दिया जाय और यह भी स्पष्ट बता दिया जाय कि वस्तुतः हम उसे किस रूप में देखना चाहते हैं और सचमुच किसे सर्वसुवोध समझते हैं। लीजिए एक नोटिस है ~

“लिहाजा बजरियः इस तहरीर के तुम रामपदारथ मज्जकूर को इत्ताला दी जाती है कि अगर तुम जार मज्जकूर यानी मुबलिग १५०=) जो अज्ञूए डिगरी बाजिबुल अदा है इस अदालत में अन्दर पन्द्रह रोज़ तारीख मौसूल इत्तालानामा हाज़ा से अदा करो बरनः बजह ज़ाहिर करो कि तुम मुन्दर्जा जैल खेतों से जिनके बाबत बक्काया डिगरीशुदा बाजिबुल अदा है, बेदखल क्यों न किये जाओ।”

यह तो हुई हमारी उदार सरकार की ठेठ हिंदुस्तानी जिसे उसके पाले-पोसे जीव ही समझते हैं, पर हम इसे इस रूप में सहज में समझ सकते हैं

“सो इस लेख से तुमको जताया जाता है कि तुम ऊपर कहा हुआ रूपया जिसकी तुम्हारे ऊपर डिगरी हो चुकी है इस नोटिस के पाने से पन्द्रह दिन के भीतर इस अदालत में चुकता करो, नहीं तो कारण बतलाओ कि तुम नीचे लिखे खेतों से जिनके ऊपर डिगरी का रूपया चाहिए, क्यों न बेदखल किये जाओ।” (आचार्य रामचन्द्रजी शुक्ल के ‘हिंदी पृष्ठ मुसलमांस’ शीर्षक लेख से, लोडर १९ अप्रैल सन् १९१७ ई०)।

कहने का निचोड़ यह कि जब तक हिंदी-जनता हिंदी और नागरी के व्यवहार के लिए तुल नहीं जाती और वकीलों, मुहरिरों और अहलकारों को विवश नहीं कर देती तब तक देश में किसी देश-भाषा का बोलबाला नहीं हो सकता। यदि सचमुच आर्योवर्त को अपनी भाषा और अपनी लिपि की लाज रखनी और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को

प्राप्त करना है तो आज से ही आप दृढ़ संकल्प कर लें कि नागरी के अतिरिक्त किसी और को अपने प्रतिदिन के व्यवहार और काम-काज में कभी भी स्थान न देंगे और यदि कोई विनाश डालेगा तो उसे भी देख लेंगे। विश्वास् रखिए जहाँ आपने ऐसा अनुष्ठान किया वहाँ देश से हिंदुस्तानी का व्रह्मराक्षस दूर हआ और आप राष्ट्र की स्वतंत्र भावभूमि पर आ जाने। फिर न तो हिंदी-उर्दू का द्वन्द्व रहा और न रहा हिंदुस्तानी का कही कोई ओमा हो। हों, सभी को अपनी बाणी मिल गई और साथ ही मिल गया अपनों में अपना स्थान भी। हम निपट गेवार राजनीति को क्या जानें? पर हमारी परम्परागत भाषा का व्यवहार यही है, यही है, यही है। और यही है हमारा राष्ट्रहृदय अथवा सच्चा स्वराज्य भी—राष्ट्र और राज्य भी।

१८ उद्धार का उपाय

हिंदुस्तानी का मुँहचंग बजाने से स्वराज्य नहीं मिल सकता। इसके लिये तो स्व का मर्म समझना होगा। ‘स्व’ कल की कलित कल्पना का नाम नहीं है; वह तो अतीत की परितः अनुभूति का पुंज है। अरे। भविष्य का प्रासाद उसी अतीत की चट्टान पर टिकाऊ बनता है, कुछ इधर-उधर के उठते-वैठते बबूलों पर नहीं। यही कारण है कि हम राष्ट्र को इधर-उधर के चलते-फिरते लटकों से उवारकर उसे अतीत के ठोस आधार पर खड़ा देखना चाहते हैं। पर यह अतीत का ठोस आधार सामने आये तो कहाँ से। हम तो न जाने कितने दिनों से ‘वल्ला और बाहवाही’ के पीछे मर रहे हैं। कमर कसकर जीवन-संवर्प में उतर पड़ना और अपने को जीवन-दोत्र का बीर कहना तो कभी का छूट चुका है। अब तो कला और भेल की झुग्गी पिट रही है और ‘कमर’ की खोज ने ‘उस पार’ का चौंगा पहन लिया है। निदान एकता और उद्धार का उपाय यहाँ से भी कुछ ओमल हो चला है। यहाँ का भेल-मिलाप तो अमिनय का आलिंगन अथवा भीड़ का मार्हचारा है। यदि हमें स्वस्थ और समर्थ-

जीवन का बीज बोना है तो एक बार अपने अतीत का सिंहावलोकन अनिवार्य रूप से करना ही होगा। किन्तु केवल पोथी-पत्रों के पलटने से काम न चलेगा। पोथी पत्रों में जीवन का संब्रह नहीं हुआ है। उनमें तो बुद्धि विलास और विद्याविभव ही ठूस ठाँसकर भरे गये हैं। हाँ, भावों का व्यायाम और विचारों का व्यवसाय भी उनमें खूब हुआ है पर राष्ट्र का सच्चाजीवन तो उनसे कुछ दूर ही रहा है। लोकजीवन लोकगीतों के साथ चला है। उन्हीं में हमारा सच्चा जीवन और सच्चा हृदय खिला हुआ है। परन्तु लोकगीतों का अर्थ कुछ खास ढंग के श्री-गीतों से ही नहीं है। लोकगीतों का ज्ञेत्र भी अपार है। अब समय आ गया है कि हिंदुस्तानी के पैसे के 'बारह मजे' से मुक्त हो लोकगीतों का सच्चा आनंद उठाया जाय और यह प्रत्यक्ष दिखा दिया जाय कि जिस एकता और जिस विभूति के लिये तुम सथानी रीडरों के फेर में पड़े हो वह तुम्हारे जीवन से बहुत पहले देश के कोने कोने से फैल चुकी है और फलतः आज भी घर घर में बोल रही है। हाँ, सड़कों और शहरों की सड़ी-गली गलियों में उसकी फेरी नहीं होती; और न यत्र-तत्र उसके झुल्लस ही धूम से निकलते हैं। कारण, उसे आत्म-विज्ञापन नहीं, आत्म-प्रकाश भाता है।

अच्छा तो राष्ट्र का वास्तविक उद्धार और एकता का मूल स्रोत उन्हीं गीतों में है जो धर-धर और गाँव-गाँव फैले हुए हैं और बहुत कुछ गवैयों के मुँह में भी पड़े हुए हैं। यदि आप उनका अध्ययन करें, मनन करें और उनके विनय और विषय पर ध्यान दें तो आपके भीतर एक नवीन व्योति की स्फूर्ति और एक सजीव भाव का उदय हो, जिसके प्रकाश में सभी मनसुटाव नष्ट हो जायें। परंतु इसकी संभावना तभी है जब प्रत्येक भारतीय प्रत्येक गान का संब्रह अपना धर्म समझे और सभी प्रकार के कच्चे-पक्के गानों पर समदृष्टि रखें। श्रीनगीतों के साथ ही साथ नाना अकार के जातिगीतों का भी संब्रह होना चाहिए और उन उत्तादों के गानों का भी शीघ्र ही प्रकाशन हो जाना चाहिए जो कभी मुसलिम-पादशाहों के दरबार की शोभा थे। उनके मुँह में ऐसे अनमोल रत्न पड़े

हैं जो कहीं दिखाई ही नहीं देते और न जाने उनमें कितना इतिहास
छिपा है। 'संगीत-राग-कल्पद्रुम' तो एक व्यक्ति के अम का फल है। अभी
न जाने कितने वैसे कल्प-द्रुम तैयार हो सकते हैं। आशा है, यह
प्रार्थना समर्थ और लो से पढ़ी और सशक्त कानों से सुनी जायगी और
हम वह कर दिखायेगे जिसको देखकर उदू की ओर देखना सीखेगी।
फिर तो किसी हिन्दुस्तानी की छूटन्तर का काम ही न रह जायगा।
वैसे आप जानें और जाने आप का काम भी। सरण रहे

"कामाखा का संस्कृत, प्रेम चाहिये सौच ।
काम जो आवै कामरी, का लै करै कमाँच ॥"

बस, 'कमाँच' को धरो और 'कामरी' को बरतो, फिर देखो तो सही
तुम वही हो जिसके होने के हेतु यह सब कुछ हुआ। अस्तु !

सुन हाश्मा, तिभूणीशो तथा पद्मयशाःश्री

॥१॥ चिरकेष. ॥२॥

शास्त्रानीगोपा - अवधीया - घांचे६

पुराण नामर

लेखक की अन्य रचनाएँ

उद्गौ का रहस्य

॥३॥

कचहरी की भाषा और लिपि

॥४॥

भाषा का प्रश्न

॥५॥

मुराल वादशाहों की हिन्दो

॥६॥

त०वसुफ या सूफी मत

॥७॥

अनुराग वासुरी

॥८॥

